खण्ड-236, अंक-3
शुक्रवार, 27 आश्विन, शक संवत् 1884
(19 अक्टूबर, 1962 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 236 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	.. २७९–२८३
प्रश्नोत्तर	.. २८३–३३२
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर नियम, १९४८ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये) ..	३३२
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ के अधीन प्रख्यापित विज्ञप्ति (मेज पर रखी गयी)	३३३
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) नियमावली, १९६२ (मेज पर रखे गये) ..	३३३
विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १८३ (१) के अन्तर्गत "भारत के संविधान" में प्रस्तावित संशोधन (मेज पर रखी गयी) ..	३३३
सूचना मंत्री द्वारा मंत्रिपरिषद् के कथित निर्णय का सदन के समक्ष उल्लेख करने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	३३३–३३६
कार्य-स्थगन प्रस्ताव	३३७
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं	३३७–३३८
श्री कृष्णपालसिंह, सदस्य विधान सभा की गिरफ्तारी के संबंध में सूचना ..	३३८
श्री काशीनाथ मिश्र द्वारा उर्वशियम क्षेत्र (नेफा) में चीनी आक्रमणकारियों के विरुद्ध वीरतापूर्वक लड़ने वाले सैनिकों को बधाई देने हेतु प्रस्ताव पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था	३३८–३३९
चीन द्वारा भारतीय सीमा के अतिक्रमण के संबंध में प्रस्ताव पर विवाद की मांग	३३९
आजमगढ़ जिलान्तर्गत कुछ ग्रामों में पुलिस कर्मचारियों के कथित आतंक के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	३३९–३४८
श्री अध्यक्ष को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव (स्थगित) ..	३४८–३५०
श्री उपाध्यक्ष को अपने पद से हटाने का प्रस्ताव (स्थगित) ..	३५०
उत्तर प्रदेश जोत-कर विधेयक, १९६२ (प्रस्ताव पर कि विधेयक पर विचार किया जाय, विचार जारी)	३५०–३९१
नत्थियां	३९२–४१२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १९ अक्तूबर, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३९१

अक्षयवर्सिंह, श्री
अखंडप्रताप सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनर्सिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फत सिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलार्सिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छन्न गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णर्सिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवर्सिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालर्सिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादर्सिंह, श्री
गंगार्सिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल, श्री

गया प्रसाद, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजा प्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी

जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर आचार्य, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिट राम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री

नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बघवार, श्री (राजाजी)
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाँडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल बिप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बाँकेलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रताप सिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री

बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त गायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री

मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपाल श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्ददत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (ललन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुबीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पाँडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाँडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयकुमार, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशनलाल यादव, श्री
विश्वनाथ पाँडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री

शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी,कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपाल सिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त, वकील श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतराम सिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—नियोजन मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १९ अक्तूबर, १९६२

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रान्तीय रक्षक दल के सहायक समादेष्टा का चुनाव

१—श्री रामलखनसिंह (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रांतीय रक्षक दल, उत्तर प्रदेश के सहायक समादेष्टा के स्थायी पद के लिये दिनांक १९ अक्तूबर, १९६२ को चुनाव होने जा रहा है? यदि हां, तो क्या अहर्ता प्राप्त सभी जिला संगठन प्रांतीय रक्षक दल इस चुनाव के हेतु साक्षात्कार में बुलाये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

कारागार मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मदत्त वैद्य)—जी हां। सभी अहर्ता प्राप्त जिला संगठन कर्त्ताओं को साक्षात्कार में बुलाया गया है।

श्री रामलखनसिंह---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कमेटी ने पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया है और सबको इंटरव्यू में नहीं बुलाया है? यदि हाँ, तो जिनको नहीं बुलाया है उनको दूसरे दिन बुलाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---बुलाया गया है तो पक्षपातपूर्ण क्या है?

श्री रामलखनसिंह---श्रीमान जी, सबको इत्तला नहीं दी गई है।

श्री अध्यक्ष---यह पूछिये कि सबको बुलाया है या नहीं।

नियोजन मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)---जी हां, सबको बुला लिया गया है। लेकिन एक बात यह है कि पहले जब लिस्ट भेजी गई थी तो पब्लिक सर्विस कमीशन ने सात आदमियों को चुनकर बुलाने के लिये कहा था। यह मसला बहुत दिनों तक चलता रहा। इसके बाद पहली अप्रैल को और लोग भी परमानेंट हो गये। इसलिये जितने लोग परमानेंट हो गये उनको बुला लिया गया है। लेकिन पब्लिक सर्विश कमीशन का जो मेम्बर आयेगा उससे बात करनी है। उसने समझा कि उनका भी इंटरव्यू होगा तो सभी का हो जायगा। लेकिन यह निश्चय करना पब्लिक सर्विस कमीशन का ही काम है। इसलिये सबका इंटरव्यू करेंगे या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन लोगों को बुलाया गया है उन को इत्तला भिन्न-भिन्न तारीख को गई है?

श्री हरगोविन्दसिंह---जी हां।

श्री गेंदासिंह---क्या उनको यह भी मालूम है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इत्तला बाद को भेजी गई है जो उनको मिली नहीं होगी और वे नहीं आ सकते हैं, तो उनके लिये क्या प्रबन्ध किया जा रहा है?

श्री अध्यक्ष---कई ऐसे हैं जिनको इत्तला नहीं मिली है?

श्री गेंदासिंह---जी हां, ऐसे लोग हैं जिनको इत्तला नहीं मिल सकी। उनके लिये क्या किया जायगा?

श्री हरगोविन्दसिंह---यह संभव है कि ऐसा हुआ हो। लेकिन मैंने अर्ज किया कि सबकी लिस्ट मय चित्रावली के पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने रख दी जायगी। यदि उसने समझा कि उनको बुलाया जाय तो वे तारीख निश्चित कर देंगे और उस दिन उनका इंटरव्यू हो जायगा।

श्री गेंदासिंह---श्रीमन्, जो कमेटी बनाई गई है उसमें एक मेम्बर पब्लिक सर्विस कमीशन का है और दो मेम्बर वे हैं जिन्होंने इत्तला देने में थोड़ी कोताही की थी, तो मैंजारिटी उन लोगों की है जो चाहते हैं कि उनको न बुलाया जाय, तो इसका निर्णय कैसे होगा?

श्री हरगोविन्दसिंह---हां, शायद आपको गलतफहमी है। वह कमेटी निर्णय नहीं करेगी बल्कि पब्लिक सर्विस कमीशन का मेम्बर निर्णय करेगा। मैं आपको यह भी इत्तला दे दूं कि कल इस बात की कोशिश की गई थी कि पब्लिक सर्विस कमीशन को कंसल्ट कर लिया जाय कि और लोगों को बुलाया जाय या नहीं। लेकिन वे नहीं मिल सके। इसलिये मैंने उचित समझा कि सबको बुला लिया जाय। जो लोग नहीं आ सकेंगे और पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर ने यह समझा कि उनको बुलाया जाय तो उसके लिये दूसरी तारीख रख देंगे।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सहायक समादेष्टा के पद पर कोई सज्जन काम कर रहे हैं? यदि हां, तो क्या उनको भी बुलाया गया है?

श्री हरगोविन्दसिंह—जी हां, काम कर रहे हैं और उनको बुलाया गया होगा जरूर।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—क्या यह सही है कि जिन लोगों को बुलाया नहीं गया था उन लोगों को यह प्रश्न उपस्थित किये जाने के बाद जब डिपार्टमेंट ने पूछा है उसके बाद सूचना दे कर बुलाया गया है और उनका आना असम्भव है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—यह तो मैं नहीं कह सकता कि प्रश्न करने के बाद हुआ यह, लेकिन सात आदमी प्रश्न करने से पहले बुला लिये गये थे, लेकिन चूंकि यह नहीं मालूम था, यह फिर पूछा गया कि कितने डिस्ट्रिक्ट आफिसर्स परमानेंट हो गये हैं, जब उनकी लिस्ट आयी तब यह जरूरी समझा गया कि उनको भी बुला लिया जाय। लेकिन यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि पब्लिक सर्विस कमीशन सब का इंटरव्यू करना चाहेगा या नहीं, क्योंकि पहले भी २० लोगों का नाम भेजा गया था चरित्रावली के साथ, उसमें से उन्होंने सब देख कर यह कहा कि इन्हीं सात आदमियों को बुलाया जाय। जो लोग आये हैं या नहीं आये हैं, सबकी चरित्रावली उनके सामने रखी जायगी, उसमें से जैसा कि मैंने कहा—अगर उन्होंने यह समझा कि और किसी को बुलाने की आवश्यकता है तो आज इंटरव्यू हो जायगा या आज नहीं होगा तो दूसरी तारीख निश्चित करेंगे, उस रोज हो जायगा।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

अवैध गांजा, शराब और अफीम के मुकदमें

*१—**श्री कल्पनार्थसिंह** (जिला गोरखपुर)—क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जिलों में कितना-कितना अवैध गांजा, शराब और अफीम सन् १९६१ के मार्च से अब तक पकड़ी गई है और इस संबंध में कितने मुकदमे अब तक चल रहे हैं और कितने मुकदमों में सजा हुई है और कितने मुकदमे सबूत के अभाव में छूट गये ?

आबकारी राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)—वांछित सूचना †तालिका संख्या १ एवं २ में संलग्न है।

*२—**श्री कल्पनार्थसिंह**—क्या सरकार को यह मालूम है कि उत्तर प्रदेश में गांजा, शराब और अफीम का अवैध व्यापार करने वाला कोई गिरोह है ? यदि हां, तो सरकार ने गिरोह के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

डाक्टर सीताराम—ऐसे गिरोह के विषय में कानपुर, गोंडा तथा बाराबंकी जिलों से रिपोर्ट प्राप्त हुई है। उनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की गई।

श्री कल्पनार्थसिंह—अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं यह चाहता था कि मंत्री जी की नोटिस में यह बात आ जाय और संलग्न तालिका देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मंत्री जी की नोटिस में यह बात आ गयी है, इसलिये मैं दूसरा सवाल नहीं करना चाहता।

*३–५—**श्री मन्नालाल** (जिला खीरी)—[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलंबित होने के कारण हटा दिये गये।]

---

† छापी नहीं गयी।

श्री रूपरामसिंह, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार कानूनगो, मुजफ्फरनगर

*६--श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर), श्री जमादारसिंह (जिला मेरठ) तथा श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला मुजफ्फरनगर के एक एवजी नायब रजिस्ट्रार कानूनगो श्री रूपराम को उम्र से मुस्तसना करने का केस लखनऊ में बोर्ड के सामने सन् १९५४, १९५७ तथा जून, १९६१ में जा चुका है और तीनों बार खारिज होने के बाद आज भी वह नायब रजिस्ट्रार कानूनगो के पद पर काम कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें तुरन्त अलग करके दूसरे हकदार व्यक्तियों को तरक्की का अवसर देगी ?

*७--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बोर्ड ने सात या आठ वर्ष पहले रूपराम नायब रजिस्ट्रार कानूनगो, मुजफ्फरनगर को उक्त पद से हटाये जाने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो वह इस पर अब तक कैसे बने हुये हैं ?

*८--क्या सरकार को पता है कि उक्त रूपराम की सर्विस जेड० ए० एफ० में मुन्सरिम रहने के कारण ब्रेक हो चुकी है ?

माल मंत्री के सभासचिव (श्री बृजबिहारी)--जी नहीं ।

श्री झिलमिट राम--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुजफ्फरनगर में श्री रामरूप सिंह नाम का कोई रजिस्ट्रार कानूनगो है ?

श्री बृजबिहारी--इस नाम का एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार कानूनगो है और उसके संबंध में १९६१ में एक बोर्ड को रेफरेंस दिया गया था लेकिन उस में कुछ नुक्स था, वह फिर से रेफर कर दिया है, अभी जवाब नहीं आया है।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--बोर्ड को क्या लिखा गया था, यह स्पष्ट कर दें।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--यह लिखा गया था कि एज लिमिट रिलैक्स कर दी जाय। कुछ उसमें इनफार्मेशन कम थी । बोर्ड आफ रेवेन्यू ने कलेक्टर को फिर लिखा है। जब इनफारमेशन आ जाय तभी फैसला कर सकते हैं ।

श्री झिलमिट राम--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बोर्ड आफ रेवेन्यू ने कब फिर मुजफ्फरनगर को लिखा और कब तक अंतिम निर्णय ले लिया जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--तारीख तो नहीं बतायी जा सकती। लेकिन जैसे कलेक्टर की इनफार्मेशन बोर्ड के पास आ जायगी, बोर्ड फैसला कर देगा ।

श्री भीखालाल--प्रश्न ६ में साफ तौर से बताया गया है कि १९६१ में बोर्ड को इस प्रकार का उम्र से मुस्तसना करने के लिये लिखा गया या नहीं, उसमें जवाब मिला है, जी नहीं। बाद में कहते हैं कि १९६१ में लिखा गया है बोर्ड को। तो उत्तरों में इस तरह का विरोधाभास क्यों है ? इस पर प्रकाश डाल दें।

श्री बृजबिहारी--श्रीमन्, प्रश्न यह था कि ५४, ५७ और ६१ में प्रश्न आया था मुस्तसना करने के लिये, इसका उत्तर दिया गया है कि ५४, ५७ में नहीं बल्कि ६१ में लिखा गया था, यह उत्तर दिया गया है।

एक सदस्य—जवाब दिया है—जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष—अच्छा तो अब वह करेक्ट कर रहे हैं अपने आप को ।

श्री बृजबिहारी—अध्यक्ष महोदय, करेक्ट करने का सवाल नहीं है, जवाब बिलकुल सही है। प्रश्न संख्या ६ के उत्तर में जी नहीं कहा गया था और प्रश्न संख्या ७ के उत्तर में भी जी नहीं कहा गया है। उत्तर बिलकुल सही है, प्रश्न संख्या ६ के उत्तर में बताया गया है कि ६१ में लिखा था उन्होंने ।

श्री ऊदल—मान्यवर, आप यह देखेंगे कि माननीय मंत्री जी ने सप्लीमेंट्री के बाद स्वीकार किया है। क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास ऐसी कोई सूचना है कि इस नायब रजिस्ट्रार कानूनगो की सर्विस जो थी वह एक बार ब्रेक हो चुकी थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—नहीं, ऐसी सूचना नहीं है।

प्रवेश के बाग

*९—श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५२ में राज्य भर में कुल बागों का क्षेत्रफल कितना था और १९६२ में कितना है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—१९५१-५२ में बागों का क्षेत्रफल १३,०७,४९५ एकड़ था और १९६०-६१ में ११,२१,६२१ एकड़, प्रारम्भिक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार यह क्षेत्रफल १९६१-६२ में १०,५३,०१० एकड़ था ।

*१०—श्री चन्द्रबली सिंह (अनुपस्थित)—क्या हदबन्दी कानून के सदन में पेश होते-होते फर्जी बागों की संख्या बढ़ा है ? यदि हां, तो सरकार ने इसके निराकरण के लिये क्या कदम उठाया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—आंकड़ों से ऐसा नहीं मालूम होता ।

नदीगांव क्षेत्र के अध्यापकों का ग्रेड

*११—श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नदीगांव क्षेत्र के जिला जालौन में विलीन होने पर उस विलीन क्षेत्र के अध्यापकों को क्या विलीनीकरण के दिनांक से उत्तर प्रदेश के अध्यापकों का ग्रेड दिया गया ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

*१२—श्री विजय सिंह—क्या शिक्षा मंत्री को यह भी ज्ञात है कि बांदा, झांसी, हमीरपुर में जो क्षेत्र विलीन हुये उनके अध्यापकों को U. P. के अध्यापकों का ग्रेड दिया गया और उनको विलीनीकरण के दिनांक से एरियर भी दिया गया ? यदि हां, तो नदीगांव विलीन क्षेत्र जिला जालौन के उसी प्रकार के अध्यापकों को विलीनीकरण के दिनांक से एरियर क्यों नहीं दिया गया और अब सरकार उसकी क्या व्यवस्था कर रही है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (श्री अजीज इमाम)—सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री विजयसिंह—मान्यवर, इस प्रश्न को देखें, केवल इसमें ग्रेड के संबंध में बात पूछी गई है, केवल एक पत्र से इसका उत्तर मंगाया जा सकता था लेकिन २५-८-६२ को प्रश्न दिया गया था और दो महीने हो गये, ग्रेड की बात का भी पता नहीं चल सका।

श्री अध्यक्ष—माननीय शिक्षा मंत्री, क्या बात है ?

श्री अजीज इमाम—कई रिमाइन्डर्स भेजे जा चुके हैं, मगर उत्तर नहीं आया है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—मान्यवर, कल हमने कहा था कि यह सरकार की मशीनरी मंत्रियों के नियंत्रण के बाहर है, तो ऐसा तो करें कि कम से कम कंट्रोल तो कर सकें अपने मातहतों को ।

श्री विजयसिंह—अब प्रश्न का उत्तर कब तक मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष—अब की मर्तबा तो सूचना आ जानी चाहिये, जिस तरह भी हो।

राजकीय हायर सेकेन्डरी स्कूल, फर्रुखाबाद

*१३—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शिक्षा विभाग का राजकीय हायर सेकेन्डरी स्कूल फर्रुखाबाद को अपग्रेड करने के संबंध में फर्रुखाबाद के नागरिकों तथा विधायकों का प्रार्थना-पत्र मिला है ? यदि हाँ, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अजीज इमाम—जी हां, चूंकि फर्रुखाबाद में ४ इन्टर कालेज हैं ही, इस विद्यालय के उच्चीकरण को अभी प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है ।

श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अभी इसमें प्राथमिकता नहीं दी जाती है तो कब तक इस पर विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री अजीज इमाम—अभी तो इसके बारे में कोई गौर नहीं किया गया है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी इस प्रश्न के ऊपर तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक विचार कर कोई कार्यवाही करेंगे कि जिससे यह इंस्टीट्यूशन अपग्रेड हो सके ?

श्री अजीज इमाम—चूंकि वहां आलरेडी ४ इंटरमीडिएट कालेजेज हैं, इसलिये तीसरी योजना में तो कोई ऐसी योजना नहीं बनाई गई है कि इसको भी उच्च किया जाय।

लखनऊ में मद्य-प्रचार

*१४—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य सरकार का ध्यान लखनऊ शहर के सभी बड़े चौराहों, त्रिमुहानियों, प्रमुख स्थानों पर लगे मद्यप्रचार के बड़े-बड़े विशाल टिन प्लेट्स की ओर गया है ?

डाक्टर सीताराम—जी हाँ ।

*१५—श्री झारखंडेराय (अनुपस्थित)—यदि हाँ, तो क्या सरकार इन मद्य-प्रचार के बड़े विज्ञापनों को अपनी मद्य-निषेध नीति को ध्यान में रख कर हटवाने की योजना पर विचार कर रही है ?

डाक्टर सीताराम—मद्य-प्रचार संबंधी विज्ञापनों को रोकना संवैधानिक कठिनाइयों के कारण सम्भव नहीं है। फिर भी नगरमहापालिका को ऐसे विज्ञापनों को प्रोत्साहन न देने के लिये प्रार्थना की जा रही है ।

सड़क निर्माण व्यय में वृद्धि

*१६—श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया ब्योरे के साथ प्रकाश डालेंगे कि उनके कथनानुसार पक्की सड़क बनाने में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में ४० हजार, दूसरी में ६० हजार और तीसरी में ९० हजार रुपये का खर्च प्रति मील पड़ता है इस भारी अन्तर के कारण क्या-क्या हैं और क्या इस भयंकर व्यय वृद्धि को रोकने के कुछ उपाय सोचे या किये जा रहे हैं ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—इस वृद्धि के मुख्यतः निम्नांकित कारण हैं :—

१—मजदूरी तथा निर्माण सामग्री के मूल्यों में लगातार वृद्धि ।

२—सड़कों पर यातायात तथा चक्कभार की उग्रता के कारण सड़कों को अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता तथा उनके स्पेसिफिकेशन में परिवर्तन ।

३—कंकड़ों के अभाव में ईंट अथवा पत्थर की गिट्टियों का प्रयोग ।

उपरोक्त कारणों से पक्की सड़कों के निर्माण के मूल्य में वृद्धि होना स्वाभाविक है ।

संस्कृत पाठशालाओं के निरीक्षक

*१७—श्री चन्द्रबलीसिंह (अनुपस्थित)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संस्कृत पाठशालाओं के निरीक्षण हेतु उत्तर प्रदेश भर में कभी एक निरीक्षक थे और अब ५ निरीक्षक हैं ? यदि हाँ, तो क्या जब एक निरीक्षक थे उस समय से अब छात्रों और पाठशालाओं की संख्या बढ़ गई है ? यदि नहीं, तो ५ निरीक्षक रखने का कारण क्या है ?

शिक्षा मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)—१९४८ में एक निरीक्षक तथा ३ सहायक निरीक्षक थे । निरीक्षक अब भी एक हैं । सहायक निरीक्षक ६ हैं ।

जी हाँ । पाठशालाओं तथा छात्र संख्या में निम्न प्रकार वृद्धि हुई है :—

—	१९४७	१९६१
छात्र संख्या	१०,८६३	४२,०९२
पाठशालाओं की संख्या	१८०	१,०५०

प्रश्न नहीं उठता ।

*१८—श्री चन्द्रबलीसिंह (अनुपस्थित)—संस्कृत पाठशालाओं के प्रधान निरीक्षक इस पद पर कितने दिनों से हैं तथा दूसरे विभागों में इनका तबादला न करने के क्या कारण हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—वर्तमान निरीक्षक, संस्कृत पाठशाला इस पद पर दिनांक ५-४-५६ से कार्य कर रहे हैं । वे लोक सेवा आयोग द्वारा इस विशेष पद के लिये चुने गये थे । अतः उनके स्थानान्तरण का प्रश्न नहीं उठता ।

*१९—श्री चन्द्रबलीसिंह (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि संस्कृत पाठशालाओं के संचालनार्थ कोई विधि विधान नहीं है और न हाई स्कूल और इंटरमीडियेट बोर्ड के ही नियम लागू हैं ? यदि हाँ, तो क्यों ? क्या यह भी सरकार को मालूम है कि प्रबन्ध समितियाँ मनमानी कर रही हैं ? यदि हाँ, तो इसके निवारणार्थ कौन-सा कदम उठाया जा रहा है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं। इनके संचालन के लिये आवश्यक नियम शिक्षा संहिता के अनुच्छेद ७३–७६ में उल्लिखित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कूकनगर ग्रिन्ट की सम्पत्ति

*२०—श्री अवधनारायणप्रतापसिंह (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम प्रधान, कूक नगर ग्रिन्ट जिला गोंडा के प्रधान ने ग्राम समाज का वन बिना ग्राम समाज की अनुमति से बेच दिया है? अगर हाँ, तो वह वन कितनी धनराशि में बेचा गया?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*२१—श्री अवधनारायणप्रतापसिंह (अनुपस्थित)—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम प्रधान, केशवनगर ग्रिन्ट के प्रधान का पद सम्भालते समय उनके चार्ज में कितनी आराजी थी और जंगल में कितने वृक्ष आदि थे और अब उस ग्राम पंचायत के अधीन कितनी आराजी जंगल तथा वृक्ष शेष बचा है? उक्त ग्राम प्रधान के चार्ज में दी गई उपरोक्त सूची और इस समय उस ग्राम पंचायत के पास कितनी सम्पत्ति हैं, क्या मंत्री जी उसकी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन—आवश्यक सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३६२ पर)

हल्का कानूनगो भटौध व कमासिन में सीमा परिवर्तन

*२२—श्री मतोलासिंह (जिला बाँदा)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बाँदा जिले की तहसील बाँदा के हल्का कानूनगो भटौध को जिला हमीरपुर में व बवेरू तहसील के हल्का कानूनगो कमासिन के ग्राम तहसील करूई में मिला दिये गये हैं?

श्री बृजबिहारी—जी नहीं। केवल संसद तथा राज्य विधान सभा के निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ संसद तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश, १६५६ व १६६१ के अन्तर्गत हल्का कानूनगो भटौध को हमीरपुर जिले के महोबा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में तथा हल्का कानूनगो कमासिन के ग्रामों को विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र करूई में सम्मिलित किया गया है।

श्री मतोलासिंह—क्या सरकार दोनों हल्कों को अपनी-अपनी तहसीलों में फिर मिलाने का विचार रखती है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वही तो मिले हैं।

श्री मतोलासिंह—मेरा मतलब है कि चुनाव क्षेत्र में मिलाने का विचार रखती है या नहीं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वह तो सरकार के अधिकार की बात नहीं, डिलिमिटेशन आर्डर के जरिये से हुआ है।

फर्रुखाबाद जिले में चकबन्दी

*२३—श्री राजेन्द्रसिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद तहसील सदर में चकबन्दी का कार्य कब तक समाप्त हो जायेगा और आगे किस तहसील में चकबन्दी का कार्य शुरू किया जायेगा ?

श्री बृजबिहारी—फर्रुखाबाद जिले की सदर तहसील में मार्च, १९६३ तक चकबन्दी कार्य समाप्त होने की सम्भावना है। तत्पश्चात् तहसील कायमगंज में चकबन्दी कार्य प्रारम्भ किया जायगा।

*२४—श्री राजेन्द्रसिंह यादव—क्या सरकार को सूचना है कि परगना शमशाबाद पूर्व के काश्तकारों को शिकायत है कि चक कम नापे जाते हैं ? यदि हां, तो ठीक नापने की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री बृजबिहारी—जी हां। कुल २४० शिकायतें प्राप्त हुईं थीं जिनमें से १३१ निराधार पाई गईं। ३६ शिकायतों में अभी जांच चल रही है और शेष ७१ शिकायतें सही पाई गईं जिनमें चक नाप कर दुरुस्त कर दिये गये।

*२५—श्री राजेन्द्रसिंह यादव—क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि चक कम नापने पर ही कन्सालीडेटर और किसानों से ग्राम समतुईया में झगड़ा हुआ ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बृजबिहारी—ग्राम समतुइया के श्री नत्थूसिंह की चक सीधी करने की दरख्वास्त पर चकबन्दी कर्ता ग्राम में पैमाइश कर रहा था, उसे नत्थूसिंह और उसके साथियों ने बुरी तरह मारा। उन पर न्यायालय में अभियोग चल रहा है।

श्री राजेन्द्रसिंह यादव—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि एक तहसील में चकबन्दी का सारा कार्य समाप्त करने में कितना समय लगता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। यह तो काम पर मुनहसिर है।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो चक पूरे नहीं पाये गये उनको तैयार करने वाले अहलकारों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—बहुत बार वैल्यूएशन की वजह से कुछ न कुछ रकबे में कमी बेशी हुआ करती है। इसमें कार्यवाही की कोई जरूरत नहीं है।

श्री राजेन्द्रसिंह यादव—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि अभी भी इस प्रकार की आम शिकायत है कि जिन काश्तकारों के चक कट चुके हैं और उनके चकों की हद कम नहीं की जाती वह चक कम नपते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अगर वैल्यूएशन के हिसाब से रकबे में कमी होती है तो मजबूरी है।

श्री हरिनाथ तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि चक बन जाने के बाद जब फिर से नपते हैं तो कम होते हैं, वहां वैल्यूएशन का कोई सवाल नहीं होता ? इसमें तो नापने वाले की गलती है और आप कहते हैं कि उस के खिलाफ कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या ऐसे अहलकारों के खिलाफ कार्यवाही करने की मंत्री जी कोशिश करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अगर बोनाफाइडी गलती नहीं है तो कार्यवाही जरूर होगी, अगर बोनाफाइडी गलती है तो कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—जहां कंसालिडेशन किया जा रहा है वहां कंसालिडेशन की प्रोसीडिंग्स कंप्लीट होने के बाद भी किसान को जो चक फाइनल लिख कर दिया जाता है उसका कब्जा उसको नहीं दिलाया जाता है और किसान समझ नहीं पाता कि वह किस खेत पर कब्जा करे। जब उसे अपना चक नहीं मालूम होता तो क्या इसके लिये माननीय मंत्री जी कंसालिडेशन अधिकारियों को विशेष हिदायत लिख कर देंगे कि कंसालिडेशन फाइनल होने के बाद किसान को उसके चक पर उसका कब्जा दिला दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष—प्रश्न २४ नापने से संबंधित है, प्रश्न २५ भी नापने से संबंधित है और २३ एक विशेष तहसील के संबंध में है। आप यह एक जनरल सवाल कर रहे हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—मैं नापने के बारे में ही अर्ज कर रहा हूं। जब यह निर्णय किया जाता है कि इस नाप का चक फलां चकदार को मिलेगा तो उसके बाद सरकार की कोई विशेष व्यवस्था नहीं है उस चक को उस चकदार को दिलाने के लिये। इसलिये क्या सरकार कोई आदेश देगी कि उस नाप के हिसाब से चक उस किसान को मिल सके जिस के लिये वह चक देना तय हुआ है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो कानून है कि नापने के बाद चक का कब्जा मिल जाय। इसे मैं एलाउ नहीं करता।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—यह देखते हुये कि चकबन्दी का काम काफी दिनों से चल रहा है, मंत्री जी चकबन्दी से प्राप्त उपलब्धियों को इस सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे और उसके लिये कोई इवैल्यूएशन कमेटी नियुक्त करने की बात सोचेंगे ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न आप अलग से पूछिये।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—क्या यह संभव है कि किसी एक गांव की चकबन्दी में ७ वर्ष से अधिक लग जायं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अगर गांव के लोग झगड़ालू हों तो लग सकते हैं।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि किसानों की तरफ से जितने शिकायती-पत्र दिये गये हैं वह किस चकबन्दी अधिकारी के खिलाफ हैं और किस अधिकारी द्वारा उनकी जांच करायी गयी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—डिपार्टमेंट के किस आफिसर द्वारा जांच हुई है उसका नाम मैं इस वक्त नहीं बता सकता हूं।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—क्या सरकार, जहां-जहां चकबन्दी का कार्य चल रहा है वहां पर इन्क्वायरी करायेगी और वहां पर कोई गड़बड़ी के खिलाफ कोई पनिशमेंट देगी तथा क्या डिसमिसल तक का पनिशमेंट देगी ?

श्री अध्यक्ष—मंत्री जी ने कहा तो है कि जहां पर गड़बड़ी होगी उसको देखेंगे और उस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री श्यामलाल—मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकार उन जगहों की इन्क्वायरी करायेगी जहां पर एस० डी० ओ० ने चकबन्दी के कार्य में घूस लिया है तथा खाद का रुपया नहीं मिला है ?

श्री अध्यक्ष—सरकार यही तो कहती है कि अगर भ्रष्टाचार है तो दो चार उदाहरण तो सामने रख दीजिये।

श्री श्यामलाल—एस० डी० ओ० को सरकार पनिशमेंट देगी ? इसका जवाब दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष—मेलाफाइडी जहां पर होगी सरकार कार्यवाही करेगी ।

श्री भीखालाल—इस बात को देखते हुये चकबन्दी का अब तक का अनुभव बताता है कि चक बन जाने के बाद किसानों को जब चकों का कब्जा दिया जाता है और उस पर लोगों को आमतौर से शिकायत होती है उसके दो कारण हैं—एक कारण है कि चकबन्दी के अधिकारियों को बराबर आदेश दिये जाते हैं कि जल्दी खत्म करें, लेकिन काम खत्म होता नहीं है। दूसरा कारण यह है कि अमीनों को एक दिन में पैमाइश कराने के लिये जो रकबा उनको दिया जाता है वह इतना ज्यादा दिया जाता है कि वह पूरा नहीं हो सकता है और इसलिये जल्दी-जल्दी उसकी पैमाइश करनी होती है । तो क्या इस दिशा में सरकार कुछ सुधार करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैं तो समझता हूं कि सुधार हो चुका है ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—इस बात को देखते हुये कि जहां पर चकबन्दी हुई हैं वहां पर बहुत गड़बड़ियां हैं, इसकी जांच के लिये क्या मंत्री जी दोनों पक्षों के कुछ सदस्यों की एक कमेटी बनायेंगे जो वहां पर जाकर देखे कि वहां का काम ठीक हुआ है या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—दफा ५२ में डीनोटीफिकेशन हो जाता है तो फिर हमारा कोई जूरीस्डिक्शन नहीं रहता ।

कुंवर श्रीपालसिंह—मैं वकील तो हूं नहीं, परन्तु मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मैंने तो यह पूछा था कि क्या सरकार दोनों तरफ के पांच माननीय सदस्यों की एक कमेटी बनाएगी जो जाकर इस बात की जांच करे कि वाकई में कुछ गलती हुई है या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हम तो कानून के पाबन्द हैं ।

श्री हरिनाथ तिवारी—यह आपके कथन में आ जाता है कि वहां गलती पाई गई, किन्तु हमारा कहना है कि उन गलतियों के पाने के बाद भी उनकी कोई जांच नहीं हुई कि वे गलतियां मेला फाइड थीं या बोनाफाइड थीं। हमारा प्रश्न तो यह है कि क्या उन गलतियों की कोई जांच हुई है या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ऐसी कोई रिपोर्ट आई नहीं है ।

श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि जहां पर चकबंदी हो रही है, वहां पर दफा ५२ का अभी प्रकाशन नहीं हुआ है ? वहां जब तक इस बात की जांच न हो जाय कि किस को चक दिया गया है और कम दिया गया है या ज्यादा दिया गया है, तब तक दफा ५२ का प्रकाशन रुकवाने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—श्रीमन्, इसकी शिकायत आ जाय तो जांच करा ली जायगी, उसके बिना कैसे करा ली जाय ?

छिबरामऊ तहसील के लेखपाल के विरुद्ध कार्यवाही

*२६—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—क्या राजस्व मंत्री दिनांक ३ अगस्त, १९६२ के प्रश्न संख्या १८५ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बदन सिंह, लेखपाल लेखपाली की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर भी लगातार छिबरामऊ तहसील में काम कर रहा है ? ऐसा क्यों ?

श्री बृजबिहारी—उनको सेवा में रखने अथवा न रखने का प्रश्न विचाराधीन है ।

*२७—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बदन सिंह के विरुद्ध जिन शिकायतों की जांच हाकिम परगना कर रहे हैं उस जांच से अब तक हाकिम परगना ने क्या निर्णय किया है ?

श्री बृजबिहारी—जांच के फलस्वरूप लेखपाल का स्थानान्तरण कर दिया गया है और उसकी चरित्र-पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि कर दी गयी है ।

श्री कोतवालसिंह भदौरिया—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि छिबरामऊ तहसील में जहां पर बदनसिंह अनुत्तीर्ण लेखपाल होने के बावजूद भी काम कर रहे हैं वहां पर कुछ ऐसे लेखपाल भी हैं जो उत्तीर्ण हैं और जिनको काम नहीं मिला है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—श्रीमन्, उनका तबादला कर दिया गया है और यह सवाल अंडर कंसीडरेशन है कि वह रखे जायें या न रखे जायें ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी से भदौरिया जी ने जो सवाल किया है कि उस तहसील में ट्रेंड लेखपाल हैं जो कि पड़े हुए हैं, उन्हें जगह नहीं दी गई है और अनट्रेंड को दी गई है तो क्या वे इसका उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—श्रीमन्, जब पटवारियों ने इस्तीफा दिया था तब उसने अपने को आफर किया था सर्विस में आने के लिये ।

श्री होरीलाल यादव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि जो लेखपाल ट्रेंड हैं उनके लिये वे क्या विचार कर रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जो क्वालीफाइड हैं उनको जगह देने के लिये विचार किया जा रहा है ।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी यह स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि अभी जैसा कि उन्होंने कहा है कि ट्रेंड लेखपालों को जगह देने पर विचार किया जा रहा है । तो जो जगह खाली होगी उसमें तो वह अनट्रेंड को रखते हैं और ट्रेंड को इस तरह से रखने का प्रश्न ही नहीं उठता है । इसलिये क्या सरकार इस संबंध में विचार करेगी कि अनट्रेंड लेखपाल उसी समय रखे जायें जब कि ट्रेंड लेखपाल मौजूद न हों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—श्रीमन्, उचित तो यही मालूम होता है जो कि आप कहते हैं ।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि सरकार पर मेहरबानी करने वाले लेखपालों की तादाद कितनी है और यह सूचना है कि उनमें से बहुतों को निकाल दिया गया ? यदि अब कोई जगह खाली हो तो मेहरबानी करने वाले लेखपालों को प्राथमिकता दिये जाने के संबंध में कोई आदेश सरकार को दिया जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—श्रीमन्, वह जो निकाल दिये गए हैं वह किसी ऐब की वजह से निकाल दिये गये हैं । ऐसे ऐबदारों को फिर जगह देना नामुमकिन मालूम होता है ।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो अनुत्तीर्ण हो गए हों, इस इलजाम में उनको निकाल दिया गया हो, तो क्या उनको प्राथमिकता दी जायगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन—श्रीमन्, वह तो विचाराधीन है कि वह रखे जायें या निकाल दिए जायें ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या राजस्व मंत्री इस बात को देखते हुए कि जो पटवारी निकाले गये हैं वह ट्रेंड हैं उनकी संख्या प्रदेश में २८ हजार के करीब है तो चकबन्दी विभाग में जो अनियमितताएं हो रही हैं और ठीक तरीके के नक्शा वगैरह न दुरुस्त होने के कारण किसानों को कब्जा नहीं मिल रहा है तो अनट्रेंड लेखपालों को चकबन्दी में जो जगह दी जा रही है उसके बजाय इन २८,००० ट्रेंड पटवारियों को उनकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन देखते हुए लेने की कृपा करेंगे जिससे ठीक तरह से काम हो सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जो चकबन्दी में लिये जाते हैं उनकी ट्रेनिंग सेंटर पर ट्रेनिंग होती है और जो पुराने पटवारी थे उनकी पृष्ठभूमि है। जो ४५ वर्ष से कम उम्र वाले थे जिन्होंने इस्तीफे वापस कर लिये उनको नौकरी के लिये कंसीडर किया जा सकता है, बाकी नहीं किये जा सकते हैं, उसमें दिक्कते हैं।

सब-डिप्टी इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स के पदों के लिये चुनाव

*२८—श्री राजेन्द्रसिंह यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश की विज्ञप्ति दिनांक ८ मार्च, १९६१ के अनुसार सब डिप्टी-इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स के ३७१ भरे जाने वाले पदों के लिये कितने एल० टी० (बेसिक) के अभ्यर्थियों के प्रार्थना-पत्र आये थे ? उनमें कितनों को साक्षात्कार के लिये बुलाया गया और कितनों को नही बुलाया गया ? न बुलाने के क्या कारण थे ? साक्षात्कार के लिये बुलाये जाने वालों में से कितनों का चुनाव हुआ ?

श्री अजीज इमाम—विज्ञापन के प्रत्युत्तर में २,४३५ अभ्यर्थियों ने जिनमें से ११२ के पास एल० टी० (बेसिक) के प्रमाण पत्र थे आवेदन-पत्र भेजे थे। उन ११२ में से केवल ६२ ही प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुये और वे सब साक्षात्कार के लिये बुलाये गये। उनमें से ४० मुख्य सूची में तथा ६ अतिरिक्त सूची में नियुक्ति के लिये संस्तुति किये गये थे। शेष अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उपयुक्त नहीं पाये गये।

*२९—श्री राजेन्द्रसिंह यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब शिक्षा संहिता के अनुच्छेद २०८(२) के अनुसार राजकीय बेसिक ट्रेनिंग कालेज, वाराणसी में स्नातकों को बेसिक शिक्षा में प्रशिक्षण केवल सब डिप्टी इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स तथा नार्मल स्कूल के अध्यापकों के लिये ही दिया जाता तो क्या कारण है कि इन पदों को भरने के लिये एल० टी० (बेसिक) के अभ्यर्थियों का क्वालीफाइंग टेस्ट लिया गया ? शिक्षा संहिता के कौन से अनुच्छेद के अनुसार अन्य प्रकार के एल० टी० पास लोगों को अवसर देकर सब-डिप्टी आफ आफ स्कूल्स के लिये चुना गया ?

श्री अजीज इमाम—सब-डिप्टी इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स के लिये राजकीय बेसिक ट्रेनिंग कालेज के स्नातकों के अतिरिक्त अन्य प्रशिक्षण विद्यालय के स्नातक भी अर्ह हैं, अतएव यह चुनाव वाराणसी कालेज से ट्रेनिंग प्राप्त स्नातकों के लिये ही सीमित नहीं किया जा सकता था।

श्री राजेन्द्रसिंह यादव—आपके अनुच्छेद २०८ (२) के अनुसार राजकीय बेसिक ट्रेनिंग कालेज, वाराणसी में स्नातकों की बेसिक शिक्षा में प्रशिक्षण केवल सब-डिप्टी इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स तथा नार्मल स्कूल्स के अध्यापकों के लिये ही दिया जाता है, यदि ऐसा है तो जो बनारस से ट्रेनिंग पाये हुये नहीं थे उनको क्वालिफाइंग टेस्ट के लिये क्यों बुलाया गया ?

श्री अजीज इमाम—जी नहीं, ऐसा नहीं है।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब बेसिक एल० टी० वालों को वरीयता देने की बात थी तो ६२ जो प्रारम्भिक परीक्षा के बाद बुलाये गये उनमें से ४० ही क्यों लिये गये ?

श्री अजीज इमाम—वही ४० उपयुक्त थे ।

श्री मैनेजरसिंह—उपयुक्तता का आधार क्या रहा ?

श्री अजीज इमाम—इसमें कई चीजें हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जैसे हैल्थ है, रूरल वायस है और पार्जिटिव क्वालिटीज हैं जो-जो नियत है, उनके अनुसार उपयुक्त और अनुपयुक्त करार दिया गया ।

श्री राजेन्द्रसिंह यादव—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि वाराणसी बेसिक ट्रेनिंग कालिज से एल० टी० ट्रेनिंग जो पाये हुए हैं उनको नार्मल स्कूल और सब-डिप्टी इंसपेक्टर स्कूल में अध्यापक बनाने पर विचार करेंगे ?

श्री अजीज इमाम—इस प्रश्न पर अभी तो विचार नहीं हो रहा है ।

नगीना नगरपालिका को लाजिमी तालीम के स्कूल की इमारत के लिये धन

*३०—श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि सन् १९५८ या १९५९ में सरकार ने नगीना नगरपालिका को लाजमी तालीम के स्कूल की इमारत बनवाने के लिये ग्रांट दी थी ? यदि हां, तो वह ग्रांट कितनी थी ?

श्री अजीज इमाम—जी हां, १९५८ में १०,००० रु० का अनुदान दिया गया था ।

*३१—श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि जिस इमारत को बनवाने के लिये ग्रांट दी गई थी वह बन कर तैयार हो गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अजीज इमाम—भवन का अभी तक पूर्णतया निर्माण नहीं हो सका है क्योंकि नगरपालिका को सीमेन्ट और लोहा नहीं मिल सका था जो कि अब प्राप्त हो गया है, परन्तु पालिका के सामने एक और कठिनाई आ गई है कि भवन निर्माण के लिये जिस ठेकेदार को ठेका दिया गया था वह पालिका की शर्तों को पूरा नहीं कर सका। अतः अब पालिका ने पुनः टेंडर मांगे हैं।

*३२—श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त ग्रांट के संबंध में नगीना निवासियों की शिकायत पर सरकार ने नगरपालिका, नगीना के चेयरमैन से रिपोर्ट मांगी थी ? यदि हां, तो वह रिपोर्ट क्या है ?

श्री अजीज इमाम—जी नहीं ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५८ में प्राइमरी स्कूल के लिये जो १० हजार रुपये का अनुदान दिया गया था तो यह अनुदान देने के बाद स्कूल का बनना कब आरम्भ हुआ और ठेकेदार ने काम कब छोड़ दिया ?

श्री अजीज इमाम—अनुदान के बाद ही काम शुरू हुआ था, सन् १९५८ में अनुदान दिया गया था ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—मैंने यह पूछा था कि ठेकेदार ने कब काम शुरू किया और कब छोड़ा ?

श्री अजीज इमाम—इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या सरकार को पता है कि वहां के चेयरमैन ने उस अनुदान को स्कूल बनाने में खर्च न करके, अन्य मदों में वह पैसा खर्च किया है और इसीलिये वह स्कूल अब तक नहीं बन पाया है ?

श्री अजीज इमाम—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या माननीय मंत्री जी मेरी इस सूचना को सही मान कर इसकी जांच करायेंगे ?

श्री अजीज इमाम—अगर माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो जांच करा लेंगे ।

श्री मैनेजर सिंह—मंत्री जी ने बताया कि लोहे, सीमेंट आदि के अभाव में स्कूल का भवन नहीं बन पाया । तो क्या शिक्षा मंत्री जी माननीय खाद्य एवं पूर्ति मंत्री से यह अनुरोध करेंगे कि ऐसे भवनों के निर्माण के लिये वे उचित मात्रा में लोहा, सीमेन्ट तथा ईंट आदि का प्रबन्ध कर दें ?

श्री अजीज इमाम—इसका इस वक्त जबाब नहीं दे सकता, लेकिन इस सजेशन पर गौर कर लिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष —इसका उत्तर तो खाद्य मंत्री ही दे सकते हैं ।

श्री मैनेजर सिंह—वे अनुरोध करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह कौन-कौन सी शर्तें थीं जिनको ठेकेदार ने पूरा नहीं किया ? मेरी सूचना यह है कि उस ठेकेदार ने इस लिये उसको बनाना छोड़ दिया क्योंकि उसने जो काम किया था उसका उसको पैसा नहीं दिया गया । चेयरमैन उससे नाराज होकर ठेका किसी दूसरे को देना चाहते थे, इसलिये उसने छोड़ दिया उसको ।

श्री अजीज इमाम—ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—वह शर्तें क्या थीं जिनको पूरा नहीं किया गया ?

श्री अजीज इमाम—इसके लिये सूचना चाहिये ।

श्री भोखालाल—इस बात को देखते हुये कि सन् १९५८ के मुकाबले में सन् १९६२ में बिल्डिंग मैटिरियल के दाम बहुत तेज हैं, तो क्या दूसरी बार ठेका देते समय इस बात का लिहाज रखा गया है या नहीं ?

श्री अजीज इमाम—यह तो वहां की नगरपालिका से ताल्लुक रखता है ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या वहां के नगर अधिकारी ने इस मामले की जांच करके कोई रिपोर्ट सरकार को भेजी है, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है अब तक ?

श्री अजीज इमाम—वहां से अभी तक कोई जांच हम लोगों के पास तो नहीं आई है ।

बरेली परगना में रामगंगा कटाव के विस्थापितों को भूमि

*३३—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम सीतापुर-रूपपुर मजरागौंतारा परगना व तहसीलबरेली के निवासियों ने रामगंगा से गांव कट जाने के कारण बसने के लिये दूसरे स्थान की मांग करते हुए ७ फरवरी, १९६२ को प्रार्थना-पत्र दिया है और उसके उत्तर में राजस्व (ग) विभाग का पत्र संख्या ८१८(१)/१-स, दिनांक २३ मार्च, १९६२ तथा राजस्व (क) विभाग का पत्र संख्या ६३३(१)-पी/एक-क, दिनांक १४ अप्रैल, १९६२ निवासियों को भेजे गये हैं ? यदि हां, तो जिलाधीश, बरेली द्वारा जांच किये जाने के बाद भी अब तक बसने के लिये स्थान न दिये जाने का कारण क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां, जिलाधीश, बरेली ने जांच करने के बाद उन निवासियों को जमीन बांटने का आदेश १४ सितम्बर, १९६२ को जारी कर दिया है ।

*३४—श्री हरीशकुमार गंगवार (अनुपस्थित)—क्या सरकार उक्त प्रार्थना-पत्र की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखते हुये ग्राम नवाबनगर व फैजनगर, तहसील विलासपुर, जिला रामपुर की भूमि उपरोक्त निवासियों के लिये Allot करने की शीघ्र व्यवस्था करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्रार्थना-पत्र की कापी सदन की मेज पर रक्खी जाती है। जहां तक ग्राम नवाबनगर व फैजनगर, तहसील विलासपुर, जिला रामपुर की भूमि उपरोक्त निवासियों के एलाट करने का प्रश्न है उक्त जमीन तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पेड़ लगाने के लिये निश्चित कर दी गई है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३९३ पर)

*३५-३७—श्री कृष्णा (जिला देवरिया)—[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये]।

दीक्षा विद्यालय बिसवां की भूमि पर इनक्रोचमेन्ट

*३८—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय दीक्षा विद्यालय बिसवां, जिला सीतापुर को जिस भूमि पर अधिकार जिला सीतापुर के परिषद् से विद्यालय के संस्थापन के समय मिला था, क्या उस पूरे क्षेत्र पर उसका आज भी अधिकार है ?

श्री अजीज इमाम—माननीय सदस्य के पत्र दिनांक २४ अगस्त, १९६२ में दी गई सूचना के अनुसार इस मामले पर पुनः जांच कराई जा रही है।

*३९—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यदि उपरोक्त राजकीय विद्यालय की भूमि के ऊपर encroachments है, तो क्या वे उसको अविलम्ब हटवाने का आदेश देंगे ?

श्री अजीज इमाम—जांच के उपरान्त जितनी भूमि पर अनाधिकार कब्जा निकलेगा उसे वैधानिक रूप से हटाये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

*४०—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—यदि नहीं, तो क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्यालय की भूमि पर encroachments की सूचना जिला विद्यालय निरीक्षक को कब प्राप्त हुई और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अजीज इमाम—पहली बार १९५८ में जिला विद्यालय निरीक्षक, सीतापुर को दीक्षा विद्यालय, बिसवां की उक्त भूमि पर अनाधिकार कब्जा किये जाने की सूचना मिली थी। उस समय जांच के फलस्वरूप अनधिकार कब्जा नहीं पाया गया। अतः कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके पश्चात् १९६१ में विवादग्रस्त भूमि पर चहारदीवारी बनाये जाने की सचना पुनः दी गई। अतः चहारदीवारी बनना रुकवा दिया गया।

श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में उन्होंने पहले सदन में उत्तर दिया था कि कोई इनक्रोचमेंट नहीं हुआ और यह उत्तर बिना पैमायश कराये ही दे दिया गया था ?

श्री अजीज इमाम—उस वक्त तक नहीं हुआ था इसलिये कह दिया गया।

श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—नं० ४० के उत्तर में है कि सन् ५८ में जिला विद्यालय निरीक्षक ने कोई इनक्रोचमेंट नहीं पाया और सन् ५९ में उन्होंने चहारदीवारी रोकी, तो यह कैसे कहा जाता है कि इनक्रोचमेंट नहीं पाया गया ?

श्री अजीज इमाम—५९ में इनक्रोचमेन्ट नहीं मालूम हुआ क्योंकि उस समय तक डी० एम० की रिपोर्ट नहीं आई थी और अभी तक नहीं आई है, आपके खत पर वह फिर से मांगी गई है। चूंकि वह मशकूक था इसलिये उसे रोक दिया गया।

श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—४ वर्ष इनक्रोचमेंट को रिपोर्ट किये हो गये हैं और बीसियों चिट्ठियां जा चुकी हैं। वहां लकड़ी की टालें हैं और प्राइवेट पेड़ लोगों ने लगा दिये हैं। तो जिन अधिकारियों ने मंत्री जी को गलत सूचना दी, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की जायगी?

श्री अजीज इमाम—२४ अगस्त, १९६२ को जो माननीय सदस्य ने खत लिखा है वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सीतापुर को भेज दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—मतलब यह है कि आप इस इनक्वायरी को एक्सपीडाइट करके उसका निश्चय कब तक करेंगे?

श्री अजीज इमाम—डी० एम० को लिख दिया गया है कि माननीय सदस्य को बुलाकर उनसे बातचीत करले और जो सबूत वह दे सकें उसे देखकर रिपोर्ट जल्द भेजे।

श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया (जिला मेरठ)—यह इनक्रोचमेन्ट किस का है?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—मैंने २।। महीना हुआ जिलाधीश, सीतापुर को पत्र लिखा मगर कोई कांटैक्ट नहीं किया गया। तो क्या सरकार अधिकारियों को दंडित करेगी?

श्री अजीज इमाम—हम इसे एक्सपीडाइट कर देंगे।

जिला परिषद्, उन्नाव में अध्यापकों की नियुक्ति में अनियमितता

*४१—श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त १९६१ से जुलाई, १९६२ तक जिला परिषद्, उन्नाव के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त कितने अध्यापक जूनियर हाई स्कूल और कितने प्राइमरी स्कूल स्तर के हैं तथा इनमें कितने अध्यापक मिडिल से कम हैं एवं दर्जा पांच भी पास नहीं हैं?

श्री अजीज इमाम—सम्प्रति प्रश्न का उत्तर देना सम्भव नहीं है क्योंकि संबन्धित पदाधि अध्यक्ष, अन्तरिम जिला परिषद् ने अपने अधिकार में कर रक्खे हैं।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अध्यक्ष, अन्तरिम जिला परिषद्, उन्नाव से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिये सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री अजीज इमाम—उन्हें अध्यक्ष पद से ससपेंड किया गया था। उसके खिलाफ वह रिट पैटीशन दायर करके स्टे आर्डर ले आये इसलिये कार्यवाही स्थगित है।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या जिला बोर्ड अधिनियम और जिला बोर्ड रूल्स भी ससपेंड हो गये है जिनसे जिला बोर्ड गाइड होता है अन्यथा सरकार को कार्यवाही करने में क्या आपत्ति है?

श्री अजीज इमाम—उन्होंने सारे कागजात अपने पास रख छोड़े हैं और बावजूद कोशिश के वह नहीं दे रहे हैं। इसलिये कोई ऐक्शन नहीं लिया जा सकता।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या राजस्व और शिक्षा विभाग अपने को इतना असमर्थ पाता है कि वे इस सम्बन्ध में कोई आवश्यक कार्यवाही नहीं कर सकते है?

श्री अध्यक्ष—अगर वह नहीं दे रहे हैं तो कोई कार्यवाही करेंगे, यह पूछे।

श्री अजीज इमाम—रिट पेटीशन को कंटेस्ट कर रहे हैं।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—मंत्री जी ने बताया कि परिषद के पास सूचना होगी कि कितने अध्यापक प्राइमरी पास है और कितने जूनियर हाई स्कूल पास है। क्या शिक्षा मंत्रालय से परिषदों को निश्चित आदेश हैं कि प्राइमरी और मिडिल कक्षाओं को पढ़ाने के लिये अध्यापकों की योग्यता क्या होगी ?

श्री अजीज इमाम—आदेश तो हैं हीं।

श्री मैनेजरसिंह—सवाल में पूछा है कि वहां मिडिल फेल या बिना प्राइमरी पास कितने अध्यापक रखे गये और मंत्री जी ने कहा कि कागजात वह ले गये। जब गत वर्ष तक जूनियर हाई स्कूल पास निम्नतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित थी तो ऐसी शिकायत है कि उस योग्यता के अध्यापक नहीं रखे गये ? यदि हां, तो इसकी संख्या क्या जिलाधीश के माध्यम से नहीं मांग सकते है ?

श्री अजीज इमाम—वे सारे कागजात अपने घर ले गये हैं।

श्री मैनेजरसिंह—डी० एम० को पावर हैं।

श्री अध्यक्ष—आपका कहना है कि सारे कागजात वह घर उठा ले गये हैं जिसकी वजह से अगर जिलाधीश को भी आदेश दे दिये जावें तो वे मैटीरियल कलैक्ट नहीं कर सकते हैं।

श्री अजीज इमाम—जो हां।

श्री देवदत्त मिश्र—माननीय मंत्री जी के उत्तर को दृष्टिगत रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्ष के खिलाफ इस स्थिति को उत्पन्न करने के लिये कोई उचित कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह सवाल नहीं पैदा होता क्योंकि उन्होंने हाईकोर्ट में रिट पेटीशन दायर कर दिया है।

ग्राम नगली सधारन में चकबन्दी

*४२—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम नंगली सधारन, परगना दौराला, जिला मेरठ में सन् १९५५ में चकबन्दी प्रारम्भ होते समय यह आश्वासन किसानों को दिया गया था कि प्रत्येक चक के लिये रास्ते की व्यवस्था की जायगी ? यदि हां, तो अब रास्ता क्यों नहीं दिया गया ?

श्री बृजबिहारी—जी नहीं। ग्राम नगली सधारन के सिद्धान्तों के विवरण पत्र तैयार करते समय इस प्रकार का कोई आश्वासन किसानों को नहीं दिया गया था कि सभी चकों को चक मार्ग दिया जायेगा।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*४३—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस आशय के कितने शिकायती-पत्र सम्बन्धित विभाग को प्राप्त हुये और कितनों का उत्तर सम्बन्धित व्यक्तियों को दिया गया ?

श्री बृजबिहारी—इस आशय के केवल चार प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे और चारों पर उचित जांच के पश्चात् कोई कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जब चकबन्दी के सिद्धान्त का विवरण-पत्र तैयार हुआ है तो उसमें कौन सी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि वहां चक रोड्स देने की व्यवस्था नहीं की गयी है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---किसान लोग इसके लिये ज्यादा जमीन देने के लिये रजामन्द नहीं हैं ।

श्री बिपिन बिहारी तिवारी---जो चकबन्दी वहां सन् ५५ में हुई है वह प्रयोगात्मक है, और चकबन्दी के सिद्धान्त के अनुसार चकरोड्स देने की बात होनी चाहिये । जहां तक प्रार्थना-पत्र देने को बात है उन्होंने अपने उत्तर लिखा है कि ४ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए, तो मैं जानना चाहता हूं कि वे प्रार्थना-पत्र किस बात के लिये थे और कौन सी बात की जांच की गयी और उनके ऊपर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बृजबिहारी---४ प्रार्थना-पत्र श्री रामचन्द्र शर्मा के ही हैं, दो शासन को दिये हैं और दो जिले में दिये हैं । उन्होंने अपील भी की थी जिसकी सुनवायी हो गयी और उस पर निर्णय भी हो गया । हाई कोर्ट में उन्होंने रिट भी दाखिल किया था जो खारिज हो गया । वास्तव में उनके चक में रास्ता भी मौजूद है ।

गोंडा जिले की शिक्षा संस्थाओं में कृषि भूमि

*४४---श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला गोंडा में कितने हाई स्कूल व इन्टर कालेज हैं जहां कृषि की पढ़ाई होती है और उनके पास कितनी-कितनी जमीनें हैं ?

श्री अजीज इमाम---गोंडा जिले में निम्नलिखित हाई स्कूल एवं इंटर कालेज हैं । जिनमें कृषि की पढ़ाई होती है तथा उनके सम्मुख अंकित भूमि उनके पास है:

	एकड़
१---श्री गांधी विद्यालय इन्टर कालेज, नवाबगंज ..	१०
२---अम्बिकेश्वर प्रताप इन्टर कालेज, मनकापुर ..	१०
३---जे० एम० हायर सेकेंडरी स्कूल, नवाबगंज ..	८.९१
४---एस० बी० इन्टर कालेज, तुलसीपुर ..	७
५---महाराजा पतेश्वरी प्रतापसिंह इन्टर कालेज, बलरामपुर ..	६.२
६---डी० ए० वी० हायर सेकेंडरी स्कूल, बलरामपुर, गोंडा ..	८.११

श्री गंगाप्रसाद---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिन स्कूलों के पास कम जमीन है उसके लिये जमीन हासिल करने का कोई नियम सरकार बना रही है ?

श्री अजीज इमाम---श्री गांधी विद्यालय इंटर कालेज, नवाबगंज के पास १० एकड़ है और अम्बिकेश्वर प्रताप इंटर कालेज मनकापुर के पास भी है, इन दो कालेजों को इन्टर कक्षा की मान्यता प्राप्त है एग्रीकल्चर सबजेक्ट पढ़ाने के लिये और बाकी जो ४ स्कूल है, वहां ८ वें क्लास तक एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है ।

श्री ईश्वरशरण (जिला गोंडा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हर स्कूल के पास कम से कम कितनी कृषि भूमि होनी चाहिये ?

श्री अजीज इमाम---जूनियर हाई स्कूल के लिये ५ एकड़ और कृषि इन्टर कालेजेज के लिये १५ एकड़ जमीन होनी चाहिये ।

श्री ईश्वरशरण---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन स्कूलों के पास भूमि कम है क्या सरकार उनको जमीन दिलायेगी ?

श्री अजीज इमाम---सरकार के पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है ।

गाजीपुर जिले में सिंचाई कूपों का निर्माण

*४५—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन १९५७ से १९६० तक गाजीपुर जिले में सिंचाई का कुआं बनाने के लिये चकबन्दी विभाग द्वारा या उनके सिफारिश पर किन-किन लोगों को कुआं बनाने के लिये रुपया दिया गया और उसमें कितने कुयें अब तक बन कर तैयार हैं ? क्या सरकार इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बृजबिहारी—सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री कमलासिंह यादव—क्या यह सही है कि कुओं के सम्बन्ध में हजारों रुपये का गबन है और उसी को छिपाने के लिये इस प्रश्न का उत्तर देने में देर की जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं ।

आजमगढ़ जिले में रिफ्रेशर कोर्स ट्रेण्ड अध्यापकों का वेतन

*४६—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५८ में रामपुर ट्रेनिंग कालेज से Refresher-Course की ट्रेनिंग आजमगढ़ जिले के किन-किन आदमियों ने किया है ?

श्री अजीज इमाम—आजमगढ़ जिले से नवम्बर, १९५८ से फरवरी, १९५९ तक की अवधि में निम्न दो अध्यापकों ने रामपुर ट्रेनिंग कालेज से रिफ्रेशर कोर्स की ट्रेनिंग प्राप्त की ।

१—श्री अब्दुल कयूम (शिबली उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आजमगढ़ ।)

२—श्री कांशिष्ट नारायण राय (गांधी स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बरहद ।)

*४७—श्री उमाशंकर—क्या सरकार को मालूम है कि उक्त प्रशिक्षित (trained) आदमियों को क्या ग्रेड मिल रहा है ?

श्री अजीज इमाम—उपर्युक्त दोनों अध्यापकों को सी० टी० ग्रेड (७५–२००) मिल रहा है ।

*४८—श्री उमाशंकर—क्या सरकार को पता है कि सरकार द्वारा निर्धारित ग्रेड उक्त अध्यापकों को नहीं मिलता है ? यदि हां, तो क्यों नहीं ?

श्री अजीज इमाम—रिफ्रेशर कोर्स ट्रेनिंग प्राप्त अध्यापकों का ग्रेड अभी निर्धारित नहीं किया गया है । अध्यापकों की योग्यतानुसार वेतन क्रम निर्धारित करने का प्रश्न विभाग के विचाराधीन है । अतः प्रश्न नहीं उठता ।

श्री उमाशंकर—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सन ५८–५९ की बात है तो अब कब तक उन का यह निर्धारित वेतन क्रम हो जायेगा ?

श्री अजीज इमाम—जल्दी ही कोशिश की जा रही है ।

श्री उमाशंकर—जल्द का क्या मतलब लगाया जाय और देर से उन का क्या मतलब रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मतलब यही है कि अब ४ वर्ष नहीं लगेंगे ।

श्री रामायण राय—विचार अब तक न होने का क्या कारण है और क्या इस ट्रेनिंग के बारे में कोई नीति पहले से नहीं थी ?

श्री अजीज इमाम---अभी तक कोई भी सरकार की नीति नहीं थी रिफ्रेशर कोर्स के मुताल्लिक लेकिन अब विचार हो रहा है और जल्द करने की कोशिश की जा रही है।

श्री उमाशंकर---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब ग्रेड निश्चित हो जायगा और जब से वह काम कर रहे हैं उस समय से उन की कमी को पूरा कर दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष---वह तो नीति निर्धारित होगी, उसी के अनुसार किया जायगा।

श्री काशीनाथ मिश्र---इतना बिलम्ब होने का कारण यह तो नहीं है कि शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को रिफ्रेशर कोर्स की परिभाषा ही मालूम नहीं है ?

श्री अजीज इमाम---यह सब चीजें तो हमारे अधिकारियों को मालूम ही हैं।

रुद्रपुर-नगवा सड़क में अध्याप्त भूमि का मुआवजा

*४९---श्री चन्द्रबलीसिंह (अनुपस्थित)---क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि देवरिया जिला की रुद्रपुर-नगवा सड़क सेमरौना घाट से नगवा घाट तक किन-किन गांवों की किन-किन किसानों की कितनी-कितनी जमीनों से होकर गई है ? इस सड़क में जिन किसानों की जमीन गयी है, क्या उनको उन जमीनों का मुआवजा दिया गया ? यदि हां, तो किस रेट से ? यदि नहीं, तो क्यों ? मुआवजा कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---उक्त सड़क देवरिया तहसील के ९ ग्रामों के २१९ किसानों की ३६.४१ एकड़ भूमि से होकर गई है। इस सड़क में जिन किसानों की जमीनें गई, उसका मुआवजा अभी नहीं दिया गया है क्योंकि भूमि हस्तगत करने की कार्यवाही की जा रही है, जिसके पूर्ण हो जाने पर ही मुआवजा देने का प्रश्न उठेगा।

*५०---श्री चन्द्रबलीसिंह (अनुपस्थित)---क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि वह सड़क कब से बन रही है ? और क्या यह कि जब से सड़क के लिये किसानों की जमीनें ले ली गयी हैं तब से आज तक उन जमीनों की मालगुजारी भी वसूली जाती है ? यदि हां, तो क्यों ? हरजाना सहित कब तक वसूल मालगुजारी वापस कर दी जायगी तथा कब से मालगुजारी वसूली बन्द कर दिया जायेगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---उक्त सड़क सन् १९५४ में बननी प्रारम्भ हुई तथा १९५५ में बन कर समाप्त हो गई। सड़क में गई जमीनों की दोनों फसलों की मालगुजारी के १९६२ फसली से मुल्तवी किये जाने की आज्ञा इस वर्ष दी गई। भूमि हस्तगत की कार्यवाही पूर्ण हो जाने पर ही नियमों के अन्तर्गत स्थगित मालगुजारी देय मालगुजारी से पृथक एवं उसे वापस करने की कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।

गोरखपुर-आजमगढ़ सीमा-निर्धारण

*५१---श्री कल्पनार्थसिंह---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि ग्राम नरहन और बरहज कानगोई गोला जिला गोरखपुर की और आजमगढ़ जिले की सीमा निर्धारित है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बृजबिहारी---ग्राम नरहन और बरहज कानगोई गोला, जिला गोरखपुर और आजमगढ़ के बीच सीमा निर्धारित है पर उसमें कुछ विवाद पैदा हो गया है। दोनों जिले के अधिकारी उसकी जांच कर रहे हैं। जांच के पश्चात, यदि आवश्यक होगा तो सीमा, पुनः निर्धारित की जायेगी।

*५२--श्री कल्पनार्थसिंह--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उक्त सीमा निर्धारित न होने के कारण आजमगढ़ के कुछ लोग नदी के बायें किनारे ग्राम बरहज और नरहन की भूमि पर अपना अधिकार कर रहे हैं जिसके बारे में गोरखपुर जिले के किसानों ने आवेदन-पत्र भी दिया है ? यदि हां, तो सरकार उस आवेदन-पत्र पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बृजबिहारी--जी हां । गोरखपुर जिला के किसानों ने एक आवेदन-पत्र इस आशय का जिलाधीश को दिया है जिस पर वे जांच कर रहे हैं । और जैसा आवश्यक होगा कार्यवाही करेंगे ।

श्री कल्पनार्थसिंह--उक्त विवाद प्रारम्भ होने की सूचना माननीय मंत्री को कब मिली और कब तक समाप्त कर देने की कोशिश की जायगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जिलाधीश कार्यवाही कर रहे हैं । मुकम्मल हो जायगी तभी जवाब दिया जा सकता है ।

श्री कल्पनार्थसिंह--मैंने पूछा कि राजस्व मंत्री को इस बात की सूचना है कि कब से उक्त विवाद प्रारम्भ हुआ और कब तक उक्त विवाद के समाप्त होने की गुंजायश है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--कब से शुरू हुआ, यह नहीं मालूम है, लेकिन कलेक्टर इंक्वायरी कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट आ जाने के बाद प्रयास किया जायगा कि इसको सेटिल करें ।

उप-सहायक विद्यालय निरीक्षकों की नियुक्ति

*५३--श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़), श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री कल्पनाथ सिंह--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेवा मुक्त किये जाने वाले उप-सहायक विद्यालय निरीक्षकों की रिक्ति को लोक सेवा आयोग द्वारा घोषणा करा कर नियुक्ति पहले क्यों नहीं करा ली गई ?

आचार्य जुगलकिशोर--पदों के सृजन के उपरान्त लोक सेवा आयोग द्वारा चुनाव होने में समय लगता है और इस अवधि में पदों को खाली रखना जनहित के विरुद्ध है ।

कटाव रोकने तथा दैवी आपदाओं पर व्यय

*५४--श्री रघुनाथसिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बतायेगी कि नदियों के कटाव-पीड़ित किसान परिवारों की सहायता में हर साल खर्च होने वाली धनराशि की तुलना में कटाव रोकने में लगने वाली धनराशि ज्यादा अधिक पड़ती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--कटाव की समस्या हर स्थान पर नहीं है । जहां कहीं है भी, वह बाढ़ आदि अन्य समस्याओं के साथ संबंधित है । अतः शासन के पास इस संबंध में अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । परन्तु इतना तो निश्चित ही है कि सामान्यतः कटाव रोकने पर व्यय की जाने वाली धनराशि सहायता संबंधी धनराशि से अधिक होती है, जो स्थान तथा बाढ़ की परिस्थिति के अनुसार घटती बढती रहती है ।

*५५--श्री रघुनाथसिंह (अनुपस्थित)--क्या दोनों प्रकार के व्ययों में कोई अनुपात मालूम हो सका है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी नहीं । शुद्ध और पर्याप्त आंकड़ों के अभाव में कोई अनुपात निकालना भ्रमात्मक ही होगा ।

नोट--तारांकित प्रश्न ५२ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

*५६--श्री रघुनाथसिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अग्निकांड, तूफान, ओला, पाला, सूखा और बाढ़ आदि दैवी आपदाओं में जनता की सहायता करने के लिये अलग से धनराशि निश्चित की जाती है और वित्तीय वर्ष १९६२-६३ में इस मद में कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--प्रति वर्ष सर्व प्रकार की दैवी आपदाओं में सहायतार्थ धनराशि आय-व्ययक में स्वीकृत की जाती है।

सन् १९६२-६३ में आय-व्ययक में सहायतार्थ निर्धारित की गई राशि इस प्रकार है:--

	रु०
१--अहेतुक सहायता, गृह निर्माण तथा सहायता ..	१२,००,०००
२--टेस्ट वर्क	१२,००,०००
३--प्रकीर्ण व्यय के लिये	२४,००,०००
४--तकावी	७५,००,०००

इसके अतिरिक्त इस वर्ष अब तक दैवी आपदाओं से उत्पन्न अत्यावश्यक व्यय को वहन करने के लिये २५,००,००० रु० दुर्भिक्ष सहायता तथा २५,००,००० रु० तकावी के लिये अतिरिक्त धनराशियां उत्तर प्रदेश आकस्मिक व्यय निधि से भी लेना पड़ा है।

पारादान तहसील में चकबन्दी में अनियमितताएं

*५७--श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)--क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पारादान, तहसील बिन्दकी, जिला फतेहपुर के प्रधान और अन्य कृषकों के संयुक्त हस्ताक्षर युक्त चकबन्दी में अनियमितताये बरतने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र जुलाई के प्रथम सप्ताह में क्रमशः मुख्य मंत्री, चकबन्दी आयुक्त, और बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, बिन्दकी तथा प्रश्नकर्त्ता के पत्र के साथ प्रार्थना-पत्र जिलाधीश, फतेहपुर को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां, उक्त प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं। शिकायतों की जांच मौके पर चकबन्दी अधिकारी व बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी ने कर ली है और प्रस्तावों के विवरण-पत्र में पाई गई त्रुटियों को अंकित कर लिया है। क्षेत्रफल की कमी से संबंधित कुछ चकों की नाप करके दुरुस्ती की जा चुकी है, शेष नाम व चकों से सम्बन्धित त्रुटियों को दूर करने की वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

*५८--श्री रामकिशोर वर्मा--क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक प्रार्थन-पत्र पर कितने असन्तुष्ट किसानों के हस्ताक्षर और अंगुष्ठ चिन्ह हैं, तथा संबंधित उक्त ग्राम में चकों की संख्या क्या है और शिकायतों का मुख्य-मुख्य आधार क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--प्रार्थना-पत्र पर १८ अंगुष्ठ चिन्ह तथा ३१ हस्ताक्षर हैं। संबंधित ग्राम पारादान में चकों की संख्या १६९ है तथा शिकायतों का मुख्य आधार कुछ चकों में मूल्यांकन की कमी, चकों की आकृति का खराब होना तथा नाली चकरोड की कमी और आबादी के लिये रास्तों का कम होना है।

*५९-६१--श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये।]

ग्राम यूसुफपुर के लेखपाल तथा कानूनगो के विरुद्ध घूसखोरी की शिकायत

*६२—श्री उमाशंकर—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ५ जून, १९६१ को आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के ग्राम यूसुफपुर के किसी व्यक्ति ने उक्त ग्राम के पटवारी तथा कानूनगो के विरुद्ध घूसखोरी का अरोप लगाते हुये कोई प्रार्थना-पत्र मास मंत्री तथा जिलाधीश, आजमगढ़ को दिया था ? यदि हां, तो—

(क) उनकी शिकायत क्या थी, और

(ख) उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—आलोच्य तिथि का तो कोई प्रार्थना-पत्र नहीं प्राप्त हुआ, किन्तु ८-६-१९६१ का एक प्रार्थना-पत्र जिलाधीश, आजमगढ़ को और २७-८-६१ का एक प्रार्थना-पत्र राजस्व मंत्री को अवश्य प्राप्त हुआ था ।

(क) लेखपाल तथा कानूनगो के विरुद्ध रुपया लेकर इन्दराज करने तथा लेखपाल द्वारा प्रार्थी के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत की गयी थी ।

(ख) प्रार्थना-पत्र की जांच की गयी । कानूनगो के विरुद्ध प्रमाण न होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई । लेखपाल के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरम्भ की गयी जिसका निर्णय शीघ्र होने वाला है ।

*६३—श्री उमाशंकर—क्या यह सच है कि सरकार के पास से दिनांक ५ अगस्त, १९६२ तथा २८ अगस्त, १९६२, १८ सितम्बर, १९६१ को कोई सूचना उक्त प्रार्थी व्यक्ति के पास इस आशय से की गई थी कि प्रार्थना-पत्र पर जिलाधीश निर्णय देंगे और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—केवल दिनांक १८-९-६१ को सूचना दी गयी कि प्रार्थना-पत्र जिलाधीश, आजमगढ़ को निस्तारणार्थ भेजा जा रहा है ।

*६४—श्री उमाशंकर—क्या राजस्व मंत्री किसी उच्च जिलाधिकारी को भेजकर उक्त ग्राम में घूस के मामलों की जांच करायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसकी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती ।

सिलावर-किरोड़ी-महरमपर सड़क का निर्माण

*६५—श्री चन्दनसिंह (जिला मुजफ्फर नगर), श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर) तथा श्री ऊदल—क्या सरकार को पता है कि ग्राम सिलावर, किरोड़ी तथा मरहमपुर, तहसील कैराना, जिला मुजफ्फरनगर की सड़क पर पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा पांच साल से काम चालू है और उक्त सड़क के २ मील बन चुके हैं परन्तु सड़क के ६ फर्लांग का वह भाग जो उक्त सड़क को दिल्ली, सहारनपुर सड़क से मिलाता है, अभी तक नहीं बना है ? यदि हां, तो उक्त सड़क का उक्त टुकड़ा जो केवल ६ फर्लांग है और जिससे इलाके की जनता का भारी लाभ है कब तक बन जायेगी ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां । इस सड़क का १ मील ६ फर्लांग का हिस्सा बन चुका है और केवल ३ फर्लांग का निर्माण शेष है । इस शेष भाग के न बनने का कारण यह है कि इस क्षेत्र में कुछ भूमिधरों ने उनकी भूमि लिये जाने के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी है और हाई कोर्ट ने सड़क निर्माण कार्य रोकने के आदेश दिये हैं । रिट पर फैसला होने के बाद ही इस शेष भाग का निर्माणसंभवहो सकेगा ।

बलरामपुर तहसील में सड़कों के लिए अनुदान

*६६—श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलरामपुर तहसील, जिला गोंडा को सन् १९६१-६२ में कितना अनुदान सड़कों के निर्माण हेतु स्वीकृत हुआ था और कितना धन उपयोग में नहीं लाया गया ?

श्री गिरधारीलाल—आवश्यक सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३९४ पर)

*६७—श्री सुखदेवप्रसाद—क्या नैपाल जाने वाली सड़क पर नाला कबही और धोबहा पर बने हुये पुल, जब जोर की वर्षा होती है, टूट जाया करते हैं ? यदि हां, तो क्यों और उन्हें सुदृढ़ बनाने की क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं। पुल नहीं टूटते बल्कि पुलों के पास की सड़क अक्सर कट जाती है। इन स्थानों को कटाव से रोकने के लिये उचित व्यवस्था का प्रश्न विचाराधीन है।

सिसई घाट पुल निर्माण पर व्यय

*६८—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राप्ती नदी पर सिसई घाट जिला गोंडा का पुल कब तक बन कर तैयार हो जायेगा और इस पुल के निर्माण पर कितनी पूंजी किस-किस साधन से इकट्ठा करके व्यय की गयी है ?

श्री गिरधारीलाल—यह पुल १५ नवम्बर, १९६२ तक पूरा होने की आशा है। इसकी लगभग लागत ९,२१,००० रुपये है जिसमें से ४,५०,००० रुपये स्थानीय चन्दा के रूप में मिलना था। इस पुल पर अगस्त, सन् १९६२ तक ८,१५,७१८ रुपया व्यय हो चुका है। स्थानीय चन्दा का अब तक ३,०७,४०७.१६ रुपया प्राप्त हो चुका है।

*६९—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल—क्या निर्माण मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस पुल पर यातायात कर सहित होगा या कर रहित होगा ?

श्री गिरधारीलाल—इस पुल पर यातायात-कर सहित होगा।

झूसी-दारागंज पैण्टून ब्रिज

*७०—श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला इलाहाबाद में झूसी से दारागंज तक कोई पुल बनाने की योजना है ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं।

*७१—श्री बंशीलाल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ५ साल पहले झूसी के पुल का कोई सर्वे हुआ था ? उसमें सरकार का कितना रुपया खर्च हुआ ?

श्री गिरधारीलाल—५ साल पहिले कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ था। १९५९ में पुल का सर्वे हुआ था। उस पर २,२४७ रुपये व्यय हुये थे।

*७२—श्री बंशीलाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झूसी से दारागंज के पीपे वाला पुल जो हर साल बनाया जाता है उसमें प्रतिवर्ष कितना रुपया खर्च होता है ?

श्री गिरधारीलाल—लगभग ७२,३०० रुपये प्रति वर्ष।

बस्ती जिले के प्राइमरी स्कूल्स

*७३—**श्री रणबहादुरसिंह** (जिला बस्ती)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में सन् १९५० से लेकर सन् १९६२ तक तहसीलवार कितने प्राइमरी स्कूल खोले गये ?

आचार्य जुगलकिशोर—जिला बस्ती में १९५० से १९६२ तक (प्रश्न प्राप्त होने के समय तक) खोले गये प्राइमरी स्कूलों की संख्या तहसीलवार निम्नलिखित है:—

नाम तहसील	संख्या
१—बांसी	५८
२—बस्ती	७२
३—हरैया	६१
४—खलीलाबाद	६३
५—नवगढ़	६९
६—डुमरियागंज	६३
योग ..	३८६

*७४—**श्री रणबहादुरसिंह**—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी स्कूलों की संख्या को देखते हुये सन् १९५० और १९६२ के बीच उसी अनुपात से जूनियर हाई स्कूल भी खोले गये ?

आचार्य जुगलकिशोर—शासन की ओर से जूनियर हाई स्कूल खोलने की कोई व्यापक योजना नहीं रही है।

*७५—**श्री रणबहादुरसिंह**—क्या यह सच है कि सन् १९६० में जिला बस्ती में दस जूनियर हाई स्कूल खोलने की स्वीकृति अन्तरिम जिला परिषद् ने सरकार के पास भेजी थी ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

आचार्य जुगलकिशोर—ऐसा कोई पत्र सरकार के पास सचिवालय में प्राप्त नहीं हुआ।

उन्नाव जिला परिषद् में अध्यापकों की नियुक्ति

*७६—**श्री देवदत मिश्र**—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिला परिषद् के अन्तर्गत १ अगस्त, १९६१ से १५ अगस्त, १९६२ तक भर्ती किये गये अध्यापकों की कुल संख्या कितनी है और उनमें कितने अनट्रेन्ड तथा कितने ट्रेन्ड हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—सम्प्रति प्रश्न का उत्तर देना संभव नहीं है क्योंकि संबंधित पत्रादि अध्यक्ष, अन्तरिम जिला परिषद् ने अपने अधिकार में कर रखे हैं।

*७७—**श्री देवदत मिश्र**—कृपया यह भी बताइये कि इसी अवधि में जिले में तथा भगवन्तनगर निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गांवों में कितने प्राइमरी स्कूल, कितने जूनियर हाईस्कूल और कितने जूनियर बालिका विद्यालय खोले गये एवं इस अवधि में कितने तोड़े गये ?

आचार्य जुगलकिशोर—जैसा कि प्रश्न ७६ के उत्तर में कहा गया है।

*७८—श्री देवदत मिश्र—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव अन्तरिम जिला परिषद् के माध्यम से जो सरकारी अनुदान प्रतिवर्ष प्राइवेट जूनियर हाई स्कूलों और प्राइमरी स्कूलों को दिया जाता है उसके लिये १९६१-६२ और १९६२-६३ वर्ष में उन्नाव को सरकार ने कितनी धनराशि दी एवं वह कब, कितनी, किस-किस स्कूल को दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर—संप्रति प्रश्न का उत्तर देना संभव नहीं है क्योंकि संबंधित पत्रादि अध्यक्ष, अन्तरिम जिला परिषद् ने अपने अधिकार में कर रक्खे हैं ।

चोपानकोन-विन्मगंज सड़क

*७९—श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले १५ वर्षों में मिर्जापुर जिले में कुल कितनी लम्बी पक्की सड़कें बनी हैं और दुद्धी तहसील में उनका कितना हिस्सा पड़ता है ?

श्री गिरधारीलाल—७९ मील पक्की सड़कें बनी हैं । जिसमें से ३ मील की सड़कें दुद्धी तहसील में पड़ती हैं ।

*८०—श्री रामप्यारे—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि जो सड़क चोपान कोन तथा विन्मगंज के लिये स्वीकृत हुई थी और उसके लिये चालू वित्तीय वर्ष में धन की स्वीकृति है ? क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि उसमें कौन-कौन-सी बाधायें हैं जिसके कारण सड़क नहीं बन पा रही हैं ?

श्री गिरधारीलाल—इस सड़क का केवल चोपान कोन भाग का निर्माण सरकार द्वारा स्वीकृत है । इस सड़क का कुछ भाग राजा आनन्द ब्रम्हशाह की भूमि मे पड़ती है । उन्होंने उक्त मार्ग के बनाने के लिये विरोध किया और हाई कोर्ट में रिट दायर कर दिया है । मुकदमें का निर्णय होने पर कार्य पुनः आरम्भ किया जायेगा ।

सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत

*८१—श्री बेदराम (जिला एटा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के वर्तमान सचिव ने जब से कार्यभार सम्भाला है तब से आज तक प्रतिवर्ष कितने परीक्षार्थियों का परीक्षाफल रोका गया ? उस रोके हुये परीक्षाफल की घोषणा कितने दिन बाद की गई ?

आचार्य जुगलकिशोर—विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३९५ पर)

*८२—श्री बेदराम—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् के वर्तमान सचिव, श्री शर्मा कितने दिनों से इस पद पर हैं और इस बीच कितनी बार उनको स्थानान्तरण आदेश दिया गया और रद्द कर दिया गया ? यदि स्थानान्तरण आदेश रद्द कर दिये गये, तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर—२ जनवरी, १९५८ से । इनके स्थानान्तरण की एक बार आज्ञा हुई थी लेकिन जनहित में रद्द कर दी गयी ।

*८३—श्री बेदराम—क्या यह सच है कि श्री शर्मा के सचिव होने के बाद से उक्त कार्यालय में एक अधिकारी क्लब की स्थापना हुई है जहां कि कार्यालय समय में भी अधिकारी बैठकर गप्पें लगाया करते हैं और कार्य का नुकसान होता है ? यदि हां, तो इस बारे में सरकार क्या विचार कर रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् के इलाहाबाद कार्यालय में भ्रष्टाचार

*८४—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—मेरी इस सूचना को सच मानकर कि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, यू० पी०, इलाहाबाद के कार्यालय में भ्रष्टाचार तथा फिजूलखर्ची अपनी चरमसीमा पर पहुंच चुकी है, सचिव द्वारा अपने अनेक रिस्तेदारों को अनुचित रूप से केयर टेकर, स्टेनोग्राफर, कार्णिक तथा परीक्षक आदि महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया है राज्य सम्पत्ति का अनुचित व्यक्तिगत उपयोग के लिये प्रयोग किया जा रहा है, सचिव के घर पर अनेक घरेलू नौकर रहते हैं जो कि अन्य पदों के लिये नियुक्त हैं। सरकार परिषद् कार्यालय में हो रही भ्रष्टाचारी की जांच कराने के लिये एक गोपनीय एवं उच्चस्तरीय जांच समिति नियुक्त करेगी जो अपनी आख्या सरकार को तुरन्त प्रस्तुत करे ? यदि हां, तो यह जांच कब प्रारम्भ हो जायेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी शिकायतें की गयी हैं वे सामान्य प्रकार की है और उनके आधार पर कोई जांच करना संभव नहीं है, किन्तु यदि माननीय सदस्य तथाकथित भ्रष्टाचार के खास मामलों की सूचना व्यक्तिगत रूप से शिक्षा मंत्री को दें तो उनके संबंध में जांच करने की वांछनीयता पर सरकार अवश्य विचार करेगी ।

जिला चमोली में वर्षा पीड़ितों को सहायता

*८५—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी (जिला चमोली)—सीमान्त जिला चमोली के अन्तर्गत पट्टी खनसर के नैल, देवपुरी व झूमा खेत आदि ग्रामों में दिनांक १४, १५ जुलाई, सन् १९६२ को घनघोर वर्षा के कारण जो भारी क्षति हुई है, क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को कोई उसकी सूचना प्राप्त हुई है तथा सरकार ने इस संबंध में क्या सहायता की व क्या मदद करने जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां। ग्राम देवपुरी तथा झूमाखेत में कोई क्षति नहीं हुई। पट्टी खनसर के अन्य ग्रामों में क्षतिग्रस्त निर्धन परिवारों को समुचित सहायता का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

*८६—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी—क्या मुख्य मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त खनसर पट्टी में रामगंगा को पार करते हुये दिनांक १७ जुलाई, १९६२ और उसके आसपास ग्राम गड़ोत तथा तथा दूसरे गांव वालों की जो जानें गई उनकी संख्या कुल कितनी हैं और सरकार ने उन क्षतिग्रस्त परिवारों की सहायता के लिये क्या सहायता की तथा क्या सहायता करने जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—राम गंगा को पार करते हुये दो स्त्रियां बह गई थीं परन्तु किसी ने भी किसी प्रकार की सहायता दिये जाने की प्रार्थना अभी तक नहीं की है ।

[१९ अक्तूबर, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों को भवन निर्माण तथा प्रारम्भिक अनुदान

*१—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को भवन निर्माण मद में वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में १० हजार रुपये की सहायता प्रदान की गई है ?

आचार्य जुगलकिशोर—तालिका 'क' संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३९६ पर)

*२—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन हायर सेकेन्डरी स्कूलों को प्रारम्भिक अनुदान प्रदान किये गये हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—†तालिका 'ख' संलग्न है ।

*३—श्री रामसुन्दर पांडेय—[हटा दिया गया] ।

*४—श्री ऊदल—[३ अक्तूबर, १९६२ को प्रश्न ४ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

पिंडरा तहसील का जूनियर हाई स्कूल

*५—श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पिंडरा तहसील व जिला वाराणसी में एक जूनियर हाई स्कूल गत कई वर्षों से प्राइवेट तरीके पर जनता द्वारा चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्कूल को अपने अधीन लेने पर विचार कर रही है ? क्या उक्त स्कूल के पास कुछ सम्पत्ति भी कुछ लोगों ने रजिस्ट्री कर दी है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां, किन्तु प्रान्तीयकरण के प्रश्न पर कोई विचार नहीं हो रहा है । दो एकड़ भूमि विद्यालय के नाम रजिस्ट्री कर दी गई है ।

*६—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—[१६ अक्तूबर, १९६२ को प्रश्न ३९ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

वाराणसी तथा बिजनौर जिलों में पक्की सड़कों व पुलों का निर्माण

*७—श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९४७ से लेकर अब तक वाराणसी तथा बिजनौर में कितने मील पक्की सड़कों व पुलों का निर्माण कराया गया और तीसरी योजना के अन्त तक दोनों जिलों में कितनी मील पक्की सड़कें व कितने पुल और बन जायेंगे ?

श्री गिरधारीलाल—वाराणसी जिले में १९४७ से अब तक ९७ मील ५ फर्लांग ३३० फीट सड़क तथा २ पुलों का निर्माण हुआ है । इस जिले में तीसरी योजना के अन्त तक ३९ मील ४ फर्लांग सड़क तथा २ पुलों का निर्माण हो जाने की आशा है । बिजनौर जिले में अब तक २९९ मील २४५ फीट सड़कें तथा ४ पुलों का निर्माण हुआ है और तीसरी योजना तक ४२ मील सड़कों तथा ४ पुलों का निर्माण हो जाने की आशा है ।

सैदपुर तहसील में चकबन्दी के मुकदमें

*८—श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले के सैदपुर तहसील में चक नापने के लिये जो व्यवस्था की गई थी, उसके द्वारा कितने चकों का नाप हुआ और उसमें अलग-अलग कितने रकबे की गलतियां मिलीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—१२,३०९ चकों की दुबारा नाप की गई जिसके फलस्वरूप १,१०७ चकों में गलतियां पाई गई । इन चकों की सूची मेरे कार्यालय में देखी जा सकती है ।

*९—श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार बतालाने की कृपा करेंगी कि चकबन्दी विभाग द्वारा कितने गांवों के चक बनाये गये हैं, जिन पर पत्थर गाड़ा गया है और कितनों पर पत्थर गाड़ना बाकी है ?

---

†छापी नहीं गई ।

*१०--श्री कमलासिंह यादव--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में चकबन्दी द्वारा जिलेवार कितने मुकदमों, अपील तथा निगरानी दाखिल हुये, और उसमें कितने मंजूर हुये और कितने बिना सुने खारिज किये गये, क्या उसकी एक तालिका १९६०-६१, १९६१-६२ की सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सूचना एकत्र की जा रही है ।

गोरखपुर जिले के जुबली माध्यमिक विद्यालय में इंटर कक्षा की पढ़ाई

*११--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के जुबली उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अन्दर इन्टर कक्षा की पढ़ाई भी शुरू होने वाली है ? यदि हां, तो कब से ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी हां । इन्टर कक्षा की पढ़ाई १३ अगस्त, १९६२ से शुरू हो गई है ।

*१२--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष (१९६२-६३) के सेशन हेतु उपरोक्त स्कूल में प्रथम वर्ष इन्टर में ११० विद्यार्थियों का दाखिला हुआ है ? यदि हां, तो पढ़ाई कब तक उपरोक्त कक्षा में शुरू होगी ?

आचार्य जुगलकिशोर--केवल ६८ विद्यार्थियों का दाखिला अभी तक हुआ है । १३-८-६२ से पढ़ाई शुरू हो गई है ।

आगरा जिले के सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों की मांगें

*१३--श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जिला के सार्वजनिक निर्माण विभाग के कई कर्मचारी अपनी मांगों के संबंध में गत तीन दिनों से भूख हड़ताल कर रहे हैं ? यदि हां, तो उनकी क्या मांगें हैं और अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री गिरधारीलाल--(क) आगरा जिला के सार्वजनिक निर्माण विभाग के कुछ वर्क चार्ज कर्मचारियों ने गत अगस्त में भूख हड़ताल की थी ।

(ख) उनकी मांगों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ग) इस संबंध में अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आगरा ने यूनियन के आगरा शाखा के मंत्री को एक पत्र लिखा तथा यूनियन के प्रतिनिधियों से बातचीत की । फलस्वरूप हड़ताल ६ अगस्त, १९६२ को समाप्त हो गई ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३९७ पर)

गोरखपुर जिले में कटाव-पीड़ितों को सहायता

*१४--श्री कल्पनार्थसिंह--क्या सरकार विधान सभा के प्रथम सत्र के पांचवें मंगलवार के लिये निर्धारित मेरे प्रश्न संख्या १६५-१६६ और १६७ के संदर्भ में यह बताने कृपा करेगी कि जिन-जिन कटाव पीड़ित गांवों का जिक्र किया गया है उनमें कितनी-कितनी सहायता किस-किस गांवों में किस-किस मद में दी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--वांछित सचना संलग्न सूची (क) में दे दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ३९८-३९९ पर)

*१५—श्री कल्पनार्थसिंह—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जो लिस्ट कटाव-पीड़ित गांवों की दी गई है उसमें कितनें गांव एहतमाली हैं और कितने मुस्तकिल हैं और उसमें राजस्व में घाटा क्यों नहीं बताया जा रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कटाव-पीड़ित गांवों में १३ एहतमाली हैं और ४१ गांव मुस्तकिल हैं। राजस्व में घाटा के आंकड़े संलग्न सूची (ख) में दिये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ३९८–४०० पर)

*१६—श्री कल्पनाथ सिंह—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि ग्राम गरमा कोल, बरडीहा तैवार पट्टी, डेरवा, डुमरी सेमरा, बुजुर्ग, सेमरा खुर्द, मझवलिया, असवनपार और बुढ़नपुरा में आबादी कटी है या नहीं ? यदि कटी है तो कितने घर गत पांच साल में कटे हैं, और उनको सरकार द्वारा क्या-क्या सहायता दी गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला देवरिया में बाढ़ से क्षति

*१७—श्री चन्द्रबली सिंह (अनुपस्थित)—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६२ के बाढ़ के संबंध में प्रश्नकर्त्ता ने उन्हें तथा एस० के० रुद्रपुर द्वारा जिलाधीश देवरिया को क्रम से ६, १२ और १८ अगस्त, १९६२ को पत्र लिखा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

*१८—क्या राजव मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिला भर में घाघरा, राप्ती, नारायणी, छोटी गंडक, गोरा, बुर्ना, नकटा, वथुआ, भझने, झवन, जेठन, कोइलांड, खनुआ, बांसी आदि नद, नदी और नालों द्वारा किन-किन ग्रामों के कितने-कितने आदमी, मकान, बांध, सड़क, फसल और जानवर आदि का नुकसान हुआ है तथा गांव बाभूज की पीड़ित आबादी क्या है ? यह कानूनगोवाइज विवरण मय सहायता के सदन के मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सूचना एकत्र की जा रही है।

डावरमैन इन्टर कालेज, मैनपुरी

*१९—श्री बृजेश्वरसहाय (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी डावरमैन इन्टर कालेज, मैनपुरी में बाइलोजी क्लास में बिजली की फिटिंग है लेकिन बिजली अब तक नहीं ली गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां। धनाभाव के कारण बिजली का कनेक्शन अभी तक नहीं लिया जा सका।

*२०—श्री बृजेश्वरसहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त विद्यालय में कितने ऐसे अध्यापक हैं जो उसी विद्यालय में कार्य करते ३ वर्ष से ५ वर्ष हो गये हैं और उनका तबादिला अब तक नहीं किया गया है ? ऐसा क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर—ऐसे ८ अध्यापक हैं। अध्यापकों के स्थानान्तरण के लिये समय का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

*२१—श्री बृजेश्वरसहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नारमल स्कूल, मैनपुरी के आदर्श विद्यालय में कितने बालक-बालिकाओं को वजीफे के फार्म जुलाई-अगस्त, १९६२ में दियें गये ?

आचार्य जुगलकिशोर---२० फार्म दिये गये ।

इटावा तहसील में गबन

*२२---श्री ऊदल---क्या सरकार को पता है कि इटावा तहसील में अगस्त, १६६२ के प्रथम सप्ताह में २८ हजार रुपया का गबन पाया गया है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी हां । २६,००० रु० का अस्थायी गबन हुआ था । संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय तथा पुलिस कार्यवाही की जा रही है ।

मछलीशहर तहसील के लिये प्राइमरी स्कूल

*२३---श्री केशरीप्रसाद पांडेय---क्या सरकार बतायेगी कि वह मछलीशहर, जौनपुर जिले में तृतीय पंचवर्षीय योजना के तत्वाविधान में इस वर्ष कहां-कहां कितने प्राइमरी स्कूल खोलने जा रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर---तहसील मछलीशहर, जिला जौनपुर में ४ स्थानों पर मिश्रित प्राइमरी पाठशाला और ३ स्थानों पर बालिका प्रइमरी पाठशाला खोलने के लिए निश्चय किया गया है । स्थानों के नाम संलग्न तालिका में दिये हैं ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ४०१ पर)

*२४---श्री केशरीप्रसाद पांडेय---क्या सरकार बतायेगी कि जूनियर हाई स्कूल स्कीम नं० ६ कुर्नी समाधगंज में इस समय कितने विद्यार्थी हैं, और उनके पढ़ाने के लिये कितने अध्यापक हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर---२०४ विद्यार्थी हैं और ५ अध्यापक हैं ।

हाई स्कूल व इन्टर का अप्रकाशित परीक्षाफल

*२५---श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)---क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करें कि राज्य में कितने विद्यार्थी हैं, जिनका हाई स्कूल व इन्टर का परीक्षाफल घोषित नहीं किया गया है ?

(क) परीक्षाफल घोषित न करने का क्या कारण है ?

आचार्य जुगलकिशोर---१६६२ को हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट परीक्षा के क्रमशः १,६३१ और ६३४ विद्यार्थियों का परीक्षाफल २५ सितम्बर, १६६२ तक अप्रकाशित रहा ।

(क) परीक्षाफल रोकने के कारण संलग्न तालिका में दिये गये हैं ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ४०२ पर)

*२६---श्री उल्फतसिंह (जिला बदायूं)---[१५वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

मुरादाबाद जिले के बाढ़ प्रभावित ग्राम

*२७---श्री शराफत हुसैन रिजवी---क्या राजस्व मंत्री कृपया यह बतावेंगे कि मुरादाबाद जिले के जो ग्राम हर वर्ष बाढ़ से प्रभावित होते हैं क्या सरकार उनके निवासियों को किसी दूसरी जगह बसाने पर विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---गत वर्षों में बाढ़ से प्रभावित ग्राम वासियों को अन्यत्र बसाने के प्रयत्न किये गये थे परन्तु उनके विरोध के कारण योजना छोड़ देनी पड़ी और यदि ये ग्रामवासी बाढ़ के दिनों में अन्यत्र बस भी गये तो बाढ़ के पश्चात् फिर अपने मूल स्थान पर वापस आ गये

कछार क्षेत्र के किसानों का लगान

*२८--श्री मैनेजरसिंह तथा श्री केशरीप्रसाद पांडेय--प्रश्न संख्या २१,२२,२३ दिनांक ७ सितम्बर, १९६२ के संदर्भ में राजस्व मंत्री ने उत्तर दिया है कि फूलपुर तहसील के कछार क्षेत्र में खरीफ की फसल बिलकुल ही नहीं या नाममात्र की होती है तो क्या राजस्व मंत्रीजी उक्त क्षेत्र में लगान आधी करने का आदेश देंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--लगान का निर्धारण भूमि की बनावट तथा उसके उपजाऊपन को देखकर किया जाता है। इसलिये लगान की वसूली में ऐसा कोई नियम नहीं है कि यदि रबी और खरीफ में से केवल एक ही फसल पैदा की जावे तो लगान आधा कर दिया जाये। इस कारण से फूलपुर तहसील के कछार क्षेत्र में लगान आधा करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

ऊखीमठ तहसील में वर्षा पीड़ितों को सहायता

*२९--श्री गंगाधर मैठाणी (जिला चमोली)--क्या सरकार को यह जानकारी है कि जिला चमोली, तहसील ऊखीमठ के खोली (जगोठ), एटा, सिल्कोट (रूमसी), भौसाल, डोभा, बडेत, छेडूला और अगस्तमुनी गांवों में २७ से २९ जुलाई, (सन् १९६२) तक भीषण वर्षा के कारण क्षति हुई हैं ? यदि हां, तो सरकार ने क्षति ग्रस्त गांवों के निवासियों की क्या कोई सहायता की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--खोली (जगोठ) डोभा, बडेथ, अगस्तमुनी ग्रामों में कोई क्षति नहीं हुई। अन्य कथित गांवों में वर्षा से साधारण क्षति होने के कारण किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ी ?

*३०--श्री गंगाधर मैठाणी--क्या सरकार को यह जानकारी है कि लुबाइडा और कुन्यालिया ग्राम तहसील ऊखीमठ जिला चमोली के निवासियों ने वर्षा से भूमि के टूटने के कारण गांव को छोड़ दिया है ? यदि हां, तो सरकार ने उनकी क्षति पूर्ति और बसाने के लिये क्या व्यवस्था की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--उक्त गांव के किसी निवासी ने गांव नहीं छोड़ा। अतः उन्हें अन्यत्र बसाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

चरखारी तहसील में सिंचाई कर वसूली के सम्बन्ध में गिरफ्तारियां

*३१--श्री मदनपालसिंह (जिला हमीरपुर)--क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चरखारी तहसील, जिला हमीरपुर में ३ व्यक्ति सिंचाई कर की वसूली के संबंध में २६ जुलाई, १९६२ को गिरफ्तार किये गये और लगभग ८ दिन तहसील जेल में बन्द रक्खे गये जब कि उन पर न तो कोई सिंचाई कर की रकम बकाया थी और नही वे काश्तकार हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां, तहसील चरखारी, जिला हमीरपुर में ३ व्यक्तियों को सिंचाई कर की वसूली के संबंध में दिनांक २६ जुलाई, १९६२ को गिरफ्तार करके तहसील कारावास में रक्खा गया क्योंकि सिंचाई विभाग द्वारा आई हुई सिंचाई कर जमाबन्दी के अनुसार वे बाकीदार थे। किन्तु सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता के आदेश आने पर दिनांक २ अगस्त, १९६२ को मुक्त किये गये ?

*३२--श्री मदनपालसिंह--यदि हां, तो क्या शासन संबंधित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां, सिंचाई कर के गलत जमाबन्दी बन जाने के कारणों पर जांच की जा रही है और सम्बंधित व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जायेगी।

बाराबंकी जिला परिषद् के निलम्बित अध्यापक

*३३—श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)—क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिले में कितनी और कौन-कौन ग्राम सभाएं हैं जहां अभी तक कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है ?

आचार्य जुगलकिशोर—८३० ग्राम सभाएं ऐसी हैं जहां प्राइमरी स्कूल नहीं हैं। उनकी सूची मेरी मेज पर रक्खी है।

*३४—श्री द्विजेन्द्रनारायण—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिले में कितने अध्यापक ऐसे हैं जिनको प्रेसीडेन्ट अन्तरिम जिला परिषद् ने लम्बे अर्से से ससपेंड कर रखा है ?

आचार्य जुगलकिशोर—चार अध्यापकों को १२ फरवरी, १९६२ से निलम्बित किया गया है।

*३५—श्री द्विजेन्द्रनारायण—क्या शिक्षा मंत्री यह बतायेंगे कि बाराबंकी जिले के कितने टीचर ऐसे हैं जिनको बिना कारण बताये सेवा से हटा दिया गया जब कि बेजेज ऐक्ट के अनुसार एक मास पहले नोटिस दी जानी चाहिये ?

आचार्य जुगलकिशोर—परिषद् द्वारा संचालित पाठशालाओं में ऐसा कोई स्थायी अध्यापक नहीं है।

३१ अगस्त के पश्चात् नियुक्त होने वाले प्रत्यासी अध्यापकों को ग्रीष्मावकास का वेतन नहीं दिया जाता है। शेष सभी को दिया जाता है। अतः नोटिस देने का प्रश्न नहीं उठता है।

टेक्नीकल सेल

*३६—श्री जगदीशप्रसाद (जिला बहराइच)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि technical cell के क्या कार्य हैं ? क्या कोई समय निश्चित है कि works समाप्त होने पर वह उसका निरीक्षण करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल—वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ४०३ पर)

३७—श्री जगदीशप्रसाद—अब तक कितना रुपया technical cell के ऊपर व्यय हुआ है और कितना रुपया penalty के रूप में प्राप्त हुआ है ?

श्री गिरधारीलाल—सूचना एकत्र की जा रही है।

*३८-४०—श्री मन्नालाल—[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये।]

तहसील दुद्धी में वर्ग ४ भूमि का लगान

*४१—श्री रामप्यारे—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील दुद्धी, मिर्जापुर में वर्ग ४ भूमि का पिछले कई वर्षों का जोड़कर लगान वसूल किया जा रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं।

*४२--श्री रामप्यारे---क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जब से यह लगान जिस समय का लिया जा रहा है उसके बीच में कई बार दुद्धी क्षेत्र में अकाल घोषित करके मालगुजारी माफ की गयी थी ? यदि हां, तो क्या राजस्व मंत्री जिस वर्ष का लगान माफ रहा उस वर्ष का वर्ग ४ भूमि का लगान घटाकर जनता से वसूलने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी नहीं ।

रायबरेली जिले के कलेक्शन अमीन

*४३---श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)---क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जिले में लगान वसूल करने के लिये चालू वर्ष १९६२-६३ में कितने कलेक्शन अमीन भर्ती किये गये ? इन अमीनों की नियुक्ति किस अधिकारी द्वारा की गई तथा इनमें से कितने हरिजन और कितने पिछड़ी जाति से लिये गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---रायबरेली जिले में चालू वर्ष १९६२-६३ में १० कलेक्शन अमीन ३ महीने के लिये नियुक्त किये गये । इनमें से ३ हरिजन तथा १ पिछड़ी जाति के हैं । इन कलेक्शन अमीनों की नियुक्ति जिलाधीश, रायबरेली द्वारा की गई है ।

*४४---श्री मेड़ीलाल (जिला बाराबंकी)---[हटा दिया गया ।]

*४५-४६---श्री कृष्णा---[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये ।]

बुन्देलखंड छत्रसाल म्यूजियम, बांदा का आडिट

*४७---श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बुन्देलखंड छत्रसाल म्युजियम, बांदा को जो धनराशि दी गई है उसका कभी आडिट भी किया गया है ? यदि हां, तो सरकार को उसके कार्य संचालन की जानकारी क्या है ?

डाक्टर सीताराम---जी हां । जिलाधीश द्वारा हिसाब की जांच करवायी गई थी । जिन विषयों पर धनराशि व्यय हुई उसकी सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ४०४ पर)

कटना नदी पुल का निर्माण

*४८---श्री होरीलाल यादव---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला पीलीभीत में बीसलपुर बिलसेंड़ा रोड पर कटना नदी पर जो पुल बना है वह कब बना और उसकी लागत क्या है ?

श्री गिरधारीलाल---यह पुल १९४० में लगभग ५२,००० रुपये की लागत पर बना था ।

*४९---श्री होरीलाल यादव---क्या पुल ठेके पर उठाया गया है ? यदि हां, तो ठेका कब समाप्त होगा ?

श्री गिरधारीलाल---जी हां, पुल को ठेके पर उठाया गया है तथा यह ठेका ३० सितम्बर, १९६३ को समाप्त होगा ।

*५०-५१---श्री जगदीश (जिला बस्ती)---[हटा दिये गये ।]

जलेसर-मथुरा सड़क

*५२—श्री बेदराम—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जलेसर-मथुरा सड़क जो कि जलेसर से जलेसर रोड और सदालाद तक जाती है की अत्यन्त ही शोचनीय अवस्था कई वर्षों से चली आ रही है और प्रत्येक वर्ष वर्षाकाल में वह सड़क बहुत ही भयानक रूप धारण कर लेती है ? उसके ठीक कराने या उसे डामर रोड सीमेंट की बनवाने की कोई योजना सरकार ने बनाई है ?

श्री गिरधारीलाल—इस सड़क के जिला मथुरा में पड़ने वाले भाग के अधिकतर मील कोलतार के है और बाकी मील कोलतार के बनाये जा रहे हैं। इस सड़क का जिला एटा में पड़ने वाला भाग कंकड़ का है और उसके कई मीलों का पिछले वर्षों में नवीनीकरण किया जा चुका है और कुछ का इस वर्ष तथा भविष्य में करने की योजना है। समय-समय पर आवश्यकतानुसार छोटे-छोटे गड्ढों की मरम्मत की जाती है। इस भाग को डामर अथवा सीमेन्ट की बनवाने की अभी कोई योजना नहीं है।

बिजनौर जिले में रामगंगा पुल पर टैक्स

*५३—श्री बसंतसिंह (जिला बिजनौर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बिजनौर जिले में रामगंगा पर जो नवीन पुल बन कर तैयार हुआ है उस पर कुल कितना व्यय किया गया तथा पुल पर टैक्स किस दर से वसूल किया जा रहा है ?

श्री गिरधारीलाल—पुल तथा उससे संबंधित कार्यों को निर्माण करने की लागत लगभग ४५,५६,००० रुपये आयी है। पथकर की दरों की सूची †सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी है।

*५४—श्री बसंतसिंह—टैक्स की दर इतनी भारी है कि धामपुर का व्यापार बिलकुल चौपट हो रहा है तो क्या सरकार टैक्सों की दर कम करने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारी लाल—मौजूदा पथकर की दरों में संशोधन करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

*५५—श्री बसंतसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त टैक्स अधिक होने के बारे में कोई स्मृति-पत्र अगस्त, १६६२ में भारतीय जनसंघ, बिजनौर द्वारा प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गिरधारीलाल—भारतीय जनसंघ, बिजनौर का कोई स्मृति-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है परन्तु स्थानीय जनता के आवेदन-पत्र आये हैं जिनमें रामगंगा के पथ-कर की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और सरकार इस पर विचार कर रही है।

श्री गणेश कालेज, कासगंज की मैनेजिंग कमेटी का चुनाव

*५६—श्री गिरवरप्रसाद (जिला एटा)—क्या सरकार श्री गणेश कालेज, कासगंज, जिला एटा की मैनेजिंग कमेटी का चुनाव कराने के लिये कोई आदेश जारी करेगी क्योंकि चुनाव सन् १६५७ में due था और मैनेजिंग कमेटी ने अनाधिकार कब्जा करे रहने के ख्याल से चुनाव नहीं कराया है ?

आचार्य जुगलकिशोर—चुनाव हेतु आदेश दिये जा चुके हैं।

---

†छापी नहीं गई।

सहियापुर ग्राम में चक

*५७—श्री भानुप्रतापसिंह—क्या सरकार यह बस्ती, तहसील डुमरियागंज के ग्राम सहियापुर (उर्फ शाहपुर, प्रारम्भ हुयी और कब समाप्त हुयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिला बस्ती तहसील डुमरिया बन्दी की कार्यवाही ८ अप्रैल, १९५५ को प्रारम्भ हुई थी और अ

*५८—श्री भानुप्रतापसिंह—क्या यह सच है कि चक सैन्ड रिकार्ड ठीक किये जाने के बाद कई वर्षों से अभी पुराने रिक गुजारी वसूल की जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं ।

*५९—श्री भानुप्रतापसिंह—चकबन्दी की कार्यवाही समाप्त होने पर भी क्या कारण है कि तहसील में उपरोक्त ग्राम संबंधी नये कागजात अभी तक प्राप्त नहीं हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्रश्न संख्या ५७ के उत्तर के कारण यह प्रश्न नहीं उठता है ।

तृतीय श्रेणी में पास विद्यार्थी

*६०—श्री भगौतीदीन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार को मालूम है कि तृतीय श्रेणी पास विद्यार्थी न तो ऊंचे दर्जे में पढ़ने के लिये चुने जाते हैं और न उन्हें किसी नौकरी में लिया जाता है ऐसी सूरत में क्या सरकार परीक्षाओं में से तृतीय श्रेणी हटाने की बात सोच रही है ? यदि हां, तो उस दिशा में कौन-सा रास्ता सरकार अख्तियार करना चाहती है ?

आचार्य जुगलकिशोर—अधिकतर नियमों में ऐसा कोई प्रबन्ध नहीं है कि तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी ऊंची कक्षाओं में भर्ती न किये जांय, या सरकारी नौकरियों में न लिये जांय ।

प्रश्न के अन्य भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

बस्ती जिले के चकबन्दी विभाग के पेशी कानूनगो

*६१—श्री गेंदासिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चकबन्दी विभाग में पेशी कानूनगो बनाने के लिये कौनसी योग्यता होनी चाहिये ?

*६२—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि बस्ती जिले में श्री बिजयशंकर लाल को जो collectorate एक साधारण लिपिक थे किस आधार पर बन्दोवस्त अधिकारी (चकबन्दी) का पेशी कानूनगो बनाया गया है ? क्या उन्हें नियमानुसार योग्यता प्राप्त है ?

*६३—क्या सरकार यह बतायेगी कि जिला बस्ती में विजयशंकर लाल को कुछ माह तक पेशी कानूनगो के पद पर रखने के पश्चात् जब सहायक चकबन्दी अधिकारी बिना ट्रेनिंग लिये ही बना दिया गया था तो उस समय जिले में उनसे सीनियर और चकबन्दी के कार्य में दक्ष क्या कोई अन्य चकबन्दी कर्त्ता (consolidator) था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सूचना एकत्र की जा रही है ।

*६४-६६—श्री धूमप्रसाद (जिला फैजाबाद)—[१५ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*६७-६८—श्री हरिगैनराम (जिला वाराणसी)—[१५ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

गांव सभा खद्दवार की परती भूमि

*६९—श्री रघुनाथ (जिला बलिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जमींदारी उन्मूलन के पूर्व गांव सभा खद्दवार तहसील बांसडीह जिला बलिया जिसमें खद्दवार, रानीपार, जगदीशपुर, अथवार पड़ता है कितनी जमीन बंजर, परती और गढ़ही थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जमीन्दारी उन्मूलन के पूर्व सम्बन्धित गांवों में प्राप्त गढ़ही और बंजर परती भूमि का विवरण निम्न प्रकार है—

नाम ग्राम	गढ़ही	परती बंजर
	एकड़	एकड़
(१) खद्दवार	७.२२	३.९४
(२) जगदीशपुर रानीपार	२.३५	७.२५
(३) अथवार	०.४०	०.५०

*७०—श्री रघुनाथ—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त भूमि में से कितनी जमीन गांव सभा ने कुछ व्यक्तियों को पट्टे पर दे दी है तथा जमीन पाने वालों में कितने भूमिहीन थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कोई नहीं ।

*७१—श्री रघुनाथ—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त भूमि में कितनी गढ़ही थी जिनसे आबपासी होती थी तथा पट्टा होने के बाद गढ़ही जमीन कितनी रह गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कथित ग्रामों में कुल मिलाकर ९.९७ एकड़ गढ़ही जमीन थी । ग्राम खदवार में ३.७४ एकड़ व ग्राम जगदीशपुर रानीपार में १.६१ एकड़ गढ़ही पर कुछ व्यक्तियों ने सीरदार के अधिकार प्राप्त कर लिये हैं । सम्बन्धित व्यक्तियों के खिलाफ जमीन्दारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा २१२ ए० के अन्तर्गत मुकदमें दायर कर दिये गये हैं । कथित तीन ग्रामों में बची गढ़ही भूमि का विवरण निम्न प्रकार है—

नाम मौजा	गढ़ही भूमि एकड़
खद्दवार	३.४८
जगदीशपुर रानीपार	०.७४
अथवार	०.४०

विलायती शराब की दूकानें

*७२—श्री गंगाप्रसाद तथा श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में विलायती शराब की दुकानें कितनी हैं और प्रत्येक असिस्टेन्ट कमिश्नर के डिवीजन में क्या लाइसेन्स फीस बढ़ी है ? यदि हां, तो कितनी ?

डाक्टर सीताराम—प्रदेश में विलायती शराब की दुकानें १९६०-६१ तथा १९६१-६२ में क्रमशः २८८ एवं २८२ थीं । सहायक आबकारी कमिश्नर, लखनऊ के चार्ज को छोड़कर प्रत्येक अन्य सहायक आवकारी कमिश्नर के चार्ज में ऐसी शराब की बिक्री से वर्ष १९६१-६२ में पूर्व वर्ष के मुकाबले में लाइसेन्स शुल्क में वृद्धि हुई है, जिसका पूर्ण विवरण संलग्न तालिका में है ।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ४०५ पर)

अतारांकित प्रश्न

पी० डब्लू० डी०, मैनपुरी की शहरी सड़क

१—श्री बृजेश्वरसहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो P.W.D. की सड़क मैनपुरी स्टेशन से आर्य समाज होती हुई शहर को आती है वह कब से खराब पड़ी है और वह क्यों नहीं बनायी जाती है ?

श्री गिरधारीलाल—यह सड़क लगभग एक साल से खराब हो चली है और इस समय इस की सतह को उखाड़ कर पुनः बनवाया जा रहा है ।

२—श्री बृजेश्वरसहाय—क्या सरकार बतायेगी कि उपरोक्त सड़क के खराब होने के कारण जो आमतौर पर ऐक्सीडेन्ट होते हैं और जनता की जानमाल की क्षति होती है उस पर सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री गिरधारी लाल—अभी तक इस सड़क पर सड़क खराब होने के कारण किसी दुर्घटना के होने की सूचना नहीं मिली है । किसी दुर्घटना की भविष्य में भी सम्भावना नहीं है।

३—श्री बृजेश्वर सहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह सड़क कब तक बन कर तैयार हो जावेगी ?

श्री गिरधारीलाल—इस सड़क के शीघ्र ही पूर्णतया ठीक बनाये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।

४—श्री बृजेश्वरसहाय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी शहर में देवी रोड पर पटरी के (जो सड़क कि P.W.D. की है और जो पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की थी और उसकी पटरी म्युनिसिपल बोर्ड की हद तक म्युनिसिपल बोर्ड के अधिकार में है) कितने पट्टे सड़क के किनारे पटरी को खैराती शफाखाने खोलने के लिये दिये गये हैं ? परन्तु अब वह लोग उनको व्यक्तिगत रहने के मकान व प्राईवेट शफाखाने खोलने के लिये मकान बना रहे हैं और बनाये हैं ? इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की या कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल—यह सड़क पी० डब्लू० डी० की नहीं है । यह पहले अन्तरिम जिला परिषद् के अधिकार में थी और अब नगरपालिका की हद में पड़ने वाला इसका भाग नगरपालिका, मैनपुरी को हस्तांतरित कर दिया गया है । सड़क की पटरियों पर चिकित्सालय बनाने के लिये अन्तरिम जिला परिषद् ने तीन स्थाई पट्टे दिये थे । यह पट्टे जिस उद्देश्य से दिये गये थे उसकी पूर्ति हो रही है या नहीं, यह देखने का दायित्व अन्तरिम जिला परिषद् अथवा नगरपालिका, मैनपुरी का है ।

तहसील संभल के लेखपालों के विरुद्ध कार्यवाही

५—श्री विशनलाल यादव (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार को ज्ञात है कि तहसील सम्भल (जिला मुरादाबाद) में कितने लेखपाल ऐसे हैं जो अपने-अपने क्षेत्र में नहीं रहते हैं ? यदि हां, तो सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—१२ लेखपाल, जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

पचपेड़वा ग्राम के बाजार की तहबाजारी

६—श्री चन्द्रबलीसिंह—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले के पचपेड़वा ग्राम की बाजार की तहबाजारी का नीलाम २४ जून, १९६२ को हुआ है और आखिरी बोली ४०० रु० बोलने वाले श्री अब्दुल्लाह ने चार सौ रुपया का चौथाई १०० रु० सरकारी खजाने में दाखिल कर दिया है ? यदि हां, तो उसे ५ अगस्त, १९६२ को नोटिस देकर, खारिज करके ३९० रु० की बोली बोलने वाले श्री राम चन्द्र को ४०० रु० में ही तहबाजारी वसूल कराने का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसके दो कारण थे। पहिला कि यह प्रधान होने के कारण बोली नहीं बोल सकते थे। दूसरा यह कि नियमानुसार उन्होंने बोली की चौथाई धनराशि नीलाम समाप्त होने पर तुरन्त दाखिल नहीं की बल्कि कई दिन बाद बैंक में जमा की।

बलरामपुर के तहसीलदार के विरुद्ध शिकायत

७—श्री चन्द्रबली सिंह—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिला के बलरामपुर तहसील के तहसीलदार के विरुद्ध जनता की ओर से दर्जनों दरख्वास्तें एवं तार साम्प्रदायिकता फैलाने के अभियोग के साथ मुख्य मंत्री एवं जिलाधीश गोंडा के पास मई और जून, ६२ में पड़े हैं और उसी के फलस्वरूप क्या पचपेड़वा में मुहर्रम इस समय नहीं मनाया गया ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं। प्रश्न का दूसरा तथा तीसरा भाग नहीं उठता।

सहारनपुर जिले में टिड्डी आक्रमण व अवर्षण

८—श्री यशपाल (जिला सहारनपुर)—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सूखे तथा टिड्डी दल के आक्रमणों से इस वर्ष फसल खरीफ में जिला सहारनपुर में तहसीलवार कितनी हानि हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—टिड्डी दल के आक्रमण से तहसील रूड़की में लगभग ६५० एकड़ भूमि में चरी व ढेंचा की फसल को रुपये में २ आने के करीब हानि पहुंची है, और तहसील देवबन्द में २०० एकड़ क्षेत्र में ज्वार, बाजरा, मक्का, सनई और ढेंचा की फसल को रुपये में २ आने की हानि का अनुमान है। अन्य दो तहसीलों में इस आपदा से कोई हानि नहीं हुई।

पिछले अगस्त के द्वितीय पक्ष और सितम्बर के प्रथम पक्ष के आकर्षण से तहसील नकुड़ के लगभग ७०० एकड़ क्षेत्र और तहसील रुड़की के लगभग १,३०० एकड़ क्षेत्र में धान की खेती नहीं की जा सकी। इस अवर्षण से असिंचित क्षेत्रों में खड़ी फसलों को अनुमानित रुपये में २ आने की हानि पहुंची है किन्तु सितम्बर की अच्छी वर्षा से फसलों की दशा में सुधार हो गया है।

९—श्री यशपाल—क्या राजस्व मंत्री खेतिहरों की दयनीय दशा को तथा फसल खरीफ में हुई दैवी क्षति को सामने रखते हुये काश्तकारों को लगान आदि में छूट देने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उक्त क्षेत्रों में क्षति की मात्रा बहुत कम है किन्तु क्षति के अन्तिम विवरण तैयार होने पर यदि किसी क्षेत्र में नियमानुकूल मालगुजारी में छूट दी जा सकेगी तो वहां छूट दी जावेगी।

रुद्रपुर बाढ़ क्षेत्र के संबंध में सुझाव

१०—श्री चन्द्रबली सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले के रुद्रपुर बाढ़ क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता ने मुख्य मंत्री के नाम १० सितम्बर, १९६२ को एक सुझाव-पत्र प्रेषित किया है ? यदि हां, तो क्या उसकी प्रतिलिपि सदन की सभी मेजों पर रखने की कृपा की जावेगी ? यदि हां, तो उस पत्र के सुझावों पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मुख्य मंत्री जी के यहां ऐसा कोई पत्र नहीं प्राप्त हुआ।

११—श्री चन्द्रबली सिंह—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुझावों के अलग-अलग सूत्रों पर क्या कदम उठाया जा रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्रश्न नहीं उठता।

१२–१४—श्री चन्द्रबलीसिंह—[१५ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

कुंड चट्टी में अग्नि-पीड़ितों को सहायता

१५—श्री गंगाधर मैठाणी—क्या सरकार को जानकारी है कि कुन्ड चट्टी, जिला चमोली, में इस वर्ष के ग्रीष्मकाल में अग्निकांड से क्षति हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षति का विवरण देते हुये यह बतलाने की कृपा करेगी कि कुल कितने और किन-किन व्यक्तियों या संस्थाओं की कितनी क्षति हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस वर्ष के ग्रीमकाल में कुण्डचट्टी, जिला चमोली, में १७, १८ मई की रात्रि को आग लगने से १२,३५० रु० की निम्नलिखित व्यक्तियों को क्षति हुई:—

	रू०
१—श्री काली कमली	१,०००
२—श्री नरायन सिंह	७५०
३—श्री माधो सिंह	७५०
४—श्री तुलसीसिंह	३,०००
५—श्री महेन्द्र सिंह	१,५००
६—श्री मंगल सिंह	८००
७—श्री त्रिलोकी सिंह	५५०
८—श्री पुश्कर सिंह	२,०००
९—श्री राम प्रसाद	१,५००
१०—श्री श्याम सिंह	५००
योग ..	१२,३५०

*१६—श्री गंगाधर मैठाणी—क्या सरकार अग्निकांड होने के कारणों पर प्रकाश डालते हुये यह बतलाने की कृपा करेगी कि क्षतिग्रस्त लोगों की और संस्थाओं की सहायता की गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अर्धरात्रि में आग लगने से अग्निकांड का कारण न ज्ञात हो सका। चूंकि पीड़ित व्यक्ति असहाय अथवा निर्धन नहीं थे अतः कोई राजकीय सहायता नहीं दी गई।

गांधी स्मारक विद्यालय जिला फैजाबाद में जांच

१७—श्री जगदम्बाप्रसाद—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गांधी स्मारक विद्यालय राजे सुल्तानपुर, जिला फैजाबाद, के अध्यापकों द्वारा प्रधानाचार्य एवं प्रबन्धक के विरुद्ध आरोप-पत्र की सत्यता के सम्बन्ध में क्या जांच की गयी ?

आचार्य जुगलकिशोर—विभागीय अधिकारियों द्वारा विद्यालय के लेखे की जांच की गई। प्रबन्धक द्वारा विद्यालय की अलमारियों पर लगाई गई सील तोड़े जाने की सूचना भी पुलिस को आवश्यक जांच करने के लिये दी गई।

१८—**श्री जगदम्बाप्रसाद**—क्या यह सही है कि १५ जनवरी, १९६२ के विद्यालय के पैनल ने निरीक्षण किया और उनसे विद्यालय की घोर अव्यवस्था तथा प्रधानाचार्य पर साइड बिजनेस तक का भी आरोप किया है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां।

१९—**श्री जगदम्बाप्रसाद**—यदि हां, तो सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है ? क्या यह सही है कि उपरोक्त विद्यालय ने ताड़ी का ठेका लिया है तथा विद्यार्थियों द्वारा भी ताड़ी बिकवाई जाती है ?

आचार्य जुगलकिशोर—विद्यालय का अनुदान निलम्बित कर दिया गया है।

साधिकारिक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि विद्यालय ने ताड़ी का ठेका लिया है तथा विद्यार्थियों द्वारा ताड़ी बिकवाई जाती है।

एतमादपुर क्षेत्र में सड़कें

२०—**श्री शिवचरण** (जिला आगरा)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आगरा तहसील एतमादपुर क्षेत्र उत्तर में पहली और दूसरी योजना में कितनी सड़कें पुरानी या नई बनी हैं और तीसरी योजना में कितनी बनेंगी ?

श्री गिरधारीलाल—पहली तथा दूसरी योजना में इस क्षेत्र में आगरा–पोईयाघाट तथा टून्डला–आवा सड़कों का निर्माण किया गया था और तीसरी योजना में टून्डला–आवा सड़क पर दो पुलियों का निर्माण तथा इसके नीचे भागों को ऊंचा किया जा रहा है।

२१—**श्री शिवचरण**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि एतमादपुर से मथुरा जाने वाली व सराय नाई से जलेसर जाने वाली सड़कों का, जहां पर यातायात बहुत ज्यादा रहता है निर्माण वह क्यों नहीं करा रही है ?

श्री गिरधारीलाल—तीसरी पंचवर्षीय योजना का सीमित आकार होने के कारण इन सड़कों का निर्माण कराना इस समय सम्भव नहीं है।

सहायक चकबन्दी अधिकारी, बंसत खेड़ा, के विरुद्ध आरोप

२२—**श्री रामकिशोर वर्मा**—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम अमेना, तहसील बिन्दकी, जिला फतेहपुर, के काश्तकारों के प्रश्नकर्त्ता के पत्र के साथ कई प्रार्थना-पत्र सहायक चकबन्दी अधिकारी, बसन्ती खेड़ा (मंडराव) के विरुद्ध चकबन्दी में अनियमितायें करने, चक बनाते समय रिश्वत मांगने, न देने पर चक खराब करने की धमकी देने सम्बन्धी दिनांक १४ जुलाई, १९६२ के आस-पास जिलाधीश फतेहपुर को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या निकला और किसानों के हितों की रक्षा करने का क्या प्रयत्न किया जा रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्रश्न में संदर्भित प्रार्थना-पत्र जिलाधीश फतेहपुर को प्राप्त हुये थे, जिनकी जांच की जा चुकी है।

सहायक चकबन्दी अधिकारी, बसन्ती खेड़ा (मंडराव) के विरुद्ध चकबन्दी में अनियमितता करने तथा रिश्वत मांगने आदि के सम्बन्ध में आरोप निराधार पाये गये।

चकों के सम्बन्ध में प्राप्त समस्त आपत्तियों का निस्तारण धारा २१ (१) जोत चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत चकबन्दी अधिकारी द्वारा हो चुका है और अपील की अवधि चल रही है।

२३--२५--श्री काशीनाथ मिश्र--[१५ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

मैनपुरी-करहल सड़क का निर्माण

२६—श्री बृजेश्वरसहाय—सार्वजनिक निर्माण मंत्री के उत्तर से सम्बन्धित प्रश्न सं० १८६-१८७ का उत्तर तारीख १० अगस्त, १९६२ को दिया है कि मैनपुरी से करहल जाने वाली P. W. D. रोड सन् १९६२ में १ मील व ६ फर्लांग बनकर तैयार हो चुकी है, शेष १९६२ तक बन कर तैयार होने की आशा है ? क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शेष सड़क कितने मील बनना है ?

श्री गिरधारीलाल—इस सड़क के लगभग ३ फर्लांग और ऊंचे होने बाकी ह ।

२७—२९—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—[१५ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

३०—श्री जगन्नाथ राव—[३ अक्तूबर, १९६२ को प्रश्न १३ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

बहराइच जिले के सार्वजनिक निर्माण विभाग के ओवरसियरों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत

३१—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बहराइच जिले में सन् १९५७ से दिसम्बर, ६१ तक सार्वजनिक निर्माण विभाग के कितने ओवरसियरों को भ्रष्टाचार एवं संदेहजनक ईमानदारी के अपराध में दोषी पाया गया और नौकरी से हटाया गये ?

श्री गिरधारीलाल—सन १९५७ से दिसम्बर १९६१ तक भ्रष्टाचार एवं सन्देहजनक ईमानदारी के अपराध में बहराइच जिले में काम करने वाले किसी भी ओवरसियर को नौकरी से हटाया नहीं गया ।

३२—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या यह सही है कि जिन ओवरसियरों को उपरोक्त अपराध में नौकरी से हटाया गया उनकी नयी नियुक्ति फिर उसी विभाग में नरेन्द्रनगर, जिला टेहरी, में कर ली गई है ? यदि हां, तो ऐसे कितने ओवरसियर हैं और उनकी नयी नियुक्ति किस कारण से की गई है ?

श्री गिरधारीलाल—प्रश्न नहीं उठता ।

३३—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या उक्त ओवरसियरों को फिर बिल तथा नये पैसों का हिसाब सौप दिया गया है ?

श्री गिरधारी लाल—प्रश्न नहीं उठता ।

जिला फैजाबाद के लेखपालों से लोन टैक्स लेना

३४—श्री धूमप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लेखपालों का वेतन कम है फिर भी जिला फैजाबाद में उनसे किसी प्रकार से टैक्स भी लिया जाता है जो १० रु० प्रत्येक लेखपाल से लोन नामक टैक्स वसूला जा रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं । बीकापुर तथा सदर तहसीलों में लेखपाल क्युमुलेटिव टाइम डिपाजिट्स में पांच अथवा दस वर्ष के लिए अपने-अपने पासबुक में पांच रुपया अथवा दस रुपया प्रति मास स्वेच्छा से जमा करते हैं ।

यमुना पर ईसापुर पुल बनाने में कठिनाई

३५—**श्री छांगुर** (जिला आजमगढ़) तथा **श्री विजयपालसिंह**—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यमुना नदी पर दिल्ली और जगाधरी (सहारनपुर) के बीच में पुल किस स्थान पर बनाया जा रहा है और इस पुल पर कुल लागत का क्या अनुमान है ?

श्री गिरधारीलाल—यह पुल जिला मुजफ्फरनगर के ग्राम मावी तथा पंजाब में ग्राम सनौली के समीप बनाया जा रहा है। पुल की अनुमानित लागत ५२ लाख रुपये है।

३६—**श्री छांगुर** तथा **श्री विजयपालसिंह**—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उपरोक्त पुल के बनाने से पहिले अभियंता गणों ने किन-किन स्थानों पर सर्वे किया था और प्रत्येक स्थान का क्या-क्या ऐस्टीमेंट लागत का था ?

श्री गिरधारी लाल—आवश्यक सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ४०६ पर)

३७—**श्री छांगुर** तथा **श्री विजयपालसिंह**—क्या यह ठीक है कि ईसापुर के स्थान पर पुल बनाने से सबसे कम लागत आती है और वहां बांध बनाने की भी आवश्यकता नहीं थी ? यहां से पुल का बनाना क्यों हटाया गया ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं। उत्तर प्रदेश की ओर गाइड बन्ध न बनवाना पड़ता परन्तु पंजाब की ओर बनवाना पड़ता जिसकी लम्बाई अधिक होती और लागत बढ़ जाती।

(ख) लागत ज्यादा होने तथा टेक्निकल कारणों से ईसापुर स्थान पर पुल का निर्माण उचित नहीं समझा गया।

तहसील रायबरेली के बाढ़पीड़ितों को बसाना

३८—**श्री रतीपाल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली के अन्तर्गत तहसील रायबरेली में किन-किन गांवों को कटाव में बह जाने के कारण अन्य-स्थान में बसाने की व्यवस्था है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—तहसील रायबरेली में नदी के कटाव के कारण कोई गांव नहीं बहा। अतः किसी गांव को अन्यत्र बसाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

३९—**श्री रतीपाल**—क्या यह सही है कि उक्त किसानों ने मुआवजे का रुपया जमा कर दिया है पर उनके लिये जमीन आदि की अब तक कोई व्यवस्था नहीं हो पायी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्रश्न ३८ के संबंध में दिये गये उत्तर के फलस्वरूप इसका प्रश्न नहीं उठता।

मैनपुरी शहर के कालेजों में इंटर साइन्स के विद्यार्थी

४०—**श्री बृजेश्वरसहाय**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी शहर के किन-किन इंटर कालेजों में इन्टर क्लास में साइन्स है ?

आचार्य जुगलकिशोर—केवल राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मैनपुरी में।

४१—श्री बृजेश्वरसहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय इन्टर कालेज मैनपुरी में इस जुलाई, १९६२ में कितने बालक इंटर में साइंस के कारण दाखिला लेने के लिये गये और कितनों का दाखिला हुआ और कितने निराश होकर लौटे ? क्या सरकार उन बालकों की कठिनाई को दूर करने के लिये राजकीय इन्टर कालेज में एक-एक सेक्शन बढ़ाने की कृपा करेंगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—जुलाई १९६२ में २०३ विद्यार्थी इन्टर साइंस में दाखिला लेने के लिये आये जिनमें से १२१ विद्यार्थियों का दाखिला किया गया; शेष ८२ विद्यार्थियों को स्थानाभाव के कारण निराश लौटना पड़ा । नये सेक्शन खोलने का प्रश्न धन की उपलब्धि पर निर्भर है । अतः इस बारे में कोई आश्वासन देना संभव नहीं है ।

४२—श्री बृजेश्वरसहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय कन्या इन्टर कालेज मैनपुरी में इस जुलाई में कक्षा ६ व ९, ११ में कितनी बालिकायें दाखिले के लिये आई और कितनों का दाखिला हुआ और कितनी निराश लौटीं ? क्या सरकार इस समस्या को हल करने के लिये उपरोक्त कक्षाओं में सेक्शन बढ़ाने की कृपा करेंगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—राजकीय कन्या इन्टर कालेज, मैनपुरी में कक्षा ६, ९ तथा ११ में क्रमशः १०१, २९ तथा १२ बालिकायें जुलाई, १९६२ में दाखिले के लिये आईं जिनमें से क्रमशः ४४, २२ तथा १२ लड़कियां भर्ती की गईं । इस प्रकार कक्षा ६ की ५७ तथा कक्षा ९ की ७ लड़कियां निराश लौटीं । अतिरिक्त सेक्शन खोलने का प्रश्न धन की उपलब्धि पर निर्भर है । अतः इस बारे में कोई आश्वासन देना सम्भव नहीं है ।

करछना तहसील के किसानों पर बाग का गलत लगान

४३—श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले की करछना तहसील के कितने किसानों पर बाग का गलत लगान लग गया था और कितने मामले जांच करके ठीक किये गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इलाहाबाद जिले की करछना तहसील में ३८० किसानों पर बाग का गलत लगान लग गया था । वह सभी मामले जांच के उपरान्त ठीक कर दिये गये हैं ।

४४—श्री सत्यनारायण पांडेय—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब भी किसानों के कितने प्रार्थना-पत्र बागों पर गलत लगान लगने के बारे में कब से करछना तहसीलदार के कार्यालय में पड़े हैं और उन पर कोई कार्यवाही अब तक क्यों नहीं हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—तहसीलदार करछना के कार्यालय में अभी तक ४६ प्रार्थना-पत्र बागों पर गलत लगान लगने के संबंध में आये हैं । इन पर आवश्यक कार्यवाही हो रही है ।

४५—श्री सत्यनारायण पांडेय—क्या राजस्व मंत्री ऐसी कार्यवाही करेंगे कि किसानों पर बाग के गलत लगानों के मामले शीघ्र ही निर्णित हों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इन मामलों को यथाशीघ्र निपटाने के आदेश दे दिये गये हैं ।

म्यूनिसिपल बोर्ड, बलिया के सरकारी अमीन व कानूनगो

४६—श्री मान्धातासिंह—क्या माल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५८ ई० में कितने सरकारी अमीन व कितने कानूनगो म्युनिसिपल बोर्ड बलिया में डिमार्केशन के लिये लगाये गये थे और सरकार को पता है कि उनको तनख्वाह दे दी गईं कि नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—४० अमीन और २ कानूनगों। ८ अमीन और २ कानूनगों को वेतन नहीं दिया जा सका क्योंकि न तो उन्होंने स्टेंडर्ड कारगुजारी के अनुसार कार्य ही किया था और न दिनचर्या बही ही रक्खी थी।

गाजीपुर जिले के बाढ़ क्षेत्रों में गृह निर्माणार्थ सहायता

४७—**श्री झिलमिटराम**—क्या सरकार प्रश्न संख्या १०५, दिनांक ३ अगस्त १९६२ के संदर्भ में बतायेगी कि कुल कितने प्रार्थना-पत्र-भवन निर्माणार्थ आये और कितने सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कुल ९,०३६ प्रार्थना-पत्र आए और वे सब स्वीकृत किये गये।

शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

४८—**श्री मतोलासिंह**—क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग में उन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ जिनके ऊपर १ जुलाई, १९६१ से भी पहिले अनुशासन की कार्यवाही की गई थी अभी तक निर्णय नहीं लिया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका कारण बताने की कृपा करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां। वैधानिक कठिनाइयां, समय पर सम्बन्धित कर्मचारी का स्पष्टीकरण न प्राप्त होना अथवा गवाही इत्यादि का विलम्ब से उपलब्ध होना इत्यादि, के कारण निर्णय नहीं लिया जा सका।

४९—**श्री मतोलासिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस प्रकार के सरकारी कर्मचारियों की संख्या शिक्षा विभाग में कितनी है और उनके क्या नाम तथा पद हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—१९ नाम तथा पद संलग्न तालिका में दिये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ ४०७–४०८ पर)

५०—**श्री मतोलासिंह**—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त कर्मचारियों के सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिये जाने की आशा की जाती है ?

आचार्य जुगलकिशोर—वैधानिक कठिनाइयों के दूर होने पर शीघ्र निर्णय हो जायगा।

बेलामऊ ग्राम समाज में गबन

५१—**श्री होरीलाल यादव**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हाकिम परगना कन्नौज, जिला फर्रुखाबाद, ने ग्राम समाज बेलामऊ का निरीक्षण १८ नवम्बर, १९६० को किया और ग्राम समाज के कोष में करीब १,७०० रुपये का गबन पाया जिसके कारण उन्होंने भूतपूर्व प्रधान को निलम्बित किया ? यदि हां, तो ग्राम समाज की उपरोक्त रकम वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां; १८ नवम्बर, १९६० को कन्नौज के परगनाधीश ने गाँव समाज बेलामऊ का निरीक्षण किया तथा हिसाब में गड़बड़ी पाकर भूतपूर्व प्रधान को निलम्बित किया। जांच से पता चला कि १,८०७·८३ रुपये की गाँव समाज की धनराशि में से भूतपूर्व प्रधान ने १,१०० रुपयों की रकम ग्राम समाज के कोष में न जमाकर गाँव सभा के कोष में जमा किया तथा बाकी ७०७·८३ रुपये की धनराशि बगैर सम्बन्धित अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये गाँव समाज की मुकदमेंबाजी में व्यय किया। अभी मामले की छानबीन जारी है तथा समुचितानुकूल आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

५२--श्री होरीलाल यादव--क्या सरकार यह भी बतायेगी कि क्या वर्तमान प्रधान ग्राम समाज बेलामऊ ने उपरोक्त बन वसूली के संबंध में जिला अधिकारियों को लिखा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हाँ । इस विषय में जाँच तो पूर्व से ही हो रही है । अगर आवश्यकता हुई तो जाँच समाप्त होने पर रुपया वसूल किया जायेगा ।

मुसाफिरखाना तहसील में ड्रेनेज का कार्य तथा जलवृद्धि से क्षति

५३--कुंवर रुद्रप्रतापसिंह (जिला सुल्तानपुर)--क्या सरकार को मालूम है कि सुल्तानपुर जिले की मुसाफिरखाना तहसील के ग्राम नौरंगाबाद, बलभद्रपुर, अजबगढ़, घाटमपुर, शाहपुर, जगापुर, अमराडीह, भोटा, भवानीगढ़, हेरूआ दरदा बरोलिया आदि अधिक जलवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हो गये है जिसकी सरकार को सूचना मिली है ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक क्या व्यवस्था की ? क्या उन्हें छूट सहायता प्रदान करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हाँ, तो क्या ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हाँ । जिला सुल्तानपुर की मुसाफिरखाना तहसील के ग्राम नौरंगाबाद, बलभद्रपुर, अजबगढ़, शाहपुर, उभराडीह, हरबा, हरदोई और बरेली में बाढ़ से क्षति पहुंची है । इन ग्रामों में पीड़ितों के सहायतार्थ सरकारी पावनों के बकाया की वसूली १५ नवम्बर, १९६२ ई० तक रोक दी गई है । खरीफ १,३७० फसली की मालगुजारी में सहायता पहुंचाने के लिये फिलहाल आवश्यक विवरण तैयार किये जा रहे हैं और इस संबंध में जिलाधीश से अन्तिम प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुकूल छूट भी दी जायगी ।

५४--कुंवर रुद्रप्रतापसिंह--क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त ग्राम इसलिये क्षतिग्रस्त प्रति वर्ष हो जाते है कि अहुरी ड्रेनेज, मसियावां ड्रेनेज को बनाने का कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है ? यदि हाँ, तो इन ड्रेनों की पूर्ति कब तक हो जाने की सम्भावना है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--उक्त ग्रामों में प्रायः पानी जमा होने के कारण क्षति पहुंचती है और इसी समस्या को हल करने के लिये अहुरी ड्रेन और मसियावां ड्रेन बनाने की योजना है । अहुरी ड्रेन की जून, १९६४ तक और मसियावां ड्रेन की जून, १९६५ तक पूरी होने की सम्भावना है ।

तहसील मछलीशहर के स्कूलों को इमारत बनाने हेतु अनुदान

५५--श्री केशरीप्रसाद पांडेय--क्या शिक्षा मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि तहसील मछलीशहर, जौनपुर, के स्कूलों में किन-किन को और कितना-कितना अनुदान इमारत बनाने के लिये गत वर्ष और चालू वर्ष में दिया गया ?

आचार्य जुगलकिशोर--गत वर्ष में दिये गये अनुदान की सूची संलग्न है । चालू वर्ष में ९६,००० रुपया जौनपुर जिले के प्राइमरी स्कूलों के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत किया गया है किन्तु अभी यह नहीं ज्ञात है कि तहसील मछलीशहर में स्कूलों के लिये उपरोक्त धनराशि में से कितना दिया जायगा ।

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ ४०९ पर)

गोंडा जिले की सड़कें

५६--श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल--क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले में तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितनी मील की और कौन-कौन-सी सड़कें बनायी जायेंगी ?

श्री गिरधारीलाल—जिला गोन्डा में तृतीय पंचवर्षीय योजना में बनने वाली सड़कों की सूची सदस्य महोदय की मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'त' आगे पृष्ठ ४१० पर)

प्राईवेट प्रशिक्षण विद्यालयों में वेतन-क्रम

५७—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि राजकीय प्रशिक्षण विद्यालयों में अध्यापन कार्य करने वालों तथा प्राईवेट प्रशिक्षण विद्यालयों में अध्यापन कार्य करने वालों के वेतन-क्रम में अन्तर है? यदि हां, तो क्यों और कितना?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां, अन्तर है क्योंकि दोनों की सेवायें तथा कर्त्तव्य भिन्न-भिन्न हैं। वेतन क्रमों की तालिका संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'थ' आगे पृष्ठ ४११ पर)

५८—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—[१६ वें बुधवार के लिये प्रश्न ३१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

गवर्नमेंट इन्टर कालेज, मैनपुरी में बिजली की आवश्यकता

५९—श्री गणेशचन्द्र काछी—क्या सरकार के पास हाल ही में कोई ऐसा सुझाव गवर्नमेन्ट इन्टर कालेज, मैनपुरी के प्रिंसिपल ने भेजा है कि पूरे जिले में सिर्फ गवर्नमेन्ट इन्टर कालेज में ही इन्टर क्लास में साइंस का एक ही सेक्शन है इस कारण पूरे छात्र भर्ती नहीं हो पा रहे हैं और स्कूल पर विद्यार्थियों की भीड़ फर्स्ट ईयर साइन्स के क्लास में दाखिले के लिये लगी रहती है, ऐसी दशा में शीघ्र ही दूसरा सेक्शन खोलने की आज्ञा दे दी जावे? यदि हाँ, तो इस मामले में क्या हो रहा है?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

६०—श्री गणेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि मैनपुरी के राजकीय माध्यमिक विद्यालय बायोलाजी ब्लाक में सरकार की आज्ञा से बिजली की फिटिंग हो चुकी है, पर अभी तक बिजली न आ सकने के कौन-कौन से कारण हैं?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां। धनाभाव के कारण बिजली का कनेक्शन अभी तक नहीं लिया जा सका।

६१—श्री गणेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी के राजकीय माध्यमिक विद्यालय के अधिकारियों ने सरकार से सिफारिश की थी कि छात्रावास में साँप निकलते हैं, वहां बिजली आना जरूरी है, इस पर सरकार ने १९६१ में बिजली के लिये आज्ञा भी दे दी थी, पर अब तक बिजली न आ सकने के कौन-कौन से कारण हैं?

आचार्य जुगलकिशोर—छात्रावास में बिजली लगवाने के सम्बन्ध में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैनपुरी के अधिकारियों ने कोई सिफारिश नहीं की थी।

प्रश्न नहीं उठता।

महेवा विकास खण्ड के अन्तर्गत चकबन्दी कार्य

६२—श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले की भ्रष्टाचार विरोधी समिति ने मई, १९६१ में महेवा विकास खन्ड के ग्राम नागरी लोलपुर तथा नगरिया बुजुर्ग में चकों के गलत नापे जाने तथा गलत नक्शा बनाये जाने की शिकायतें जिलाधीश से की थीं?

६३—श्री सहदेवसिंह—क्या यह सच है कि जिलाधीश के हस्तक्षेप से तथा ए० डी० एम० (चकबन्दी) के आदेश से लेखपालों ने दोनों गावों के सभी चकों को निरन्तर ५ महीने तक नापा और कमी बेशी की विस्तृत रिपोर्ट दी जिसमें कहा गया था कि ९५ प्रतिशत चक या तो कम नापे गये था अधिक ? यदि हाँ, तो उन चकों की नाप तथा नक्शों को दुरुस्त करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं की है, तो क्यों नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सूचना एकत्र की जा रही है ।

गोरखपुर जिले में राप्ती पर पुल

६४—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मार्च सन् १९६२ से अगस्त सन् १९६२ तक गोरखपुर जिले के राप्ती नामक पुल पर विभिन्न मदों में कितना खर्चा हुआ तथा कितने का पुल संबंधी सामान खरीदा और बेचा गया ?

श्री गिरधारीलाल—उक्त अवधि में कुल २,९७,६१८.१३ रुपया खर्च हुआ । खर्च का विवरण सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी सूची में दिया है । कुल १,९८,०९२.१४ रुपये का सामान आया । ३०,६५७.५० रुपये का सामान सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्य कार्यों के लिये ठेकेदारों को दिया गया ।

(देखिये नत्थी 'द' आगे पृष्ठ ४१२ पर)

६५—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पुल का कुल प्राक्कलन कितने का था और कितना खर्च अगस्त सन् १९६२ तक हो चुका तथा आगे कितना खर्च होने का अनुमान है ?

श्री गिरधारीलाल—पुल का पुराना प्राक्कलन ४१.४३ लाख रुपये का था । ३१ अगस्त, १९६२ तक ३४,९३,६७०.०८ रुपये खर्च हो चुके हैं तथा आगे ९,११,१३२.०० रुपये और खर्च होने का अनुमान है ।

६६—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिस पुराने ठेकेदार का ठेका खारिज किया गया तथा उससे भी एक लाख के ऊपर का सामान खरीदा गया वह सामान कहाँ रक्खा गया है तथा अब मौके पर उस सामान की कोई जांच कराई गई है कि जितना सामान खरीदा गया था उतना ही है ?

श्री गिरधारीलाल—पुराने ठेकेदार से कोई सामान खरीदा नहीं गया किन्तु जो सामान विभाग ने ठेकेदार को दिया था उसको वापस ले लिया गया । इस सामान का मूल्य २,६७८.०१ रुपये है । वह सब सामान विभाग के अन्तर्गत सुरक्षित है ।

कुरावली घिरोर तथा कुरावली अलीपुरा सड़कें

६७—श्री बृजेश्वरसहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुरावली, जिला मैनपुरी, से जो कच्ची सड़क घिरोर को जाती है उसमें जनता के हित को ध्यान में रखते हुये उस सड़क को पक्का बनाने जा रही है या नहीं ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—अन्तरिम जिला परिषद, मैनपुरी द्वारा इस सड़क को नीची प्राथमिकता दिये जाने तथा तृतीय पंचवर्षीय आयोजना का सीमित आकार होने के कारण इस सड़क को पक्का करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

६८—श्री बृजेश्वरसहाय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कुरावली से घिरोर मैनपुरी होकर जाने के लिये सड़क है क्या ३० मील की दूरी पर पड़ती है ? और कुरावली से घिरोर को उपरोक्त लिखी सड़क बन जाने से सिर्फ १२ या १५ मील का ही फासला रह जाता है ? फिर सरकार जनता के हित को ध्यान में रखते हुए इस सड़क को बनाने पर विचार करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—यह सही है कि कुरावली घिरौर सड़क बन जाने से इन दो स्थानों के बीच का फासला कम हो जायगा, परन्तु तृतीय पंचवर्षीय आयोजना का सीमित आकार होने के कारण इस समय सड़क का बनवाना संभव नहीं है ।

६९—**श्री बृजेश्वरसहाय**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में कुरावली से अलूपरा जो अलीगंज (एटा) को रास्ता जाता है उसे पक्का कराने की कृपा करेगी ? यह कच्ची सड़क वर्षों से खराब पड़ी है, ब्लाक कुरावली ने इस पर कोई ध्यान दिखाया नहीं ? क्या सरकार इस पर ध्यान देने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—तृतीय पंचवर्षीय आयोजना का सीमित आकार होने के कारण इस समय इस सड़क को पक्का कराना संभव नहीं है ।

उरई-राठ सड़क का कार्य

७०—**श्री मोहनलाल अहिरवार** (जिला हमीरपुर)—क्या निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हमीरपुर जिले में उरई-राठ सड़क का निर्माण कब शुरू हुआ था और अभी तक पूरा न होने का क्या कारण है ।

श्री गिरधारीलाल—इस सड़क का निर्माण सन् १९४४ में शुरू हुआ था और इस स्थान पर सड़क के लिये पत्थर की एक ही खान का होना, सड़क कूटने की मशीन की कमी, पानी की असुविधा तथा ठेकेदारों की कमी के कारण इस का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हो सका है ।

७१—७२—**कुंवर रुद्रप्रतापसिंह**—[१७ वें गुरुवार के लिये प्रश्न १४२—१४३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

गढ़वाल जिले की कन्या पाठशालाओं में फीस संबंधी आदेश

७३—**श्री रामचरण शाह** (जिला खीरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार द्वारा गढ़वाल जिले के विद्यालयों को कोई इस आशय का आदेश दिया गया है कि ८वें कक्षा तक में बालिकाओं से फीस न ली जाय ? यदि, हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गढ़वाल राजकीय कन्या पाठशालाओं में फीस क्यों ली जा रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां, परन्तु यह आदेश केवल १५,००० से कम आबादी वाले क्षेत्र में स्थित स्थानीय निकायों द्वारा अथवा प्राइवेट प्रबन्ध समिति द्वारा संचालित संस्थाओं में ही लागू है ।

गढ़वाल की राजकीय जूनियर कन्या पाठशालाओं में फीस केवल शिक्षा संहिता (१९५८ संस्करण) की धारा २०६ के अन्तर्गत ५० नये पसे फीस ली जाती है । राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा संहिता की धारा ९९ के अन्तर्गत फीस ली जाती है ।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर नियम, १९४८ में प्रख्यापित संशोधन*

वित्त उप-मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—मैं, अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश बिक्री कर नियम, १९४८ वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्री कर) विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस०, टी० ५०६९/१०,९४२,६६२ दिनांक १ अक्तूबर, १९६२ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की धारा २४ की उपधारा (५) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

---

*छापे नहीं गये ।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ के अधीन प्रख्यापित विज्ञप्ति*

वित्त उप-मंत्री (श्री जयराम वर्मा)---मैं, अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की धारा ३ (क) के अधीन प्रख्यापित वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस०, टी० ४५६२ (१)/१०---९०२-७ एम-५७ दिनांक १ अक्तूबर, १९६२ को उक्त धारा की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी यात्री-कर * नियमावली, १९६२

परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री गनेशीलाल)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४१९०-१-३० ए, दिनांक १ अक्तूबर, १९६२ के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, १९६२ की धारा ३० की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १८३ (१) के अन्तर्गत "भारत के संविधान" में प्रस्तावित संशोधन**

सचिव, विधान सभा---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १८३(१) के अन्तर्गत "भारत का संविधान" में प्रस्तावित संशोधनों से सम्बन्धित संसद् के दोनों सदनों द्वारा पारित कान्सटीट्यूशन (थर्टीन्थ अमेंडमेंट) बिल, १९६२ तथा कान्सटीट्यूशन (फोर्टीन्थ अमेंडमेंट) बिल, १९६२ के विषय में भारत सरकार से राज्य सरकार को प्राप्त पत्रों की प्रतिलिपियां तथा उक्त बिलों एवं तत्सम्बन्धी संसद् की कार्यवाही और स्टेट आफ नागा लैन्ड ऐक्ट, १९६२ की प्रतियां सदन की मेज पर रखता हूं।

सूचना मंत्री द्वारा मंत्रिपरिषद् के कथित निर्णय का सदन के समक्ष उल्लेख करने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष---एक विशेषाधिकार की सूचना माननीय कल्पनाथ सिंह ने दी है। उसमें प्रश्न जो उठा है वह, मैं समझता हूं, कम से कम मेरी दृष्टि में जरा महत्व का है। उन्होंने यह कहा है कि माननीय बनारसीदास ने कुछ मिनिस्ट्री की गोपनीय बातें सदन में कहीं। मैं उसे पढ़ कर सुनाये देता हूं।

"कल जब माननीय नेकराम शर्मा भाषण कर रहे थे तब उनके भाषण के बीच में स्पष्टीकरण करते हुये माननीय सूचना मंत्री ने यह कहा था कि माननीय सम्पूर्णानन्द की सरकार ने सौ करोड़ रुपये की योजना व्यय का निश्चय किया था और उक्त निर्णय पहली जनवरी, १९६० की कैबिनेट की बैठक का निर्णय है। इस पर माननीय रामसुन्दर पांडेय जी ने उपाध्यक्ष से यह निवेदन किया कि इस जोत-कर विधेयक का सम्बन्ध उस निर्णय से है। अतः इससे संबंधित कागजात सदस्यों को दिये जायं, इस कथन के समर्थन में मैंने तथा कई माननीय सदस्यों ने उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन किया। माननीय सूचना मंत्री ने कहा कि मैंने जो कुछ कहा जिम्मेदारी के साथ कहा है। कैबिनेट का निश्चय मैंने बतलाया १.१.१९६० का जिसमें १०० करोड़ रुपये का निश्चय किया गया। मैंने कहा कि अगस्त में ५० करोड़ कहा गया। सदन की वह प्रापर्टी है। मैंने वक्तव्य जिम्मेदारी के साथ दिया है।" इस पर माननीय उपनेता सदन ने जो उस समय नेता सदन की अनुपस्थिति में सदन के नेता थे, कहा कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कागजात दाखिल करने से संबंधित जो

---

* छापी नहीं गई।

** छापे नहीं गये।

[श्री अध्यक्ष]

विवाद है वह मेरी समझ में असंगत है। मेरा यह मत है कि जो कागजात मांगे जा रहे हैं उन पर यह बिल आधारित नहीं है। अलावा इसके जो मंत्रिपरिषद् के निर्णय होते हैं वह गोपनीय होते हैं और रूल नम्बर १३१ खुद कहता है कि गोपनीय कागजात पेश नहीं किये जा सकते। इसलिये यह विवाद बिला वजह उठाया जा रहा है। उप-नेता सदन के इस स्पष्टीकरण से यह विदित है कि केबिनेट का निर्णय गोपनीय है और माननीय सूचना मंत्री जी ने सदन के समक्ष यह उपरोक्त बयान दे कर गोपनीयता का उल्लंघन किया है जिससे सदन में जहां एक ओर यह बयान गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन करता है वहीं सदन का भी अवमान करता है। अतः मैं विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम ६४ (१) के अन्तर्गत सदन में उक्त प्रस्ताव पेश करने की माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा चाहता हूं।

गोपनीयता की शपथ तो अनुच्छेद १६४ (३) के अन्तर्गत है। लेकिन अगर उसको भंग किया जाय तो प्रिविलेज का मोशन क्या उठता है, इसको मैं देख नहीं पाया हूं। क्या माननीय कल्पनार्थसिंह जी कोई अथारिटी हमें दे देंगे ?

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—वह तो पहले सेन्क्शोर होता है....

श्री अध्यक्ष—माननीय काशीनाथ जी, कल्पनार्थसिंह जी के कंधे काफी चौड़े हैं। वे अपनी जिम्मेदारी खुद महसूस करते हैं।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—इस सम्बन्ध में मेरा यह दृष्टिकोण है और शायद मैं आपको वह किताब भी ला कर दिखा सकूंगा जिसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है, कांस्टीट्यूशन में ही, कि मंत्रिपरिषद् सदन के प्रति उत्तरदायी है और मंत्रिपरिषद् की कोई गोपनीयता अगर भंग होती है तो उससे इस सदन की मान मर्यादाओं को ठेस पहुंचती है। इसलिये मेरा यह कहना है कि उक्त गोपनीयता यदि भंग की गयी है तो उससे सदन की मान मर्यादाओं को ठेंस पहुंचती है और यह सदन के अवमान का प्रश्न है। यह बात कांस्टीट्यूशन की ही धारा से प्रस्तावित है और मैं यह समझता हूं कि शायद वह धारा मैं आपको ला कर दिखा सकूंगा जब आप समय निश्चित कर देंगे....

श्री अध्यक्ष—मैंने वह धारा तो देख ली है। मैं स्वयं यह चाहता था कि आपके पास कोई अथारिटी या प्रीसीडेन्ट हो पहले का वह मैं जरा देख लूं तो मेरी समझ में आ जायेगा। रहा यह प्रश्न कि माननीय बनारसीदास जी ने क्या कहा, यह तो मैं कार्यवाही से देख लूंगा।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि अथारिटी....

श्री अध्यक्ष—आप मुझे अथारिटी लाकर दे दीजियेगा।

श्री दीपनारायणसिंह—मैं उसी पर आ रहा हूं। संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन करना एक ऐसा अपराध है जो कि सदन के सदस्यों को और मंत्रियों को भी सदन में बैठने से वंचित कर सकता है। वह दफा १८८ के मातहत सदन के मेम्बर की हैसियत से यहां बैठता है। संविधान की अवहेलना करके यह सदन सदन नहीं रह सकता। मैं समझता हूं कि इसमें ऐसी बात भी नहीं है कि बहुत सफाई की जरूरत हो। अगर गोपनीयता भंग की गयी है तो उसके बाद वह मंत्री भी सदन में नहीं बैठ सकते।

श्री अध्यक्ष—यह आप बहस कर रहे हैं। मैं उसको बाद को सुनूंगा। अपना माइंड मेक अप करने के लिये मैंने आपसे सहायता चाही है।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

यों तो मैंने माननीय कल्पनाथ सिंह जी को सम्बोधित करते हुये उस बात को कहा था। लेकिन उनके द्वारा सारे सदन से प्रार्थना है कि इसमें जो सहायता वह मेरी प्रोसीडिंग्ज किताबों, टैक्स्ट बुक या अन्य साहित्य से कर सकें तो वह कृपा करके कर दें।

(श्री रामायणराय के खड़े होकर किताब दिखाने पर) वह आप मुझे दे दीजियेगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---दो मिनट में, इस सम्बन्ध में मैं कुछ कह दूं ?

श्री अध्यक्ष---वह किताब मुझे दे दीजियेगा। उसको देखने के बाद और आप सब को सुनने के बाद ही, जो होगा वह कहूंगा।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---अध्यक्ष महोदय, जो कैबिनेट के डेसीशन्स हुआ करते हैं उनकी प्रोसीडिंग्ज में क्या बातें हुईं और डेसीशन इनमें अन्तर है। डेसीशन्स, जिनको मैं चाहता हूं लीडर आफ दि पार्टी के नाते और लीडर आफ दि कैबिनेट के नाते, वह रोजमर्रा में प्रेस को बताता हूं कि हम क्या करने जा रहे हैं कौन सा बिल हम लाने वाले हैं, या हमारे किसी विषय पर क्या निर्णय हो गया हैं, जिनको मैं उचित समझता हूं, प्रेस वाले खड़े रहते हैं उनको बताता हूं। अब डेसीशन जो बाहर जाते हैं मैं नहीं समझता कि उनमें कोई गोपनीयता है। उस विषय को जो मुझे ठीक लगते हैं रोजमर्रा जब कैबिनेट मीटिंग होती है प्रेसवाले मेरे पास आते हैं जिन मसलों को मैं समझता हूं कि बता देना चाहिये, वह मैं बताता रहता हूं और वह डेसीशन्स प्रेस में आते हैं और छपते हैं।

श्री कल्पनाथसिंह---आपकी इस आज्ञा के बाद कि माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कहें क्या इस पर बहस बाद को होगी ?

श्री अध्यक्ष---एक दृष्टिकोण माननीय नेता सदन ने रखा है। माननीय सदन को मौका रहेगा कि वह बतावें। आप इसके बाद मुझे बता दीजियेगा।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---मैं दिखलाना चाहता हूं आपको क्योंकि प्राइमा फेसी केस उससे इस्टैब्लिश हो जाता है।

श्री अध्यक्ष---आप दिखला दीजियेगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो इत्तिला दी है, उसके बाद एक क्लेरिफिकेशन होना जरूरी हो जाता है। उन्होंने एक ऐसा प्रश्न उपस्थित कर दिया है जिससे क्लेरिफिकेशन की जरूरत पड़ गयी। माननीय सदस्य ने जो विशेषाधिकार जिससे प्रश्न दिया है वह एक घटना विशेष से है जो सदन के अन्दर हुई है कि गोपनीयता भंग की गयी है कैबिनेट डेसीशन की। और मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि हमेशा वह कैबिनेट के डेसीशन्स प्रेस वालों को बतलाते रहते हैं।

श्री अध्यक्ष---यह तो बहस ही है। यह आप इस समय नहीं कर सकते।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---यह जो प्रस्ताव आपने अभी पढ़ा है उसके अन्दर, जो मैंने समझा वह यह है कि उसमें दो विषय विचारणीय हैं। एक तो यह है कि माननीय बनारसी दास जी के द्वारा मंत्रिमंडल के फैसल की गोपनीयता भंग हुई या नहीं। दूसरा गोपनीयता भंग करना सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना है या नहीं। आपने जो सहायता की बात की है वह तो हम आपको देंगे ही, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि पहला सवाल कि माननीय बनारसीदास जी द्वारा गोपनीयता भंग हुई है, इसको आपने क्या मान लिया है ?

श्री अध्यक्ष---मैंने वो प्रश्न लिख रखे हैं। एक तो यह कि क्या गोपनीयता भंग हुई और नम्बर दो यह कि यदि हुई तो क्या विशेषाधिकार या अवमान का प्रश्न पैदा होता है या नहीं। ये दो प्रश्न मैंने लिख रखे हैं, उन्हीं को मैंने आपके सामने रख दिया है।

श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून)---अध्यक्ष महोदय, इस दृष्टिकोण से भी विचार करें कि इसमें लिखा हुआ है कि "Otherwise than in the discharge of his official duties." अगर उनको अपने पद की ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने में आवश्यकता हो तो गोपनीयता भंग नहीं होती है।

श्री अध्यक्ष---संविधान का अनुच्छेद १६४ (३) इस प्रकार है कि---

"Before a Minister enters upon his office, the Governor shall administer to him the oaths of office and of secrecy according to the forms set out for the purpose in the Third Schedule."

श्री बृजभूषणशरण---श्रीमन्, इसमें जो फार्म है उसमें लिखा हुआ है कि "Otherwise than in the discharge of his official duties." तो वे अपने पद की ड्यूटीज को डिस्चार्ज कर रहे हैं, कोई प्राइवेट आदमी की तरह से बातचीत नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---अब एक विशेषाधिकार का प्रश्न माननीय रामायण राय जी का है। मैं माननीय रामायण राय जी और वंशीधर पांडेय जी से निवेदन करूंगा कि वे कृपया आज सायंकाल चाय के लिये हमारे यहां आ जायं। वहीं बातचीत कर लेंगे। यह ऐसा विषय नहीं है कि जिससे हमें किसी को खुशी हो या इसको लाइटली ट्रीट कर सकें। दो माननीय सदस्यों में कोई बात हो जाय, यह बड़े दुख की बात है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---अगर इसका सम्बन्ध दो माननीय सदस्यों से होता तब तो ठीक था।

श्री अध्यक्ष---माननीय रामायण राय जी, वहीं बातचीत कर लेंगे और सदन बहुत उदार है। हम प्रार्थना कर लेंगे।

आजकल बाढ़ और अतिवृष्टि के बाद माननीय भीखालाल जी ने जोत-कर विधेयक पर बोलते हुये माननीय चरणसिंह जी द्वारा लिखित पुस्तक "भूमि व्यवस्था क्रांति," यह मैंने देखा नहीं है। कल देख लूंगा। दो हैं, एक माननीय भीखालाल जी का है और दूसरा माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी का है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)---अध्यक्ष महोदय, मेरा तो आज ही देखना आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष---आप बड़े बलिष्ठ हैं, आसमान बहुत दिनों तक रुका रहेगा।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---बात यह है.....

श्री अध्यक्ष---बातचीत कर लेंगे।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---उसमें बातचीत से काम चलेगा नहीं।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)---हमारा भी बड़ा आवश्यक है, विशेषाधिकार प्रश्न जो है।

श्री अध्यक्ष---हमारे सदन में बहुत महत्वपूर्ण बहस हो रही है। हम सिर्फ एक-एक दिन एक-एक लेंगे। उसको ले लेंगे। वह सीधा-सादा सवाल नहीं है। मैं जरा उसे स्वयं अध्ययन कर लूं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष---माननीय दौलतलाल और रामसुन्दर जी पांडेय का एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव है और एक माननीय टम्बेश्वरी जी का है। "इस सदन का मत है कि भारतीय जनसंघ के नेतृत्व में चल रहे जन आन्दोलन..." इन दोनों को मैंने अस्वीकार किया है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)---आप दो दो एक साथ अस्वीकार कर देते हैं इससे बड़ी असुविधा होती है। पता नहीं चलता कि कौन सा अस्वीकार हुआ है।

श्री अध्यक्ष---उसको देख लीजिये।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---मेरा निवेदन यह है कि आज यह पहला कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं है जो मैंने आन्दोलन के सम्बन्ध में दिया है। मैं इससे पूर्व भी कार्य-स्थगन प्रस्ताव दे चुका हूं। आपने उसकी महत्ता स्वीकार करते हुये आज से बहुत पहले जबकि आन्दोलन प्रारम्भिक अवस्था में था, कहा था कि वक्तव्य दिलवा देंगे। उस समय वक्तव्य से शायद काम चल जाता, लेकिन अब इस प्रदेश का हर नागरिक और इस सदन के सभी माननीय सदस्य भी इससे प्रभावित हैं। आप भी रोज गिरफ्तारियों की आज्ञा देते हैं। मैं कहता हूं कि इस जन आन्दोलन पर, जिसने भीषण रूप धारण कर लिया है, विवाद होना आवश्यक है। जेल में कल इस सदन के और लोक सभा के सदस्यों को घसीटा गया। ऐसी सूचना मुझे मिली है और सत्याग्रहियों के साथ वहां दुर्व्यवहार भी हो रहा है। मैं चाहता हूं कि इसकी स्वीकृति कृपा करके आप अवश्य दें, जब हजारों लोग जेल में हैं।

श्री अध्यक्ष---अच्छा, हम बातचीत आप से करेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---हमारा नाम आपने टम्बेश्वरी प्रसाद जी के साथ जोड़ दिया। उनका प्रस्ताव आन्दोलन के सम्बन्ध में था, उसकी आपने चर्चा की। मेरे प्रस्ताव की आपने चर्चा भी नहीं की।

श्री अध्यक्ष---आपका दौलतलाल साहब के साथ है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---आपने कुछ कहा ही नहीं। उसको कह दिया और उसमें हमारा भी शामिल हो गया।

श्री अध्यक्ष---जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव आये हैं, उनको मैंने जो कारण लिखे हैं उन कारणों से अस्वीकार किया है। माननीय सदस्य देख लें।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---मेरा अस्वीकार हुआ या नहीं? आपने कहा कि बात होगी।

श्री अध्यक्ष---अस्वीकार भी हुआ हो तो मैं मत परिवर्तन के लिये तैयार हूं, अगर आप बतायेंगे।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---नियम ५२ के अन्तर्गत जो सूचनायें आयी हैं वह भी अस्वीकार की हैं। कारण लिख दिये हैं। माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में मुझ से बातचीत करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर वह मुझे समझा देंगे तो मेरा इस समय का जो आदेश है वह टेंटेटिव समझा जाय, मैं सुन कर बदल भी सकता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---एक आपसे निवेदन है। आपको याद होगा कि हमने दफा ५२ का ३० हजार कर्मचारियों के सम्बन्ध में दिया था....

श्री अध्यक्ष---मुझे आपसे बता देना चाहिये था। मैंने कल सचिव से कहा था....

श्री रामसुन्दर पांडेय—आप क्षमा करेंगे। आप का भी आश्वासन इस सदन में उसके सम्बन्ध में दिये हुये तीन बार हो गया है। सरकार का आश्वासन अधूरा रहता ही है। आप तीन बार आश्वासन देने के बाद भी पूरा नहीं करेंगे तो बड़ा मामला खराब हो जायगा सदन में। सरकार उत्तर देने में असमर्थ है, तो नियम ५२ में स्वीकार कर लें। ३० हजार कर्मचारी हैं, उनका सवाल है। एक डेढ़ साल से मामला चल रहा है। आप दफा ५२ में स्वीकार कर लीजिये। सरकार से उत्तर ले लीजिये, जल्दी निपटारा हो जायगा। सवाल का जवाब जो मिलेगा उससे वह पूरा जवाब नहीं हो पायेगा और न सप्लीमेंन्ट्री हो पायेगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि दफा ५२ में आप उसे स्वीकार कर लें और सरकार से उत्तर ले लें। समस्या का समाधान हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—मैंने आज के लिये आपसे कहा था और आशा थी कि आज आ जायगा। सचिव ने मुझे यह बताया कि कोई स्पष्टीकरण इस संबंध में मांगा गया है और वह अब दिनांक २४ के लिये रख दिया गया है, तो मैंने इनसे कहा कि आपको उस बात की सूचना दे दें। मैंने यह भी कहा है कि उस प्रश्न को प्राथमिकता दी जायगी और किसी हालत में भी दिनांक २४ के बाद यह नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा है कि वह पूछ लेंगे और अगर दिनांक २४ को नहीं आ सकता है तो नियम ५२ में एलाऊ कर दूंगा।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—एक दफा ५२ हमारा भी था। दो रोज से दे रहा हूं। कानपुर के एक कालेज का एक लड़का कमरे में कत्ल कर दिया गया है, उससे बड़ी उत्तेजना है .....

श्री अध्यक्ष—मैंने आर्डर लिख दिया है। आप कृपा करके देख लें।

श्री कृष्णपालसिंह, सदस्य, विधान सभा, की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—एक सूचना मुझे यह मिली है "अध्यक्ष महोदय, मुझे आपको यह सूचना देनी है कि क्रिमिनल ला अमेन्डमेन्ट ऐक्ट (अधिनियम) की धारा ७ के अन्तर्गत अपनी शक्तियों के प्रयोग में मैंने यह निदेश देना अपना कर्त्तव्य समझा है कि विधान सभा के सदस्य श्रीकृष्णपाल सिंह को विधान सभा के फाटकों पर धरना देकर आने जाने के मार्ग में अवरोध करने के कारण बन्दी कर लिया जाय। तदनुसार श्री कृष्णपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा, को आज दिनांक १९-१०-६२ को प्रातः १० बजकर ३० मिनट पर बन्दी कर लिया गया है और उन्हें इस समय माडेल जेल लखनऊ में रखा गया है।"

श्री काशीनाथ मिश्र द्वारा उर्वशियम क्षेत्र (नेफा) में चीनी आक्रमणकारियों के विरुद्ध वीरतापूर्वक लड़ने वाले सैनिकों को बधाई देने हेतु प्रस्ताव पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था

श्री अध्यक्ष—अब माननीय काशीनाथ जी का एक प्रस्ताव आया है और यह नेफा क्षेत्र में जो सैनिक लड़ रहे हैं उनकी बहादुरी पर अपना संन्तोष और उनको बधाई के उद्गार प्रकट करने के लिये हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—श्रीमन्, उसको पढ़ दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—वह आखिर वाला पढ़ देना काफी है। हम सभी सदस्य अपने सैनिकों के साथ पारिवारिक लगाव व्यक्त करने के लिये इस दीवाली त्यौहार के अवसर पर अपनी एक दिन की तनख्वाह उत्तर पूर्वी क्षेत्र में लड़ रहे सेना के जवानों को मिठाई खाने के लिये भेजते हैं।

मैं समझता हूं कि यह जरा अर्ली है, इसलिये कि वहां पर बराबर कुछ परिवर्तन चल रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि यह प्रीमेच्योर है जरा ।

श्री काशीनाथ मिश्र---बधाई तो दी जा सकती है ।

श्री अध्यक्ष---बधाई ठीक है, लेकिन जरा प्रीमेच्योर है, इसको फिर कभी सोचा जायगा ।

चीनी द्वारा भारतीय सीमा के अतिक्रमण के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर विवाद की मांग

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)---अध्यक्ष महोदय, मुझे एक निवेदन करना है । उस दिन आप के पास मैंने एक प्रस्ताव भेजा था कम्युनिस्ट चीन के आक्रमण के विषय में और उस पर आपने यह कहा था कि मुख्य मंत्री के पास मैं भेज देता हूं । तो माननीय मुख्य मंत्री भी उपस्थित हैं, परिस्थितियां भी उनके सामने हैं । मैं आशा करता हूं कि हम लोगों के उस प्रस्ताव को स्वीकार करके वह वाद-विवाद के लिये समय निर्धारित करेंगे ।

श्री अध्यक्ष (श्री काशीनाथ के खड़े होकर कुछ कहने का प्रयास करने पर)---माननीय काशीनाथ जी, यह बिलकुल गलत है ।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---जहां तक वाद-विवाद का विषय है मैं समझता हूं कि सदन में इस विषय का वादविवाद नहीं होना चाहिये । जहां तक कुछ उन जानकारियों का विषय है जिन्हें कुछ नेतागण जानना चाहते हैं और जिन्हें मैं कुछ दे सकता हूं वह जब मेरे कमरे में आयेंगे, और चाय मेरे साथ पियेंगे उस समय मैं उन्हें वह जानकारी करा दूंगा ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)---अध्यक्ष महोदय, सदन के बाकी सदस्यों का क्या होगा, उनको जानकारी कैसे मिलेगी ?

श्री अध्यक्ष---नेतागण मुख्य मंत्री के यहां चाय पियेंगे और सदस्य अपने नेताओं के यहां चाय पियेंगे ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---मैं इसमें एक संशोधन देना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी चाय भी यहां पिला दें और बतला भी यहीं दें ।

आजमगढ़ जिला अन्तर्गत कुछ ग्रामों में पुलिस कर्मचारियों के कथित आतंक के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह उप मंत्री (श्री नवलकिशोर)---अध्यक्ष महोदय, आजमगढ़ जिले के संबंध में जिस घटना की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया गया है उसका विवरण इस प्रकार है :

"दिनांक ३/४ अक्तूबर, १९६२ को रात्रि को गश्त से लौट कर थाना अतरौलिया के दो सिपाही सर्वश्री रामलाल उपाध्याय तथा मुहम्मद आलम ने प्रातःकाल ४-१०-६२ को ३.१५ बजे थाने पर एक सूचना इस आशय की अंकित करायी कि जब वह ग्राम तेजापुर के पास रात्रि में लगभग ११ बजे गश्त कर रहे थे तो उन्होंने एक बाग में एक व्यक्ति को चोटों से घायल अवस्था में कराहते हुए पाया जिसको कुछ ग्रामीणों की मदद से थाने ले आये । घायल व्यक्ति का नाम बाबा नवलदास मालूम हुआ । बाबा की मृत्यु रास्ते में अतरौलिया बाजार के पास हो गयी ।

[श्री नवलकिशोर]

इस सूचना के आधार पर एक मुकदमा ३०२ धारा भा० दं० वि० का अंकित हुआ। सब इंस्पेक्टर ने लाश का पंचायतनामा लेकर उसको सदर भेज दिया और स्वयं घटना स्थल की ओर प्रस्थान किया। दिनाँक ४-१०-६२ को कस्बा अतरौलिया के टाउन एरिया चेयरमैन ने पुलिस अधीक्षक को यह सूचना दी कि बाबा नवल दास की मृत्यु संदिग्ध अवस्था में हुई जिसमें उक्त दोनों सिपाहियों का आचरण संदिग्ध बताया जाता है। जिससे स्थानीय जनता में क्षोभ है और कस्बा अतरौलिया में आज हड़ताल है। उक्त सूचना पर उपपुलिस अधीक्षक तथा सर्किल इंस्पेक्टर को घटना की तत्काल जाँच एवं उचित कार्यवाही हेतु उसी समय भेजा गया। उप पुलिस अधीक्षक को अतरौलिया कस्बे के पास लगभग २०० आदमियों की भीड़ मिली जिसे उन्होंने यह आश्वासन दिया कि घटना की तत्काल ही जाँच की जायेगी। घटना की जाँच के पश्चात् उप पुलिस अधीक्षक को ज्ञात हुआ कि सिपाही राम लाल उपाध्याय तथा मुहम्मद आलम ने नशे की हालत में बाबा नवल दास को गाँव तेजापुर में पीटा और उनको अतरौलिया तक ले आये जिसके फलस्वरूप बाबा की मृत्यु हुई। जाँच का परिणाम तुरन्त ही एकत्रित जनसमूह को उप पुलिस अधीक्षक ने बताया और यह विश्वास दिलाया कि अभियोगी सिपाहियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी। तदुपरान्त एकत्रित भीड़ हट गयी और कस्बे की हड़ताल भी समाप्त हो गयी। उप पुलिस अधीक्षक जाँच के पश्चात् अतरौलिया से ४/५ अक्तूबर की रात में देर से लौटे और उन्होंने वापस जाकर स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक को अपनी रिपोर्ट दी। पुलिस अधीक्षक ने दोनों सिपाहियों को ५-१०-६२ को ही निलंबित कर जेल भेज दिया।

जाँच के फलस्वरूप यह विदित हुआ कि दोनों सिपाही ४-१०-६२ को ग्राम तेजापुर में पहुंचे जहाँ रात्रि में उन्होंने खाना खाया एवं शराब तथा गांजे का नशा किया। इसी गाँव के श्री कमला प्रसाद के मकान पर बाबा नवलदास भी आकर संध्या से लेटे थे। दोनों सिपाही लगभग ११ बजे रात में नशे की हालत में श्री कमला प्रसाद के मकान के पास पहुंचे और उन्होंने बाबा नवलदास से पूछताछ की और उनको चोर तथा बदमाश बतलाया। बाबा के उत्तेजित होने पर उक्त सिपाहियों ने बाबा को मारा पीटा और यह कहकर कि बाबा का चालान करेंगे वे उसे हिरासत में लेकर थाने की ओर ले गये। रास्ते में छितौनी से वहां के चौकीदार को भी साथ लिया। अतरौलिया कस्बे में आकर वहाँ के निवासी श्री ऋषिदेव मिश्र के मकान के सामने आकर बाबा गिर पड़े। सिपाहियों ने वहाँ से ४ स्थानीय व्यक्तियों को बुलाया जिनकी मदद से वह बाबा को थाने पर ले गये। थाने पर पहुंचकर चौकीदार व स्थानीय व्यक्तियों को सिपाहियों ने लौटा दिया। बाबा को लेकर सिपाही लगभग प्रातः ३ बजे थाने आये और दरोगा व हेड मुहर्रिर को जगा कर ३-१५ बजे रिपोर्ट लिखाई। इसी बीच में बाबा की मृत्यु हो चुकी थी। उपरोक्त घटना की मैजिस्ट्रेट द्वारा भी जाँच की गई तथा उनकी जाँच के फलस्वरूप भी यह विदित हुआ कि बाबा के साथ सिपाहियों ने नशे की हालत में अभद्र व्यवहार किया, मारा पीटा और उनको थाने लाये तथा इसी संताप के कारण बाबा की मृत्यु हो गई।

प्रस्ताव में जो अबलाओं का शीलभंग करने की बात कही गई है वह जाँच से प्रमाणित नहीं हुई। अतरौलिया कस्बे तथा आसपास के नागरिकों द्वारा कई दिनों तक थाने को घेरा जाने एवं कस्बे में पूर्ण हड़ताल होना भी जाँच से सिद्ध नहीं हुआ। कस्बा अतरौलिया, कप्तानगंज तथा गुजरपार से अभी तक कोई ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुई कि नशे की अवस्था में पुलिस कर्मचारियों ने किसी स्त्री के साथ बलात्कार या अश्लील व्यवहार किया और न ही कप्तानगंज में १४ अक्तूबर को हड़ताल रहने की कोई सूचना मिली है।

मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि इसकी पूरी जाँच सर्किल इन्सपेक्टर कर रहे हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सवाल ऐसा है, जिसका मेरे खयाल से सप्लीमेंटरी सवाल से शायद सही निष्कर्ष नहीं निकल सकता है।

श्रीमन्, जो बयान माननीय गृह उप मंत्री जी ने दिया है वह बयान कोई नया नहीं है। यह बयान उनके पुलिस अधीक्षक ने पाँच सात दिन पहले अखबारों में दिया था और वही बयान आपने रक्खा है। उनके पास जो सभा-सचिव बैठे हुये हैं जरा उनसे भी माननीय गृह उप मंत्री जी पूछ लेते। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिये यदि सरकार कोई दूसरा दिन वादविवाद के लिये दे तो अच्छा रहेगा। क्या माननीय गृह उप मंत्री जी को श्री बृज बिहारी मिश्र का ऐसा कोई पत्र मिला है जो उस क्षेत्र के निवासी हैं और उस घटना की जाँच की है? और मिला है तो उस रिपोर्ट की जानकारी उन्होंने अपने अधिकारी से की है?

श्री नवलकिशोर---मान्यवर, यह बात सही है कि सभा सचिव जी ने भी इसको जाकर देखा और उन्होंने अपना एक पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखा है। जैसा कि मैंने बताया कि सिपाहियों की गलती पाई गई है उसी कारण से सस्पेन्ड कर दिया गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह बात सही है कि नवल दास बाबा जी थाने में दो बजे लाये गये और चार बजे के पहले उनकी मृत्यु हुई और जो थानेदार उस वक्त मौजूद थे उसने उन्हीं सिपाहियों को भेजकर तेजापुर में पंचनामा करवाया और लाश को भेज दिया। अगर यह बात सही है तो माननीय गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि थानेदार ने कत्ल को छिपाने की कोशिश क्यों की तथा उसके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई?

श्री नवलकिशोर---मान्यवर, जैसा कि मैंने अर्ज किया इस मामले की जाँच हो रही है। सिपाहियों का कहना है कि वह सवा तीन बजे आये परन्तु लोगों का कहना कि दो बजे आये। मैं यही कह रहा था कि इसी बात पर जांच हो रही है। नम्बर दो, जैसा थानेदार के बारे में यह कहा जाता है कि उसके बात को छुपाया तो उसने भी यही रिपोर्ट दी कि यह जो सिपाहियों ने थाने में एफ० आई० आर० लिखाई वह सही नहीं है। इसके बाद अब इसकी पूरी जांच हो रही है। सरकार कोई बात छुपाना नहीं चाहती है। अगर जांच के बाद किसी की गलती मिलेगी तो सरकार उसके खिलाफ कार्यवाही करेगी।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)---अभी माननीय मंत्री जी ने जो व्याख्या पढ़ी, उसमें बाबा जी की मत्यु का कारण मैं सुन पाया हूं।

श्रीमन्, वह शायद शर्म के मारे मर गये और संताप के कारण मर गये। तो मैं यह जानना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि जो सज्जन वहां जांच करने गये थे, उनको किसने बताया कि बाबा संताप के कारण मर गये या मरने से पहले बाबा ने स्वयं कह दिया था कि मैं संताप के कारण मर रहा हूं?

श्री नवलकिशोर---श्रीमन्, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स में लिखा है कि १४ चोटें आई हैं। बायें हाथ की कलाई की हड्डी टूटी है। मेडिकल आफिसर ने लिखा है कि इग्जैक्ट काज आफ डेथ वह नहीं बता सके। उनका खयाल यह है कि उन चोटों के साथ-साथ कुछ मेन्टल शाक भी बाबा को हुआ। उससे भी उनकी मत्यु हो सकती है।

श्री अध्यक्ष---वह संताप शब्द भ्रम पैदा करता है।

श्री नवलकिशोर---मेरा मतलब मेन्टल शाक से था। हो सकता है कि ट्रांसलेशन करने में कुछ गलती हो गई हो। अब मैं उसे ठीक किये देता हूं।

श्री यादवेन्द्रदत्त---यदि आपको हिन्दी का पूर्ण ज्ञान नहीं है तो आप क्यों ट्रांसलेशन करते हैं जो कि उपयुक्त नहीं होता है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मेडिकल रिपोर्ट में कुछ ऐसा जिक्र है कि वह संताप से मरे। अब यह जो संताप से मरे, उसका आधार क्या है?

श्री अध्यक्ष---वह यह कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट है, उसमें चोटें हैं और यह भी कि वह शाक से मरे। यही उनका मतलब है।

श्री नवलकिशोर---श्रीमन्, आप देखें कि उनके १४ चोटें हैं। एन्ड दि काज आफ डेथ कुड नाट बी एसरटेन्ड। यही मेडिकल रिपोर्ट का इनफरेन्स है।

श्री गेंदासिंह---श्रीमन्, मैं यह पूछ रहा था कि पुलिस अधीक्षक के अलावा यह मामला तो इतना संगीन है कि जिस मामले को किसी बड़े आफिसर के जरिये से, जो कि ऊंचे पर रहता हो, इसकी तहकीकात कराई जानी चाहिये। डिप्टी इंसपेक्टर जनरल आफ पुलिस या इन्सपेक्टर जनरल आफ पुलिस के द्वारा ही कोई इन्क्वायरी हो। इसके बावजूद जो श्री बृज बिहारी मिश्र का पत्र है वह पत्र कुछ भिन्न है पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट से। दोनों में जो भिन्नता है उसको जांच कराने के लिये किसी उच्च अफसर की नियुक्ति क्या की गई है ?

श्री नवलकिशोर---मान्यवर, मैंने अपने बयान में स्वयं यह बताया कि उसकी मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी हुई और अब सरकार ने उसकी जांच के लिये आई० जी० से कह दिया है और वह तो जानते हैं कि हमारा सबसे बड़ा अफसर आई० जी० पुलिस ही होता है। यह मैंने कह दिया है कि इस मामले की पूरी-पूरी छानबीन होनी चाहिये।

श्री यादवेन्द्रदत्त---श्रीमन्, अभी उन्होंने कहा है कि १४ चोटें आई हैं। तो वह शरीर के किस-किस अंग पर और कहां-कहां आई हैं और उनकी क्या डैप्थ है ?

श्री नवलकिशोर---मान्यवर, मेरे पास जो रिपोर्ट आई है वह मैं आपकी आज्ञा से पढ़े देता हूं। उसमें यह लिखा हुआ है कि यह १४ चोटें हैं :

1. Abraded contusion—2" X $\frac{1}{2}$". on front of middle of left leg.
2. Abraded contusion—2" x 1/3" in front of midth of right leg.
3. *Contusion*—1 $\frac{1}{2}$" x 1" on the out side of the left ankle.
4. *Contusion*—1$\frac{1}{4}$" x 3/4" on the lower part of left forearm and wrist with fracture, lower end of radius.
5. *Contusion*—2 $\frac{1}{2}$" x 1" on the back of right hand.
6. *Contuson*—1$\frac{1}{2}$" x $\frac{1}{2}$" on the outer and middle part of right fore-arm.
7. *Contusion*—3" x 1" on the upper part of right shoulder blade.
8. *Abrasin*—1" x 1" on the lower part of right shoulder blade.
9. *Abrasin*—1 $\frac{1}{2}$" x $\frac{1}{2}$" on the right side of back.
10. *Abrasin*— 1 $\frac{1}{2}$" x $\frac{1}{2}$" middle left shoulder blade.

मान्यवर, इसी तरह से और भी चोटें हैं।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)---श्रीमन्, मैंने भी नोटिस दी है, उसको भी देख लिया जाय।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)---श्रीमन्, हम भी उस क्षेत्र के रहने वाले हैं। यह कप्तानगंज का मामला है, और वह दबा देना चाहते हैं। इस पर विचार होना चाहिये।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---इस बात को देखते हुये कि जो मंत्री जी ने चोटों का बयान दिया है और जो मेडिकल रिपोर्ट में है कि वह इतनी जबें शदीद थीं कि उनके आघात से उनको मेंटल शाक हुआ जिसके कारण मृत्यु हुई, तो क्या उनका पोस्ट-मार्टम कराया गया और उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री अध्यक्ष---वही तो कह रहे हैं और उन्होंने पढ़ा भी ।

श्री कल्पनार्थीसिंह---क्या मंत्री जी को कप्तानगंज थाने की घटना के बारे में जानकारी है कि "आज" के आजमगढ़ के सम्वाददाता ने पुलिस कप्तान को उसके संबंध में कंटैक्ट करना चाहा, लेकिन कप्तान ने मिलने से इन्कार कर दिया तो क्या यह सही नहीं है कि उक्त घटना को छिपाने के लिये इस तरह की साजिश पुलिस कर्मचारियों कीशुरू से आखिर तक जिला स्तर पर है ?

श्री अध्यक्ष---यह राय हो जायगी, फैक्ट्स पूछिये ।

श्री कल्पनाथ सिंह---उक्त घटना की जांच कराने के लिये सरकार कौन सा कदम उठाने जा रही है ?

श्री नवलकिशोर---जो माननीय सदस्य ने कहा, इसकी कोई सूचना नहीं है । "आज" में इसके ऊपर एक लेख लिखा गया था तो जिन टाउन एरिया के चेयरमैन साहब ने सबसे पहले यह बात कही कि कांस्टेबिलों का कंडक्ट संदिग्ध है उन्होंने बाद में कांट्रेडिक्शन भेजा है ८-१०-६२ को कि वाकयात बढ़ा-चढ़ा कर लिखे गये हैं और वही सहीं लिखे हैं ।

श्री कल्पनार्थीसिंह---क्या मंत्री जी को सूचना है कि किस आधार पर यह बात कही जा रही थी कि ये बातें बढ़ा-चढ़ा कर कही जा रही हैं जब कि समाचार पत्र इस जनतंत्र के प्रमुख प्रहरी हैं; और लोगों ने भी शिकायतें कीं, स्थानीय लोगों ने कीं तो जांच न कराने का क्या कारण है ?

श्री नवलकिशोर---मान्यवर, मैंने कितनी ही बार कहा कि जांच हो रही है, हाइ-एस्ट लेविल पर जांच हो रही है और मुकम्मिल की जायगी ।

श्री उमाशंकर---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अच्छी तरह जानकारी है और मैं प्रार्थना करूंगा माननीय नवलकिशोर जी से कि वह जांच करावें । आजतक कप्तानगंज वाले मामले की रिपोर्ट नहीं लिखी गयी है और दिनांक ३/४ की रात को वह कांस्टेबिल वहीं कप्तानगंज में शराब पिये था और एक गरीब आदमी था .....

श्री अध्यक्ष---उसकी जांच की रिपोर्ट तो आ जाय ।

श्री उमाशंकर---वह गरीब आदमी पहरे में डाल दिया गया और थाने तक जाने नहीं पाया है,यह खबर मिली है । आप पता लगावें कि रिपोर्ट करने के लिये नहीं जाने पाता, आजमगढ़ कप्तान के पास क्यों नहीं जाने पाता ? आज तक पुलिस पहरा लगाये हुये है कि घर से न निकल पाये । उसकी बेइज्जती की गयी और २४ घंटे की कप्तानगंज में हड़ताल हुई है इस संबंध में ।

श्री नवलकिशोर---जो सूचना मेरे पास है, उसमें ऐसा नहीं है कि हड़ताल हुई या जैसा आपने बताया वह सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री उमाशंकर---माननीय मंत्री जी को यह सूचना नहीं है, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि किसी ऊंचे अधिकारी से जांच करावें । दूसरी बात यह है कि बाबा नवलदास के मरने के ६ घंटे बाद पोस्ट-मार्टम हुआ । सिविल सर्जन मौजूद नहीं थे आजमगढ़ में, उन्हें बाहर से बुलाया गया है तब पोस्ट मार्टम कराया गया है, और यह खबर मैं बता रहा हूं जो कि अस्पताल के लोगों की बताई हुई खबर है । वहां असिस्टेंट सर्जन २-३ मौजूद थे, उनसे जांच नहीं करायी गयी । इसमें कुछ राज है ।

श्री नवलकिशोर---मैं किस तरह से विश्वास दिलाऊं मैं बार-बार कह रहा हूं कि जांच हो रही है और होगी और पोस्टमार्टम के विषय में मैंने बतला दिया ।

श्री अध्यक्ष---जांच के लिए आई० जी० को आपने लिख भेजा है कि फर्दर इसमें जानकारी प्राप्त की जाय ?

श्री गेंदासिंह---अध्यक्ष महोदय, अब तक की बातों से ऐसा लगता है कि जो इब्तदाई रिपोर्ट लिखाई जाती है वह भी नहीं लिखी गयी है। इसके मानी यह हैं कि अधिकारी इस बात की चेष्टा कर रहे हैं कि कौन सा उपाय इसके डिफेन्स का निकाला जाय। मैं समझता हूं कि यह जुडीशियल नेचर का मामला है और इसकी जांच पुलिस महकमें के अलावा किसी जुडीशियल आफिसर से कराई जाय और वह यह देखें कि वह रिपोर्ट लिखी गयी है या नहीं और वह उन कागजात को भी अपने कब्जे में ले लें ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---अध्यक्ष महोदय, जब यह मसला मेरे सामने आया तो मैंने इसका बहुत सीरिअस व्यू लिया और अपने होम सेक्रेटरी को बुला कर और बृजबिहारी जी को बुला कर स्वतः दोनों से वाकयात को सुना और सुन कर यह आदेश दिया कि जो यह कार्यवाही हुई है उस पर सख्त से सख्त कदम उठाया जाय और जो कोई अधिकारी या कान्सटेबिल दोषी पाया जाय उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाय। माननीय गेंदासिंह जी कहते हैं कि इसको दबाने की सरकारी कर्मचारी चेष्टा कर रहे हैं, सो कोई इस मामले को दबा नहीं सकता। अगर किसी पुलिस अधिकारी या कान्सटेबिल ने कोई ऐसी गलती की है तो सख्त से सख्त सजा जो कानून दे सकता है वह उनको दी जायेगी और कोई भी बात छिपाई नहीं जायेगी।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)---क्या सरकार इस संबंध में कोई-न्यायिक जांच कराने की कृपा करेगी? यदि नहीं तो उसके सामने क्या कठिनाई है, जिसके कारण वह पुलिस के अलावा किसी अन्य अधिकारी से इसकी जांच नहीं करा सकती ?

श्री नवलकिशोर---मान्यवर, शायद माननीय साथी ने सुना नहीं। मैंने यह कहा है कि जहां तक सिपाहियों का ताल्लुक है उनको सस्पेंड करके जेल भेज दिया गया है और उन पर मुकदमा भी कायम हो गया है। अब प्रश्न यह है कि उनके अलावा भी अन्य किसी की गलती है या नहीं, इसकी जांच हो रही है और जिसकी गलती पायी जायेगी, उसको सजा दी जायेगी।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---माननीय बृजबिहारी मिश्र जी ने जो वहां की जांच करके रिपोर्ट अपनी दी है, क्या माननीय मंत्री जी उसको सदन के सामने रखने की कृपा करेंगे ?

श्री नवलकिशोर---मान्यवर, जो नोट उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री जी के पास भेजा है, उसको यहां सदन में रखने की जरूरत नहीं है। उसमें खास खास बातें वही हैं जो मैंने अभी रिपोर्ट में बतायी हैं। स्वयं उन्होंने कहा भी है कि उनको भी इससे संतोष है कि कोई बात छिपाई नहीं गयी और फौरन ऐक्शन लिया गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---प्रश्न यह है कि पुलिस अधीक्षक मौके पर नहीं गये खुद। सहायक पुलिस अधीक्षक गये और सर्किल इन्सपेक्टर गये और एस० पी० का जो बयान पढ़ा गया है वह अखबार में निकल चुका है ७ दिन पहले। वह बयान गलत है। श्रीमन्, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। यह घटना सही है कि तेजापुर से बाबा नवलकिशोर दास को मारते हुए, घसीटते हुए अतरौलिया कस्बे के एक बक्सी के दरवाजे पर लाया गया। वह गिर पड़ा, कराहने लगा, उसके सारे शरीर में पाखाना हो गया, वह चल नहीं सकता था, फिर भी उसे वहां से घसीट कर वहां के थाने तक जो वहां से करीब ३ फर्लांग दूर है, ले जाया गया। थानेदार ने कहा कि इसको थाने से जल्दी बाहर निकालो। बाबा नवलकिशोर दास ने कहा कि मैं मरने वाला हूं, मुझे बाहर मत करें। यह सारी घटना वहां घटी है और एस० पी० आज तक वहां नहीं गया है।

तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आजमगढ़ जिले में जो इस तरह का खुराफात हो रहा है, और जो खराब बातें हो रही हैं, पुलिस का जो नंगा नाच वहां हो रहा है, जिस तरह से लोगों को बेइज्जत किया जा रहा है, जिस तरह से पुलिस वहां बलात्कार कर रही है....

श्री अध्यक्ष---आप चाहते क्या हैं ?

श्री रामसुन्दर पांडेय---मैं जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि पुलिस सुपरिटेंडेंट, के० डी० शर्मा जो वहां मौजूद थे, आज तक अतरौलिया, तेजापुर नहीं गये ?

श्री नवलकिशोर---एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि बाबा का नाम नवलकिशोर दास नहीं बल्कि सिर्फ नवल दास है। दूसरी बात यह है कि माननीय पांडेय जी ने जितनी बातें बतलायी हैं, मैं कितनी बार आपके द्वारा आश्वासन दे चुका हूं कि इस बात की जांच हो रही है कि उनको घसीट कर ले जाया गया या कैसे ले जाया गया। जब मैंने आपको विश्वास दिला दिया है कि इसकी पूरी-पूरी जांच की जायगी और माननीय मुख्य मंत्री ने भी कह दिया है कि कोई बात छिपायी नहीं जायगी और जो अपराधी होंगे उनको दंडित किया जायगा, तो इससे ज्यादा और क्या कहा जाय ?

श्री काशीनाथ मिश्र---पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी मिश्र जी की जांच को हम लोग मानते हैं तो उसे ही पढ़वा दिया जाय। (श्री श्यामलाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---श्री काशीनाथ जी, आप कृपया बैठें। श्यामलाल जी, आप भी बैठ जायं, मैं माननीय कल्पनाथ सिंह जी से पूछ रहा हूं।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)---मेरे प्वाइन्ट आफ आर्डर को तो आप सुन लें।

श्री अध्यक्ष---आप बैठ जायं, आपको मौका दिया जायगा।

श्री कल्पनार्थसिंह---श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब उन्होंने वहां जाँच का पूर्णरूपेण आश्वासन दिया और अभी माननीय रामसुन्दर पांडेय जी ने कहा कि जब तक आजमगढ़ में श्री शर्मा, एस० पी० मौजूद हैं, और मेरी भी ऐसी जानकारी है कि जब तक श्री शर्मा वहां मौजूद रहेंगे इस तरह के कुकृत्य होते रहेंगे, तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी वहां से श्री शर्मा के ट्रांसफर का आदेश देंगे और साथ ही जिला जज को यह आदेश देंगे कि थाना कप्तानगंज और अतरौलिया के कागजात को वे जब्त कर लें क्योंकि शुबहा इस बात का है कि रेकार्ड में टेम्परिंग हो सकती है ?

श्री अध्यक्ष---सवाल यह है कि सुपरिंटेंडेंट को वहां से हटा कर इन्क्वायरी की जाय और सारे कागजात जब्त कर लिये जायं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---एस० पी० तो वहां थे नहीं, और उनको वहां से हटाने का जहां तक प्रश्न है, जब सही प्रकार से वाकयात की जांच हो रही है और नीचे के जो कांस्टेबिल या अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है तो यहां से आदेश देकर सुपरिटेंडेंट पुलिस को हटाना या किसी भी आफिसर को हटाना कहां तक उचित हो सकता है ? मैं नहीं समझता कि ऐसी अव्यवहारिक बात सदन की तरफ से कहना कहां तक उचित है ?

श्री श्यामलाल---अध्यक्ष महोदय, बाबा नवल दास के शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों पर १४ घाव थे और जिन परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई उन परिस्थितियों को देखते हुए यह बात साफ-साफ स्वयंसिद्ध है कि यह क्लीयर इंटेंशनल मर्डर था, फिर इन पर भारतीय दंड विधान की धारा ३०४ के बजाय धारा ३०२ में क्यों कार्यवाही की गयी ?

श्री अध्यक्ष---उनको जेल भेज दिया गया है, आप सुनते तो हैं नहीं।

श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून)—श्रीमन्, मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं। यदि मैं इसको पहले पेश करता तो विरोधी दल की ओर से यह ऐतराज किया जा सकता था कि हमको गैग किया जा रहा है। मैं उसके लिये आपकी व्यवस्था चाहता हूं। श्रीमन्, जब भी इस किस्म का कोई प्रश्न उठाया जाता है और सरकार की तरफ से यह सूचना दे दी जाती है कि ३०२ का मुकदमा उनके खिलाफ कायम हो गया है, तो क्या इसके बाद भी उसको असेम्बली में डिसकस किया जा सकता है? मान्यवर, मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि जैसा अभी माननीय रामसुन्दर पांडेय जी ने बयान दिया कि यह वाकया थाने से ३ फर्लांग दूर पर हुआ तो क्या इन सब बातों का असर जनरल इंक्वायरी पर नहीं पड़ेगा? उन्होंने यह भी कहा कि रिकार्ड्स टैंपर किये जा रहे हैं। अगर सरकार की तरफ से यह कहा गया होता कि यह बात झूंठ है, कोई मुकदमा कायम नहीं हुआ, तब तो ऐसी बात कही जा सकती थी। लेकिन जब सरकार ने यह सूचना दी है कि उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया गया तो क्या उसके बाद भी इस प्रकार के सवालात किये जा सकते हैं?

श्री अध्यक्ष—गृह मंत्री जी जरा इसको स्पष्ट कर दें।

श्री श्यामलाल—श्रीमन्, ३०४ के बजाय ३०२ का मुकदमा रजिस्टर किया गया है।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जाइये, यही तो मैं उनसे पूछ रहा हूं।

गृह मंत्री बतायेंगे कि इस बारे में अभी रिपोर्ट हुई है, जांच हो रही है या यह ३०२ में कोर्ट में जा चुका है?

श्री नवलकिशोर—मैंने जैसा कि अभी बताया कि सिपाही ने पहले दूसरी ही रिपोर्ट की थी। जब डी० एस० पी० और एस० डी० एम० ने इंक्वायरी की तो उसकी गलती पायी गयी और ३०४ का मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें अभी इनवेस्टीगेशन हो रहा है। कोर्ट में जाने का अभी प्रश्न नहीं है।

(अनेक सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—आप लोग बैठ जाइये। जिसको मैं बुलाऊंगा वह बोल सकेगा।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—उनको बैठाइये।

श्री अध्यक्ष—यह मैं समझता हूं कि किसको बैठाना चाहिये और किसको नहीं बैठाना चाहिये। आपका व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता। अभी मामला कोर्ट में नहीं गया है।

श्री बृजभूषणशरण—जब जुडीशियल प्रोसीडिंग्स इम्मीनेंट हो जाती हैं तभी यह दफा लगायी जाती है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, जो यह रिपोर्ट आयी है, उसमें एक पहलू बिलकुल छोड़ दिया गया है जो वास्तविकता थी और जैसी यह घटना शुरू हुई उसमें दो अविवाहित लड़कियां थीं, जिनके साथ बलात्कार करने की चेष्टा की गयी और हम लोगों की रिपोर्ट तो यह है कि एक लड़की के साथ बलात्कार किया भी गया। लेकिन चूंकि ऐसी घटना है इसलिये लोग उसको छपाना चाहते हैं और लड़कियों का डाक्टरी मुआयना नहीं कराना चाहते। उसी घटना को देख कर साधुओं ने हस्तक्षेप किया। इन सिपाहियों से कहा सुनी हुई और इसके रिएक्शन में उन सिपाहियों ने साधू को बुरी तरह से मारा पीटा और उसी से उन की मृत्यु हो गई जिसके कारण तमाम जिले में असन्तोष फैला हुआ है और माननीय सभा सचिव ने इस सम्बन्ध में स्वयं जानकारी की है। मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस विषय में सख्त कदम उठाने का आश्वासन दिया है, लेकिन प्रश्न यह है कि अब भी आजमगढ़ की पुलिस के द्वारा ही जांच कराई जा रही है, जब वहां के उच्च अधिकारी एस० पी०

ने अपना बयान दे दिया और वह वास्तविकता पर पर्दा डालते हैं तो आजमगढ़ के ही पुलिस अधिकारियों से यह जांच क्यों कराई जा रही है ? हम चाहते हैं कि किसी पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी से जांच कराई जाय या सी० आई० डी० के उच्च अधिकारी से जांच कराई जाय या राज्य स्तर के किसी अधिकारी से जांच कराई जाय ताकि जिले की जनता में विश्वास पैदा हो सके ।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)---अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मेरे क्षेत्र की यह घटना है और मैंने इसकी स्वयं जांच भी की है और यद्यपि वह गोपनीय समझी जाती है लेकिन मेरे लिये यहां इस वक्त इतना कहना लाभदायक होगा कि श्री चन्द्रजीत जी ने जो लड़कियों के साथ बलात्कार की बात कही । वह गलत है ।

श्री अध्यक्ष---मैं वाकयात पर नहीं जाना चाहता, मैं केवल इस सीमा तक ही प्रश्न एलाउ कर रहा हूं । उनका आग्रह यह है कि बजाय इसके कि पुलिस के द्वारा ही वह जांच कराई जाय जिला स्तर या राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा कराई जाय । इस विषय में वह बता दें ।

श्री नवलकिशोर---अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया कि उन्होंने होम सेक्रेटरी के लिये आदेश दिया था और जो सबसे बड़े अधिकारी हो सकते हैं उनके सुपुर्द यह जांच उन्होंने कर दी, अगर हम पूरे विभाग पर ही अविश्वास करने लगें तो फिर काम चलने वाला नहीं है ।

श्री चन्द्रजीत यादव---मैंने अविश्वास की बात नहीं कही । आपने यह काम जिले के सर्वोच्च अधिकारी को दे दिया, लेकिन उससे वाकयात पर पर्दा पड़ा है । तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब आश्वासन दिया है कि सख्त से सख्त कार्यवाही की जायगी तो मैं कहता हूं कि आप आई० जी० को भेंजे या सी० आई० डी० के बड़े अधिकारी को भेजें ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जैसा कि मैं पहले कह चुका, यह बात ठीक नहीं है कि जिले के उच्च अधिकारी पर इस तरह से यहां से अविश्वास प्रकट किया जाय कि वह इन्क्वायरी न करें । इस तरह की घटनायें यदि कोई नीचे के पुलिस कर्मचारी करते हैं और ऊपर के अधिकारी ईमानदारी से तथ्यों को मालूम करने की कोशिश करते हैं तो यह समझना कि वह वहीं के अधिकारी हैं वह अपने नीचे के कर्मचारियों को बचाने की चेष्टा करेंगे तो मैं समझता हूं कि ऐसी धारणा अधिकारियों के प्रति बनाना अनुचित बात होगी । जो कागजात मेरे पास आयेंगे उनसे यदि मुझे यह विश्वास हो जायगा कि पुलिस के बड़े अधिकारी ने इसमें कोई गोल माल किया है तब हम अवश्य उस दिशा में चलने की चेष्टा कर सकते हैं जिस दिशा में चलने का वह संकेत करते हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---कप्तानगंज और गूजरपार के विषय में कोई रिपोर्ट आई है और क्या वह उसके लिये कोई दिन नियत कर रहे हैं और उस पर बयान वह कब देंगे ?

श्री नवलकिशोर---मैंने कहा कि इनकी सूचना अभी मेरे पास नहीं है और जांच होगी तो कप्तानगंज और गूजरपार सब की होगी ।

श्री अध्यक्ष---घटना पर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, इस पर विचार नहीं होना चाहिये और न हम इस पर विचार कर ही सकते हैं । सिर्फ इतना चाहते हैं हम कि जो घटनायें हुई हैं उनके सम्बन्ध में जो विवरण है, उसमें मतभेद भी हो---उनमें प्रमुख चीज यह है कि उनकी जांच पड़ताल के सम्बन्ध में माननीय नेता, सदन ने यह कह दिया है कि आई० जी० और दूसरे अधिकारियों द्वारा और यहां के जो सचिव हैं उनके द्वारा हो और उनको यह ताकीद कर दी गई है और उन्होंने यह आश्वासन भी दे दिया कि अगर वे संतुष्ट नहीं हुए तो उसमें वह फिर और आगे कदम बढ़ायेंगे । तो इसमें गुंजायश है कि मुख्य मंत्री जी से मिल कर वह इन बातों को देख लें और जब मुख्य मंत्री जी इतना स्ट्रांगली फील कर रहे हैं तो जो बात वह कहेंगे उस पर अवश्य विचार कर सकेंगे ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने यह कहा है कि सर्किल इंस्पेक्टर मुकदमे की जांच कर रहा है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस मुकदमे की जांच वह आई० जी० से कराना चाहते हैं उस मुकदमे की जांच सर्किल इंस्पेक्टर कर रहा है तो श्रीमन्, जांच का आर्डर जब तक जायगा तब तक उसकी चार्ज शीट अदालत को चली जायगी। इसलिये ऐसा हुक्म दे दें कि सर्किल इंस्पेक्टर जो जांच कर रहा है उस जांच को बन्द करा दें और आई० जी० या अन्य जो अफसर जाने वाले हैं उनकी जांच की रिपोर्ट के अनुसार ही मुकदमा चलाया जाय।

श्री अध्यक्ष---मुख्य मंत्री से आप लोग मिल लें। मैं यह समझता हूं कि जहां तक सिपाहियों का सवाल है उनके सम्बन्ध में तो यह निश्चय है कि उन्होंने यह किया और उन्हें दण्ड दिया जायगा और इसके सम्बन्ध में जैसा निवेदन किया, मुख्य मंत्री बिलकुल आप से सहमत हैं और चाहते हैं कि उसमें उनको सजा हो और आप उनको सूचनायें दे सकते हैं।

श्री गेंदासिंह---मैं इस सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी से, वह यह कह रहे हैं कि अगर वह संतुष्ट नहीं हुए तो फिर कोई अन्य उपाय सोचेंगे। मैं उनकी इस फीलिंग को जानते हुए भी कहना चाहता हूं कि पुलिस के महकमे ने, आई० जी० से लेकर नीचे तक, अब तक वह कार्यवाही नहीं की जिससे उनको संतोष हो सकता है। दरोगा को भी उन्होंने चार्ज से अलग नहीं किया है जो कि इस मामले में बिलकुल मुजरिम होता है और जिससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। कप्तान साहब मौके पर तशरीफ नहीं ले गये जब कि हफ्ते से ज्यादा आजमगढ़ में रहने पर भी उन्हें फुर्सत नहीं हुई कि सही जानकारी वह मौके पर जा कर कर सकें। कप्तानगंज तक न जायं जब कि इतना बड़ा हंगामा हुआ और मुख्य मंत्री जी को तकलीफ हुई, पुलिस कप्तान, आजमगढ़ स्ट्रांगली फील किया और उन्होंने कहा सख्त कदम उठाया जायगा तो क्या यह वाजिब बात होगी उसी कप्तान पुलिस पर इस जांच को छोड़ना और जब कि एक राय उसने कायम कर रखी है और उसने अपना एक बयान दे दिया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जांच एस० डी० एम० कर रहे हैं तब कप्तान पुलिस के जाने की क्या जरूरत हो सकती है ?

श्री अध्यक्ष को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष---अब नम्बर १३ पर जो प्रस्ताव है वह मुझ से सम्बन्धित है। मैं नरेन्द्र सिंह विष्ट जी से निवेदन करूंगा कि वह आसन ग्रहण करें क्योंकि यह मेरे विषय में है। मेरा यहां रहना उचित नहीं है और शोभा इसी में है कि मैं यहां न रहूं।

श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह (जिला गोंडा)---मेरी प्रार्थना यह है कि हम लोगों को थोड़ा समय दे दिया जाय और आज यह मामला स्थगित कर दिया जाय ताकि जो हमारे साथी हैं उनसे हम थोड़ी बातचीत कर लें और सदन भी मेरी इस बात से एग्री करेगा कि आज इस मामले को स्थगित कर दिया जाय और आगे अगर आवश्यकता होगी तो बाद को इसे ले लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष---संविधान के अन्तर्गत यह मेरे अधिकार की बात नहीं है।

श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह---नियमों में आपको अधिकार है कि कोई नियम स्थगित कर सकते हैं और यह भावना कुछ लोगों की है कि आज आप इस मामले को स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष---इससे तो मुझे क्षमा कीजिये इस वास्ते कि जब यह प्रस्ताव रख रहे हैं उसमें आप नहीं सोच सकते कि मेरी मनःस्थिति क्या होगी। मैं मजबूर हूं।

(इस समय १२ बजकर ४५ मिनट पर, अधिष्ठाता, श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट, पीठासीन हुये।)

श्री अधिष्ठाता---नम्बर १३। सर्वश्री बलवानसिंह, नरसिंहनारायण पाण्डेय, नेकराम शर्मा, जगदम्बा प्रसाद.....

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—अधिष्ठाता महोदय, सौभाग्य से आप भी उसी आसन पर बैठे हैं और आपको भी सारे वही अधिकार प्राप्त हैं लिहाजा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज स्वतः अपने अधिकार से इस मामले को स्थगित कर दें ताकि हम लोग जिन लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किये हैं उनसे बातचीत कर लें, संभवतः उनको कुछ संतोष हो जाय।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—जिस नियम का हवाला अभी अध्यक्ष महोदय ने दिया था उसमें यह कहीं नही है कि मुल्तवी नहीं हो सकता। जब नियम में ऐसा कोई स्पष्ट संकेत नहीं है तो यह आपके जरिये और हाउस के जरिये से भी मुल्तवी किया जा सकता है। इसलिये हमारी अपील यह है कि आज इसे मुल्तवी कर दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—इस विषय पर मैं नियम आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं। अध्याय १७ का नियम २७१(२) इस प्रकार है—

"जिस सदस्य के नाम में प्रस्ताव हो वह प्रस्ताव वापस ले सकेगा, परन्तु यदि वह ऐसा न करे तो वह प्रस्ताव उपस्थित करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगेगा। इस प्रक्रम पर किसी भाषण की अनुज्ञा नहीं होगी, किन्तु प्रस्तावक प्रस्ताव लाने के कारणों का संक्षेप में उल्लेख कर सकेगा।"

हमारी प्रक्रिया नियमावली में इतना ही लिखा है। इसके आधार पर अगर सेन्स आफ दि हाउस यह है और मैं यह जान सकूं कि यह प्रस्ताव वापस होने वाला है तो मैं पोस्टपोन करने की सोच सकता हूं। अगर ऐसी भावना नहीं है तो मैं कोई आवश्यकता नहीं समझता।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—हम लोग यह कैसे कह दें कि वापस हो ही जायगा। वही वातावरण पैदा करने के लिये ही तो इसको स्थगित करना चाहते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—आपने नियमों का हवाला दिया है। यह बात सही है कि हमारे कामों का संचालन नियमों द्वारा होता है, लेकिन यह भी आप जानते हैं कि इस सदन में कई बार ऐसे अवसर आये हैं जबकि सेंस आफ दि हाउस जान कर हमने नियमों को सस्पेंड भी किया है। यह एक गम्भीर मसला है और इसकी गम्भीरता को देखते हुये नेताओं ने आप से प्रार्थना की है और जिन्होंने हस्ताक्षर किये हैं उनमें से भी अधिकांश लोग यहाँ उपस्थित हैं। उनमें से किसी ने भी प्रेस नहीं किया है। इसलिये मैं फिर कहता हूं कि उसी परम्परा को ध्यान में रखते हुये नियम न एलाऊ करते हों फिर भी सेंस आफ दि हाउस को देखते हुये हमें अवसर दें ताकि हम विचार कर लें।

श्री अधिष्ठाता—मैंने चन्द्रजीत जी की स्पीच को सुना। उससे मुझे ऐसा आभास होता है कि सेंस आफ दि हाउस यही है कि यह विदड्रा हो जाय। ऐसी परिस्थिति में रूल ११३ यह है—

११३(६) में है कि "किसी कार्य को स्थगित करने का प्रस्ताव" आ सकता है। तो ऐसा एक प्रस्ताव लाया जाय कि यह स्थगित कर दिया जाय तो मैं विचार कर सकता हूं।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—श्रीमन्, प्रस्ताव तो मैंने पहले से ही भेज दिया है।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—मैं प्रस्ताव रखता हूं और झारखंडेराय जी उसका समर्थन करते हैं।

श्री अधिष्ठाता—तो आप आफिशियली प्रस्ताव पेश करें।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—लिखकर ?

श्री अधिष्ठाता—नहीं, जबानी कर दीजिये।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—तो, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि जो प्रस्ताव सदन में आया है उसको आज स्थगित कर दिया जाय और पुनर्विचार के लिये समय दिया जाय ।

श्री झारखंडेराय—जो प्रस्ताव राघवेंद्र प्रताप जी ने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि सर्वश्री बलवान सिंह, नरसिंहनारायण पांडेय, नेकराम शर्मा, जगदम्बा प्रसाद, नैनसिंह, खेम चन्द, गंगाप्रसाद वर्मा, दीपनारायण सिंह तथा बालोजी अग्रवाल का यह प्रस्ताव कि यह सदन अपने अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा को उनके पद से हटाने का निश्चय करता है, आज के लिये स्थगित कर दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष को अपने पद से हटाने का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता—अब आइटम नं० १४ सर्वश्री नेकराम शर्मा, नरसिंह नारायण पांडेय, गंगाप्रसाद, दीपनारायण सिंह तथा बालो जी अग्रवाल, इनमें से कोई इस प्रस्ताव की अनुज्ञा सदन से मांगेगा कि यह सदन निश्चय करता है कि उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल को उपाध्यक्ष पद से हटा दिया जाय ।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय उपाध्यक्ष के हटाने के संबंध में जो प्रस्ताव है उसको भी आज के लिये स्थगित कर दिया जाय ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—मैं इसका भी समर्थन करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि सर्वश्री नेकराम शर्मा, नरसिंह नारायण पांडेय, गंगाप्रसाद, दीपनारायण सिंह, तथा बालोजी अग्रवाल का यह प्रस्ताव कि यह सदन निश्चय करता है कि उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल को उपाध्यक्ष पद से हटा दिया जाय, आज के लिये स्थगित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*उत्तर प्रदेश जोत-कर विधेयक, १९६२ (क्रमागत)†

श्री अधिष्ठाता—अब श्री गंगा प्रसाद सिंह इस पर अपना भाषण आरम्भ करें।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं यह चाहूंगा कि....

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस जोतकर विधेयक पर जो बहस चल रही है वह, मुझे मालूम नहीं है और आपके इरादे को कोई ज्योतिषी ही बता सकता है कि आप इसे आज खत्म करने जा रहे हैं या नहीं । यदि आप इसे खत्म करने जा रहे हैं तो आप इस पर अपना स्पस्टीकरण कर दीजिये और यदि नहीं करने जा रहे हैं तो जैसा कि मैं यहां पर परम्परा देख रहा हूं कि ४–४, ५–५, २–२, और १–१ घंटे तक इस विधेयक पर आपने बोलने के लिये समय दिया है। अब १ बज रहा है और हमारे पास आज सिर्फ साढ़े ३ घंटे रहेंगे और इसमें आप कैसे जो सदस्य बोलना चाहते हैं उनको अवसर देंगे । इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं....

श्री अधिष्ठाता—मैं भाषण के बीच में प्रस्ताव करने की इजाजत नहीं दूंगा । भाषण में कोई प्रस्ताव नहीं हो सकता ।

---

*४ सितम्बर, १९६२ की कार्यवाही में छपा है ।

†१८ अक्तूबर, १९६२ की कार्यवाही से ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—नियम ११३(६) में मेरा प्रस्ताव है कार्यस्थगित करने का और बिना उस पर निर्णय किये हुये उसको रूल आउट किये बिना आप आगे चल ही नहीं सकते ।

श्री अधिष्ठाता—श्री गंगा प्रसाद सिंह बोलेंगे और सब लोग बैठ जायं ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—अधिष्ठाता महोदय, मेरा कहना यह है कि समाचार पत्रों में छपा है कि इस मंत्रिमंडल में मतभेद है....

श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)—अधिष्ठाता महोदय, मैं कल यह कह रहा था कि.....

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—अधिष्ठाता महोदय, मेरा निवेदन यह है कि इस मंत्रिमंडल के दो मंत्री इस जोत कर विधेयक के विरुद्ध हैं .....

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य कृपया अपना आसन ग्रहण करें।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—अधिष्ठाता महोदय, मैं वैधानिक आपत्ति उठाना चाहता हूं और इसके लिये १० मिनट का समय चाहूंगा ।

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य बैठ जायं जब कि मैं खड़ा हुआ हूं। नियम ११५(३) में लिखा हुआ है कि "अध्यक्ष कार्य स्थगित करने के ऐसे प्रस्ताव को अस्वीकृत कर सकेंगे यदि उनकी राय में प्रस्ताव सभा के कार्य में बाधा डालने या बैठक को स्थगित कराने के प्रयोजन से किया गया है।" इसके आधार पर मैं इस प्रस्ताव को रिजेक्ट करता हूं ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—अधिष्ठाता महोदय, इस मंत्रि-मंडल में मतभेद है....

श्री अधिष्ठाता—इसमें बहस की जरूरत नहीं है। भाषण होने दें ।

श्री गंगाप्रसादसिंह—अधिष्ठाता महोदय, कल मैं सार्वजनिक आय के सिलसिले में बात करते हुये निवेदन कर रहा था कि....

श्री भगवानदास (जिला मिर्जापुर)—अधिष्ठाता महोदय, गंगा प्रसाद एम० एल० ए० आप हैं इस लिये आप बोलेंगे ।

श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला एटा)—श्रीमन्, मुझे भ्रम होता है। इसलिये आप गंगा-प्रसाद जी, बलिया कह दिया कीजिये ।

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। कल से माननीय सदस्य भाषण दे रहे हैं। वह अभी खत्म नहीं हुआ। जब खत्म हो जायगा तब आपके नाम की व्यवस्था की जायगी ।

श्री गंगाप्रसादसिंह—श्रीमन्, गंगाप्रसाद जी बलिया कह दिया कीजिये, यह मेरी व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता—यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है (श्री गंगा प्रसाद सिंह से) आप अपना भाषण जारी रखें ।

श्री गंगाप्रसादसिंह—श्रीमन्, कल मैं पब्लिक एक्सचेकर के व्यय के सिलसिले में चर्चा कर रहा था कि जब तक.....

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य ने "बलियाटिक" शब्द का इस्तेमाल किया है ।

श्री अधिष्ठाता—मैंने ऐसा कोई शब्द नहीं सुना ।

श्री गंगाप्रसादसिंह—श्रीमन्, मैं यह चर्चा कर रहा था कि जब तक सार्वजनिक धन का संचालन व्यक्ति से राज्य को कर के माध्यम से और राज्य से व्यक्ति को सार्वजनिक व्यय के माध्यम से नहीं होगा तब तक सार्वजनिक कल्याण नहीं हो सकता है। यह एक सिद्धांत है और इकोनामी इसी सिद्धांत पर आधारित है। माननीय डाक्टर जेड० ए० अहमद साहब की जब तकरीर हो रही थी तो मैं उसको बड़े गौर से सुन रहा था और उन्होंने यह कह कर टाल दिया कि रूस का माहौल कुछ और था और हिन्दुस्तान का माहौल कुछ और है, लिहाजा उन सब बातों को इस तकरीर में लाने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं आपके द्वारा अर्ज करना चाहता हूं कि सन् १९२० के करीब वहां क्रांति खत्म होती है। १५ वर्ष १९३५ तक होते हैं। हमारे यहाँ १९४७ के बाद १९६२ तक १५ वर्ष होते हैं। १५ वर्ष के बाद जो आज हमारी स्थिति है, वह उनकी स्थिति से कई मानों में अच्छी है।

श्री अधिष्ठाता—क्या माननीय सदस्य और बोलना चाहेंगे ?

श्री गंगाप्रसादसिंह—अवश्य ।

श्री अधिष्ठाता—तो हम उठते हैं। दो बजे फिर बैठेंगे ।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजे उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री उपाध्यक्ष—माननीय गंगाप्रसादसिंह जी, अब आपसे अपील है, बहुत जल्दी आप इसे समाप्त कर दें ।

श्री गंगाप्रसादसिंह—श्रीमन्, मैं यह आपसे अर्ज कर रहा था कि आजादी के बाद १५ वें वर्ष में जो हमारी स्थिति है, उससे कहीं खराब स्थिति १९३५ में गृह युद्ध खत्म होने के बाद रूस की थी । लेकिन आप देखें कि १९२० में अगर एक व्यक्ति पर १०० रूबल टैक्स था तो १९३५ में वह २१३ हो गया था और अगर आप और आगे जाकर देखें तो वहां की सरकार ने मक्खन में ४४.३ परसेंट भाव कम कर दिया, दूध में ३६ परसेंट कम कर दिया, गेहूं के आटे में ४४.४ परसेंट कम कर दिया, रायी के आटे में ४४.४ परसेंट कम कर दिया । दस अंडे का भाव जो साढ़े सात रूबल का था उसको साढ़े चार रूबल तक कर दिया। मांस जो ९.७० रूबल था उसको ९ रूबल पर कर दिया। तात्पर्य यह है कि हालत खराब थी, लेकिन हालत खराब होने के बावजूद भी उन्होंने इस बात को समझा कि जब तक हम किसानों की और वहाँ के लोगों की कमाई में से काफी से काफी हिस्सा न लें और लेकर के पब्लिक एक्सपेंडीचर न बढ़ायें तब तक सार्वजनिक कार्य नहीं कर सकते । इसका नतीजा स्पष्ट है रूस भी आज अमेरिका की श्रेणी में आ गया है। अमेरिका में पर कैपिटा टैक्स बहुत ज्यादा है लेकिन साथ-साथ आमदनी भी बहुत ज्यादा उसी अनुपात से है, ठीक उसी तरह से रूस में टैक्स तो ज्यादा हुआ, लेकिन आज पर कैपिटा न्कम लें तो अमेरिका के ईद गिर्द, या उसके बराबर आ गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ पब्लिक एक्सपेंडीचर बढ़ेगा वहाँ अन्ततोगत्वा देश और प्रदेश की समृद्धि बढ़ेगी और समृद्धि बढ़ने के साथ-साथ फी आदमी की आमदनी भी बढ़ेगी, उसकी परचेजिंग कैपेसिटी भी बढ़ती जावेगी ।

अगर आप अपने देश की बात देखें तो देखने से प्रतीत होगा कि हमारे शहर और देहात की जो आमदनी है और जो खर्च है उसमें भी बहुत फर्क है। देहात में एक आदमी साल भर में २५५ रुपया खर्च करता है और टैक्स देता है ७.५ और शहर में वह साल भर में ३५२ रुपया खर्च करता है फी कस और उस पर टैक्स है २०.६ । इसके साथ-साथ आप यह भी देखें कि टैक्स शहर वाला ज्यादा देता है, देहात वाला कम, लेकिन जब आमदनी भी देखते हैं तो आमदनी में आप यह देखेंगे कि शहर वाले की, टैक्स ज्यादा देते हुए भी आमदनी ६६१ पये फी कस है तो देहात की १४३ रुपये है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक सार्वजनिक व्यय नहीं बढ़ेगा

और वह बढ़ेगा सिर्फ करों से, तब तक पर कैपिटा इन्कम का बढ़ना असम्भव है। इतना ही नहीं, अगर आप देखें तो मालूम होगा कि टैक्स का भौतिक रूप ही नहीं है, इसका मानसिक रूप भी है। आज भी बहुत से लोग केवल मेरे पास आये हुए हैं और उन से मैंने बात भी की। उनमें से ज्यादातर प्रमुख ऐसे हैं जिनको ब्लाकों में १०० और ११० सभापतियों ने चुन कर भेजा है। उन्होंने कहा कि सीधी सी बात है कि अगर हमको देश और प्रदेश की तरक्की करनी है तो हमें अपने बालबच्चों के लिये और आगे आने वाली संतानों के लिये अपना पेट काट कर देना होगा। अगर हम नहीं देते, तो उन्होंने कहा, हम समझते हैं कि हमने देश के साथ घात किया है। लोगों का भाव ऐसा है। इसमें करों का रूप भौतिक न हो कर मानसिक अधिक है और आदमी के सोचने के दृष्टिकोण पर कर का देना और न देना ज्यादातर मुनहसर है। मेरे कहने का मतलब यह है कि टैक्स पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिये जरूरी है और खसूसन उस समय जब कि पब्लिक एक्सपेंडिचर से, सार्वजनिक आय से, सार्वजनिक हित होता हो। जो उससे फायदा उठाते हैं उसे कम से कम कास्ट आफ सर्विस तो अवश्य देनी चाहिये। मैं पूछना चाहता हूं खास कर अपने पूर्वी जिले वाले दोस्तों से कि क्या यह सही नहीं है कि १९५२ के पहले उन लोगों ने ट्यूब वेल देखा था ? पूर्वी जिलों के लोग जानते भी नहीं थे कि कोई यंत्र ऐसा है कि जिससे जमीन तोड़ कर पानी निकाला जा सकता है। लेकिन आज वहां लोग उसी से सिंचाई करते हैं और अपनी खेती बढ़ा रहे हैं। प्रति दिन नल कूप की मांग होती है कि ट्यूब वेल और बढ़ाये जायं। मैं किसानों के नेताओं से प्रार्थना करूंगा कि वे देश और प्रदेश के लिये अधिक धन कर के रूप में देने को कहें और यदि वे ऐसा नहीं करते तो मैं समझता हूं कि उनका दृष्टिकोण देश के लिये सही नहीं है।

एक बात और कहना चाहता हूं। आप मालगुजारी को देखें। केन्द्र और प्रदेश में मालगुजारी का रुख हमेशा गिरावट की तरफ रहा है। १७९३ में मालगुजारी से केन्द्र और प्रान्तीय सरकारों को कुल आगम ६९ प्रतिशत तक था। यह घट कर १८९२ में ३६.५ हो गया। १९०१ में ३३.९ हो गया। १९३९ में १६.१ हो गया, १९५४ में ८.६ हो गया। कहा जाता है कि किसानों की हालत १० सालों में उतनी नहीं सुधरी जितनी कि सुधरनी चाहिये थी, लेकिन उसके जो कारण हैं उनको आंखों से ओझल नहीं किया जा सकता। मालगुजारी जो उन्होंने दी है, जो उसका रेट रहा है, वह घटाव की तरफ रहा, बढ़ने की तरफ नहीं रहा। लिहाजा बैलेंस्ड इकानामी के लिये यह जरूरी है कि कर लगाये जायं। आप कह सकते हैं कि किसान से रुपया न लिया जाय, वह बड़ा गरीब है। जितना उसका दर्द आपको है उतना हमें भी है, लेकिन हमें खतरा है कि अगर इसी प्रकार अनबैलेंस्ड इकानामी हमारे देश और प्रदेश को रही तो आगे चल कर जिस आजादी को हमने इतनी मेहनत और मशक्कत से हासिल किया है और जिन किसानों ने हासिल किया है वह विफल हो जावेगी। जिस उद्देश्य के लिये इतना कष्ट सहा गया है वह उद्देश्य आगे चल कर विफल हो जायगा। हमारे देश की गरीबी दूर करने का स्वराज्य ही एक साधन था लेकिन यह गरीबी दूर नहीं हुई है। जब किसान आजादी की लड़ाई लड़ रहा था उस वक्त उसकी हालत आज से बहुत खराब थी, और उस वक्त उनकी जमीन तथा घरों की कुड़की हुई उन पर जुर्माना हुए, लेकिन उन्होंने यह समझा कि जब तक हम कुरबानी करेंगे नहीं तब तक हमको कुछ हासिल नहीं होगा। जिस वातावरण या माहौल में आदमी रहता है वैसे ही उसके विचार होते हैं। किसान यह भी जानता है कि जमीन में वह चना डालता है तो चना पहले फूटता है और फूटने के बाद उसमें कल्ला निकलता है और जिस चने में कल्ला निकलता है उसमें ही चना पैदा होता है और जो चना अपने को फोड़ता नहीं है वह उसी में सड़ जाता है। इसलिये वह समझता है कि जब तक हम कुरबानी नहीं करेंगे हमको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जनसंघ के नेता चाहे जितना किसानों को भड़कायें किसानों की त्याग शक्ति में कमी नहीं हो सकती। लिहाजा आज की स्थिति में मैं कम्युनिस्ट नेता श्री जेड०ए० अहमद साहब, श्री गेंदा-सिंह और सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं से अनुरोध करूंगा कि जनसंघ की गति विधि से सचेत रहें। खतरे का सामना है। यह जनसंघ का आन्दोलन जो चलाया जा रहा है यह हमारे हिन्दुस्तान और प्रदेश के लिये बड़ा खतरनाक है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज जो आन्दोलन हो रहा है

[श्री गंगाप्रसादसिंह]

उससे हमने जो आजादी की कमाई की है जिसमें आप सभी का सहयोग रहा है वह खतरे में पड़ रही है । आज हमारा कर्त्तव्य है कि जो तानाशाही प्रवृति जनसंघ तथा स्वतंत्र पार्टी आदि की है उसका हम सब मिल कर मुकाबला करें । आज यह मौका नहीं है कि आप उनकी तानाशाही प्रवृत्ति में सहायक हों ।

मैं श्री झारखंडे जी को एक बात की और याद दिलाना चाहता हूं जो कि १९२१ की बात है। रूस में जरमन का इन्ट्रेस्ट था अमेरिका का इन्ट्रेस्ट अलग था । लेनिन इस से काफी खतरा महसूस करता था। लेनिन रूस के लोगों से कह रहा था कि रूस ने बड़ी कुरबानी के बाद आजादी हासिल की है उसके लिये अब पैसे की जरूरत है । उस वक्त जिसके पास जो पैसा था वह लेनिन की झोली में डाल दिया । वहाँ पर सोफिया भी खड़ी थी वह लेनिन के पास पहुंच नहीं सकती थी, परन्तु किसी प्रकार उसको लेनिन के पास लाया गया उसने कहा कि मेरे पास यही एक चीज है जो कि मेरी शादी के वक्त मेरे शौहर ने दी थी ।

एक सदस्य—श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आपने आधा घंटा दिया था । जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं उन्होंने तो कल भी बोल लिया क्या अभी वह आधा घंटा पूरा नहीं हुआ ? हम लोगों को क्या समय नहीं दिया जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष—श्री गंगाप्रसादसिंह से जल्दी से आप समाप्त कीजिये ।

श्री गंगाप्रसादसिंह—श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि उस स्पिरिट की कद्र करनी चाहिये। सोफिया ने कहा कि बेटा मेरे पास सिर्फ यही एक चीज है, जिसको मैंने बहुत संभाल कर रखा है अपनी जिन्दगी में। अगर इसका कुछ भी उपयोग हो सके देश के काम के लिये तो लेजाओ। मैं पूछता हूं कि क्या वही स्थिति हमारे प्रदेश में नहीं है ? क्या यहाँ भी उसी भाव से कार्य नहीं करना चाहिये ? मैंने शुरू में ही कहा था कि धन का संचालन व्यक्ति से राज्य को कर के माध्यम से न होगा तब तक वह राज्य कल्याणकारी नहीं बन सकता है । यही इकानामी का मूलबन्ड है ।

एक बात और कहूंगा कि हम इस देश में ८० फीसदी किसान और मजदूर रहते हैं जो प्रगतिशील शक्तियां हैं । ऐसी स्थिति में आज हम सब का पुनीत कर्त्तव्य हो जाता है कि जितनी प्रगतिशील शक्तियाँ हैं वह सब मिल कर देश को आगे बढ़ायें । आज देश के चारों तरफ खतरा है जब कि सरहद पर खतरे की स्थिति है और देश के भीतर जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी खतरे की स्थिति को और बढ़ावा दे रहे हैं। तो आज सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी आदि सब को यह चाहिये कि मिल कर देश के भीतरी और बाहरी खतरे का मुकाबला करें । इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं और श्री गेंदा सिंह जी, श्री झारखंडे राय जी तथा अन्य सब साथियों से यह अपील करता हूं कि आज की स्थिति में इस प्रस्तुत विधेयक का विरोध न करें बल्कि आप लोगों से आशा है कि इस विधेयक को बल दें और पारित करें, हमारे प्रदेश के किसानों की हालत सुधारने में सहायता करें । यही हमारी कामना है ।

(व्यवधान)

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—श्रीमन्, आज इस विधेयक को चलते हुए १०वाँ दिन है इसलिये अन्य माननीय सदस्यों को भी बोलने का मौका दिया जाय । इसके लिये समय २० मिनट निश्चित कर दिया जाय और विभिन्न दलों के नेताओं के लिये और मंत्रीगण के लिये १ घंटा निश्चित कर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय दीपनारायण जी का भी इसी तरह का प्रस्ताव है तो...

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, मुझे एक चीज निवेदन करनी है कि मेरी माननीय अध्यक्ष महोदय से बातचीत हुई थी टेलीफोन पर तो उन्होंने कहा था कि ४५ मिनट से ज्यादा मत बोलियेगा । वह मैं आपको बतला रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—मुझसे अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि आपको आधा घंटा मिलेगा ।

कुंवर श्रीपालसिंह—श्रीमन्, उन्होंने मुझसे कहा है कि ४५ मिनट से ज्यादा मत बोलियेगा ।

(व्यवधान)

श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सोशलिस्ट पार्टी के नेता को स सदन से मुअत्तल कर दिया गया है । लिहाजा हम तो उतना ही समय लेंगे जितना कि अन्य पार्टी के सदस्यगण लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—वह तो माना जायगा ।

प्रश्न यह है कि भविष्य में इस बिल पर बोलने के लिये सदस्यों के लिए २० मिनट से ३० मिनट तक, नेताओं और मंत्रियों के लिये १ घंटा तक का समय निश्चित कर दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

काजी जलील अब्बासी (जिला बस्ती)—मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है । ३ आदमी उधर से बोल चुके हैं, इधर से १ बोले हैं और हमको अध्यक्ष महोदय ने यह कहा था कि हमें समय मिलेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—आप विराजिये, आपको भी समय मिलेगा ।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—मैंने प्रार्थना कई बार की कि मुझे समय मिले, मैं सोमवार को सदन में नहीं रहूंगा । यह विधेयक वहां से भी संबंधित है जिस जगह से मैं चुनकर आया हूं, मुझे टाइम दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—जिसका टर्न आयेगा और जैसी स्थिति होगी उसके अनुसार समय दिया जायगा । हमारा मंशा यह है कि जो साहब बोलना चाहते हैं और कितना समय, वह जरा आ जायं तो ठीक है ।

श्री रतीपाल—हमारी तरफ से एक भी नहीं बोला । हमारे तो नेतागण को इस सदन से बाहर कर दिया गया, उग्रसेन सिंह को भी, तो हम लोगों को बोलने के लिये काफी समय दिया जाना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—एक साहब आपके बोल लिये हैं ।

श्री लखपतराम शर्मा—१०-१२ रोज से २-३ नाम हमारी तरफ से बराबर जाते हैं, हम लोग भी वैसे ही चुनकर आये हैं, हमारी सुनवाई क्यों नहीं होती ?

श्री उपाध्यक्ष—अब तो समय निर्धारण हो गया, अब देखें कौन कितनी कुर्बानी करता है, सबको समय मिलेगा ।

श्री नरदेवसिंह (जिला बिजनौर)—व्यवस्था का प्रश्न है । मुझे कभी मौका नहीं दिया गया, मेरी प्रार्थना पर कोई गौर नहीं किया गया, यह कोई अच्छी बात नहीं है । क्या आप इजाजत नहीं देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप विराजिये ।

श्री नरदेवसिंह—जो किसी दल से चुनकर नहीं आया उसे आप समय नहीं देंगे ? कभी कोई मौका आयेगा या नहीं आयेगा ? यह क्या तमाशा बना रखा है ?

श्री उपाध्यक्ष—मैं वादा नहीं करने वाला हूं, आप बैठ जाइये ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—एक व्यवस्था का प्रश्न है । इस सदन के विरोधी पक्ष की संख्या १८० है और हर पार्टी के सदस्य इस बिल के विरोध में हैं । आज समाचार-पत्रों में एक समाचार प्रकाशित हुआ है कि कांग्रेस के ७० आदमियों ने एक आवेदन पत्र इस आशय का लिखकर मुख्यमंत्री को दिया है कि यह बिल वापस हो जाय, अनेक कारणों से वह इसको ठीक नहीं समझते हैं । तो अब २५० आदमी इस बिल के विरोध में स्पष्टरूप से आ चुके हैं । ऐसी स्थिति में इस बिल पर बहस की जो पूरी कार्यवाही है वह, असंवैधानिक है और वह गैर कानूनी तरीके से की जा रही है .....

श्री उपाध्यक्ष—इस पर रूलिंग हो चुकी है, यह तो बाहर की बात है । (व्यवधान) यहाँ तो वोटिंग होगी, उस वक्त अगर बहुमत इस बिल के विरोध में होगा तो यह वापस हो जायेगा । अब विराजिये ।

श्री झारखंडेराय—श्रीमन्, बहुमत जानने के कई तरीके हैं । यह सदन के समय का दुरुपयोग हो रहा है इस तरह से ।

श्री उपाध्यक्ष—जो सबसे अच्छा तरीका बहुमत जानने का असेम्बली में है वह किया जायेगा । आप अब विराजिये । इस पर वोटिंग होगी, कल होगी, परसों होगी, रोज तो वोटिंग होती है । (व्यवधान) आप अगर क्लोजर लाना चाहते हैं तो ले आइये ।

कुंवर श्रीपालसिंह—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं और कुछ निवेदन करने से पहले यह निवेदन करना चाहूंगा कि उस दिन माननीय बनारसीदास जी ने, जो कैबिनेट के सदस्य भी हैं, विद्वान भी हैं, लम्बे चौड़े भी हैं, सीने से पेट भी बड़ा है, सब कुछ है, लेकिन जिस प्रकार की भाषा और भावनाओं का उन्होंने व्यक्तीकरण किया उससे मुझे तकलीफ हुई । उन्होंने श्रीमन्, चैलेन्ज भी किया, और चैलेन्ज जब स्वीकार किया गया तो उस तरफ के लोग कहने लगे कि सब जायदाद बीबी के नाम पर कर दी है । इस पर मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय बनारसीदास जी यह भूल गये कि चैलेन्ज स्वीकार करने वाला एक मोछों वाला आदमी है और मोछें भी ऊपर की तरफ चढ़ी हैं नीचे वाली मोछ नहीं हैं । श्रीमन्, ऐसी भावनायें उस तरफ के पीछे बैठने वालों की हुई क्यों ? क्यों उन्होंने ऐसी बात कहीं ? इसमें बड़ा राज है । उनके कहने का मतलब एक प्रचार करना है । श्रीमन्, गोस्वामी जी ने कहा है—"साधु, चोर और लम्पट, ज्ञानी । जस आपनि तस सबहीं जानी ।" इसमें दो चीजें उन्होंने कही हैं और ४ शब्द हैं—साधु, चोर, लम्पट और ज्ञानी । इस पर थोड़ा प्रकाश डालना आवश्यक समझता हूं । साधु का मतलब है जो साधुतायी करे और ऐसा चैलेन्ज एक्सेप्ट करे जैसे कि एक पहलवान एक दूसरे पहलवान के चैलेन्ज को एक्सेप्ट करता है । दूसरे नम्बर के वे लोग हैं जो इन्कम टैक्स को छिपाने के लिये, बचाने के लिये, तीन-तीन बहीखाते रखते हैं, जो सीमेंट और बालू का प्रोपोर्शन इतना बढ़ा कर किसी काम को करते हैं कि सरकारी का लेकर के, एक बाढ़ आयी और सारा सामान बह गया । जिस जगह १/३ का मसाला लगना चाहिये, वहाँ पर १।१२ का मसाला लगा कर पया जेब में डालते हैं । श्रीमान्, आटे में मट्टी मिला कर बेची गयी । मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर कोई चाहेंगे तो उसका नाम भी बतला दूंगा, यहां तो नहीं कहूंगा, आटे में मिट्टी मिलाई गई और वह आटा जनता को खिलाया गया । सरकारी इन्सपेक्टर ने आटे में मिट्टी मिलाते वक्त मिल मालिक को पकड़ा तो उस बेचारे की उन्हीं मजदूरों द्वारा जिनसे मिट्टी मिलवाई जारही थी, खूब ठुकवाई की और क्वार्टर में बन्द करा दिया गया । वही लोग आज इस मंत्रिमंडल में हैं । सबेरा होते ही उस मिल ओनर ने आकर एक माननीय मन्त्री के यहां सलामी धरी और इन्सपेक्टर मुअत्तल हो गया । मिट्टी मिला आटा जनता के पेट में चला गया । ५०० आदमी गैस्ट्रोइंट्राइटिस से मर गये लखनऊ में ही ।

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—किसके लिये कह रहे हैं ?

कुंवर श्रीपालसिंह—अपने काग़ज़ात सप्लाई वाले देख लीजिये। उस वक्त आप नहीं थे, इतना मैं जानता हूं।

कहने का मतलब यह है कि उन ब्लैकमार्केटीयर्स ने बीबियों के नाम खाते जमा किये हैं जनता का पेट काट कर। मैं क्षमा चाहूंगा। जिन लोगों ने वह आक्षेप किया है अगर आज उनके बैंक बैलेंसेज़ देखे जावें, अगर उनके पेट पर सदरी के नीचे देखा जाय, तो वही निकलेगा जो उनके मुंह से निकलता है। एक मर्तबा मौका हुआ सतरामदास ढालामल जौहरी की दूकान पर जाने का जहां एक मंत्री जी की बीवी जवाहिरात खरीदने के लिये आई हुई थीं। उन्होंने एक हीरा देखा और दाम पूछा। कील थी नाक की। जौहरी ने सही दाम बतलाया। उन्होंने कहा कि यह बड़े कम दाम का है। तो उसने एक पुखराज दिखलाया और दाम ज्यादा बतलाया। तो उन्होंने कहा कि हां, इसे लेंगे। पुखराज और हीरे में वही अन्तर है जो नकली और असली में होता है। वह कम और ज्यादा दाम पर गई, असली और नकली पर नहीं। जिस दिन लोगों ने कहा कि बीवी के नाम कर दिया है उसी दिन से मैं यह स्टाम्प लेकर अपने नाम का, यहां आता हूं। हिम्मत कीजिये। आप भी तो वकील हैं। मैं बान्ड पत्र लिख कर दिये देता हूं। तो इस किस्म की जो बातें कही जाती हैं वे बहुत ही लचर हैं।

श्रीमन्, एक बात मैं निवेदन करूंगा। माननीय बनारसीदास जी ने धननाद के स्वरों में आक्षेप किया कि जनसंघ का इस मामले में प्लैबीसाइट डिमांड करना वैसा ही है जैसे काश्मीर में पाकिस्तान का है। मैंने १२ मई को गवर्नर साहेब को एक पत्र लिखा था, जब यह बिल सरकार के गर्भ में ही था और पैदा नहीं हुआ था मगर मुझे ज्योतिषी की तरह से मालूम हो गया था कि यह बिल इस सरकार के पेट से निकलने वाला है। मैंने उस पत्र में तीन सुझाव दिये थे। या तो इस बिल पर हां और नहीं में चुनाव कराया जाय सारे प्रदेश में, या यदि माननीय मंत्री जो कहें कि इसमें खर्चा बहुत होगा, तो कोई एक कंस्टीट्यूऐंसी चुन कर उसमें कराया जाय। अगर इस पर भी राज़ी नहीं होते हैं तो सदन के सदस्यों को वोट करते समय ह्विप से आज़ाद कर दें और अगर उसके बाद यह बिल पास हो जाय तो हमारे सिर-आंखों पर होगा। जब मैंने उस पत्र को अखबार में दे दिया तब माननीय मुख्य मन्त्री जी का एक पत्र मेरे पास आया। कांग्रेस पार्टी की कर-वृद्धि से सम्बन्धित नीति के बारे में आप ने लिखा है कि उसके बारे में कांग्रेस पार्टी तो आम चुनाव से पूर्व ही अपने विचार स्पष्टरूप से जनता के समक्ष प्रस्तुत कर चुकी है। यह एक निश्चित चीज़ उन्होंने कही। जनता के समक्ष क्या विचार प्रस्तुत किये उन्होंने? यह उनके इलेक्शन मनीफेस्टो में है। उसके ४०वें पैराग्राफ में थोड़ी सी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के बारे में झलक दी है। मगर अन्त में इस पेराग्राफ में लिखते हैं कि कर-निर्धारण तथा अन्य साधनों द्वारा ऊंची शहरी आमदनियों को कुछ सीमित रखना ज़रूरी है ताकि आर्थिक विषमताओं को कम किया जा सके। यह उन्हीं का घोषणा पत्र है। इस पर डबल बैल छपा है। उन्होंने जो यह कहा कि इस किस्म की चीज़ है, मैं सीधे चैलेंज करता हूं कि इन्होंने बिलकुल ग़लत बात कही। उसमें शहरों में टैक्स लगाने की बात थी। चुनाव घोषणा-पत्र ही नहीं, यदि हम कांग्रेस का इतिहास उठा कर देखें तो सन् १९१८ और १९२० से बराबर किसानों के बारेमें यही प्रस्ताव पास होते आये हैं कि किसानों की मालगुजारी नहीं बढ़ाई जायगी। मगर अब मालगुजारी का शब्द छोड़ कर टैक्स का शब्द रखा है। क्या रंग बदला है गिरगिट की तरह से। जैसे जहां तीन बही खाते चलते हैं वहां चौथा और खोल दिया। पड़ेगा तो वह किसान की खोपड़ी पर ही चाहे जो कुछ नाम उस का यह सरकार रखे। इस तरह से जो यह बात कही गई यह बिलकुल सत्य से परे है।

एक लांछन बनारसी दास जी ने लगाया जनसंघ के ऊपर। उन्होंने कहा कि इस बात पर प्लैबीसाइट करना ठीक वैसा ही है जैसे काश्मीर में प्लैबीसाइट की डिमान्ड की जा रही है। क्या उम्दा बात कही। इसे सुन कर मैं क्या कहूं कि मेरी तबियत क्या हो गई? काश्मीर के प्लैबीसाइट की यहां से क्या तुक? यह मेरी समझ में नहीं आया। काश्मीर में "प्लैबीसाइट की

[कुंवर श्रीपालसिंह]

१६ आने जिम्मेदारी माननीय बनारसी दास जी के दल पर है। जिस समय, श्रीमन्, हमारे भारत के वीर जवान अपनी संगीनों की नोकों से और गोलियों से पाकिस्तान बर्बरों का संहार करते हुए अपनी दबी हुई जमीन छुड़ा रहे थे और दिन प्रति दिन चोटियों से मैदानों में तिरंगा-झंडा फहरा रहा था, उस समय किसने उन्हें रोका? जन संघ ने नहीं रोका। इतना ही नहीं, अपनी कुर्सियों को पकड़ने के लिये, केवल कुर्सियों के लालच में, मेरा सीधा आरोप है कांग्रेस के ऊपर में भी कांग्रेस में सन् १६३५ से १६४७ तक था और सन् १६४७ में कांग्रेस को मुल्क के बटवारे के आधार पर छोड़ा था—उन्होंने मुल्क का बटवारा कराया। कोई भी कांग्रेस का जिम्मेदार व्यक्ति बतलावे कि सन् १६४२ में सर स्टैफर्ड क्रिप्स जितना कुछ लेकर देने के लिये भारत वर्ष में आया था उससे एक इंच भी ज्यादा माउंटबेटन ने दिया है शुरू में? यदि उतना ही उन्होंने दिया तो उस समय तो इंकार किया गया और फिर मांगा गया। उसका कारण क्या था? उसका कारण यही था कि कुर्सी पकड़ो। तबियत नहीं मान रही थी। दिल के अन्दर वह दर्द नहीं रह गया था कि माता के अन्दर छेद करने से क्या नतीजा होगा। क्या जनसंघ की बदौलत हमारी मातायें और बहनें नंगी कर के सड़कों पर घुमाई गई हैं? जनसंघ की बदौलत २–३ सौ माताओं ने कुएं में कूद कर जान दे दीं? जनसंघ की बदौलत ५०० से ज्यादा औरतों को नंगा कर के सड़कों पर निकाला गया? जनसंघ की बदौलत लोगों को खड़ा कर के उनकी पीठ में गोली मार कर खत्म कर दिया गया? और क्या जनसंघ की बदौलत भारत माता के पवित्र और भव्य अंग को क्षत-विक्षत कर दिया गया?

काश्मीर के प्लेबिसाइट से मुकाबला किया गया। पाकिस्तान का जनसंघ से मुकाबला किया गया इसके लिये मैं एक ही बात माननीय बनारसी दास जी के लिये कह सकता हूं, शायद आप उसे असंसदीय बतायें लेकिन मैं उस को साबित कर दूंगा कि वह संसदीय है। ऐसा कह कर उन्होंने अनर्गल बात कही है। माननीय बनारसी दास जी कहेंगे कि टैक्स के लगाये जाने के बारे में तो हमने चुनाव से पहले ही घोषणा कर दी थी फिर प्लेबीसाइट की क्या आवश्यकता है, इसका जवाब मैंने पहले ही दे दिया कि आप के घोषणापत्र में स्पष्ट रूप से यह लिखा हुआ है कि शहरों पर टैक्स लगाया जायेगा। लेकिन अब शहरों पर बढ़ाने के साथ-साथ आप गांवों पर भी कूद पड़े। इस लिये इस तरह से भी काश्मीर वाली बात एक दम गलत मालूम पड़ती है।

एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं कि बहुमत हमारे पक्ष में है, यह कह देने से ही काम चलने वाला नहीं है। मैं कहता हूं कि मेरे पक्ष में है लेकिन मेरे कहने से भी कुछ नहीं होगा। मैंने २३७ सदस्यों के दस्तखत करा कर दिये थे कि इस विधेयक को वापस ले लिया जाय। इसके अलावा वह जो अपील थी वह मुख्य मन्त्री जी के नाम नहीं थी, कांग्रेस दल के नेता के नाम से नहीं थी, वह तो नेता सदन के नाम से थी जो पूरे सदन का नेता होता है। तो ४३१ में से २३७ सदस्यों के दस्तखत करा कर दिये, ६७ एक बार और १७० एक बार। अब बताया जाय बहुमत किसके साथ है? फिर वे कैसे कहते हैं कि इस बिल को वे पास करा कर छोड़ेंगे? माननीय बनारसीदास जी धोखे में हैं, वे जरा सोचें, नाक के नीचे जमाना दूसरा आ गया है। अंग्रेज भी पहले इन्हीं कुर्सियों पर थे और वे भी यही सोचा करते थे।

मैंने पहले समझा था कि माननीय गुप्त जी किसी दूसरे ढंग से सोचने लगे हैं लेकिन एक दो मर्तबा मुझे ऐसा मौका मिला और मैंने देखा कि जिस समय वे अपने मस्तिष्क से सोचते हैं, अपने विचार प्रकट कर देते हैं, वे एक तरह के होते हैं। लेकिन जैसे विक्रमादित्य के जमाने में उसके दो दूत थे अगिया, कोइलिया और इसी प्रकार से शैतान के दो दूत हैं मुनकीर और नकीर। उसी प्रकार से माननीय गुप्ता जी के भी अगिया और कोइलिया हैं जब उन लोगों के भावों और भाषा को माननीय गुप्ता जी प्रकट करते हैं तो वह किसी की समझ में नहीं आते। जब उनका स्वयं का डिसीजन होता है तो वह बहुत ही उच्च कोटि का होता है और जैसा एक मुख्य मन्त्री का होना चाहिये वैसा होता है। मगर मुश्किल तो यह है कि उसका अवसर ही बहुत कम आता है।

बनारसी दास जी ने मुकाबला करते-करते जनसंघ का मुकाबला द्रविड़ मुनेत्र कज़गम से कर दिया। कुछ कहने का भी एक तुक होता है, कोई बात कही जाती है तो कुछ समझ बूझ कर कही जाती है। जनसंघ तो वह संस्था है जिसका प्राण देश भक्ति है, देश भक्ति के आधार पर ही जिसका प्रत्येक सदस्य भारत माता के चरणों में न्योछावर होने के लिये समुत्सुक है, उसका मुकाबला द्रविड़ मुनेत्र कज़गम से कर दिया गया जो देश का बटवारा कराने की चाल चल रहा है। मैं बनारसी दास जी से जानना चाहूंगा कि भाषा के आधार पर देश का बटवारा करने की खुराफात किसके दिमाग़ से निकली है, नदियों और तालाबों के आधार पर देश का बटवारा करने की खुराफात किसके दिमाग से निकली है? क्या यह जनसंघ के दिमाग से निकली है? अगर संसार में जनसंघ के ऊपर सब से बड़ा लांछन कोई हो सकता है तो वह है देशद्रोहिता का, जिसे चाहे किसी ने भी किया हो, उसे हम बर्दाश्त करने के लिये तैयार नहीं हैं। हम देश के अपने रक्त का एक एक बूंद देने के लिये तैयार हैं। हम किसी व्यक्ति की भी देशद्रोहिता नहीं बर्दाश्त कर सकते, चाहे वह हमारा लड़का ही क्यों न हो। और आज हमारा मुकाबला द्रविड़ मुनेत्र कज़गम और पाकिस्तान से किया जा रहा है, जो एक ही माता के गर्भ से पैदा हुआ और एक ही मिट्टी में खेला, एक ही जलवायु में पला, वह उसी माता के पेट में छुरा भोंकने के लिये तैयार है। हमारा देश तो हमारा प्राण है और उसके लिये हम सब कुछ करने के लिये तैयार हैं। इतना ही नहीं, जो कोई ग़लती करता है, हम उस को भी सुधारने के चक्कर में हैं। हम चाहते हैं कि हमारी भारत माता का जो स्वरूप अरबों साल से हमारे सामने था और जिस स्वरूप के लिये हमारे पूर्वजों ने एक दो ने नहीं, दस बीस ने नहीं बल्कि लाखों और करोड़ों ने अपने प्राण दिये हैं, हंसते-हंसते आग से खेले हैं, हंसते हंसते भारत माता के चरणों में अपना सब कुछ न्योछावर कर दिये हैं, हम तो उस नक्शे को देखना चाहते हैं जिसे कि आप भ्रष्ट करना चाहते हैं। हमारा तो अखंड भारत का मामला है।

बनारसी दास जी ने एक बात और कही थी। चीन के मामले को लेकर उन्होंने इस टैक्स के मामले से मिला दिया। समझ में नहीं आता कि चीन से और टैक्स से क्या सम्बन्ध है, अगर कोई सम्बन्ध है तो वह आप के खिलाफ है। गवर्नर साहब को जो चिट्ठी मैंने लिखी है उस में भी इस बात को उठाया है कि इस वक्त आर्थिक मामले को उठाना बिलकुल अनुपयुक्त है। अगर आप हमें आन्दोलन छेड़ने के लिये मजबूर करते हैं और कोई आन्दोलन छिड़ता है तो वह गलती आप की होगी कि आप मजबूर करते हैं आन्दोलन छेड़ने के लिये। हमारे पास और क्या चारा है? हमने तीन चार सुझाव दिये कि इस वक्त इस बिल को आप मत लायें लेकिन आप उसे नहीं मान रहे हैं और जो कुछ आप करना चाहते हैं करते हैं और हम लोगों को देशद्रोही करार देने की कोशिश करते हैं लेकिन हम लोगों पर देशद्रोहिता का लांछन नहीं लगाया जा सकता है। उस दिन बनारसी दास जी ने एक चुनौती दी थी और आज मैं भी उनको चुनौती देना चाहता हूं। हो सकता है कि वे आज कल कसरत वगैरह करते हों और पहलवानी भी करते हों, लेकिन मेरी बदकिस्मती यह है कि मैं पहले पहलवानी करता था लेकिन अब तो बिलकुल गिरा पिटा हूं लेकिन एक पहलवान की तरह से मैं बनारसी दास जी को चैलेंज करता हूं कि मेरे—इस चैलेंज को वे अपने विक्रमादित्य से एक्सेप्ट करावें और वह यह कि माननीय गुप्ता जी इस सदन के नेता हैं, आज देश और प्रदेश के एक ही नहीं बल्कि दस बीस ऐसे करोड़पति उनकी मुट्ठी में हैं जिनसे वे चाहें तो एक मर्तबा में नींबू की तरह से गार कर पूरा रस निकाल लें। लेकिन गुप्ता जी के हाथ में गवर्नमेन्ट है और उस की पूरी फौज है, तो वह दें इस्तीफा अपनी कांस्टीटुएंसी से और मैं भी इस्तीफा देता हूं असेम्बली से उस के बाद मैं अपने घर की कांस्टीटुएंसी के विषय में तो कैसे कहूं वह तो शिड्यूल्ड कास्ट की बना दी गई है, उस से तो हम खड़े नहीं हो सकते, गुप्ता जी अपने घर वाली लखनऊ की कांस्टीटुएंसी से खड़े हों किशोरी जी से इस्तीफा दिलवा कर और मैं भी गुप्ता जी से यहां लखनऊ से लड़ता हूं और अगर उसमें गुप्ता जी जीत जाते हैं तो वह एक नहीं हजार तरह के बिल लायें मैं हाथ उठा कर जनसंघ से कहूंगा कि अब तुम उनका साथ दो और अगर वह ऐसा नहीं कर सकते तो इस तरह की बात उधर से कहना उचित नहीं है।

[कुंवर श्रीपालसिंह[

एक चीज और निवेदन कर दूं, बड़े जोर के साथ माननीय बनारसीदास जी और हमारे बुजुर्ग ठाकुर साहब इस वक्त नहीं हैं, उन्होंने समझावन-बुझावन लाल का किस्सा सुनाया था और यहां तक कह गये कि मूंछ उखाड़ कर किसानों से रुपया वसूल किया जाता था और पता नहीं यह कहां होता था। वही जमींदारी खत्म करने का पुराना दगा हुआ कारतूस बार-बार दागा जाता है और जिसकी टोपी भी नहीं रही वह अन्दर ही पिट से अब हो जाता है, घोड़े की आवाज टोपी तक भी नहीं आती। उन्होंने कहा कि जनसंघ के ऊपर मछहा लगा रखा है, उनका मतलब यह था कि जनसंघ को जमींदारों ने मक्खी की तरह से घेर रखा है। जनसंघ के सिद्धान्त ऐसे नहीं हैं, उस के ऐसे दृढ़ सिद्धान्त हैं, उसके ऐसे तपस्वी और त्यागी कार्यकर्ता हैं कि उस पर मछहा लगेगा लेकिन वह दूसरी तरह से लगेगा (व्यवधान और हंसी)। मगर आप की क्या हालत है, आप की बुढ़िया कांग्रेस तो मुंह पर झुर्री पड़ी हुई लेकिन पाउडर लगाये हुए और सिकुड़े गालों पर लाली चिपकाये हुये नौजवान लड़कों को किस काम के लिये फंसाती है? जनसंघ को तो घेरा है जमीदारों ने और यहां कांग्रेस ने घेरा है जमीदारों को, वहां जमींदार घेरते हैं यहां यह घेरते हैं। जब हमारी तरफ से श्री मदन पांडेय को हराने की आवश्यकता हुई तो लल्लन साहब को खड़ा किया गया सिस्वा बाजार से, जब माननीय अवधेश प्रतापसिंह को हराने की बात आई तो अखंड प्रताप सिंह को खड़ा किया गया और जब यादव जी को हराने की बात आई तो राजा साहब सिसेंडी को इन्होंने खड़ा किया जब इनको कोई नहीं मिला। यह क्या है, यह किसने किया, यह लोग किस नक्शे के बने हैं। हमारा क्या, हमारी तो ४० साल की उम्र बीत गई तो नई उम्र की संस्था में घुसते हैं और आप की पोपले मुंह की बुढ़िया कांग्रेस गालों पर लाली लगा कर नये-नये लौडों को किस लिये ढूंढ़ती है। (हंसी)

एक चीज और निवेदन कर दूं, मैंने अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया था कि मुझे ४५ मिनट दिये जायं तो उन्होंने मान लिया था। जब मुझको सदन नहीं सुनना चाहेगा तो स्वयं मैं बैठ जाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष---उस हिसाब से आप के १५ मिनट रह गये हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह---अब मैं बिल पर ही आ रहा हूं। थोड़ा सा एक निवेदन कर दूं, बड़े मजे से कहा बनारसी दास जी ने--बहुत सी पार्टियां ऐसी हैं जो अमेरिका का रुपया नेपाल के जरिये से मंगा कर धर्म पर खर्च करती हैं। क्या उम्दा बात कही, वही अपने बही खाते वाली बात। मैं यह कहूंगा कि जनसंघ जिस तरह से रूस का रुपया मंगा कर हिन्दुस्तान में खर्च करने वालों को गद्दार समझता है उसी तरह से अमेरिका का रुपया भी खर्च करने वालों को गद्दार समझता है और इस लिये मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं, जोर के साथ कहता हूं कि पकड़िये ऐसे लोगों को। इसे हम किसी सूरत में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं। यह देशद्रोहिता का काम है। आप नहीं पकड़ते हैं तो आप उस इल्जाम से खुद भी नहीं बच सकेंगे। देशद्रोही को बचाना उससे बड़ी देशद्रोहिता है। आप द्रविण मुनेत्र कजगम जैसी संस्थाओं को जीवित रखे हुए हैं और उन संस्थाओं को जिन्दा रखे हुए हैं जो रूस की तरफ हमेशा आंख उठा कर देखती हैं। गंगा प्रसाद जी ने बड़े ठाठ से लेनिन, स्टेलिन, कार्ल मार्क्स का नाम लिया और ट्राटस्की का नाम नहीं लिया। वह कौन थे? इसका कारण है सरकार का बही खाता। कहना कुछ और लिखना कुछ, इनकम टैक्स के एसेसमेंट से बचने के लिये रिटायर्ड इनकम टैक्स के बड़े-बड़े अफसरों को, जिनसे गुप्ता जी रात को टेलीफोन पर नीबू निचोड़ते हैं, वे लोग १,०००, १,२०० रुपये माहवार पर रखे हुए हैं। तो यह तीसरा बही खाता है, कहते कुछ हैं और करेंगे कुछ।

अब किस चीज के लिये यह बिल ले आ रहे हैं? ले आ रहे हैं धारणाधिकारों की प्रणाली के विकास को प्रोत्साहित करने के लिये। मेरी समझ में तो इस से यही एक चीज आई जैसे गंगा सिंह जी कह रहे थे---सब भूमि सरकार की और किसान हो जायगा किरायेदार। जिस दिन चाहेंगे बनारसीदास जी उनकी गर्दन पर सवार हो जायं और कह दें छोड़ दो जमीन को। जमींदार को तो बेदखली के लिये दावा दायर करना पड़ता था लेकिन सरकार को इसकी

भी जरूरत नहीं होगी। जब चाहेंगे यहां हाथ उठा कर पास करा लेंगे। किसान आयेगा सत्याग्रह करने तो किन शब्दों में सम्बोधित किया जायगा —मैं नाम नहीं लूंगा—एक उच्च कोटि के व्यक्ति ने गुंडई शब्द का प्रयोग किया और कहा कि यह गुंडई है। हम लोगों को कहा जाता है कि ये किसानों के नये मसीहा हैं। जिस वक्त मुझसे कहा गया मैं बड़ा प्रसन्न हो गया। मेरा सीना डेढ़ गज का हो गया। मैं भूल गया कि मैं ७ साल से बीमार हूं। मैंने समझा कि मुझे सही टाइटिल मिला है। मैं उस टाइटिल को एक्सेप्ट करता हूं और मैं कहता हूं कि हम हैं किसान के मसीहा और हम किसानों की मरती हुई लाश के अन्दर संजीवन बूटी पिलाना चाहते हैं और उस भारतवर्ष का नक्शा ले आना चाहते हैं जिस नक्शे के लिये माननीय विकल जी विकल हैं। ये जो पुराने वाले मसीहा हैं या क्या हो गये? ये जर्राह हो गये। ये क्या करते हैं? उन्होंने सोचा कि किसान मर गया, उसका क्या करें। पोस्टमार्टम करें। पोस्टमार्टम इसलिये नहीं कर रहे हैं कि क्यों मर गया, इसलिये कि जो निकिल वाली दोअन्नी रह गयी है....

(व्यवधान)

सुन लीजिये। चांदी वाली दुअन्नी देखने को नहीं मिलेगी। अब आप शायद भूल गये होंगे बहुत दिन हो गये। पीतल वाली दुअन्नी भी पता नहीं कहां चली गयी। दस नये पैसे वाला जो चौखुंटा निकला है उसको खोजने के लिये ये किसान का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। इसलिये नहीं कि किसान क्यों मरा, इसलिये नहीं कि क्या खराबी थी जिसकी वजह से वह मर गया बल्कि इसलिये पोस्टमार्टम करना चाहते हैं कि वह दस नये पैसे का सिक्का किधर गायब हो गया। हम हैं मसीहा, मानते हैं। हम नये हैं, हमारे पास नयी-नयी दवाइयां हैं और उन नयी दवाइयों से हम भारत के मरते हुये किसान को जिन्दा करना चाहते हैं। और यह पुराने मसीहा जर्राह बन कर किसान का पेट चाक कर के दुअन्नी खोजते फिरते हैं। मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि आज गुप्ता जी अपना व्हिप हटा लें, इस बिल के चिथड़े फाड़ करके फेंक दिया जायगा सड़क पर और लारियों और ट्रकों के पहियों के नीचे कुचल कर यह हवा में उड़ जायगा। माननीय बनारसी दास जी सब से भारी भरकम मिनिस्टर हैं, सबसे बड़ा बेट है उनका, सीना उतना बड़ा नहीं है, लेकिन जब उनकी करतूत हम देखते हैं तो इतनी बड़ी छाती में पिद्दी भर का दिल। वही मसल है कि—

बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का,
जो चीरा तो एक कतरये खूंन निकला

माननीय गंगा प्रसाद जी ने कहा था कल कि हमारे पास तो खाली खोपड़ी है, दिल तो है ही नहीं। पूछिये भला कि खोपड़ी चलेगी कैसे अगर दिल नहीं रहेगा? जहां दिल बन्द हुआ खोपड़ी औंधी हुई नीचे की तरफ। मैं कोई गलत बात कहूं तो श्रीमन्, मुझे रोक देंगे। एक आदमी के दिल को पंचर करके खड़ा कर दिया जाय तो खोपड़ी सीधे नीचे आयेगी। मैंने उपाध्यक्ष महोदय, पहले ही कह दिया है कि जितने आदमी बोल चुके हैं उनकी एक बात भी अगर रिपीट करूं तो मुझे बिठा दीजियेगा। रुपया किसके लिये चाहते हैं? तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये। तृतीय पंचवर्षीय योजना में करेंगे क्या? इसको इधर के और उधर के, तमाम मदस्यों ने इतना धुनक दिया है कि एक रेशा भी बाकी नहीं रह गया है। एक चीज कहूंगा कि जो तीसरे वाले बही खाते हैं, अब पता नहीं वह आंकड़े कैसे हैं, सही या गलत? गलत मैं इसलिये कह रहा हूं कि आंकड़े बनते कहां हैं? वह बनते हैं लेखपाल साहब के यहां। और लेखपाल साहब कहां बनाते हैं? गांव से जिस किसान के घर रह कर खाना खाते हैं वहां। किसी के घर में जाने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, जो चाहा लिख दिया और वही ऊपर पहुंचते-पहुंचते मन्त्री जी के मुंह से यहां हाउस में कह दिये जाते हैं। ये जो माइल स्टोन्स लगाये जा रहे हैं किलोमीटर के इनके एक-एक पत्थर की कटाई, रंगाई, ढुलाई वगैरह का खर्च १०० रुपये पड़ता है। और हमारे चौधरी साहब हैं नहीं, उन्होंने आंकड़े दिये थे कि १४ हजार मील लम्बी सड़कें हैं। तो १४ हजार मील लम्बी सड़कों पर २१ हजार किलोमीटर वाले पत्थर लगेंगे। सौ रुपये के हिसाब से २१ हजार

[कुंवर श्री पाल सिंह]

सौ रुपये यह हुआ किलोमीटर के बदलने में और फर्लांग वाला पत्थर लगायेंगे तो कम से कम इसका डयोढ़ा यानी ३० हजार सौ और यानी ५० हजार सौ रूपये सिर्फ पत्थर की अदला बदली में लगा और कोई मन्त्री और कोई भी सदस्य जरा यह तो बतलावे कि यह ५० लाख रुपया खर्च कर दिया गया इससे कितने किसानों के पेट में अन्न पहुंचाया गया, कितने गज कपड़ा मिलों से अधिक बनवाया गया, कितने कुयें खुदवाये गये जिससे पानी लोगों को पीने को मिलता, कितने सूखे पेटों में दूध पहुंचाया गया, मैं यह जानना चाहूंगा। और उस वक्त जिस वक्त कि गरीबी यह कह रही हो कि हम ही हैं और रहेंगे और जिस वक्त किसान से यह कहा जाता हो कि तुम अपना पेट काट कर यज्ञ में आहुति दो उस वक्त सिर्फ किलोमीटर का माइल बदलने के के लिये यह ५० हजार रुपये, यह क्या तमाशा है? और वह भी, अगर भारतीय नाप रख देते, कोस रख देते तो पत्थर का मील दो मील पर हो जाता है और २० हजार की जगह पर केवल १० हजार पत्थर लगाये गये होते और कहने के लिये भी होता कि हमने भारतीय नाम कर दिया है, लेकिन हो कहां से? भारत माता की ओर से तो नजर ओझल हो चुकी है। इन को नजर आता है पश्चिमी योरप की वह पतली कमर और घांघरा इन्हें भारत माता की वह तिरंगी साड़ी नजर नहीं आती। आज वह ३५ से ४७ तक के सच्चे देशभक्त जो कांग्रेस में थे अपनी देशभक्ति बेंच चुके हैं। मैं इनको चैलेंज करता हूं कि.....

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)---पेंशन नहीं पाते हैं देशभक्त।

कुंवर श्रीपालसिंह---सुनिये, आपको मालूम हो जायगा कि छोटी पेंशन पाते हैं छोटे-छोटे कांग्रेस के सिपाही जो अपनी वर्दी बेंच चुके, उसके पश्चात् उससे बड़ी पेंशन लेकर अपनी देशभक्ति बेंच चुके जो थे सेनानी और जो आज मिनिस्टर बन कर बैठे हैं। आज वह उस बुद्धि से, उस विचार से नहीं देखते हैं बल्कि उस विचार से देखते हैं जिस विचार से कभी यहां अंग्रेज देखा करता था। आज अंग्रेजों में आप में फर्क क्या रह गया है? वहां है वह आपकी देशभक्ति, कहां है वह आपका ताव जब गुप्ता जी को अरेस्ट करने पुलिस घूमती थी लाटूश रोड पर और गुप्ता जी एक मकान से दूसरे मकान में आंख मिचौनी खेला करते थे और पकड़े जाने के समय लोग खून के आंसू रोते थे और पुलिस को पकड़ लिया और आज गुप्त जी चले जाइये आप पकड़ लिये जाइये आपको पानी के आंसू भी कोई रोने वाला नहीं है। तो आज वह देशभक्ति बिक चुकी है, खाली उसकी ठठरी है। और हमसे कहते हैं कि तुमा देश द्रोही हो।

केरल में, श्रीमन, मरी मुसलिम लीग को किसने जिला दिया? हमारे पास तो मृत संजीवनी है भारतवर्ष को जिलाने के लिये लेकिन इन आजादी-आजादी चिल्लाने वालों के पास दवा है देश के और भी बटवारा करने वालों को जिलाने की। देहली में मुसलिम कन्वेन्शन हुआ और एक तमाशा उर्दू भाषा का निकल आया और हिन्दी के सवाल पर एक तमशा ले आया गया। मैं यह साफ-साफ कहना चाहता हूं कि १० साल के बाद यहीं इसी सदन के अन्दर उर्दू को लेकर यह डिमान्ड न हो कि साहब बांट दीजिये उत्तर प्रदेश के १२ जिले, ये उर्दू भाषी जिले हैं तो आप मुझे कहियेगा। मैं शायद न रहूंगा, श्रीमन, आप मुझसे बड़े हैं शायद आप भी रहें या न रहें लेकिन मैं गुप्ता जी से निवेदन कर देने के बाद बैठ जाऊंग क्योंकि मैं गुप्ता जी को बड़ा भाई समझताहूं, गुप्ता जी को पूरा देशभक्त समझता हूं और इसलिये उनसे निवेदन करता हूं कि क्यों डेढ़ करोड़ रुपये के पीछे ७ करोड़ मुर्गी हलाल करना चाहते हैं। डेढ़ करोड़ रुपया तो कुछ नहीं है। गुप्ता जी के पास तो लक्ष्मी बसती है। रात को सपने में भी झूठे ही हाथ झाड़ दें तो डेढ़ करोड़ क्या ३ करोड़ रुपये सबेरे आ जाय। टेलीफोन उठाकर कहने की देर है और प्रदेश भर में फैले हुये उनके चेले, खाली टेलीफोन पर कह ही दें कि सबेरे २ करोड़ की जरुरत है तो २ करोड़ भी आपको मिल जायगा फौरन, देर नहीं लगेगी। मगर हमारे सामने टेलीफोन कीजिये, बनारसीदास जी के सामने नहीं। उनके सामने के

टेलीफोन को मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। मेरे सामने टेलीफोन कीजिये और सबेरे तीन करोड़ रुपया न आजाय तो आप लोग जो चाहे सजा मुझे दीजिये, गुप्ता जी जो चाहे मुझे सजा दें। इतना साधन सम्पन्न हमारा मुख्य मन्त्री, जिसके हाथ में १००–१५०–२००–५०० करोड़-पति हों और उनको जब चाहें वह नीबू की तरह से निचोड़ लें तो वह डेढ़ करोड़ रुपये के लिये साढ़े सात करोड़ मुर्गियां हलाल करें, यह हमारे लिये बड़े शर्म की बात है। श्रीमन्, इस बिल के आने से मुझे अब अपनी मूछों पर ताव देने की इच्छा नहीं होती। मुख्य मन्त्री जी भीख मांगने क्यों जाते हैं, जरा सा टेलीफोन कर दें या फिर अपना डंडा सम्भाल लें तो देखें कैसे रुपया नहीं आता है। इसलिये श्रीमन् मैं आपके द्वारा उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपनी बुद्धि से विचार करें और इस विधेयक को गोमती में फेंक दें या ऐसी जगह फेंकें जिससे यह फिर न निकल सके। जैसे श्रीमन, औरंगजेब ने कहा था कि संगीत की अर्थी उठाओ और इसको ऐसी जगह गाड़ना जिससे यह निकलने न पाये। श्रीमन्, हम लोगों को मौका दें कि जितने हम लोग आये हैं सब इस विधेयक की प्रतियों को इकट्ठा करके अर्थी बनायें और यहां ले आकर जलायें और माननीय गुप्ता जी इसमें आग लगायें और हम लोग इसके चारों तरफ घूमें तो यह कितना सुन्दर होगा। धन्यवाद।

काजी जलील अब्बासी—उपाध्यक्ष महोदय,.....

उपाध्यक्ष—समय का जरा खयाल रखें।

काजी जलील अब्बासी—उपाध्यक्ष महोदय, इसके कब्ल कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं, आपने मुझे समय की याद दिला दी। समय के लिये जितनी मेहनत मैंने की है, मैं समझता हूं कि मैंने अपनी जिन्दगी में किसी मजलिस में समय के लिये इतनी कोशिश नहीं की है और आपकी दया से मुझे लाखों मजलिसों में बोलने का इत्तफाक हुआ है और मुझे हमेशा समय मिला है। लेकिन विधान सभा में आने के बाद एक ऐसी दुर्घटना या शुभ घटना हो गई जिसके कारण मुझे ऐसा वंचित किया गया कि मैं दौड़ते–दौड़ते थक गया लेकिन मुझे समय नहीं मिला। आज जो मुझे आपमे समय दिया है उसके लिये मैं आपका आभारी हूं और रहूंगा। मेरे बोलने के लिये यदि आप ३० मिनट का समय निर्धारित करेंगे तो मैं केवल २९ मिनट ही बोलूंगा और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और फिर आगे आप मुझे समय नहीं देंगे तो मुझे कोई शिकायत नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के लाने का कारण जो कुछ भी रहा हो लेकिन आज इस बिल ने जो वातावरण बना दिया है, मैं समझता हूं कि मैंने इस ५२ साल की उम्र में कभी भी ऐसा वातावरण नहीं देखा है। मैंने एक से एक कांग्रेस के आन्दोलन देखे लेकिन जनता में जैसी इस विधेयक की चर्चा है, ऐसी चर्चा कभी नहीं सुनी। ४ तारीख से आज तक अपने कमरे में दूसरा काम करने का मौका नहीं मिला सिवाय इसके कि विधेयक की बात एक दूसरे से करना, डिसकशन करना तथा जनता को समझाना और इत्मीनान दिलाना कि हम इस विधेयक के लिये लड़ रहे हैं, घबराओ नहीं और जब कभी कांस्टीटुएंसी में जाने का इत्तफाक हुआ तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं एक मजमा घेर लेता था कि विधेयक पर क्या हो रहा है, जैसे कि जनता में एक आग लग गयी हो, जैसे कांग्रेस जो हमेशा से जनतावादी रही, जिसने बड़े-बड़े आन्दोलन किये, इस देश को आजाद करवाया, इतिहास में जाने में समय लग जायगा और उससे सब परिचित हैं, उस सारे इतिहास को जैसे जनता भूल गयी हो और वह यह समझती हो कि कोई दूसरी गवर्नमेंट आज उत्तर प्रदेश में हो गयी है जो कि जनता की शुभचिन्तक ही नहीं है। मैं, जो कि सात हजार से ज्यादा वोटों से जीत कर, जनता का विश्वास प्राप्त करके आया, मेरे लिये संकट का समय आते ही आया कि आया मैं जनता की पुकार को सुनू या जिस पार्टी ने हमें इस स्थान तक पहुंचने का अवसर दिया उसकी बात सुनूं। यह संकट, जिसकी जिन्दगी में आया होगा, वही समझ सकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं कई रात नहीं सोया। मैं इसमें जरा भी झूठ नहीं कहता। सोते-सोते आंख खुल जाती थी और टहलने लगता था। दोस्तों के पास मशविरे के लिये जाया

[काजी जलील अब्बासी]

करता था कि क्या होगा। एक दिन एक मौके पर जब मैंने यह कहा कि मुझे नीद नहीं आती तो मुझसे कहा गया कि डाक्टर शर्मा से कहा जाय आपका इलाज कर दें। मुझे दुख हुआ क्योंकि मैं चाहता था कि बात करेंगे। मैं चाहता था अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गो से अपने को इतमीनान दिलाना कि आया कि मैं गलती पर तो नहीं हूं। काश, उस अवसर के पहले मुझे इतमीनान मिल जाता जो इस वक्त तक भी न मिल सका, तो वह समय न आता। कोई इतमीनान नहीं मिला। समय आया, तो मैंने वह किया जो अन्तरात्मा ने कहा और जो जनता के लिये मैंने बेहतर समझा। मुझे खुशी है, इस सदन में कहते हुये, कि मैंने जो महसूस किया वह आज तक महसूस कर रहा हूं कि मैंने सही किया और वही करना चाहिये। श्रीमन्, जनता का हक हमारे ऊपर ज्यादा है और जनता के हकूक की रक्षा करना पांच वर्ष तक जरूरी है क्योंकि हमारे सामने मिसालें हैं, बारह, बारह हजार वोटों से लोग हार गये और ऐसे बड़े-बड़े लोग हार गये जो बड़े-बड़े पदों पर थे, उन पदों से वंचित हो गये। जनता की ताकत अगर बड़ी न होती और किसी पार्टी के टिकट की ताकत बड़ी होती तो वह बड़े-बड़े लोग हारते नहीं। किसी पार्टी के टिकट में कुछ ताकत नहीं। मैं निहायत नम्रता से, निहायत आजिजी से अपने इधर के बैठने वाले सारे भाइयों से कहना चाहता हूं कि करीब-करीब छः महीने गुजर गये। साढ़े चार साल आंख झपकते गुजर जायेंगे और फिर वह अवसर आयेगा, किसानों के बीच में आप होंगे और किसान आपसे सवाल करेगा कि आपने जोतकर विधेयक पास करके हमारा गला क्यों घोंटा? और आपके पास कोई जवाब न होगा, सिवा एक जवाब के कि अनइकोनामिक होल्डिग को बचाया, और वह भी मुझे फख्र है इस बात का कि हम लोगों की वजह से बची। हमारी कांग्रेस का नाम तवारीख में जायगा। हमारे विरोधी भाई माफ करेंगे, जेड० ए० अहमद साहब ने भी इस सदन में कहा था, विरोधी भाइयों की कोशिशें तो सब करों के खिलाफ हैं। मैं करों के खिलाफ नहीं, मैं प्लान के खिलाफ नहीं। श्रीमन्, मैं उन लोगों में नहीं जो कांग्रेस की महान शक्ति न मानूं, महान कामों को न मानूं, जो उसने किये हैं। मैं यकीन दिलाता हूं कि कांग्रेस से निकल जाने में एक सेकंड देर न करता अगर मैं यह जानता न होता कि इस कांग्रेस दल के अलावा कोई दल इस देश में नहीं है। कांग्रेस ही एक जमात है जिसने शुरू से इस देश की लड़ाई लड़ी है और लड़ाई ही नहीं लड़ी है बल्कि जबकि कुर्सियां ली हैं तो देश की भलाई के काम किये हैं और देश की भलाई के काम ऐसे किये हैं कि जो आज आंखों के सामने हैं। हम उनसे किसी गुस्से में इनकार कर जायं, किसी जजबे 'और जोश में आकर के, नाराज होकर के या किसी अपने फायदे के लिये उससे इनकार करना चाहें, यह हमारी मर्जी है। लेकिन हमारा जिला एक पिछड़ा हुआ जिला है। मैं इसी सदन में बजट के मौके पर बोलते हुये कह चुका हूं कि हमारे जिले में जहां तक हेल्थ का ताल्लुक है, इतना विकास हुआ है कि मैं तो पन्द्रह बीस साल पहले की तरफ जब देखता हूं तो बस्ती-बस्ती नहीं मालूम होता। एक इंक्लाब हो गया है। आप कितनी ही उसकी अहमियत कम करें लेकिन वह अहमियत कम नहीं हो सकती। बच्चा-बच्चा देहात का समझता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट और कांग्रेस सरकार ने हमारे लिये भलाई की है। फिर अगर यह बात सही है श्रीमन्, कि कांग्रेस ही एक जमात है जो कि फायदा पहुंचा सकती है तो हमें रात-रात भर नींद नहीं आती है, वरना कोई मुश्किल नहीं थी, एक बात पर बिगड़े और चलते हुये। बिगड़ना मुश्किल होता है उस घर के बाप से जिस घर के बेटे का कहीं और ठिकाना न हो। जब बेटे के लिये कई घर होते हैं तो तुम नहीं और सही, और नहीं और सही। लेकिन अगर किसी वजह से ऐसा हो कि इस घर के अलावा कोई घर ही न हो, तो फिर उस बेचारे की हालत पर गौर करें। अगर उसकी कांशन्स अपनी जगह पर कहती हो कि नहीं इस मौके पर जनता को नुकसान हो रहा है और घर का बड़ा बूढ़ा उससे मिलना तक न चाहे, उससे बोलना भी न चाहे, समझाना न चाहे तो वह कहां जाय, किसके पास जाय, किससे मिले, कैसे मुतमईन हो, सिवाय इसके कि जब अवसर आ जाय तो वह करे जो कि अन्तरात्मा उससे करा दे। मैंने किया नहीं, मुझसे अन्तरात्मा

ने कराया और मुझे खुशी है कि जो मुझसे अन्तरात्मा ने कराया वह हिन्दुस्तान के चोटी के नेताओं ने भी कहा। श्री श्रीप्रकाश साहब गवर्नर थे और क्या-क्या नहीं थे, उनकी तारीफ मेरे मुंह से छोटे मुंह बड़ी बात होगी, वही नहीं माननीय लाल बहादुर शास्त्री ने भी कहा जब वह इलाहाबाद आये थे, कि मैं दौरा करके कांस्टीटुएंसी से आया, काश्तकार इसे नहीं चाहता। पंडित जवाहरलाल नेहरू अब चाहे जिस तरह से उसे कहा जाय, उन्होंने भी कहा, उनका बहुत बड़ा एहसान है कि हमारी पुकार को दिल्ली में उन्होंने सुना और लन्दन जाने के पहले ऐसी समस्या खड़ी की, पार्लियामेंट में ऐसे बयान दिये कि जिनसे यह स्पष्ट हुआ कि किसान की हालत खराब है, बिल मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन बहरहाल, प्लानिंग कमीशन उसपर गौर करेगा और आज भी मुझे पूरा इत्मीनान और विश्वास है कि पंडित जवाहर लाल नेहरु को उन हालत से पूरे तौर पर वाकफियत नहीं कराई गई। उसमें हमारी भी कमियां हैं, हमारी भी त्रुटियां हैं। हमने भी सामूहिक रूप से जाकर के उनके पास आग्रह नहीं किया। पंडित जी पर हमें पूरा भरोसा है कि अगर जनता की आवाज उन तक पहुंच जाती तो श्रीमन्, यह कभी मुमकिन नहीं था कि पंडित जवाहर लाल जो जिन्दगी भर जनता वादी रहे वह आज जनता की आवाज सुनने से इनकार कर देते। मुझे श्रीमन्, जयपुर का एक सेशन याद आता है। आज से पन्द्रह साल, सन् ४७ के पहले की बात है, एक डेलीगेट की हैसियत से मैं वहां गया था। लाखों के मजमे में मुल्क की आजादी के बाद हिन्दी का सवाल पेश था। टंडन जी गालिबन सदारत करते थे या क्या था मैं भूल रहा हूं। उस वक्त जवाहर लाल जी ने बहुत तेज तकरीर की और उर्दू की मुआफिकत में, जिस तरह कि कभी-कभी जोश में वह कर जाते हैं। टंडन जी खड़े हुए और दो जुमले कहे, एकदम सन्नाटा हो गया। उन्होंने कहा कि आप लोग बेचैन न हों, जवाहर लाल जी जनतावादी हैं और जनता हिन्दी चाहती है इसलिये जवाहर लाल जी हिन्दी चाहते है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जहां जवाहर लाल जी उर्दू के लिये बहस कर रहे थे उनके सामने ही उनके जनतावादी होने पर विश्वास करते हुए टंडन जी ने कह दिया कि जवाहर लाल जी हिन्दी चाहते हैं। और क्या हुआ? आज हिन्दी आपके सामने है, होनी चाहिए। वह हमारे मुल्क की जबान है, लिंगुआ फ्रैंका है। तो मेरे कहने का मतलब यह था कि जवाहर लाल जी जनतावादी हैं इस पर पूरा भरोसा टंडन जी को था। इसी तरह मुझे भी उनके जनतावादी होने पर पूरा भरोसा है और मैं समझता हूं कि जनता की आवाज उनके कानों तक पहुंच नहीं पायी है। जिस तरह से हम को वह आवाज पहुंचानी चाहिये थी वह हम नहीं पहुंचा पाये। इसका कारण यह था कि वह विदेश चले गये और लौट कर आये तो विधेयक शुरू हो गया। यहां से विधेयक छोड़ कर लोग जाना नहीं चाहते। अगर काफी तादाद में लोग, जिनके दिलों में उमंग है, चलें तो कोई रुकावट नहीं है और उनसे कहा जाय कि यह विधेयक वापस लिया जाय। लेकिन पंडित जी तक आवाज पहुंचाने में हमारी कमियां रहीं।

अब इस बिल के मुताल्लिक मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। समय कम है और मुझे कहना बहुत ज्यादा है, इसलिये सोचता हूं कि .....

श्री उपाध्यक्ष—आपको २० मिनट का समय है। आप बोलिये।

काजी जलील अब्बासी—आज्ञा हो तो बोलूं, वरना जैसा हुक्म हो।

श्री उपाध्यक्ष—बोलिये और कोशिश कीजिये कि २० मिनट में खत्म कर लें।

काजी जलील अब्बासी—खैर, श्रीमन्, जहां तक इस विधेयक का ताल्लुक है उसके बारे में सब से पहले जो चीज सामने आती है वह यह कि इस पर बड़ी बहसें हुईं। आंकड़े भी बहुत से पेश हुए और मैं अब क्या आंकड़े पेश करूं, कुछ बचे ही नहीं। लेकिन अखबारों में मजमून निकलते रहे और मैं उन्हें गौर से पढ़ता रहा, यहां जो बहसें हुईं उनको गौर से सुनता रहा। श्रीमन्, उनसे मैं इस नतीजे पर पहुंचा

[काजी जलील अब्बासी]

कि इससे किसी को भी इन्कार नहीं है कि यह लैण्ड टैक्स लैण्ड टैक्स नहीं है, बल्कि यह लगान बढ़ाया जा रहा है। श्रीमन्, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने एक मंत्री जी से पूछा, जो जिम्मेदार है इस बिल के लिये और उन्होंने कहा कि हां, यह अगर लगा तो लगा रहेगा, हटेगा नहीं। ५ साल की बात गलत है। इसके अलावा जो ५ साल की शर्त लगी हुई है उसमें भी आगे लिखा है कि अगर जरूरत होगी तो उसे बढ़ा दिया जायगा। श्रीमन्, मेरा ऐसा खयाल है कि हवा है, ऊपर से बरसने वाला पानी है, धूप है, छांव है, इस पर कोई टैक्स आज तक नहीं लगा और न लग सकता है और इसी तरह श्रीमन्, मेरा विश्वास है कि यह जमीन है। यह सरकार की नहीं है, जो जोतता है उसकी है, जैसा कि चौधरी साहब बराबर कहते रहे हैं। जमीन जोतने वाले की है और जब जमीन जोतने वाले की है तो मेहनत से जो जोत कर उस से गल्ला पैदा करे उस पर आप इन्कम टैक्स लगा सकते हैं, लेकिन उस जमीन पर टैक्स लेना इतना बड़ा अंधेर है कि जो किसी जमाने में बरदाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन एक लगान लगा हुआ है अंग्रेज के जमाने से। वह चला आ रहा था। हमारी इकनामिक हालत अच्छी नहीं हुई और हम ऐसा नहीं कर पाये कि जो लगान अब तक लेते आ रहे हैं उसको लेना बन्द कर दें क्योंकि उस लगान को अगर हम लेना बन्द कर दें, जो हमारा ध्येय है, हमारा ध्येय हमेशा यह रहा है और होना चाहिए और समय भी इस बात की मांग करता है कि इन्डस्ट्री बढ़े। हमारे मुल्क में कल और कारखाने बढ़ें। इस तरह से रुपये की कमी दूर होगी और योजनायें सफल होंगी। इसलिये हमको लगान नहीं लेना चाहिये। दुनिया की कोई डेमोक्रेटिक स्टेट ऐसा नहीं कर सकती। लगान जरूर लेना चाहिए और लिया जाता है। मजबूरी है, लेना पड़ता है क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन जो चीज हम मजबूरी में ले रहे हैं वह और बढ़ा दें यह जरा ठीक चीज नहीं मालूम पड़ती है, इसको गैर मुनासिब ही कहा जायगा। मैं तो यही कहूंगा कि जो हम लेते हैं वही बहुत ज्यादा है। आप देखें कि जो जोत कर बिल हैं उसके अन्दर दफात पर दफात लगी हुई हैं और ऐसा नजर आता है कि किसानों को एक अजीबोगरीब गोरखधंधे में डाल दिया गया है। मैंने कई बार इस बिल को पढ़ा है। अब किसान को एक ऐसी हालत में डाल दिया गया है कि उसको अब खाता वगैरह भी रखना पड़ेगा और कचहरी वगैरह के फाटक तक भी उसको रोज दौड़ना पड़ेगा। सुबह से शाम तक तो वह हल चलाये और शाम को वह खाता रखे और कचहरियों में दौड़ता फिरे, यह कहां का न्याय है ?

इस बिल में २ चीजें हैं। एक भूमिधर का ५० गुने का २॥ प्रतिशत और दूसरे सीरदार के २० गुने का २॥ प्रतिशत। इस तरह से आपने लगान का गुना किया और उस पर परसेंटेज लगा दिया। यानी आपने उसके लिये एक फारमूला बना दिया कि २ इन्टू २ बटा १। आपने एक दर निकाली कि इस तरह से लगान बढ़े। यह हिसाब तो एक तहसीलदार भी लगा सकता था पर आपने इसलिये ऐसा किया है, यह छिपाने के लिये ऐसा किया है कि हम लगान नहीं बड़ा रहे हैं बल्कि हम तो जोत कर बिल के जरिये एक कर ला रहे हैं। हमारे माल मंत्री जी कहते हैं कि हम यज्ञ कर रहे हैं। हमारे यहां भी यज्ञ होते हैं और भण्डारे होते हैं। उसमें तो कुछ खाने वाले आ कर बैठ जाते हैं। यज्ञ करने वाले तो इसी लिये यज्ञ करते हैं कि इसका फायदा कुछ लोगों को हो, इसका लाभ सोसाइटी को मिले। यज्ञ करने वाला तो यज्ञ करने के लिये लोगों से कुछ लेता नहीं है। परन्तु आपका यह यज्ञ कैसा है ? मैं मानता हूं कि प्लानिंग बड़ी अच्छी चीज है। पर उसके लिये आपको इस तरह के विधेयक लाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यह तो ऐसा ही हुआ कि जैसे एक बीमार पड़ा हो और मर रहा हो और उसके घर में कुछ न हो। आप जाकर उससे कहें कि तुमको दवा जरूर करनी पड़ेगी और तुम्हारी दवा जरूर होनी चाहिए। वह कहता है कि मेरे पैसा पास नहीं। पर आप कहते हैं कि नहीं तुम्हारी दवा जरूर होगी और इसके लिये यह लोटा बेच दो।

इसके बेचने के बाद दवा करो। मैं कहता हूं कि ठीक वही हालत आज आपकी है। ऐसी दवा को लेकर हम क्या करें जिससे हमारा घर बिक जाय। बीमार की दवा के लिये अगर हम उठें तो हमको चाहिए कि हम खुद दवा लायें, अस्पताल जायं और हो सके तो अपने पास से उसकी दवा ला दें और उसको तन्दुरुस्त करने में मदद करें। जब वह ठीक हो जाय और तन्दुरुस्त हो जाय तो हम कह सकते हैं कि तुम यज्ञ में हिस्सा लो। श्रीमन्, मेरा विश्वास है, इन आंखों से मैंने देखा है इस इलेक्शन में (लाल बत्ती होने पर) हुक्म हो तो ५ मिनट और बोल लूं। मुझे अफसोस है कि बड़ी मेहनत के बाद इतना भी समय मिल गया, इसके लिये आभारी हूं।

श्री उपाध्यक्ष—अब तो रेजोल्यूशन हो गया। ५ मिनट आपके बाकी हैं।

काजी जलील अब्बासी—मैंने कोई रेपेटीशन नहीं किया, रेपेटीशन क्या, कोई प्वाइन्ट ही नहीं कहा। देहातों में जाकर, इलेक्शन के जमाने में दो महीने जब गली गली जीप लेकर दौड़ते हैं तो हमें जमाना याद आता है कि पानी जब बरस रहा था और हम उस बरसात में उन सड़कों पर चलते थे। हमारे योजना के मंत्री खास तौर से सुनें कि सड़क क्या, कहीं सड़क थी ही नहीं और जीप इसलिये लेकर भागते थे और जब देखते थे कि अगर पानी बरस गया तो गाड़ी नहीं जा सकेगी और वहीं रह जायंगे तो रात को कहीं छप्पर भी नहीं मिलेगा। कोई रास्ता नहीं। बारिश हुई और रास्ते बन्द। बादल मंडलाया और उलटा रास्ता लिया। हमारे जनसंघ के भाइयों के पास तो बड़े-बड़े ट्रैक्टर थे, वह उन मुकामात पर पहुंच गये और उन गांवों को कवर किया। हमारी जीपें काम नहीं दे सकीं, रास्ता हम नहीं बना सके और उस समय हमें यह महसूस हुआ कि किस तरह से किसान अपनी लढ़िया लेकर चलता है, अपना गुड़ और भेली को लाद कर बाजार में पहुंचाने के लिये। कितनी मशक्कत से वह गन्ना पैदा करता है और खुद अपनी कमर पर लादकर गाड़ी और बैलों में रखकर और कंधे पर लाद कर पहुंचता है कुल्हाड़ में और फिर गन्ने से बनायी हुई भेली को बेचने के लिये ३०–४० मील शहर जाता है और उन रास्तों से गुजरता है जो रास्ते इनसान के चलने के लिये नहीं हैं। हमने वादा किया कि हम सड़क बनवायेंगे। श्रीमन् आपके द्वारा मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जोत-कर विधेयक वापस लें या न लें, उनकी मर्जी है, हमारी तो प्रार्थना है कि वापस ले लें। लेकिन वह हमसे बहुत बड़े हैं, अक्ल में भी और इल्म में भी और उम्र में भी। मेरा काम आग्रह करने का है और समझाने का हो सकता है। लेकिन समझाने का भी नहीं हो सकता, सिर्फ आग्रह का हो सकता है, क्योंकि उनको समझाने की बात कहना भी बदतमीजी हो जायगी। मैं चाहता यह हूं कि जोतकर बिल वापस ले लें, साथ ही साथ यह भी दरख्वास्त है कि जिन सड़कों का वादा आपने किया है अगर गांव गांव में वह सड़कें बनाने में असफल रहे, गांव गांव में पानी देने में असफल रहे तो जो मैनिफेस्टो में वादा करके गलियों-गलियों में प्रचार किया है, इन ५ सालों में एक तरफ तो जोत-कर होगा, एक तरफ सड़कें नहीं बनीं और न पानी का इन्तजाम हुआ तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा।

एक आखिरी बात कह कर मैं खत्म करूंगा। प्वाइन्ट्स मेरे सब रह गये, मैं उनको लेना नहीं चाहता। हमारे अध्यक्ष महोदय ने कक्ष में कहा था कि आपको आधा घंटा मिलेगा और आपने २० मिनट कर दिया, अब ३० मिनट से आगे जाना गलतो समझता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—आपके २९ मिनट हो गये, १ मिनट बाकी है।

काजी जलील अब्बासी—आज तो श्रीमन्, एक तरफ मिनट गिनता हूं और दूसरी तरफ जेहन को बोलने के लिये मोड़ता हूं तो दिक्कत पड़ती है। मुझे यह अर्ज करना था कि जोत-कर विधेयक के सिलसिले में गली गली और कूचे-कूचे में जो प्रचार आज फैल गया है उसको ८ एकड़ करने से हम बचा नहीं सकते। मैं मुख्य मंत्री जी को आपके द्वारा धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ८ एकड़ किया, हो सकता है कि इकोनामिकली उस से आप

[काजी जलील अब्बासी]

ज्यादा आदमियों को बचा ले गये हों, लेकिन फिर भी जो किसान पर, उसके जेहन पर, साइकोलाजिकली असर है उसे आप मिटा नहीं सकते। आपको मालूम है कि किस तरह इलेक्शन में हमारे विरोधी भाइयों ने सहकारी खेती को सरकारी खेती कर दिया और गली-गली सरकारी खेती का नारा लगाया और हमारे भाषण फेल हो गये। जबकि यह जोत-कर बिल पास होगा तो क्या होगा, यह अनुभव करना मुश्किल है। श्रीमन् हमारे लिये यह जरूरी है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि इसको वापस ले लिया जाय। हमारे बहुत से भाई कहते हैं कि यह पोलिटिकल स्टन्ट है। श्रीमन्, आज जगह-जगह जो यह प्रदर्शन हो रहे हैं, यह क्या हैं? इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं छिपा हुआ है। यह पोलिटिकल मामला है, आगे के लिये एक तैयारी है। राजा साहब हमसे आगे निकल जाना चाहते हैं। अगर इस समय हम उसको न समझें, न सोचें, तो यह बड़ी बेवकूफी होगी। हमें जनता के विश्वास को खत्म नहीं करना है। हमारे एक साथी जेड० ए० अहमद साहब हैं। उनके एक जुमले से मुझे बड़ी मायूसी हुई। इस विधेयक के बारे में, जो इसके विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा है कि देहातों में टैक्स लगना चाहिये और जिसका कि माननीय नवल किशोर जी ने फायदा उठाया। मैं यह कहना चाहता हूं कि देहात में एक परसेंट भी ऐसे आदमी नहीं होंगे जो राजा साहब, नेता विरोधी दल की हैसियत के हों। देहात में रहने वालों के पास मोटरें नहीं हैं। बस्ती जिले की रिपोर्ट में रखता, लोक नाथन् की रिपोर्ट भी रखता, अपने जिले की हालत रखता, समय नहीं है। उस रिपोर्ट में यह है कि हमारे जिले में ३५ मोटरें हैं और २८ लाख की आबादी है। इस पर भी यह कहना कि हमारे देहात में मोटरें हो गयी हैं गलत है। मैं कहता हूं कि जो यह कहते हैं उनको उसकी जानकारी नहीं है। इसलिये मैं अपील करूंगा कि इस बिल को वापस ले लें माननीय मंत्री जी। यही मेरी प्रार्थना है। मैं बहुत आभारी हूं आपका कि आपने मुझे इतना समय दिया।

(श्री दीपनारायण सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री नरदेवसिंह—मैं एक हफ्ते से वरजिश कर रहा हूं लेकिन आपने मुझे बोलने का समय नहीं दिया। हर बार मैं खड़ा होता हूं। आप बताइये कि मुझे क्यों नहीं आप बुलाते हैं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठ जाइये। मैंने दीपनारायणसिंह जी को बुलाया है....

(व्यवधान)

श्री भगवानदास—श्रीमन्, नरदेव सिंह जी एक खेत जोतने वाले किसान हैं आपको उनको बोलने के लिये अवसर देना चाहिये।

(अनेक सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—यह ठीक नहीं है कि कई सदस्य इस तरह से खड़े हो जायं। अब दीपनारायण सिंह जी बोलेंगे।

श्री नरदेवसिंह—मुझे आपने समय नहीं दिया, इसके विरोध में मैं आज शाम तक के लिये वाक आउट करता हूं।

(इसके बाद श्री नरदेवसिंह सदन त्याग कर चले गये।)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, वैसे तो आप जिसको चाहें अवसर दें यह ठीक है, मगर सोशलिस्ट पार्टी से अभी तक एक सदस्य नहीं बोला है। हमारी पार्टी के लोगों को भी श्रीमन् समय मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—मिलेगा, कृपया बैठिये। यह ठीक नहीं है इस तरह खड़े होकर बोलना।

श्री दीपनारायणसिंह—श्रीमन्, मैं २० मिनट से अधिक का समय नहीं लूंगा और न पहले कही हुई बातों को दोहराऊंगा। मैं भी एक किसान हूं। एम० ए०, एल-एल० बी० जरूर हूं। मुझे दुख है कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने कभी अपने हाथ से आज तक हल नहीं चलाया। इसलिये मैं यहां उनसे कहता हूं कि यू० पी० जमींदारी उन्मूलन रिपोर्ट में आपने वायदा किया है और अगर माननीय राजस्व मंत्री अपनी जबान के सही हैं तो वे अपने वायदे को पूरा करें। आपने उस रिपोर्ट में यह लिखा है कि १० एकड़ तक जमीन पर लगान में छूट देंगे। एक एकड़ तक आठ आने, फिर ४ आने और ४ एकड़ से ६ एकड़ तक २ आने और ६ एकड़ से १० एकड़ तक १ आना छूट देंगे। यह आपने वायदा किया था लेकिन अब आप अपनी उस बात को भूल गये। मैं आज उनको फिर याद दिलाऊंगा कि आप में यदि किसानों का खून है तो अपनी उस रिपोर्ट को पढ़िये और यह भी देखिये कि उस समय गल्ले का क्या भाव था और उसी समय दूसरी अन्य आवश्यकता की चीजों का क्या भाव था। इस सब का हिसाब आप लगा लें।

दूसरी बात यह है कि आपने उस रिपोर्ट में यह भी कहा है कि लगान कुछ जातियों और वर्गों पर ज्यादा है और कुछ पर कम। मैंने सब जिलों के गजेटियर्स को पढ़ा है। आपको जिन लोगों ने चुनकर भेजा है उसमें मेरी कौम के लोग आपके जिले में ज्यादा हैं उनको लगान जिस जमीन का ४–४, ५–५ रुपया देना पड़ता है आपके परिवार वाले उसी जमीन का आठ आना और चार आना और बारह आना देते हैं। आपकी उस कमेटी ने ही लिखा है और गजेटियर्स में लिखा है कि इस क्षेत्र में कुरमी, अहीर, लोध, आदि जो कल्टीवेटर्स हैं उनको लगान ज्यादा देना पड़ता है और उनके पास जमीन कम है लेकिन पैदावार वे ही ज्यादा करते हैं। फिर आपने उन सब का लगान एक-सा क्यों नहीं किया? आपने स्वयं उस कमेटी की रिपोर्ट में कहा है कि सब का एक-सा लगान होना चाहिये। क्या यह चीज इस बात का प्रमाण है कि आप समाजवाद को मानते हैं? माननीय गुप्ता जी ने तो उस रिपोर्ट को मालूम पड़ता है रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। मैंने इस विधेयक के आने के पूर्व एक सवाल पूछा था कि माननीय राजस्व मंत्री जी के गांव में उनके परिवार वालों के पास कितनी जमीन है और वे उसका क्या लगान देते हैं तथा वहां का सर्किल रेट क्या है और उस इलाके के दूसरे काश्तकार क्या देते हैं? लेकिन उसका उत्तर देने की आपकी हिम्मत नहीं पड़ी, न यह कहा कि एक रेट होना चाहिये। उस कमेटी की रिपोर्ट में उक्त तथ्य लिखा है, लेकिन कितने साल हो गये अभी तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जिन लोगों के पास जमीन ज्यादा है, वे कम लगान देते हैं और कम पैदा करते हैं लेकिन जिन लोगों के पास जमीन कम है वे ज्यादा पैदा करते हैं, ज्यादा लगान देते हैं। क्या गुप्ता जी और हुकुम सिंह जी ऐसा ही समाजवाद लाना चाहते हैं, क्योंकि १४ सालों में उन्होंने एक रेट नहीं किया है। मैंने लिखकर दिया था कि सर्किल रेट का आप दुगना कर दीजिये, आपको कोई टैक्स लगाना नहीं पड़ेगा।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी सुन लें कि माननीय ठाकुर जगन्नाथ सिंह जिनके नाम से आप संशोधन लाये हैं, उनके पास करीब दो हजार बीघे जमीन है। १९५४ में उन्होंने शिकमियों से ३०० बीघे का इस्तीफा लगवा लिया ताकि वे अधिवासी राइट से सीरदारी न पा जायं। उनके खाते में कितने आदमी नये बढ़े हैं उसे मैंने पूछने की कोशिश की लेकिन इसे कभी भी नहीं बतलाया गया। वृहत् जोत-कर से बचने के लिये आपका यह एक हथकंडा है। अगर आपकी तरफ कोई अंग्रेजों का पिट्ठू जमींदार बैठ जाय जिसने किसानों का खून चूसा हो, तब तो वह अच्छा है लेकिन अगर इधर राजा मनकापुर

[श्री दीपनारायण सिंह]
जैसे जमींदार बैठें तो वे बड़े बेईमान हैं, लुटेरे हैं। आपको यहां दो तरह की नीति नहीं अपनानी चाहिये। इससे किसानों का खून उबल उठा है। गुप्ता जी, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप भी जेल गये हैं और १५ साल की उम्र में जेल मैंने भी काटी है। वकालत भी मैंने जेलखाने से ही पास की और एम० ए० तक मेरिट स्कालरशिप के साथ सारी शिक्षा ली। उस समय मेरे बाप के पास ६ एकड़ खेत थे और आज मेरे पास ३ एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है। आपमें से कोई कह सकता है जो इतनी गरीबी में पढ़ते हुए आजादी की लड़ाई लड़ कर जेल गया हो और वहां से फर्स्ट डिवीजन में इम्तिहान पास किया हो ? आखिर आपका यह कौन सा समाजवाद है ? आपने पहले गलती की जिससे फतेहपुर के किसानों का खून उबला और वहां श्री केसकर को हारना पड़ा। मौदहा में भी आप जीत जाते अगर किसानों को साथ लेते, लखनऊ में भी आप जीत जाते अगर किसानों, मजदूरों को साथ लेते। आपको यहां से कहीं पहाड़ पर या बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप किसी मिल मालिक के लड़के नहीं हैं, आप राम रतन गुप्त या सिंहानिया के लड़के नहीं हैं, आप हमारे बीच के ही छोटे गुप्ता के लड़के हैं। आपका ही मित्र पन्ना लाल भी मेरा साथी है। हममें कोई जातिवादिता नहीं है। हम आपको अपने कंधे पर लेकर आगे बढ़ने के लिये तैयार हैं। आपके साथ चौधरी चरण सिंह जी हैं जिनमें किसान का ही खून है, आपके वित्त मन्त्री जी भी किसानों के नेता हैं और हम भी आपके साथ आने के लिये तैयार हैं लेकिन आप इस विधेयक को वापस लें और ११ साल के अन्दर लाखों लोगों ने उद्योगों के नाम पर रुपये लेकर उनका दुरुपयोग किया है, पहले की गवर्नमेंट में भी ऐसा हुआ है, सांप नाथ हों या नाग नाथ हों, सम्पूर्णानन्द जी हों या आप हों, आज इस तरह के कामों से किसानों का खून खौल उठा है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब में कानूनी आस्पेक्ट पर आता हूं। माननीय राजस्व मन्त्री ने कहा है कि ८ एकड़ तक वालों को उन्होंने इस कर से मुक्त कर दिया है। माननीय कृष्णानन्द राय जी व माननीय जगन्नाथ सिंह जी ने जो संशोधन रखे हैं उनको मैंने गौर से पढ़ा है। अगर मेरे परबाबा के पास ८ एकड़ जमीन थी और अब ९ भाइयों में बंटवारा होने पर एक के हिस्से में एक एकड़ से कम ही आया और उनका ज्वाइन्ट खाता बना रहा, तो उस पर तो आपने टैक्स लगा दिया। ४२० बहुत दिन नहीं चलती। अब किसान के लड़के भी अक्ल रखते हैं। अब में तिकड़म की बात बतला रहा हूं कि अगर किसी के पास ९ एकड़ जमीन है जो ९ भाइयों की है लेकिन उनका खाता ज्वाइन्ट है तो उस पर आपका टैक्स लग जायगा लेकिन अगर वे उसे एक-एक बीघा अलग कर लें तो वे अपने को टैक्स से बचा लेंगे। आपने ऐलान कर दिया पंडित जवाहर लाल से कि उनकी बात मान कर हमने ८ एकड़ तक के किसानों को छोड़ दिया है लेकिन हजरत ने किया यह कि ज्वाइन्ट खाते पर तो टैक्स लगेगा ही। इसलिये में आपसे कहता हूं कि आप बैठ कर इस तरह की गलती को दुरुस्त कर लें। चाहे इधर के जमींदार हों या हुकुम सिंह जी हों, सीलिंग और लार्ज होल्डिंग के चक्कर से बचने के लिये यह सब किया गया है। यह दोनों आपस में रिश्तेदार हैं, तमाम खाते के खाते ट्रान्सफर हुए, और अदालतों में तमाम (collusive suit) सूट दाखिल हुए और कृषि आय-कर से बचने के लिये तमाम यह सब हुआ। यू० पी० जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में कहा कि ३ एकड़ जमीन तकसीम के बाद एक के पास रहे, पहले सवा ६ एकड़ रखी थी। अगर हमारे ४ भाइयों के पास जमीन है तो वह ३–३ एकड़ से ज्यादा किसी के पास न आये और बंटवारे हों, इस तरह से नीलाम होंगे और किसान वहां से हटकर खेतिहर मजदूर बनेंगे। आप ने चमार-पासी को जमीन तो नहीं दी, वह तो बेगार और मजदूरी ही करता फिरा। आप के मिल मालिक दोस्त उस को कम वेतन देकर परेशान करते हैं, अब खेती बंटने व बिकने पर किसान मजूर बनकर हड़ताल-तोड़क बनेगा। यह आप की पूंजीवाद की चाल है। अगर ऐसा नहीं है तो सब पर, मिल मालिक पर टैक्स लगे। आप ने पुरखों के वक्त के खेत भाइयों से कोलासिव सूट दायर करा के अलग कराये, एक खून के खाते जो पुर्खों से चले आते थे उनको आप शामिल नहीं रख

सकते लेकिन आप कोआपरेटिव फार्मिंग की योजना में कहते हैं कि दस गैर खून के किसानों के खाते एक साथ आ जायं। मुख्य मन्त्री जी और नेहरू जी कोआपरेटिव फार्मिंग का नारा लगाते हैं। आप को एक खून का ज्वाइन्ट फेमिली का सहकारी फार्म पसन्द नहीं है, आप की मंशा के अनुसार ४ भाई एक साथ नहीं हो सकते लेकिन कोआपरेटिव फार्म में दूकानदार खत्री, बनिया मैनेजर बनकर फार्म कर सकता है, उस के लिये आप किसानों को आज राजी करना चाहते हैं लेकिन उनकी परबाबा की ८ एकड़ जमीन में से उसके पोते १-१ एकड़ अपने पास शामिलेशरीक नहीं रख सकते, वह रखेंगे तो आप उस पर टैक्स लगा देंगे, कितनी मिसचिवस और शरारत से भरी हुई नीति यह है। अगर उनके पास आज हल, बैल, बीज का प्रबन्ध नहीं है तो आप को उस की कोई फिक्र नहीं है, वह बंटवारे करें आप को टैक्स दें और नेहरू जी के कोआपरेटिव फार्मिंग के नारे को पूरा करें। वह नेहरू आनन्द भवन का छोकरा क्या जाने कि किसानी कैसे होती है, वह कोई कुर्मी, अहीर, ठाकुर के लड़के नहीं हैं कि जिनके यहां किसानी होती है। कैसा राज आप निर्माण कर रहे हैं? यह सब तमाशा हो रहा है, आप जो किसान ८० प्रतिशत है उस को छेड़ रहे हैं, यह जो भेड़ें आप के पीछे बैठी हैं जब यह अपनी कांस्टीटुयेंसी में जायंगी तो किसान शेर की तरह इन पर झपटेगा और इन को दुबकने की जगह नहीं मिलेगी, वह खूनी छलांग मारेगा और आप से पूछेगा कि यह ८ एकड़ की बात किस शरारत से भरी हुई आप ने इस बिल में मंजूर की है। मैं भी बराबर आजादी की लड़ाई में जेल में रहा हूं, आप ने कहा कि समाजवाद के नाम पर, किसान मजदूर के नाम पर कांग्रेस में आओ। मैं भी जेल गया हूं, मैं नहीं समझता कि केवल उधर वाले ही ज्यादा त्यागी हैं। आप के यहां गुटबाजी है, जातिवाद है, जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर, पार्टी के नाम पर सदस्यों को कोड़े लगाकर काम चलाये जाते हैं। बनारसी दास जी लोगों को डरा धमका कर मिलाना चाहते हैं लेकिन किसान के जो हितैशी हैं वे समझते हैं कि ठीक बात क्या है? किसी को कहा जाता है कि यह साम्प्रदायिक हैं, किसी को कहा जाता है कि यह रूस की तरफ देखते हैं लेकिन आप क्या कर रहे हैं? हम ने भी कुरबानी की है, हम भी किसान के ही लिये लड़े थे। अतः उनके ऊपर डालने वाला यह कर न लगायें।

कानूनी पहलू एक ओर देखें। लैंड रेवेन्यू या मालगुजारी जमींदार सरकार को देता था। जमींदारी खात्मे के पहले जमीन का मालिक जमींदार था। रेंट के रूप में लगान काश्तकार जमींदार को देता था। रेंट का आधा सरकार को जमींदार देता था और आधा खुद हड़प जाता था। सरकार ने जमींदारी का खात्मा किया और यू० पी० जमींदारी अबालिशन ऐक्ट के सेक्शन ४ में सारी जमीन यू० पी० स्टेट में निहित हो गयी और जमींदारी की जगह जमीन की मालिक सरकार हो गयी। सेक्शन २५१ में यह शर्त आपने रखी कि भूमिधर जो होगा ४० साल तक उसकी मालगुजारी वही रहेगी और सेक्शन २५३ व २५७ के मातहत सीरदार का, अगले बन्दोबस्त जो ४० साल के बाद होगा उस के अन्दर, लगान आप नहीं बढ़ायेंगे। आपने नाम लगान का हटा दिया और उसकी जगह मालगुजारी कर दिया, जैसे आपने अंग्रेज का नाम हटा दिया और कांग्रेस कर दिया। बोतल बदल गयी, शराब वही रही। जमीन अगर आपकी है और जमींदार की जगह आप जमीन के मालिक हो गये सेक्शन ४ के अन्तर्गत, तो काश्तकार क्या हुआ? वह एक शर्त के मातहत आपकी जमीन उसी तरह से जोतेगा जैसे जमींदार के मातहत जोतता था। उसकी हैसियत कुछ नहीं बदली और लगान की जगह आपने मालगुजारी नाम रख दिया। आप संविधान के अनुच्छेद २६५ को देखें:

"No tax shall be levied or collected except by authortiy of law"

शेड्यूल ७(२) में आपके द्वारा लगाये जाने वाले टैक्सों की लिस्ट जो है उसमें एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स ४६ है और लैंड रेवेन्यु ४५ है। कहीं आप बतला दें कि एग्रीकल्चरल लैंड पर टेनेन्ट के ऊपर भी आप को टैक्स लगाने का अधिकार है तो मैं आपके कदम चूम लूंगा। अंग्रेज ने भी जो नहीं किया आपने वह भी कर डाला।

आप देखें कि सरकारी संशोधन जो पेश है उसमें ज्वाइन्ट खाते की होल्डिंग्स पर टैक्स है, उनके मालिक पर नहीं है। शब्द से "अध्यासन" भी हटाया है, "अधिकार" भी

[श्री दीपनारायणसिंह]

हटाया है। इसका मतलब है कि चार शामिल खातेदार हैं एक खाते के, हर एक का एक हिस्सा हटाया न जाय और ज्वाइन्ट पर लगाया। जमीन पर टैक्स है, आदमी पर टैक्स नहीं है। जब जमीन पर टैक्स है और आदमी पर नहीं है तो बनारसी दास जी बतायें कि किस धारा के अन्दर उनको अधिकार है कि उत्तर प्रदेश जोत-कर बिल पास करायें। आसाम की रूलिंग है। ए० आई० आर० १६५६ आसाम, ३३, स्पेशल बेंच के सामने एक गिरजा नन्द चौधरी वर्सेस स्टेट का केस है। उसमें यह होल्ड किया गया है :

"Revenue is treated as a tax which is levied in the exercise of the prerogative of the Crown and the right is paramount to the ownership."

इसका मतलब यह हुआ कि उस समय जमींदार की लैंड रेवेन्यू बढ़ा दी गयी तो जमींदारों ने कहा कि नहीं बढ़ा सकते। अदालत से कहा गया कि बढ़ाई जा सकती है। लैंड रेवेन्यू एक टैक्स हुआ जमींदार के ऊपर। जब आप जमीन के मालिक बन गये तो क्या अपनी जमीन पर ही आप अपने ऊपर यह टैक्स लगायेंगे? यदि ऐसा है तो यह टैक्स अपने से वसूल करें, किसानों से नहीं। यह उत्तर प्रदेश की जो सारी जमीन काश्तकार जोते हुए हैं वह सर्टेन कंडीशन्स के साथ जोते हुए हैं जो दफा २५१, २५३, २५७ के अन्तर्गत आपने लगायीं। इसलिये आपको कोई राइट नहीं है कि आप टेनेन्ट के ऊपर टैक्स लगायें। आप जमीन के मालिक हैं, किसान नहीं हैं। गलत ढिंढोरा मत पीटिये। आपने धोखा दे रखा है। सेक्शन ४ के अन्तर्गत की बात पढ़िये। माननीय राजस्व मन्त्री जी, मैं चैलेंज के साथ हाउस के सामने यह कह के जा रहा हूं, मैंने प्रधान मन्त्री जी को भी लिखा है कि ये गुप्ता जी जमीन के टुकड़े-टुकड़े करने जा रहे हैं और कंसलिडेशन की स्कीम को रद्दी की टोकरी में रख रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—आप का समय समाप्त हो गया।

श्री दीपनारायण सिंह—इस दृष्टि से जोत-कर टैक्स नहीं लगाया जा सकता है, इन्कम पर लगाया जा सकता है। जिन मिल मालिकों की थैलियां आपकी पार्टी को मिलती हैं उस पर आप सुपर-टैक्स, डेथ ड्यूटीज वगैरह लगाते हैं लेकिन क्या कभी आपने मिल चलाने का भी टैक्स लगाया है? क्या किसी बनिये के ऊपर दुकान रखने का भी टैक्स लगा हुआ है? फिर किसान पर जमीन जोतने का टैक्स क्यों लगाया जा रहा है? आप हमारे नुमाइन्दे बनें और कहें कि हम किसानों के वोटों से आये हैं। आपने यह शर्त लगायी थी कि तुम हमारी जमीन को जोतो हम तुम्हें बेदखल नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम जमीन को खराब से अच्छी बनायें, खाद दें, जोतें बोयें, ज्यादा पैदा करें तो मुल्क का भी फायदा है और चीन और पाकिस्तान से लड़ने वाले जवानों को गल्ला देने वाले हम हैं और अमेरिका और कनाडा से सड़ा हुआ गेहूं मंगा कर बेचने वाले और मुनाफा खाने वाले आप हैं।

श्री उपाध्यक्ष—अब आप का समय समाप्त हो गया।

श्री दीपनारायणसिंह—पांच मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—जी नहीं।

श्री दीपनारायणसिंह—यह किसान के खून की सरकार नहीं है इसीलिये इस बिल के जरिये आपने उस पर टैक्स लगाने की योजना बनायी है। आप हमारे भाई हैं, पूंजीपति के लड़के नहीं हैं, आप हमारे बनिये। रुपयों से भ्रष्ट कार्यकर्ता खरीदे जा सकते हैं जैसे कचहरी में दस रुपये दे कर एक फर्जी गवाह पेश किया जाय और बीस रुपये दे कर उसे तोड़ लिया जाय। लेकिन मुझ जैसे छोटे भाई तभी आपके कदम चूमेंगे, जब आप हमारे बनेंगे। मुझे कोई ख्वाहिश

नहीं है कि आपका लीडर बनूं। जो बिहारी जी ने जयसिंह के लिये कहा था वही मैं राजस्व मन्त्री जी के लिये भी कह रहा हूं—

नहिं स्वारथ नहिं सुकृत जश, सोचु बिहंगु बिचारि।
बाजि पराये पानि परि, तू पंछीनु न मारि।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख हुआ, जब मैंने इस विधेयक पर इस सदन के बहुत से नौजवान साथियों को जो कल उन जिम्मेदारियों को सम्हालेंगे जो शासन से सम्बन्ध रखती हैं, अपने विचार प्रकट करते हुए देखा। जो भविष्य को उज्ज्वलमय और गौरवमय बनाना चाहते हैं, जो प्रदेश की इस दरिद्रता को दूर हटाना चाहते हैं और जो नये उत्तर प्रदेश के स्वप्न देख रहे हैं, जब उन्होंने इस विधेयक के ऊपर अपने विचार प्रगट किये तो उन विचारों ने मुझे तकलीफ पहुंचाई और इसलिये तकलीफ पहुंचाई कि जब वे इतने प्रगतिशील हैं, वे उन प्रगतिशील विचारों को समय बे समय प्रकट करते हैं तो वे उन प्रगतिशील विचारों को अपनाने की चेष्टा क्यों नहीं करते हैं जिनके द्वारा आधुनिक युग में योजनायें बनती हैं, योजनायें संचालित की जाती हैं और योजनाओं के लिये साधन इकट्ठे किये जाते हैं और वे सिद्धांत अपनाये जाते हैं जिनके द्वारा बड़ी-बड़ी योजनायें कार्यान्वित हों? योजनाओं की पद्धति, योजनाओं के संचालन का कार्यक्रम आदि से हमारा देश कैसे प्रभावित हुआ? आज इस इतिहास में मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है परन्तु यह बात भी किसी से छिपी नहीं है कि उन देशों ने हमें प्रभावित किया जिन्होंने अपने यहां योजनायें बनायीं, अरबों की योजनायें बनायीं और पांच-साला योजनायें बनाईं और उनके अन्तर्गत हर पांचवें साल उन देशों ने प्रगति की, अपने टारगेट्स को पूरा किया और आगे बढ़ने की बराबर हर पांचवें साल चेष्टा की।

यह सही है कि हमारे देश की योजनाओं को इन देशों की योजनाओं की पद्धतियों ने बहुत प्रभावित किया और उन देशों का ढंग हमारे देश से भिन्न रहा। उन्होंने योजनायें बनायीं, उनके विशेषज्ञों ने तैयार कीं और राजनीतिक पंडितों ने बैठ-बैठ कर अपना सहयोग प्रदान किया। लेकिन वे योजनायें जबरिया लोगों के कंधों पर थोपी गयीं और उन ढंगों से थोपी गयीं जिन ढंगों में कदाचित् हमारा देश विश्वास नहीं करता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वहां पर जबरिया ढंग से प्लानिंग का संचालन हुआ और विशेषज्ञों ने और बड़े-बड़े राजनीति के पंडितों ने बैठकर इस स्वप्न को पूरा करने की चेष्टा करते हुए कि जिसके द्वारा समाज का कल्याण हो सके, उन योजनाओं को निर्मित किया और उन योजनाओं को अपने देश में चालू किया और उनके अन्तर्गत उन्होंने प्रगति की।

हमारे देश के महान् नेता पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भी और उनकी सरकार ने भी उनसे प्रभावित होकर, उन कार्यों से प्रभावित होकर और समाजवादी दृष्टिकोण को अपने बीच में रखते हुए, योजनाओं की पद्धति को अपनाने का निर्णय लिया और पहली, दूसरी, तीसरी तथा आने वाली योजनाओं का कार्यकाल प्रारम्भ किया। पहली योजना आरम्भ हुई, न तो हमारे विशेषज्ञों को, न हमारे अधिकारियों को और न हमारे साथियों को योजना सम्बन्धी विषय का कोई तजुर्बा था। हालांकि कांग्रेस ने जैसा कि हमको विदित है, १९३६–३७ में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे योजना सम्बन्धी विषयों से कांग्रेस को जोड़ने के लिये उन्होंने प्लानिंग कमेटी की नियुक्ति की और उसके द्वारा जैसा कि हम और आप सब समझते हैं और लाइब्रेरी की पुस्तकों का भी अध्ययन किया होगा कि विशेषज्ञों ने प्लानिंग के जरिये से एक दृष्टिकोण विभिन्न क्षेत्रों में अपने देशवासियों के समक्ष प्रस्तुत कराने का प्रयास किया। वह हमारा पहला प्रयास था और जब हम आजाद हुए और हमने संविधान बनाया तब हमने योजनाओं का कार्यकाल प्रारम्भ किया। हमने जब प्रथम पंचवर्षीय योजना आरम्भ की तो हमारे अधिकारियों को तजुर्बा नहीं था, विशेषज्ञों को भी तजुर्बा नहीं था, परन्तु उसके न रहते हुए भी हमने एक कदम उठाया। उस कदम पर चलने की चेष्टा की। उसमें बहुत से स्थानों पर हमें सफलतायें मिलीं और बहुत से स्थानों पर असफलतायें भी मिलीं। दूसरी पंचवर्षीय योजना बनी और उसमें

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

भी सफलतायें और असफलतायें हमारी नजरों के सामने आयीं। योजना कोई एक वर्ष में बनने वाली वस्तु नहीं है। योजना एक स्वप्न होता है, एक नक्शा बनाने की चेष्टा की जाती है और उस पर बराबर चलने की चेष्टा की जाती है। हमने नक्शा बनाया, हमारी योजनायें बनाने वालों ने, और हमारे देश के अग्रणी पंडित जवाहर लाल नेहरू ने एक नक्शा बनाया कि २०, २५ वर्षों के अन्दर देश को हम ऐसा बना देंगे जिससे देश अपनी गुरबत से ऊंचा उठ सके, अपनी आमदनी दुगुनी कर सके, अपनी बेरोजगारी को हटा सके। आजादी हमारे बीच में सारे सुखों को एक साथ तो नहीं लायी थी और न हमने कभी ऐसी कल्पना ही की थी कि हम एक साल में या २ साल में आजादी के बाद अपनी सारी समस्याओं को सुलझा लेंगे और न हमारे पास उसके लिये साधन ही थे। उसके लिये इसीलिये आवश्यक था कि योजनाओं के कार्यकाल रखे जायं और उसके अन्तर्गत जहां तक देशवासियों से हो सके अपने कंधों पर बोझ उठाने की चेष्टा करते रहें। उस बोझे को उत्तरोत्तर हम उठाते चलें और उसको उठाकर हम योजनाओं को कार्यान्वित करें जिसके द्वारा हम पैदावार को बढ़ा सकते हैं, जिसके द्वारा हम विद्युत् या प्रकाश को अपने बीच में ला सकते हैं, जिसके द्वारा हम अस्पताल और शिक्षा संस्थाओं को निर्मित कर सकते हैं और जिसके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र का विस्तार हो सकता है, जिसके द्वारा जानवरों की सेहत की रक्षा हो सकती है और जिसके द्वारा यातायात के साधन बढ़ाये जा सकते हैं, जिसके द्वारा अधिक कपड़ा पहनने के लिये उत्पादित किया जा सकता है और जिसके द्वारा किसानों की माली हालत को सुधारने के लिये हम वह सहूलियतें दे सकते हैं, वह तकनीकी ज्ञान उन्हें दे सकते हैं जिससे वह अपने पिछड़ेपन को शीघ्रता से हमारे बीच से हटा सकें। तो यह एक नक्शा है, यह तो एक स्वप्न है जिस को हमें कार्यान्वित करना है।

तो क्या वह स्वप्न बिना साधनों के पूरा हो जायगा? तो क्या वह गौरवपूर्ण उत्तर प्रदेश जो साधनों से रहित है, जो वंचित है, जिसके लिये हम साधन उपलब्ध करना चाहते हैं वह महज बिना कुरबानियों के हमारे बीच में पैदा हो जायगा या बन जायगा? हम सब सन् ६० या ५९ में जो यहां सरकार थी उसके अनुग्रहीत हैं, उसके नेता के अनुग्रहीत हैं और उन सब साथियों के अनुग्रहीत हैं जो यहां सदन में उपस्थित हैं और जिन्होंने इतनी अच्छी योजना की रूपरेखा को बनाया और इसलिये लाये कि उत्तर प्रदेश जो अन्य प्रदेशों के मुकाबिले में पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में पीछे रहा है वह अपने पिछड़ेपन को दूर करे। और उसके दूर करने के लिये क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता यह थी कि हम अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट करें, अधिक से अधिक साधन मुहय्या करें और अपने बीच से साधनों को पैदा करें और उनकी बिना पर उत्तर प्रदेश के नये नक्शे को बनाने की चेष्टा करें।

(इस समय ४ बजकर २० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

तो हमने जब पौने सात करोड़ की योजना सन् १९५९ या ५८ में बनानी शुरू की, उसकी रूपरेखा तैयार करना प्रारम्भ किया तो क्या वह उस दिन का जो कार्य था वह क्या एक व्यक्ति का कार्य था, वह क्या उन व्यक्तियों के विचारों का एक सामुदायिक नहीं था जो कि प्रगतिशील विचार रखते हैं, जो विशेषज्ञ हैं, जो कि विभिन्न आने वाले जमाने में किस प्रकार हमें कार्य करना चाहिए उसकी जानकारी रखते हैं? और तीन चार वर्ष के प्रयास में उत्तर प्रदेश की उन्होंने योजना बनायी और उत्तर प्रदेश की योजना के साथ-साथ अन्य प्रदेशों ने भी अपने यहां दो तीन साल की मेहनत से अपनी-अपनी योजनायें बनायीं। फिर सारी योजनायें संकलित हुईं और केन्द्रीय आयोग ने उन पर विचार किया, निर्णय दिये और अपने सुझाव भी दिये और फिर उनका कार्यकाल प्रारम्भ हुआ। तो जब कोई योजना बनी और उस योजना की रूपरेखा यहीं लिखी गई और उच्च आदर्शों की बुनियाद, उच्च आकांक्षाओं, उच्च अभिलाषाओं की बुनियाद पर लिखी गई, माननीय श्रीपाल सिंह जी चले गए, माननीय यादवेन्द्र दत्त दुबे जी भी शायद उस समय थे, माननीय गेंदासिंह जी भी थे, माननीय राघवेन्द्र प्रताप सिंह भी थे, और हमारे माननीय कम्युनिस्ट पार्टी के उपनेता भी थे, यह सब लोग थे और उन सबने एक बड़ी योजना को, अपनी स्वीकृति प्रदान की, एक बड़ी

योजना को संचालित करने के लिए अभिलाषा और आकांक्षा प्रकट की, इस सदन ने उस पर अपनी मोहर लगायी, अपनी छाप दी। वह भी योजना जो पहली थी वह भी उनको आकांक्षाओं, अभिलाषाओं को पूरा करने वाली नहीं थी क्योंकि प्रदेश की आवश्यकतायें, प्रदेश की समस्यायें तो बहुत बड़ी समस्यायें थीं। वह सदियों का कोढ़ क्या पांच दस साल में हमारे बीच से खत्म हो जाने वाला है? सदियों से हमारा किसान एक्सप्लायट किया गया, सदियों से हमारे मजदूर एक्सप्लायट किये गए। यदि उसके एक्सप्लायटेशन को हमारे बीच से खत्म करना है तो क्या महज हमारी बातों से वह खत्म हो जायगा? हमारी यह योजनायें क्या बड़े-बड़े लम्बे-लम्बे कागजों द्वारा या सदन की स्वीकृति उन पर लिख दी जाय, उसके द्वारा पूरी हो जायंगी? पूरी तो तभी हो सकेंगी जब हम स्वतः उसके लिए साधन मुहैया करेंगे और हमें उसके लिए उन तमाम जरियों को ढूंढ़ना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा। इस प्रदेश में गरीबी भी है, किसान बहुत तरक्की नहीं कर पाया है, हमें उसके दरवाजे को खटखटाना पड़ेगा और उससे निवेदन करना पड़ेगा कि अगर वह चाहता है कि कल का समाज जिसके भविष्य को बनाने की चेष्टा वर्षों से हो रही है, जिसका सपना गांधी जी देखा करते थे, अगर वह भविष्य हमारे बीच में आना है तो वह जो देश में सबसे बड़ी संख्या में रहते हैं और जिन्होंने सब से बड़ी कुर्बानी की है, आजादी की लड़ाई में भी सबसे बड़ी कुर्बानी की है, आज देश के निर्माण में भी उन्हें हिस्सा लेना पड़ेगा। आज यह तृतीय पंचवर्षीय योजना जो उत्तर प्रदेश में बनाई गई वह मुख्यतः उस उद्देश्य से बनाई गई, इसका आदर्श यह था, इसके पीछे यह भावना थी कि प्रत्येक व्यक्ति को इसके कार्यान्वित करने में, इसके संचालित करने में सहयोग प्रदान करना पड़ेगा, भले ही ऐसा करने में लोगों को तकलीफ उठानी पड़े, परेशानी में से गुजरना पड़े, कठिनाइयों का सामना करना पड़े क्योंकि अन्य देशों की योजनाओं ने हमें यही तो सीख दी है। क्या रूस के किसानों ने, क्या रूस के मजदूरों ने, वर्षों तक तकलीफें नहीं उठायीं, क्या वे परेशानियों में से नहीं गुजरे, क्या उन्होंने अपने को वर्षों तक बहुत से उन साधनों से वंचित नहीं रखा, उन वस्तुओं और पदार्थों से वंचित नहीं रखा जिनको स्वतः उन्होंने अपने हाथों से पैदा किया उन कल और कारखानों के लिए, उन बेसिक इंडस्ट्रीज के लिए जो कि उस देश में उपलब्ध नहीं थीं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द हमारे देश के, हमारे उन नेताओं में से रहे हैं जिन्होंने सदा प्रगतिशीलता का परिचय दिया है और हम में से बहुत से यहां साथी बैठे हुए हैं जिन्होंने उनसे सदा प्रेरणा ली है, वह हमारे साथी रहे हैं। सोशलिस्ट पार्टी के इस प्रदेश और सारे देश में जन्मदाता रहे हैं। हमने कन्धे से कन्धा मिला कर उनके साथ काम किया है। यदि उन्होंने इस प्रदेश के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए एक प्रगतिशील योजना को बनाने की चेष्टा की और इस विश्वास और धारणा के साथ की कि उनके साथी, वह साथी जो उन जगहों पर जाकर सदा अलख जगाते रहते थे जहां कोई उन्हें पहले पूछता नहीं था, जहां उनकी आवाज नहीं जाती थी, इस विश्वास के साथ उन्होंने इतनी बड़ी योजना का संचालन करने की जिम्मेदारी अपने पर, अपनी सरकार पर, अपने साथियों पर ली और इस सदन के विश्वास को साथ लिया जिसने पौने सात करोड़ की योजना को अपनी स्वीकृति प्रदान की थी, तो आज जब हम योजना को कार्यान्वित करने जा रहे हैं, हमारा कर्त्तव्य तो यह होना चाहिये था कि जो हमारी प्रगति का रथ चलना प्रारम्भ हुआ है और जो आगे बढ़ता जा रहा है वह रुके नहीं, उसके बीच में कोई रोड़ा न अटकने पाये, और उसके साथ ही हम ऐसी तरकीबें निकालें, ऐसी तदबीरें सोचें कि जिससे अधिक से अधिक मात्रा में हमारे पास साधन आयें, जुटें और इस योजना को हम अच्छी तरह से पूरी कर सकें और जो कमियां और खामियां हम अपने बीच में पा रहे हैं वह घटें। यह नहीं है कि यह तृतीय योजना ही हमारी सारी कमियां और खामियां पूरी कर देगी, सारे गांवों में बिजली पहुंच जायगी, सड़कें बन जायंगी, सारे गांवों में स्कूल बन जायेंगे, अस्पताल बन जायेंगे। यह इस योजना में नहीं है और यह सब किसी एक योजना काल में हो भी नहीं सकता। ऐसा प्रदेश जो सदियों से गरीब रहा है, जिसकी आमदनी कम रही है, किसान गरीब रहा है उसे तो वर्षों तक मेहनत करनी होगी तभी हमारा वह स्वप्न पूरा होगा। इस योजना की आधारशिला तो वह तमन्ना है, वह आकांक्षा है जो इस सदन ने स्वतः प्रदर्शित की थी और इसी सदन में उसकी स्वीकृति उसने प्रदान

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

की थी। योजना बनी और योजना बनाने में सरकार ने विभिन्न विशेषज्ञों से सलाह ली, इकोनामिस्ट्स से सलाह ली, स्टेटिस्टिशियन्स से सलाह ली और यह रूपरेखा लिखी और उसके साथ ही साधन मुहैय्या करने के विषय में भी एक दृष्टिकोण अपनाया। मैंने चार, पांच रोज हुए एक पुस्तक देखी, गोरखपुर विश्वविद्यालय के एक अर्थशास्त्री हैं श्री ब्रजकिशोर सिंह, प्रोफेसर हैं। मैंने उनकी किताब का अध्ययन किया। पुस्तक का नाम है—राजस्व, राष्ट्रीय आय—रोजगार और आर्थिक प्रणालियां। इस पुस्तक में उन्होंने राजस्व के विषय में अपनी नीति और कुछ प्रगतिशील नीतियां बतलायी हैं और यह प्रोफेसर महोदय कदाचित् प्रमुख इकानामिस्ट्स में से एक हैं। वह बताते हैं कि किसी देश का तरक्की करना तभी मुमकिन हो सकता है कि जब हम थोड़ी बहुत ज्यादा पैदावार करें और उसका कुछ न कुछ हिस्सा आगे जो हम निर्मित करना चाहते हैं उसके लिये बचायें। यह नहीं कि जितना हम पैदा करें उस सबका उपभोग कर लें। मैं उस पुस्तक का एक आध जगह से उद्धरण देना चाहता हूं और उसे यहां प्रस्तुत कर यह सिद्ध करना चाहता हूं कि वह दृष्टिकोण जो उस लेखक ने अपनी पुस्तक में अपनाया है और जो एक प्रगतिशील अर्थशास्त्री का दृष्टिकोण है, वही इस योजना के बनाने में इस प्रदेश को सरकार ने अपनाया था। उन्होंने कहां-कहां से वह साधन इकट्ठे किये जा सकते हैं इस प्रश्न पर भी विचार किया था और जब उसने इस प्रश्न पर विचार किया था तो उसने देहात के क्षेत्र को भी अपने उस विचार के दायरे से दूर नहीं रखा था। बल्कि उस प्रश्न के विचार के दायरे में एक बहुत बड़ी मात्रा में यह प्रश्न उसके सामने था। मैं उस विचारक, उस अर्थ शास्त्री की इस पुस्तक के १६७वें पेज से कुछ पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। वे कहते हैं : "ग्रामीण उपभोग में वृद्धि को रोक कर ग्रामीण विनियोग (उत्पादन अतिरेक के उपयोग द्वारा) में वृद्धि करना ग्रामीण करारोपण का लक्ष्य होना चाहिये। ग्रामीण करों को अधिक प्रगतिशील बनाने पर भी ध्यान देना चाहिये। ऐसा तभी होगा जब ५ एकड़ से अधिक जोतों पर मालगुजारी दुगनी कर दी जाय और अधिक कर लगा दिया जाय और लगान पर इस प्रकार कर लगाया जाय कि उसका भार लगान पाने वालों पर पड़े।" जो दृष्टिकोण इस पुस्तिका में अपनाया गया है और इस तरह के अर्थशास्त्री ने अपनाया है जिसका करीब-करीब वही दृष्टिकोण था जब कि हमारे प्रदेश में योजना बनी थी, वही दृष्टिकोण इन विशेषज्ञों का और अर्थशास्त्रियों का है जो कि भविष्य के लिये योजना बनाते हैं। क्योंकि हम में इतनी योग्यता नहीं है कि हम टैक्स लगा सकें और न इन्सीडेन्स आफ टैक्सेशन की ही हम लोग योग्यता रखते हैं। मैं अपने बारे में तो जरूर जानता हूं कि कम से कम मैं तो इतनी योग्यता नहीं रखता हूं। मैं तो विशेषज्ञों से बराबर प्रभावित होता हूं और सलाह लेता हूं और उनकी सलाहों की क्षमता के आधार पर ही आगे बढ़ने की चेष्टा करता हूं।

एक सदस्य—इस पुस्तक के लेखक का क्या नाम है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह अर्थशास्त्री आप की ही तरफ के हैं। इनका नाम है श्री ब्रज किशोर सिंह और यह गोरखपुर विश्वविद्यालय के हैं। यह ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं।

एक सदस्य—यह एप्वाइन्टमेन्ट जिस तरह से हुआ है वह सब को मालूम है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—एप्वाइन्टमेन्ट की बात तो आप जानें, मैं नहीं जानता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि बजाय इसके कि हम यहां पर यह दृष्टिकोण अपनाते कि हम अपने प्रदेश को कर लगा कर और योजना बना कर और समृद्धिशाली बनाते और इस बात की चेष्टा करते कि हम अपना उद्देश्य पूरा कर सकें, वह आज हमारी नीतियों का विरोध करते हैं। एक बात और कि वे ही लोग जो विरोध करते हैं वह कल तक इसका समर्थन करते थे और आज भी वह शासन करने की इच्छा रखते हैं। परन्तु फिर भी विरोध करते हैं, वह प्लानिंग में विश्वास रखते हैं और समाजवाद में विश्वास रखते हैं परन्तु फिर भी वे इसका विरोध करते हैं। हमारे माननीय नरसिंहनारायण जो कि यहां पर बहुत अध्ययन करके आते हैं और हमको भी अक्सर

नई बातों की जानकारी कराते हैं, वे तक इसका विरोध करते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मेरे और भी बहुत से साथी हैं जो कि अपनी अध्ययन की हुई चीजों से हम सब की जानकारी बढ़ाते हैं, उससे हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है। इसलिये हम सब को इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि हम सरकार के उद्देश्य को सफल बनायें। हम को ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे हमारा संतुलन और बढ़े तथा बना रहे। मुझे दुःख इस बात का है कि वह सदस्य जो कि प्रगतिशील विचार रखते हैं और योजना तथा उसके उपलब्धि के साधनों में विश्वास रखते हैं वे तक इसका विरोध करते हैं और रूस का उदाहरण भूल जाते हैं तथा चीन का उदाहरण भूल जाते हैं। वे यहां पर इमोशन में बह जाते हैं और गलत कह जाते हैं। हमारे भाई राय साहब जो उपनेता हैं वह हमेशा इमोशन की बात करते हैं। परन्तु वह यह भूल जाते हैं कि वे एक क्रांतिकारी हैं और एक क्रान्तिकारी को बड़ा कूल माइन्डेड और बड़ा कैलकुलेटेड होना चाहिए। किसी विषय में बहुत सोच समझ कर अपने विचार प्रकट करने चाहिए। लेकिन उससे वह हमेशा अलाहिदा हो जाते हैं। हमारे नये भाई श्री बलवान सिंह जी जो कि एक नौजवान और ऊंची शिक्षा पाये हुए सदस्य हैं और नई शिक्षा तथा नया खून लेकर आये हैं और शायद वह मुझसे अधिक जानकारी रखते होंगे, वह भी जब यहां पर अपना ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है। वह हमारे समाजवाद को धिक्कारते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है कि जो समाजवाद नेहरू का है, जो श्री सम्पूर्णानन्द का और आचार्य नरेन्द्रदेव का है और जिनके सहयोग से हम इस प्रदेश को उन्नति के पथ पर ले जाने की चेष्टा कर रहे हैं, उसी समाजवाद की वे भर्त्सना करते हैं। वे कहते हैं कि यह समाजवाद निकम्मा हो गया है। मैं अपने साथियों से नम्रता से कहना चाहता हूं कि जरा तवारीख की तरफ, जब से समाजवाद फैला है, गौर करें, तो उन्हें ज्ञात होगा कि गलती किसने की थी। उन्होंने नहीं जिन्होंने कि जब कान्सटीटुएन्ट एसेम्बली बैठने जा रही थी, यह फैसला कर दिया कि किसी भी व्यक्ति को कान्सटीटुएन्ट एसेम्बली में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि यह एसेम्बली अंग्रेजों की हुकूमत को रखने के लिये विधान बनाने जा रही है और नतीजा क्या हुआ कि हमारे वे समाजवाद के अगुवा और प्रगतिशील लोग जो कि समाजवाद को इस देश के अन्दर लाना चाहते थे और उस समय हमारे बहुत से साथी यद्यपि कांग्रेस से बाहर हो गये थे, हमारे जेड० ए० अहमद साहब और दूसरे साथी कांस्टीटुएंट असेम्बली में नहीं गये, लेकिन नक्शा और जो विधान देश का बना उसने उनकी अदूरदर्शिता का परिचय नहीं कराया? क्या वे अदूरदर्शी नहीं थे? जो विधान के बनाने में सहायक हो सकते हैं और जो चीज कांग्रेस में १९५४ के अन्दर आयी, कांग्रेस ने समाजवादी व्यवस्था का ध्येय घोषित किया, वह चीज विधान में की जा सकती थी और हम मिल जुल कर आगे चलने वाली व्यवस्था को अपने बीच में कायम कर सकते थे। तो भूल किसने की? गलती की जयप्रकाश नारायण जी ने, अशोक मेहता जी ने, आचार्य नरेन्द्रदेव जी ने, गेंदा सिंह जी ने। त्रिलोकी सिंह जी तो उस समय समाजवाद के विरोधी व्यक्ति थे, और वह सब साथी कांग्रेस के बाहर गये। आज उनकी कल्पनाएं, उनका विश्वास और स्वप्न क्या अधिक मात्रा में हमारे बीच में कार्यान्वित होता हुआ सिद्ध हो सका, या उनका हो सका जो कांग्रेस के अन्दर रहे और अन्दर रह कर समाजवादी व्यवस्था को लाने की कोशिश करते रहे और अपने प्रयत्नों से उस दिशा में चलने की चेष्टा करते रहे? आज कांग्रेस का समाजवाद का ध्येय है, उसको वह गणतंत्रीय तरीकों से देश में लाना चाहती है। यह उत्तरदायित्व जो कांग्रेस ने अपने कंधे पर लिया है उनके विरोध में जो तरीके टोटलिटेरियन देशों में संचालित हो रहे हैं और योजनाएं चलायी जा रही हैं, तो क्या यह उत्तरदायित्व सब के कन्धे पर नहीं पड़ा है जो समाजवाद को शीघ्रातिशीघ्र हमारे बीच में लाना चाहते हैं।

मैं नरसिंहनारायण जी से पूछना चाहता हूं, उनके नेता और जेड० ए० अहमद साहब से और गेंदासिंह जी से पूछना चाहता हूं। वह भी इस सदन में गणतंत्रीय विचारों के मानने वाले हैं। आज कांग्रेस इतने बड़े प्रयास में जुटी हुई है और अपनी योजनाओं को सफल बनाना चाहती है, उस समय आपको सहयोग देना चाहिए न कि उसमें रोड़ा अटकाना चाहिए। अगर आज हम गणतंत्रीय ढंग से समाजवादी व्यवस्था को स्थापित न कर सके और गणतंत्रीय तरीकों से अपने समाज में एक क्रान्ति और परिवर्तन नहीं ला सके तो होने वाला क्या है? होगा

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

वही जिसकी आशंका कई सदस्यों ने सदन में प्रकट की, या तो फासिस्टवाद आयेगा या टोटलिटेरियन ताकतें जो एशिया में मंडरा रही हैं वही आयेंगी। क्या हम चाहते हैं कि वे ताकतें आयें? क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम उन योजनाओं को सफलता प्रदान करें जो प्रशासन के प्रयास से और मेहनत से बनती हैं। प्लानिंग कमीशन में घंटों और रातों बैठ कर, अध्ययन करके योजनाओं को निर्मित करके देश की योजना की रूपरेखा रखी जाती है। अगर हम कहते कि बावजूद अपनी गुर्बत के हमने अधिक से अधिक साधन इकट्ठा करके प्रदेश को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया और आप हमें अधिक से अधिक सहायता प्रदान कीजिये जिससे अधिक सड़कें हम प्रदेश में बना सकें, अधिक संख्या में स्कूल खोल सकें, अस्पताल खोल सकें, अधिक संख्या में जानवरों के अस्पताल खोलें, अधिक संख्या में हम उन व्यक्तियों के द्वारा किसानों को कुछ दीक्षा दे सकें कि वे अपने किसानी के तरीकों में परिवर्तन ला सकें, नये तरीके सीख सकें, उन्हें हम नहरें दे सकें, नलकूप दे सकें और इस तरह से उनकी पैदावार को बढ़ाने में हम उन्हें अगुआ बना सकें।

तो हम क्या कर रहे हैं? हम जो चीज योजना के अन्तर्गत पास करते हैं, दुख है, हमारे साथी उसका विरोध करते हैं। हमारे भाई राघवेन्द्र प्रताप सिंह जी जरा गलत सोहबत में फंस गये हैं और उसमें चले जाने से उनके उन विचारों में कुछ परिवर्तन हो गया है जो विचार, जब वे हमारे ही साथी थे, पहले रखते थे। आज वे एक दल के नेता हैं, उनका दल प्लान में विश्वास नहीं करता। जहां तक राजा साहब का सवाल है, उनसे मुझे शिकायत नहीं है। राजा साहब जिन नेताओं में आज पल रहे हैं और जिन नेताओं ने अपने कुछ साथियों को अपनी तरफ बहका रखा है, उनसे मुझे कुछ शिकायत नहीं है। शिकायत उनसे अवश्य है कि जो समाजवादी हैं और प्लान में विश्वास रखते हैं और अधिक से अधिक प्लान के टार्गेट्स को पूरा करने की अभिलाषा और आकांक्षा रखते हैं। अब या तो उत्तर प्रदेश की योजना में कट करना पड़ेगा या उसको पूरा करने के लिये साधन जुटाने होंगे। मैं तीन रोज से, जब से मुझे डेवलपमेंट कमिश्नर का नोट मिला है योजना को कट करने के बारे में, उसे देख रहा हूं और परेशान हूं। जो नोट उन्होंने दिया है, जो मेरे साथियों के पास भी पहुंच जायगा, उसमें उन्होंने प्लान को कट करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जहां तक कैपिटल एकाउन्ट्स का सवाल है उसमें जो चीजें बनने वाली हैं, उसमें कुछ दिक्कतें हैं, किन्तु जहां रेवेन्यू एकाउन्ट्स में थोड़ा सा पैसा खर्च होने वाला है उसमें शायद कोई दिक्कत न हो। जो यह चीजें हैं इर्रीगेशन, पावर, माइनर इर्रीगेशन, मीडियम इन्डस्ट्री, रोड्स, वेयर हाउसेज, मार्केटिंग आदि, इनमें करीब-करीब २३३.२७ करोड़ रुपये शायद खर्च होंगे। अब जो २६४ करोड़ के करीब रुपया रह गया उसमें से ८१.५२ करोड़ के करीब कैपिटल एकाउन्ट्स में खर्च होना चाहिये और १८२.४८ रेवेन्यू एकाउन्ट में खर्च होना चाहिये। अब अगर यह विधेयक जो हमारे सामने है पास हो जाता है, तो करीब ५१ करोड़ का गैप हमारे सामने रह जायगा। अब इस गैप का असर हमारी उन चीजों पर पड़ेगा जैसे एजूकेशन है, हैल्थ है, एग्रीकल्चर है, एनीमल हस्बैन्डरी आदि है। तो क्या हम चाहते हैं कि इस तरफ तरक्की न हो? हम बराबर अपनी प्रगति को एकोनामी के आंकड़ों से आंकते हैं, इस तरह से नहीं कि हमने यह बीमारी दूर कर दी, शिक्षा के क्षेत्र में इतना विस्तार कर दिया, या इतने व्यक्तियों को शिक्षित कर दिया। हम इससे प्रगति को नापते हैं कि हमने एकोनामिक प्रोग्रेस कितनी की। तो आज अगर हम अपने साधनों को मुहैय्या न कर सके तो उसका नतीजा होगा कि जिस अभिलाषा और आकांक्षा को लेकर हमने पहले योजना बनाई थी और इस विश्वास के साथ बनाई थी कि हम उसे पूरा करेंगे और उसके लिये सदन ने अपनी स्वीकृति दी, वह अधूरी रह जायेगी। हमारे उस जमाने के साथियों ने अपनी-अपनी दिक्कतों और परेशानियों को सामने रख कर, सहानुभूति पूर्वक, इस बात को मान कर कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है, इस धनराशि को देने का वचन दिया। तो आज हम उससे भागना चाहते हैं? अगर यही समझते थे कि रूरल सेक्टर के बीच में हमें जाना नहीं है, वहां से साधन उपलब्ध ही नहीं करने हैं, तो मैं यह कहूंगा कि जो प्रगतिशील अर्थशास्त्री हैं उनके दृष्टिकोण को हमने माना नहीं,

अपनाया नहीं, जिनके दृष्टिकोण को अपनाकर हमने यह योजना बनायी और जिनके मतानुसार हमने इस योजना की रूपरेखा रखी। हमें फैसला करना है कि हम प्लानिंग की पद्धति और ढंग में विश्वास करते हैं या नहीं। यदि हम विश्वास करते हैं तो फिर इमोशन से काम चलने वाला नहीं है। तब तो हमें इस तरह के नेता बनना है जैसे हम १९२० में थे। उस समय हम थोड़े थे। लेकिन हम गांधी जी का सन्देश लेकर गांव-गांव में गये और किसान को जाग्रत किया। क्या आज हम उसे सही बातें नहीं बता सकते हैं? क्या उससे नम्रतापूर्वक यह नहीं कह सकते हैं कि इस प्रदेश के बनाने के लिये, इसके क्षेत्र को विकसित करने के लिये, वह हमारी सहायता करे, करों को देने की प्रवृत्ति वह अपने अन्दर पैदा करे और प्लान के लिये साधनों को जुटाने की अभिलाषा अपने अन्दर पैदा करे?

मेरे दोस्त श्रीपालसिंह जी कह रहे थे कि कांग्रेस तो बुड्ढी हो गई, हम सब बुड्ढे व्यक्ति यहां बैठे हुए हैं, हममें कोई जान नहीं है, जान तो उधर ही है। तो क्या वह नेता नहीं बन सकते हैं? आखिर, वह यही ख्वाहिश तो रखते हैं कि जल्दी से जल्दी हमको हटा कर यहां आकर बैठें। मैंने माना कि हम सब बुड्ढे हो गये। तो क्या वह उन बातों को अपना नहीं सकते हैं जिन्हें १९२० में गांधी जी ने अपना कर हम सब में, हम सबकी रूहों में नयी जिन्दगी फूंकी थी? क्या उसे लेकर हम गांव वालों को अपना सहयोगी और साथी नहीं बना सकते हैं और उनसे नहीं कह सकते हैं कि भाई, तुम्हारी थोड़ी पैदावार जो बढ़ी है उसका कुछ हिस्सा देश और प्रदेश के विकास में दो और उन योजनाओं की पूर्ति में दो जिनके द्वारा इस प्रदेश का भविष्य गौरवमय और उज्ज्वल बनाया जा सकता है? लेकिन उनमें जान है ही नहीं, मैं यह कहना चाहता हूं। जान इधर ही है। ये बुड्ढे कार्यकर्ता अभी भी अपने अन्दर वह क्षमता रखते हैं कि अप्रिय कार्य को भी बहादुरी के साथ उनके बीच में फैलाना चाहते हैं जो हमारी सहायता करते रहे हैं और हमारे सहयोगी रहे हैं।

आप भले ही कहें कि हमें केवल ३३ परसेंट वोट मिले हैं। लेकिन गणतंत्र की पद्धति के अनुसार हमारे अन्दर जनता ने विश्वास प्रकट किया है। जब हम यह कहते हैं तो यह तमन्ना अपने दिल में रखते हैं, वे विचार रखते हैं, जिनके पीछे हम लोग मरे, खपे और अंग्रेजी हुकूमत का मुकाबला किया। जो सोये हुए थे उन्हें ज्ञानवान बनाया, जो अंग्रेजों के साथी थे और गरीब किसानों के साथ दुर्दशा का आचरण करते थे उनको भी हमने अपना साथी बनाया। तो आज यह कहना कि हम मुर्दा हो गये हैं, हमारे अन्दर जान नहीं है, ठीक नहीं है। यदि आप प्लान में विश्वास करते हैं और आप चाहते हैं कि अधिक से अधिक स्कूल, सड़कें, अस्पताल आदि बनें और इस प्रदेश की उपज भी अधिक से अधिक हो, तो वह रोड़े अटकाने से नहीं हो सकता है। वह तभी होगा जब हम प्रयत्न करेंगे, मेहनत करेंगे और उन गुणों का परिचय देंगे जिन्हें अपना कर किसान हमारे पीछे चलता था और इतनी बड़ी हुकूमत को, ब्रिटिश हुकूमत को, उसने अपने सहयोग से दूर करने की चेष्टा की थी। आज भी कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं में जीवन है, कांग्रेस में जो लोग हैं वे आदर्शों से प्रेरित हैं और उन आदर्शों से प्रेरित होकर काम करना चाहते हैं। जब वे ऐसा करना चाहते हैं तो वे इस अप्रिय कार्य को भी करने की क्षमता पैदा करेंगे। टैक्स लगाने का कार्य कोई रोचक कार्य नहीं होता और कोई भी व्यक्ति किसी अप्रिय कार्य को करने के लिये तैयार नहीं होता, लेकिन जिसने उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लिया है, उसकी आकांक्षा है और ईमानदारी के साथ वह किसान और गरीबों के भविष्य को उज्ज्वल बनाना चाहता है तो उसको बनाने के लिये वह इस अप्रिय कार्य को करने के लिये भी तैयार रहेगा और उसको अपना सहयोगी बनायेगा जो मुसीबतों के फन्दे में फंसा हुआ है। क्या मैं उन लोगों से, जो जनता के भविष्य की बातें सोचते हैं, इस दृष्टिकोण से सोचने की प्रार्थना नहीं कर सकता?

माननीय बलवानसिंह जी ४ घंटे तक बोले और जो बातें जनरल डिसकशन में नहीं भी कही जाती हैं उनको कह डाला और उन्हीं पुरानी बातों को दुहराया कि शुगर इंडस्ट्री को नेशनेलाइज कर दीजिये, तनख्वाहों में कमी कर दीजिये। जिन विषयों पर एक नहीं दो मर्तबा, तीन मर्तबा इसी सदन में विचार-विमर्श हो चुका है और उनके लिये हम अपनी असमर्थता प्रकट कर चुके हैं, आज फिर उन्हीं बातों को रखने से क्या लाभ है। हमने यह तयकर लिया है कि मिक्ज्ड एकोनामी

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

रहेगी। उस इन्डस्ट्रियल पालिसी को हमने स्वीकार किया, इस सदन में और पार्लियामेंट में भी स्वीकार किया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वे बातें रखी गयीं और उन्हीं सारी बातों को देख सुन कर और उनके बारे में आलोचनाओं को सुन कर ही जनता ने हमें मत दिया, हमारे साथियों को मत दिया और इसी कारण हम उत्तरदायित्व को संभाल रहे हैं। आपने जो-जो बातें कहीं उनका उत्तर तो माननीय राजस्व मंत्री जी देंगे अथवा हमारे अन्य योग्य साथी देंगे जो इस विषय में अधिक जानकारी रखते हैं। मैं तो केवल यह कहना चाहता हूं कि हमें आज यह दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है और वह ऐसा होना चाहिये जिससे योजना पूरी हो और वे चीजें पूरी हो सकें जिनका वचन हमने उस बड़ी पुस्तिका में, अपने प्रदेश की पुस्तिका में जनता को दिया है।

देश का किसान और वोट देने वाला व्यक्ति किन बातों को जानता है और किन बातों से प्रभावित होता है और कभी-कभी वह कुछ गलतफहमी में भी रहता है और अगर उसके बीच में गलतफहमी फैली रहती है तो वह कभी-कभी अच्छे से अच्छे व्यक्ति को भी हरा देता है। लेकिन अगर उसके सामने सही नक्शा आ जाता है तो वह कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी, यदि वह उसके सामने आदर्श लेकर जाता है, तो जिता देता है। बार-बार इस बात की चर्चा की गयी कि इस्तीफा दे दीजिये, इस बिल के विषय में चुनाव लड़िये और अगर चुन कर आ जायं तब आप इसको लीजिये। मैं इस प्रकार की चुनौतियों का आदी नहीं हूं। यद्यपि मैं कभी भी मैदान से भागता नहीं हूं। इसी पिछले ५ साल के जमाने में मैंने तीन-तीन चुनाव लड़े हैं और उनमें दो बार हारा भी हूं और हार कर भी बेशर्मी से फिर चुनाव में खड़ा हुआ हूं। इस प्रकार मैं फिर उसी जनता के बीच में पहुंच जाता हूं और वह जनता मुझे चुन भी देती है। तो यह बात तो जनता को शिक्षित करने की है, उसके सामने सही नक्शा रखने की है। आज भी अज्ञान हमारे बीच में फैला हुआ है। अहमद साहब इस बार पहली मर्तबा यहां चुन कर आये हैं, बार-बार उससे पहले कोशिश करते रहे लेकिन नहीं आ पाये। विद्वान् आदमी हैं, योग्य नेता हैं, यद्यपि मैं उनके बहुत से आदर्शों को मानता नहीं हूं, लेकिन इतना होते हुए भी वे नहीं आ पाये। इसलिये इस तरह की बातों से कोई नतीजा नहीं निकलता। जो पिछले चुनाव में हार गये थे उनमें से बहुत से फिर जीत कर आ गये हैं। जो कभी बड़े अच्छे कार्यकर्ता थे और अपनी-अपनी जगह अपना प्रभाव रखते थे वे भी हार गये। श्री बलवान सिंह जी जहां से आये हैं वे वहां हमारे एक साथी को हरा कर आये हैं। तो उससे आप कोई नतीजा निकालना चाहें और कोई चुनौती देना चाहें, तो मैं समझता हूं कि उससे कोई काम नहीं निकलने वाला है। मैं तो हर आदमी की चुनौती स्वीकार करने के लिये उद्यत रहता हूं। इसलिये आप जरा दूरदर्शिता से कार्य करने की बात अपने अन्दर लाने की चेष्टा करें। जब आप दूरदर्शिता से इस विधेयक पर विचार करेंगे और उन आदर्शों व सिद्धान्तों को अपनी नजरों के सामने रखेंगे तो आप इस बात में कोई गुरेज नहीं करेंगे कि रूरल सेक्टर से भी जो कुछ योजना की पूर्ति के लिये मिल सके, उसे लेने की चेष्टा करें।

क्या आप उसे पसन्द करेंगे कि वर्षों तक अमेरिका का कर्जा हमारे ऊपर बना रहे, क्या आप इसे पसन्द करेंगे कि वर्षों तक रूस व पश्चिमी यूरोपियन देशों का कर्जा हमारे ऊपर बना रहे? हमें चाहिये कि अपने देश की तरक्की के लिये अपने अन्दर सेल्फ जेनरेटिंग इकोनामी का माद्दा पैदा करें, और सेल्फ जेनरेटिंग इकोनामी का माद्दा पैदा करने के लिये आवश्यक है कि प्रत्येक आदमी जो कुछ भी सहयोग दे सकता हो—रुपये के रूप में, कर के रूप में, अल्प बचत योजना के रूप में, ऋण के रूप में सरकार को दे, जिससे हम देश की तरक्की कर सकें और उस आदर्श की पूर्ति कर सकें जिस आदर्श की पूर्ति के लिये हमारे नेता ७५ वर्ष की उम्र में भी प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं और देश को उन परिस्थितियों में लाने की चेष्टा कर रहे हैं जिनके पैदा हो जाने से गुरबत हमारे बीच से चली जायगी और जो हमारे बीच में रहने वाले गरीब व पिछड़े लोग हैं उनका स्तर ऊंचा होगा। अगर इस दृष्टिकोण को अपने बीच में रखते हुए हम तरक्की के रास्ते को अपनाते हैं तो हम

प्रगति के मार्ग पर, उत्थान की दिशा में चलेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैंने भी हजारों और लाखों की संख्या में किसानों को सम्बोधित किया है और आज भी जब टैक्स की चर्चा चल रही है, समय-समय पर उनके बीच में जाकर उनको सम्बोधित करता रहता हूं। वे मेरी बातों को सुनते हैं और मेरी भावनाओं की कद्र करते हैं और कद्र करते हुए प्रत्येक प्रकार का सहयोग देने की चेष्टा करते हैं जिससे देश का उत्थान हो। मैं और मेरे साथी जो यहां आये हैं वे बराबर उनके बीच में जाते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं और इस बात की जानकारी रखते हैं कि देहात के किसान जो कमजोर हैं वे भी देश की तरक्की के लिये जो कुछ हो सकेगा देने के लिये तैयार हैं। यह कहना कि वे हम से अलग हो जायेंगे गलत है। आज तो देहात में ऐसे लोग भी रहते हैं जिन्होंने लार्ज होल्डिंग्स ऐक्ट समाप्त होने के बाद भी हजारों एकड़ जमीन अपने कब्जे में दबा रखी है और इधर-उधर वालों के नाम, घर वालों के नाम कर रखी है। तो आप चाहते हैं कि क्या वे टैक्स न दें, ऐसे किसान टैक्स न दें? क्या देहात के रहने वाले किसान स्कूल के लिये, सड़कों के लिये, नहरों के लिये, ट्यूबवेल्स के लिये टैक्स न दें जिससे योजना की पूर्ति होने वाली है? जिस दृष्टिकोण को अभी मैंने इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है अगर उस दृष्टिकोण को आप अपने बीच में अपनायें तो हमारा वह स्वप्न पूरा हो सकता है जिससे इस देश का पिछड़ापन दूर हो, और इस देश के किसान शक्तिशाली बनें। मैं अधिक समय न लेते हुए इन चन्द शब्दों के साथ नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि इस सदन का प्रत्येक सदस्य उस दृष्टिकोण को अपनावे जिसकी चर्चा इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय माननीय राजस्व मंत्री जी इस सदन में कर चुके हैं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं। मुख्य मंत्री जी को ५१ करोड़ वाली बात समझ में नहीं आई।

श्री बसन्तलाल शर्मा---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

अनेक सदस्य---(शोर) हम विरोध करते हैं।

श्री यादवेन्द्रदत्त---अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने डेवलपमेन्ट कमिश्नर के नोट को कोट किया, क्या वह पूरा नोट हमें भी देखने को दे सकेंगे?

श्री अध्यक्ष---वह तो शायद उन्होंने कहा कि सब के पास जायगा।

श्री चन्दभानु गुप्त---अध्यक्ष महोदय, अभी तो वह हमारे जो मंत्रिपरिषद् के साथी हैं वह उन सब के पास जायगा और जब वह पूरा तैयार हो जायगा और उस पर निर्णय ले लिया जायगा तो उनके पास भी भेज देंगे।

श्री यादवेन्द्रदत्त---क्या हम समझें कि वह अभी अधूरा है जिसको उन्होंने कोट किया, इसको जरा वह स्पष्ट कर दें।

श्री चन्दभानु गुप्त---अध्यक्ष महोदय, मैंने तो यह कहा था कि जब से यह नोट मेरे पास आया है मैं उससे चिन्तित हूं कि मैं योजना की किस चीज को काटूं और किसको न काटूं, क्योंकि मैं उन व्यक्तियों में से हूं कि जो योजना बनी है उसके अनुसार सभी चीजें पूरी हो जायं और एक चीज भी न कटे। मेरी यह दिक्कत है, यह नोट आया है अभी इस पर साथियों ने पूरे तौर से बिचार नहीं किया है। मैंने तो उदाहरण स्वरूप यह चीज आपके सामने रखी थी कि इस तरह से पग-पग पर मेरे सामने दिक्कतें आ रही हैं कि किस चीज में कमी लाई जाय।

श्री अध्यक्ष---अब श्री वसंतलाल जी का क्लोजर मोशन आया है ....

श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह (जिला गोन्डा)---श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि ....

श्री अध्यक्ष---आप अभी सुन लें फिर कहें। इस पर यहां दस दिन से विचार हो रहा है। जो भाषण यहां हुए हैं उनके विषय में मेरे पास नोट आया है। उससे यह विदित होता है कि १६ घंटे १४ मिनट विरोधी दल की ओर से इसका विरोध हुआ है और कांग्रेस की तरफ से १५ घंटे ४१ मिनट कुल भाषण हुए हैं। इसके अतिरिक्त अगर पक्ष में और विरोध में देखा जाय तो आप देखेंगे कि करीब १६ घंटे तक बिल की आलोचना की गई है और १२ घंटे समर्थन किया गया है। इन सब तथ्यों को देखते हुए मैं समझता हूं कि अब जो प्रस्ताव आया है वह उचित है।

(व्यवधान)

अनेक सदस्य---आप हमारी बात तो सुन लें।

श्री अध्यक्ष---सब एक साथ नहीं बोल सकते, जिसको मैं बुलाऊंगा, केवल वही बोलेगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि श्री बसंतलाल शर्मा ने जो प्रस्ताव रखा है उसको आपने अपना समर्थन दे दिया, मुझे अफसोस है कि मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता। आपको याद होगा कि जब यह बिल पेश हो रहा था तो आपने कहा था कि करों के बिलों का महत्व है और उनका जनता की रोजमर्रा की जिन्दगी से गहरा संबंध है और यह सब देखकर आप ने नियमों को तोड़ा भी और आपने लोगों को अपने विचार व्यक्त करने का मौका देने के लिये अपनी व्यवस्था दी जिसके लिये हम आपके आभारी हैं। लेकिन यह जोत कर विधेयक सूबे की जनता के सब से बड़े हिस्से को प्रभावित करता है और गरीब किसान ही इसके शिकार बनने जा रहे हैं और उनमें इसके खिलाफ गहरा असन्तोष है, सब लोग उनके बीच से यहां चुनकर आये हैं और चाहते हैं कि वह अपने विचार इस पर व्यक्त करें। दस दिन के समय की जो बात आपने कही तो इन दस दिन में बहुत से अन्य ऐसे विषय बीच में आ गये कि जिन के कारण जितना समय इस विवाद में खर्च होना चाहिये था वह नहीं हो सका। इस समय स्थिति यह है कि एक-एक पार्टी के अन्दर एक-एक ही प्रवक्ता बोले हैं, हमारे दल में डाक्टर जेड० ए० अहमद के सिवा और कोई नहीं बोला है, प्रजा सोशलिस्ट दल में भी केवल २ सदस्य ही बोले हैं, सोशलिस्ट दल से भी अभी केवल श्री नरसिंहनारायण जी ही बोले हैं, इसी तरह से जनसंघ और स्वतंत्र दल से भी एक-एक दो-दो सदस्य ही बोले हैं, स्वतंत्र दल के अभी नेता तक नहीं बोले हैं, बहुत से सदस्यों ने अपने विचार नहीं रखे हैं और कांग्रेस पार्टी में भी ऐसे लोग हैं जो बोलने के लिये आप से बराबर अनुरोध करते हैं और अपने विचारों को रखना चाहते हैं। ऐसी दशा में बड़ी गंभीर परिस्थिति है तो इसकी गंभीरता को देखते हुए मेरा आपसे अनुरोध है कि आपने जो अपनी राय दी है उसको आप कृपा कर के वापस लें और सरकारी पक्ष से भी मेरा अनुरोध है कि इसकी महत्ता को देखते हुए जब इसमें संशोधन का वक्त आयेगा तो दो, तीन जो महत्वपूर्ण क्लाज हैं उन पर हम बोलेंगे, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। लेकिन जहां तक साधारण विवाद का संबंध है, इसके ऊपर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगना चाहिये और माननीय नेता सदन ने जो विचार रखे हैं उस बारे में औरों के भी विचार आने दीजिये। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और चाहता हूं कि अभी इस पर विवाद जारी रहे।

श्री अध्यक्ष---(कई सदस्यों के खड़े होने पर) अभी जो माननीय चन्द्रजीत जी ने बात कही है, वही मैं समझता हूं आप सब कहना चाहते हैं।

श्री राधवेन्द्रप्रताप सिंह---मेरा यह कहना है कि यह महत्वपूर्ण विषय तो है ही और अभी तक बोलने के लिये समय के बारे में कोई प्रतिबन्ध भी नहीं था। आज

उपाध्यक्ष महोदय ने और इस सदन ने समय के बारे में प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय किया। उसके बाद अभी दो व्यक्ति भी नहीं बोल पाये हैं। फिर ऐसी क्या परिस्थिति आ गयी कि इस पर बहस बन्द कर दी जाय। अभी बहुत से ऐसे लोग हैं और मैं भी एक नाचीज व्यक्ति हूं जो बोलने के लिये रह गये हैं।

श्री अध्यक्ष—आपकी तरफ के माननीय विजयसिंह को पहले मैंने समय दिया। फिर माननीय भानुप्रताप सिंह को दिया। वह तीन या ढाई घंटे तक बोले ...

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—घंटे के ऊपर न जाइये, दो ही व्यक्ति हमारी पार्टी से बोले।

श्री यादवेन्द्रदत्त—मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि इस विषय की गरिमा और महत्ता को देखते हुए क्लोजर न मूव करिये, भले ही आप कुछ समय निर्धारित कर दें, १५, २०, २५, जितने भी मिनट सदन या आप उचित समझें, और मैं माननीय मुख्य मंत्री से भी कहूंगा कि इस बिल के ऊपर जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर उनको बिल पास न होने का भय हो तो मैं जानता नहीं परन्तु बहुमत तो अभी तक मैं समझता हूं उनका है, पास हो जायगा। इसलिये लोगों को अपनी बात कहने का अवसर दें, यह मेरा आपसे निवेदन है और माननीय मुख्य मंत्री से भी कि भावात्मक दृष्टि से न विचार कर के थोड़ा व्यावहारिक दृष्टि से इस पर विचार करें।

सूचना राज्य मन्त्री (श्री बनारसीदास)—मुझे यह निवेदन करना है कि १५ तारीख को जब सदन फिर से मिला तो माननीय दुबे जी ने मुझसे विवाद के संबंध में पूछा। मैंने कहा कि १७ तारीख तक इस पर आम विवाद चलना उचित होगा। आपने सुझाव दिया कि १९ तारीख तक चलना चाहिये। आपके कमरे में डाक्टर अहमद साहब थे। उनसे बातें हुईं। उन्होंने १७, १८ तारीख तक चलने की बात कही। तो दुबेजी ने स्वयं १९ तारीख तक कहा। और कल या परसों, मुझे ठीक याद नहीं, चन्द्रजीत जी से मेरी बातें हुईं, हम कल चाहते थे, उन्होंने कहा कल मत लाओ। तो आज यह इस लिये रखा गया है कि डाक्टर अहमद साहब और दूबे जी से पहले सलाह हो गयी थी। आज का दिन पूरा लगा। इसके बाद माननीय नेता विरोधी दल को अवसर है, माननीय नरसिंहनारायण को अवसर है, सोमवार का दिन भी इसमें लगेगा ही।

श्री अध्यक्ष—(श्री चन्दनसिंह के खड़े होने पर) माननीय चन्दन सिंह जी, यहां का नियम यह है कि जब मैं आपका नाम बुलाऊं तब आप बोलियेगा। आपका साफा ऐसा है कि मेरी निगाह में रहेगा ही।

श्री यादवेन्द्रदत्त—अध्यक्ष महोदय, मुझ खेद है और साथ ही प्रसन्नता भी है कि माननीय बनारसी दास आधी बात कहना जानते हैं। टेलीफोन पर आपके कमरे से बातचीत हुई थी। आपको फोन किया था और यह वहां बैठे हुए थे, उस समय क्या बातचीत हुई उसे मैं दोहरा दूं। बहुत स्पष्ट कहा था कि तुम्हारा बहुमत है, तुम चाहो तो गला काट डालो। क्लोजर मूव न करो क्योंकि बहुत से लोग बोलना चाहते हैं और बिल चलने दो।

श्री चतन्यराजसिंह (जिला अलीगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस बिल पर वकील साहब बोले, लीडर साहबान बोले, लेकिन काश्तकार बहुत कम बोले। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि अभी मुख्य मंत्री जीने बतलाया कि योजना काश्तकार के लिये, गरीब के लिये और गांव वालों के लिये है और इसलिये यह जोत कर बढ़ाया जा रहा है, तो योजना वालों को दो मिनट तो दे दीजिये।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---बनारसीदास ने जो कुछ कहा बड़ी मेहरबानी की लेकिन यह नहीं कहा कि मैंने कभी उनसे यह कहा हो कि इस बिल पर कोई वक्त मुकर्रर कर दिया जाय। मैं उन लोगों में से हूं जब कभी चर्चा हुई इस बिल पर तो मैंने यह कहा कि इसमें वक्त की पाबन्दी नहीं होनी चाहिये, आपके सामने भी और आपकी अदम मौजूदगी में। मैं उसी राय का आज भी हूं और यह समझता हूं कि इस बिल पर अभी ऐसे लोगों के भी भाषण बाकी हैं जिनको सदन ही नहीं सूबे के लोग भी जानते हैं। यह तो हम नहीं जानते कि उनको बोलने के लिये हम राजी कर पायेंगे या नहीं ताकि उनका मत जान सकें, लेकिन अगर यह पाबन्दी हो गयी कि उस पर बहस नहीं होगी तो उनकी बात हम नहीं सुन पायेंगे। मैं यह समझता हूं कि यह बात निश्चित है कि जिस वक्त बहुमत चाहेगा उस वक्त यह बिल पास हो सकता है और इस पर बहस बन्द हो सकती है। मेरी राय यह जरूर है कि इतने महत्वपूर्ण बिल पर पाबन्दी न लगाई जाय। हां, तकरीर के लिये वक्त की पाबन्दी हो जाय उससे काम चल जायगा, लेकिन क्लोजर न लिया जाय, यह बनारसी दास जी से मेरी प्रार्थना है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---श्रीमन्, मुझे इतना कहना है और बार-बार मैं कह भी चुका हूं कि मेरी पार्टी का एक सदस्य नहीं बोला। केवल मैंने ही अमेंडमेन्ट मूव किया था और इसलिये मुझे ही मौका मिला। बार-बार इस चीज को मैं कहता आ रहा हूं। बनारसी दास जी से कल भी कहा था और गेंदासिंह जी ने भी कहा कि क्लोजर आप मूव न करें और कदाचित् वह मान भी गये थे, लेकिन यह नहीं मालूम हुआ कि कैसे यह क्लोजर ला रहे हैं और कैसे उनका दिमाग यह क्लोजर के बारे में सोचने लगा? मैं बनारसी दास जी से पुनः निवेदन करूंगा कि वह बसन्तलाल जी से कह कर क्लोजर वापस करा लें और इस पर विवाद चलने दें और मेरी पार्टी का भी जरा खयाल रखा जाय।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के विभिन्न दलों के नेताओं से अपील करना चाहता हूं व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी और इस दृष्टिकोण से भी जिसे कि वह मानते भी हैं कि मेजारिटी से यह पास हो ही जायगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस जनरल डिसकशन की बहस को बन्द किया जाय। इसलिये कि आज बहुत सी चीजों के सैंक्शन रुके पड़े हुए हैं जाने के लिये। हमारे अधिकारी और हम यह जानें कि आखिर में हमें कितने साधन जुटाने हैं। अगर यह प्रश्न महीनों इसी खटाई में पड़ा रहेगा तो मैं समझता हूं कि यह प्रदेश की विभिन्न योजनाओं के साथ न्याय नहीं होगा और इसलिये माननीय नेताओं से और सदन के साथियों से मेरी प्रार्थना है कि वे अब इस बिल पर जो जनरल बहस है उसको खत्म करने की अनुमति दें।

श्री अध्यक्ष---जमींदारी अबालिशन ऐक्ट पर ७ दिन था। इस में अब १० दिन हो चुके हैं। अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

एक सदस्य---श्रीमन्, आपने आश्वासन दिया था।

श्री अध्यक्ष---वह आज के लिये नहीं था।

(श्री भगवानसहाय तथा अन्य सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---भगवान सहाय जी, आप बैठ जायं और आप लोग सब बैठ जायं, देखिये मैं खड़ा हूं। आप बैठ जाइये।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)---मैं व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)---श्रीमन्, आपने क्या कहा था?

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री कल्पनार्थासिंह—अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न अभी उपस्थित नहीं किया जा सकता। आपने एक आश्वासन दिया था, उसको आप क्यों तोड़ रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—अब सब लोग बैठ जायं। मैं बता दूंगा। देखिये मैंने जो आपको आश्वासन दिया था वह दिनांक १५ के लिये, १६ के लिये और १७ के लिये दिया था १८ के लिये नहीं दिया था।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—आपने कोई इस प्रकार का वादा नहीं किया था....

श्री अध्यक्ष—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह जी, अब आप बैठ जायं, बिलकुल गलत बात है यह।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—दो एक दिन और इस पर बहस हो जाय तो क्या हो जायगा ?

श्री अध्यक्ष—अब वह नहीं हो सकता। आप इतने पुराने सदस्य होते हुए यह कह रहे हैं। अब इस पर कोई बहस नहीं होगी।

श्री कल्पनार्थासिंह—मैं आपको आपके वायदे की याद दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—कोई वादा नहीं था। अब प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गई।)

श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)—श्रीमन्, इन्होंने कभी नहीं कहा था कि आज क्लोजर नहीं मूव होगा, श्रद्धा जी ने लाबी में कहा था और लोग चले गये। इस तरह से झूठा प्रचार बिलकुल अन्याय है और धोखा है

(घंटी के बन्द होने तथा प्रश्न पुनः उपस्थित किये जाने पर)

श्री लखपतराम शर्मा—व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष—जब वोटिंग हो रही हो तो व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता।

श्री भगवानसहाय—इस तरह लाउड स्पीकर काटने से काम नहीं चलेगा। हमारी बात आपको सुननी पड़ेगी।

श्री यादवेन्द्रदत्त—अध्यक्ष महोदय, मैंने आप से प्रार्थना की थी डिवीजन लाबी में दें और आप से मेरी बात भी हुई थी और आपने कहा भी था.....

श्री अध्यक्ष—माननीय यादवेन्द्रदत्त जी, मैंने लाबी में डिवीजन देने के लिये यह कहा था कि जब इस विषय पर प्रश्न आयेगा कि इस विधेयक पर विचार किया जाय। लेकिन इस प्रोसीजरल मैटर पर डिवीजन लाबी में नहीं होगा।

श्री यादवेन्द्रदत्त—श्रीमन्, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और यह भी सत्य है कि एक आदमी ने इसके विरोध में हाथ उधर से उठाया है। अगर आप डिवीजन लाबी में देंगे तो बहुत सी बातें सामने आयेंगी। इसलिये आप इस तरह से कह कर न टालें, यह मेरा आप से विनम्र निवेदन है।

श्री अध्यक्ष—मैंने आप से कहा था कि मूल प्रस्ताव पर डिवीजन लाबी में जरूर दूंगा, लेकिन क्लोजर के प्रश्न पर नहीं था।

श्री यादवेन्द्रदत्त—श्रीमन्, आप मेरा निवेदन सुन लें....

श्री अध्यक्ष—क्या आप उचित समझते हैं कि प्रोसीजरल मैटर पर लाबी में डिवीजन हो ?

श्री यादवेन्द्रदत्त—श्रीमन्, यह महज प्रोसीजरल मैटर नहीं है बल्कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसलिये लाबी में डिवीजन देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—माननीय नेता विरोधी दल, इसमें मैं लाबी में डिवीजन एलाऊ नहीं कर सकता।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ —

पक्ष में—२२१,

विपक्ष में—११७।)

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—अध्यक्ष महोदय, आप किसी तरह से बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। हमने अपने प्रस्ताव को वापस नहीं लिया है बल्कि सोमवार तक के लिये स्थगित किया है। आप संविधान के आर्टीकिल १८० को देख लें। इसलिये अध्यक्ष महोदय यह बैठक आपकी अध्यक्षता में नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष—आप कृपया आसन ग्रहण करें और जो माननीय सदस्य खड़े हैं वे कृपया बैठ जायं।

श्री लखपतराम शर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष—माननीय लखपतराम जी, आप बैठ जायं, नहीं बैठते हैं तो सदन छोड़ें। (व्यवधान)।

श्री लखपतराम शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—देखिये, व्यवस्था का प्रश्न जब आप बैठ जायंगे तब होगा। इस तरह से ५-५ आदमी एक साथ खड़े होंगे तो कैसे होगा ?

श्री लखपतराम शर्मा—अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठ जायं। माननीय यादवेन्द्रदत्त जी, आप अपना रिप्लाई शुरू करें। (कुछ ठहरकर)।

(श्री लखपतराम शर्मा से) आप बैठें। नेता विरोधी दल अपना रिप्लाई प्रारम्भ कर रहे हैं।

एक सदस्य—व्यवस्था का प्रश्न आप सुन लें।

श्री अध्यक्ष—माननीय लखपत राम शर्मा, आप बैठ जायं, अगर आप नहीं बैठते हैं तो सदन छोड़ें। आप सदन छोड़ें या बैठें। दो में से एक बात होगी। आप बैठिए या सदन छोड़िए। मैं आपसे कहता हूं कि आप कृपा करके बैठ जाइए।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—अध्यक्ष महोदय, आप कृपया पढ़ लीजिए, आप इस सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष—मैं उसे ओवर रूल करता हूं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—आप उसे ओवर रूल नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष--माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद, आप बैठ जाइए। नेता विरोधी दल, आप बोलिये।

श्री यादवेन्द्रदत्त--अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आप सबका व्यवस्था का प्रश्न सुन लें और उसका उत्तर दे दें, तब मैं बोलूं।

श्री अध्यक्ष--जो कुछ व्यवस्था का प्रश्न है वह पहले आप प्रारम्भ कर देंगे तब मैं सुनूंगा। तब ही वह उठा सकते हैं, बीच में नहीं उठा सकते हैं। आप प्रारम्भ कर दें तब वह उठा सकते हैं।

श्री यादवेन्द्रदत्त--मैं क्या प्रारम्भ करूं? लोगों का व्यवस्था का प्रश्न है उसको सुनने की कोशिश करें, आप लोगों के प्रश्न सुन लें और उसका उत्तर दे दें।

श्री अध्यक्ष--मैं आपसे निवेदन कर दूं कि प्वाइन्ट आफ आर्डर उस समय उठेगा जब कोई विषय प्रस्तुत हो जाय। अब आप खड़े हो जायं, फिर जो भी माननीय सदस्य प्रश्न करेंगे....

श्री यादवेन्द्रदत्त--मैं तो आपकी आज्ञा से खड़ा हो गया था।

श्री अध्यक्ष--तो अब शुरू कर दिया जाय....

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद--मेरा व्यवस्था का प्रश्न आप सुन लें। मेरा कहना यह है कि संविधान की धारा १८१ के अन्तर्गत....

श्री अध्यक्ष--सदन का समय १५ मिनट के लिये बढ़ाया जाता है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद--संविधान की धारा १८१ के अन्तर्गत--"विधान सभा की किसी बैठक में, जब अध्यक्ष को अपने पद से कोई हटाने का संकल्प बिचाराधीन हो तब अध्यक्ष, अथवा जब उपाध्यक्ष को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प बिचाराधीन हो तब उपाध्यक्ष, उपस्थित रहने पर भी, पीठासीन न होगा, तथा अनुच्छेद १८० के खण्ड (२) के उपबन्ध उसी रूप में ऐसी प्रत्येक बैठक के संबंध में लागू होंगे जिसमें कि वे उस बैठक के संबंध में लागू होते हैं जिससे कि यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अनुपस्थित हैं।"

मेरा निवेदन आपसे यह है कि आज सुबह जो विधान सभा ने नियम को निलम्बित किया है उससे जो प्रश्न विचाराधीन है वह हट नहीं गया, वह प्रश्न इस विधान सभा के विचाराधीन है। हमने उस प्रश्न को जिस तरह आप किसी खंड को स्थगित करते हैं उसी तरह से विचार के लिये सोमवार तक के लिये स्थगित कर दिया है। इसलिये वह प्रश्न इस विधान सभा के विचाराधीन है, भले ही उस पर मत न लिया गया हो। इसलिये.....

श्री अध्यक्ष--अब आप बैठ जायं, जो प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुआ वह विचाराधीन नहीं हो सकता। अब आप बैठ जाइये। मैंने रूलिंग दे दी।

श्री कल्पनार्थसिंह--मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जिस समय यहां सदन चल रहा हो, उस समय इधर के बैठने वालों के लाउड स्पीकर बन्द कर दिये जायं, यह किस परम्परा, किस नियम, किस कानून के अन्तर्गत आता है? (व्यवधान) आप सुन लें श्रीमन्, आपके हुक्म से मैं खड़ा हूं, आपका हुक्म हुआ तो मैं बैठ जाऊंगा। यह एक मौलिक प्रश्न है जिस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि....

श्री अध्यक्ष--अब हो गया, आपने प्रश्न उठा लिया....

श्री कल्पनार्थसिंह—आप पूरी बात तो सुन लें । लाउड स्पीकर वाले सज्जन वहां खड़े थे, मैंने यह कहा कि लाउड स्पीकर आप चालू करिये । नहीं चालू किया गया । माननीय लखपत राम शर्मा जी खड़े होकर बोल रहे थे । उनका लाउड स्पीकर नहीं चालू किया गया । यह सारे लाउड स्पीकर बन्द कर दिये गये । श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सदन में आने के बाद अब क्या यही बाकी रह गया कि आज लाउड स्पीकर बन्द किया जायगा और उसके बाद मुंह बन्द करने के लिये . . . .

श्री अध्यक्ष—हो गया, आपका व्यवस्था का प्रश्न सुन लिया । अब उस पर मैं व्यवस्था दे रहा हूं ।

श्री कल्पनार्थसिंह—आपकी आज्ञा से मैं खड़ा हूं । सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि आप सुन लें कि क्या बात हो गई है कि इस तरफ बैठने वाले हम लोगों के दिल और दिमाग पर यह असर पड़ा है . . . .

श्री अध्यक्ष—प्वाइंट आफ आर्डर पर लिखा हुआ है कि स्पीच नहीं होगी ।

श्री कल्पनार्थसिंह—स्पीच नहीं दे रहा हूं । केवल प्वाइंट आफ आर्डर के तहत में जो बात है और जो बातें बढ़ती जा रही हैं, वह मैं कह रहा हूं । मैं कोई स्पीच नहीं दे रहा हूं । पहले भी इस प्रकार की घटना घट चुकी है ।

श्री अध्यक्ष—आप सुनिये । कोई व्यवस्था का प्रश्न इतना लम्बा नहीं होता । आप बैठिये । मैंने सुन लिया ।

श्री कल्पनार्थसिंह—हो सकता है कि किसी माननीय सदस्य के बारे में गलतफहमी हो इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि माननीय लखपतराम शर्मा जी और शशिभूषणसिंह जी से आप इस बारे में जानकारी कर लें । मैं उनको इसमें गवाही के रूप में पेश करता हूं । वे खड़े हुए थे व्यवस्था के प्रश्न को ले कर और उनके लाउड स्पीकर बंद कर दिये गये थे । यह किस नियम और परम्परा के अनुकूल है ?

श्री अध्यक्ष—कायदा यह है कि जहां भी अव्यवस्था हो और ५, ५ आदमी एक साथ बोलना चाहते हों वहां व्यवस्था स्थापित करने के लिये अध्यक्ष वह प्रत्येक काम कर सकता है जिससे व्यवस्था रहे । मैं इसे ओवर रूल करता हूं ।

श्री झारखंडेराय—क्या आपने माइक बंद करने का आदेश दिया था ?

श्री अध्यक्ष—जी हां, मैंने आदेश दिया था । (व्यवधान) अब कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । आप लोग बैठ जायं ।

श्री चैतन्यराजसिंह—श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय विवाद के लिये यह बिल पेश हुआ था उस समय मैंने एक कांस्टीट्यूशनल प्वाइंट पेश किया था . . . (व्यवधान) (श्री लखपतराम जी के खड़े होने पर)—

श्री अध्यक्ष—लखपतराम जी, बैठ जाइये ।

श्री चैतन्यराजसिंह—उस समय आपने मेरा प्रश्न सुन लिया था, लेकिन उस पर कोई रूलिंग नहीं दी थी . . . . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—ठीक है, आप बैठ जाइये ।

श्री चैतन्यराजसिंह—अब कृपा कर उस पर अपनी रूलिंग दे दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, मैं रूलिंग दे रहा हूं । (व्यवधान) काशीनाथ जी, आप बैठ जाइये । जो कांस्टीट्यूशनल प्वाइंट चैतन्यराज जी ने उठाया था उस संबंध में मैंने

सारे नियमों का अध्ययन किया । नियम १२५ में ही यह प्राविहित है कि हमारे कानून बनाने की शक्ति में कौन विषय है या नहीं है, यह विषय उठाया जा सकता है उस समय जब कोई विधेयक प्रस्तुत हो । जब विधेयक पुरःस्थापित हो उस समय वह प्रश्न उठाया जा सकता है । चुनांचे आपको याद होगा कि जब यह बिधेयक सदन में आया तो माननीय नेता विरोधी दल ने इस पर आपत्ति की और माननीय गेंदासिंह जी ने, जब यह स्वीकार हो गया कि इसको पुरःस्थापित करने की इजाजत दी जाय, उसके बाद प्रश्न उठाया कि हम कांस्टीट्यूशनल प्वाइंट उठाना चाहते हैं । मैंने कहा कि नहीं, यह तो पुरःस्थापित हो चुका है, अब कांस्टीट्यूशनल प्वाइंट नहीं उठाया जा सकता । इसके बाद कोई नियम ऐसा नहीं है जिसमें कान्स्टीट्यूशनल प्वाइंट आप अलग से उठा सकें । मैंने इस सदन में यह कहा कि मैं बहैसियत जज या हाईकोर्ट के नहीं बैठता । इसलिये जितने कान्स्टीट्यूशनल प्वाइंट हैं वे सदन के समक्ष रखें, यह सदन सक्षम हैं कि वह कानून बनाये । यदि सदन समझता है कि उसको अधिकार है कि वह बना सकता है । कान्स्टीट्यूशनल प्वाइंट पर प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं हो सकता । अतः इसकी आवश्यकता नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री चैतन्यराजसिंह—श्रीमन्, मेरा निवेदन सुन लीजिये....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—इस बारे में कोई निवेदन नहीं हो सकता है और न कुछ सुना जायगा । वह खत्म हो गया अब कोई आवश्यकता नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री लखपतराम शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं एक घटना की जानकारी दिलाना चाहता हूं । एक व्यवस्था है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—मैं आपका प्वाइंट आफ आर्डर ओवर रूल करता हूं, आप बैठ जायं ।

(व्यवधान)

कुंवर रुद्रप्रतापसिंह (जिला सुल्तानपुर)—अध्यक्ष महोदय, विरोध ३ प्रकार का होता है, मन से, वचन से और कर्म से, जो कर्म से विरोध प्रकट करता है.....

श्री अध्यक्ष—आप क्या कहना चाहते हैं क्या आपका कोई व्यवस्था का प्रश्न है ?

कुंवर रुद्रप्रतापसिंह—हम तीन ही प्रकार के विरोध प्रकट कर सकते हैं....

श्री अध्यक्ष—आप अपना प्रीपोजीशन रखिये और फिर सपोर्ट कीजिये ।

कुंवर रुद्रप्रतापसिंह—मान्यवर, मैं यह कह रहा हूं कि आज जो यहां पर हो रहा है उससे जनतंत्र की हत्या की जा रही है । जनता को यह आश्वासन दिया जाता है कि वह अपने विचार व्यक्त कर सकती है और हम लोग जो जनता के प्रतिनिध हैं, बोलने नहीं दिया जाता है । यह कहां का न्याय है ? सरकार भले ही हमको जेल में बंद कर दे और भले ही हमारी गरदन दबा दें और चाहे गोली मार दे और चाहे आप मुझको आजीवन सदन से निलंबित कर दें, या घर से विलंबित होना पड़े लेकिन मुझको इसकी कोई परवाह नहीं है, और मैं कोई चिन्ता भी नहीं करता हूं । मैं जोतकर के बिरोध में वक्तव्य करना चाहता हूं । कृपया मुझे समय दिया जाय । मैं अपना वक्तव्य दूंगा ।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जाइये । आप वक्तव्य नहीं दे सकते, आप अमेण्डमेंट्स पर बोल सकते हैं परन्तु इस पर नहीं ।

कुंवर रुद्रप्रतापसिंह—मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं नहीं बैठ सकता हूं और अवश्य बोलूंगा ।

श्री अध्यक्ष—देखिये, मैं आपको आदेश देता हूं कि आप बैठ जायें । अगर आप अव्यवस्था पैदा करेंगे तो आप सदन छोड़ दें । यदि आप नहीं बैठना चाहते हैं तो कृपया सदन छोड़ें ।

कुंवर रुद्रप्रतापसिंह—मैं अपने विचार अवश्य व्यक्त करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—आप यहां पर अव्यवस्था उत्पन्न कर रहे हैं । आप अपना आसन ग्रहण करें अथवा सदन छोड़ें । मैं आपको आदेश देता हूं कि आप सदन छोड़ें ।

कुंवर रुद्रप्रतापसिंह—श्रीमन्, मैं अपने विचार अवश्य व्यक्त करूंगा ।

श्री अध्यक्ष—मुझे इंगित करना पड़ेगा, आप कृपा करके बैठ जाइये ।

कुंवर रुद्रप्रतापसिंह—मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—मैं श्री रुद्रप्रताप सिंह के व्यवहार की ओर सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और उनको इंगित करता हूं ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं प्रस्ताव करता हूं कि रुद्रप्रतापसिंह जी एक महीने के लिये सदन की सेवा से निलंबित किये जायं ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि रुद्रप्रताप सिंह जी एक महीने के लिये सदन की सेवा से निलंबित किये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी ।)

श्री झारखंडे राय—अध्यक्ष महोदय, माननीय रुद्रप्रतापसिंह के संबंध में एक महीने के निलम्बन का प्रस्ताव आया है । माननीय मेम्बर ने इसके पहले यहां पर कभी वाद-विवाद भी नहीं किया, आज पहली बार खड़े हुए । उनके विरुद्ध एक महीने का प्रस्ताव एक दम लाना बड़ा सीरियस पनिशमेंट है, जो मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री के लिये शोभा की बात नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—सबसे बड़ी शोभा होती यदि आप और अन्य माननीय सदस्य जो इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वह माननीय सदस्य को समझाते । अगर आप नहीं करते तो कोई शोभा नहीं है । जो पक्ष में हैं, वह हाथ उठायें ।

श्री रुद्रप्रतापसिंह, आप बैठिये ।

कुंवर रुद्रप्रताप सिंह—मेरा अपमान न किया जाय । मेरा नाम "कुंवर रुद्रप्रताप सिंह" है ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—मैं आपका ध्यान नियमावली की ओर आकृष्ट करता हूं । सूचना मंत्री के कथनानुसार १० नवम्बर तक आपका सेशन चलने वाला है । आपकी प्रक्रिया नियमावली में है कि अधिवेशन तक निलम्बन होगा । यह निलम्बन एक महीने का कैसे हुआ है ?

श्री अध्यक्ष—मैं जानता हूं । जो इसके विपक्ष में हैं वह हाथ उठायें ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—इल्लिगल प्रस्ताव आया है, इल्लिगल हमसे हाथ उठवा रहे हैं, यह क्या कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—अभी सत्र का पता नहीं, मुमकिन है ज्यादा चले ।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—एक मर्तबा आपने पढ़ा था कि पहली बार एक दिन के लिये, फिर ५ दिन के लिये, लेकिन एक महीने का लाना कहां तक उचित है ?

श्री अध्यक्ष—यह मेरे अधिकार की बात नहीं है । मने प्रस्ताव रखा है, वह सामने है ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—जो नियमों के अनुकूल नहीं है उसको आपको नहीं करना चाहिये था जब कि १० नवम्बर को समाप्त होने की खबर थी।

श्री अध्यक्ष—निश्चित रूप से १० नवम्बर को खत्म हो जायगा, मेरे पास यह सूचना नहीं है। मेरे पास सूचना है कि उसके आगे भी चल सकता है।

श्री टम्ब्रेश्वरीप्रसाद—लेकिन साढ़े ५ बजे के बाद निलंबन तो आप रोक ही सकते थे। टाइम तो विशेष परिस्थिति में आपने बढ़ाया था।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष म	—	१९४,
विपक्ष में	—	११३।)

श्री अध्यक्ष—अब हम उठते हैं, और सोमवार को साढ़े १० बजे फिर बैठेंगे।

(इसके पुनः बाद सदन सोमवार, २२ अक्तूबर, १९६२ के १० १/२ बजे दिन तक क लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
१९ अक्तूबर १९६२।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९० पर]

सूची

ग्राम सभा केशवानगर प्रिन्ट के प्रधान को चार्ज पाने के समय मिली गांव समाज सम्पत्ति का विवरण

	एकड़
नई परती	१.८२
पुरानी परती	८.५३
बंजर	१०२.४४
भूमि जिस पर पानी है	९२.२०
रास्ता	७७.१८
ऊसर	१.२२
कुल भूमि ..	२८३.३९
कुल वृक्षों की संख्या	६५०

गांव समाज की मौजूदा सम्पत्ति का विवरण :—

	एकड़
नई परती	१.८२
पुरानी परती	८.५३
बंजर	१०२.४४
भूमि जिस पर पानी है	९२.२०
रास्ता	७७.१८
ऊसर	१.२२
कुल भूमि ..	२८३.३९
कुल वृक्षों की संख्या	५८९

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ३४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९८ पर]

श्रीमान् मिनिस्टर कृषि विभाग,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

श्रीमान् जी,

सेवा में निवेदन है कि हम सायलान ग्राम सीतापुर, रूपपुर, मजरा गौता पर० व त० जिला बरेली के रहने वाले हैं हमारी जुमला काश्त भी वहीं रही है यही हमारी गुजर औकात का जरिया थी। अर्सा करीब ३—४ साल से हमारी कुल जमीन कटना शुरू हुई और पिछले साल कुल जमीन दरयाय राम गंगा की नजर हो गई। हमारे गुजर औकात के साथ-साथ अब हमारे लिये रहने का भी जो सहारा था वह भी खत्म हो गया। हम लोग अभी तक मड़ैया डाल—डाल इधर—उधर रहते रहे। लेकिन अब गर्मियों और बरसात में हमारे वास्ते इनमें भी रहना नामुमकिन हो जावेगा। हम लोग फाका कशी की हालत में पहुंच चुके हैं। और अब मुस्तकबिल हमारा बिलकुल ही अन्धेरे में है। इसी सिलसिले में पता लगाते लगाते हमें पता चला है कि ग्राम नवाब नगर व फैजनगर, तहसील विलासपुर, जिला रामपुर में कोई आबादी नहीं है कुल बंजर पड़ी हुई है। यह किसी वक्त में आबाद ग्राम थे अगर वह जगह हम लोगों के लिये एलाट कर दी जावे तो हमारी रिहायश व गुजर वसर वहां बखूबी हो सकती है।

अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि ग्राम नवाबनगर व फैजनगर, त० विलासपुर, जिला रामपुर की जमीन हम सायलान को एलाट कर दी जावें ताकि हम लोग इस्साफ से पहुंचे।

प्रार्थीगण,

वसीराम वगैरह

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ६६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०७ पर]

१९६१–६२ के बजट में बलरामपुर तहसील में सड़कों के निर्माण के लिये ७,१३,२०० रुपये का प्राविधान किया गया था। इस वर्ष में इन सड़कों के निर्माण कार्य में २,४१,२२७ रुपये व्यय हुए। शेष ४,७१,९७३ रुपये उपयोग में न लाए जा सके।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'घ'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ८१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०९ पर]

माध्यमिक शिक्षा परिषद् के वर्तमान सचिव ने जब से (२-१-५८ अपराह्न) कार्य भार सम्भाला है तब से आज तक जितने परीक्षार्थियों के परीक्षाफल विभिन्न कारणों से रोके गये उसका प्रतिवर्ष का विवरण निम्नवत् है—

वर्ष	इण्टर परीक्षा	हाई स्कूल परीक्षा	योग
१९५८	१,०४५	१३,८०	२,४२५
१९५९	१,०७०	२,७४८	३,८१८
१९६०	१,२९२	३,३२०	४,६१२
१९६१	१,२२२	३,७०४	४,९२६
१९६२	२,१३५	४,०२३	६,१५८

रोके गये परीक्षाफल के सम्बन्ध में निर्णय लेने की कोई तिथि निर्धारित नहीं थी। विषयों पर ज्यों-ज्यों जांच पूरी होती गई निर्णय होते गये। अधिकांश विषयों में निर्णय अक्तूबर मास तक और शेष विषयों पर निर्णय प्रायः दिसम्बर मास तक ले लिये गये। केवल वे ही विषय शेष थे जिनका सम्बन्ध न्यायालयों से था अथवा जांच के दौरान में नये तथ्यों का पता लगा तथा जिस पर अग्रिम कार्यवाही आवश्यक थी।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१० पर)

तालिका 'क'

विगत वर्ष १९६१-६२ में तृतीय योजना कोड नं० ६१, २२२ के अन्तर्गत निम्नलिखित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को १०,००० रुपये भवन अनुदान प्रदान किया गया-

बालकों के विद्यालय		१०,००० रुपये प्रति विद्यालय की दर से
१—बुलन्दशहर	..	मांडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, थोरा।
२—देहरादून	..	श्री भारत मन्दिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ऋषिकेश।
३—मुजफ्फरनगर	..	सनातन धर्म उच्चतर माध्यमिक विद्यालय।
४—अलीगढ़	..	खैर इण्टर कालेज।
५—एटा	..	भगवत राष्ट्रीय विद्यालय, उ० मा० वि०, पटियाली।
६—मथुरा	..	सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय।
७—बिजनौर	..	राजा ज्वाला प्रसाद उ० मा० वि०।
८—अल्मोड़ा	..	अल्मोड़ा उ० मा० विद्यालय।
९—नैनीताल	..	एम० बी० उ० मा० विद्यालय, हल्द्वानी।
१०—इलाहाबाद	..	यादगारे हुसैनी, उ० मा० विद्यालय।
११—जालौन	..	छत्रसाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय।
१२—वाराणसी	..	सुभद्र कुमार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बसेनी।
१३—मिर्जापुर	..	मारवाड़ी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय।
१४—देवरिया	..	पिण्डी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पिण्डी।
१५—आजमगढ़	..	गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कुबानवादा।
१६—गोरखपुर	..	डी० बी० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय।
१७—बाराबंकी	..	निबलेट इस्लामियां उच्चतर माध्यमिक विद्यालय।
१८—रायबरेली	..	महात्मा गांधी इण्टर कालेज।
१९—उन्नाव	..	चन्द्रिका प्रसाद तिवारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय।
२०—प्रतापगढ़	..	के० पी० हिन्दू इन्टर कालेज।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१२ पर)

आगरा जिला के सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों की मांगों की सूची

(१) सीनियारिटी लिस्ट तुरन्त बना कर एक कापी यूनियन को दी जाय।

(२) राम सरन क्लीनर का ट्रांसफर आर्डर जो अवैधानिक है, रद्द किया जावे।

(३) जनवरी, १९६२ से अब तक का सरकार द्वारा बढ़ाये गये ५ रुपया मासिक के हिसाब से अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को शीघ्र दिया जाय।

(४) वेतन प्रतिमास की ७ तारीख को बांट दिया जाया करे।

(५) श्री रघुबर दयाल शर्मा पर १० रुपया व दुर्गा प्रसाद शर्मा पर २ रुपया जुर्माना गैर कानूनी तरीके से किये गये, रद्द किये जावें।

(६) छै माह के अन्दर का जिन-जिन कर्मचारियों से रविवार अथवा अन्य किसी दिन ओवर टाइम कराया गया है कानून के अनुसार दूना पैसा दिया जाये और बदले की छुट्टी भी दी जाय।

(७) जिस कर्मचारी से उसके पद के ऊपर वाले पद का काम लिया गया है पदोन्नति के साथ जितने दिन पद पर काम किया है वेतन के अन्तर का पैसा दिया जाय।

(८) एक साल तक का कर्मचारी रेगुलर और ३ साल का कर्मचारी स्थायी किया जाय।

(९) गैंगों को मारकेट रेट के हिसाब से वेतन दिया जांय।

(१०) डिपार्टमेंट का सारा काम वर्कशाप में ही कराया जाये---बाहर नहीं।

(११) कुशल कारीगरों के जो ट्रांस्फर कर दिये गये हैं वापस बुलाये जायें।

(१२) रोडरौलरों पर चौकीदार दिये जायें।

(१३) भ्रष्टाचारी अधिकारियों के ट्रांस्फर किये जायें और उनकी जांच कराई जाय।

महाबीरसिंह,
प्रधान।

रघुबर दयाल शर्मा,
मन्त्री।

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४–१५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१३ पर)

सूची 'क'

क्रम–संख्या	नाम मौजा	तावाद रु० सब सी डी	दी गयी तकावी (रुपया)	गल्ला म० से छ०	मिट्टी का तेल	नमक म० से० छ०	दियासलाई (डिबिया)
१	बगहा	४,८६०	३२०	६–२०–०	२४	२–३७–०	९०
२	खड़ेसरा	७०	१९५०	६– ०–०	५८	१– ५–८	४५
३	ज्ञानकोल	१००	..	०–३०–०	९	०–२०–०	९
४	गोनघट	२०	..	३–३९–०	३२	१–३९–०	४५
५	कोटिया निरंजन	६०	..	२– २१–०	२०	१– ९–०	३४
६	बरडीहा	३७०	१२०	४– १०–०	४३	१–३६–०	२०
७	नरहरपुर	..	२६०	२– २०–०	२५	१– ०–०	८४
८	मोहालजलकर	..	१,१००	५– २४–०	४०	०–२८–०	२८
९	छपरा	..	३२०	२– ३३–०	२४	१– ९–०	८४

१०	नवलपुर ..	..	..	..	२००	२– ९–०	१८	०–१७–८	२७
११	सेमरा बुजुर्ग	..	..	२२०	६६०	१–२८–०	८	०–११–०	१५
१२	सेमरा खुर्द	..	..	१२०	..	१–२६–०	९	०–३०–०	७
१३	बैरिया खास	..	..	१४०	२९०	५– ०–०	३३	२–२९–०	६०
१४	डेरवा	..	..	..	२२०	२–२६–०	३५	१–३९–०	३५
१५	खुटमार	..	..	२४०	..	६–१८–०	८२	२–१८–०	१६२
१६	नेतवारपट्टी	..	..	..	८४०	५– ०–०	४८	०–२०–०	६०
१७	असंवदपार	..	..	८०	१,०३०	६–१३–०	१०	०–२५–०	१४
१८	सहुबाकोल	..	..	२३०	..	७–११–१२	१२	१–०–०	१६
१९	गरयाकोल	..	..	४५०	..	३–३७–०	९	०–१७–०	५
२०	कोलखास	..	..	..	२,३६०	०–३०–०	६	०–२०–०	२४
२१	रामगढ़	..	..	..	६९५	०–३१–०	८	०–४–०	..
२२	पूर	..	..	..	३,९१०	३–३५–४	..	०–१२–१२	१३
२३	परसिया तिवारी	..	..	५०	..	१–१६–०	१५	०–७–८	३०
२४	जयरामकोल	..	..	..	३,२००	२–१२–०	१५	१–६–०	२८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सूची (ख)

उन ग्रामों की सूची राजस्व सहित जिनकी भूमि कटाव के कारण नदी के घेरे में चली गयी है

क्रम-सं०	नाम ग्राम	अनुमानित राजस्व जो कम होगा	क्रम सं०	नाम ग्राम	अनुमानित राजस्व जो कम होगा
१	२	३ रु० न० पै०	१	२	३ रु० न० पै०
१	नरहरपुर ..	२५४.००	२८	बगहा ..	२,१८२.००
२	खड़ेसरी एहतमाली ..	९४१.८९	२९	परसिया भटवार ..	१८०.००
३	मुहालजलकल एह० ..	२९.००	३०	परसिया जदीद ..	..
४	रुदौली ..	४.००	३१	मौनहा ..	४३०.००
५	छपरा ..	३७.००	३२	असवंदपार एहतमाली	६.००
६	उसका एहतमाली ..	..	३३	गरयाकोल ..	१०२.००
७	खुटमार एहतमाली ..	४८.००	३४	जैरामकोल ..	१६८.००
८	नवलपुर ..	१३.००	३५	कोलखास मुस्तकिल	९३०.००
९	सेमरा खुर्द ..	१.००	३६	कोलखास एहतमाली	७७१.००
१०	सेमरा बुजुर्ग ..	१.००	३७	परसिया मथमरवा ..	१११.००
११	बैरिया खास मुस्तकिल	११९.००	३८	शेरपुर ..	१५८.००
१२	बैरिया खास एहतमाली	५४६.००	३९	रामगढ़ ..	९७.००
१३	जैतपुर ..	१,२३०.००	४०	नागपुर ..	५९.००
१४	भुजौना ..	७१६.००	४१	जहियार एहतमाली	४४९.००
१५	नरही ..	१४७.००	४२	कोड़री एहतमाली ..	५१.००
१६	डेरवा ..	६८३.००	४३	सोहरामार एहतमाली	९०.०००
१७	कृपालपुर ..	६२.००	४४	झाझापरसन एहतमाली	४७.००
१८	बेलथर ..	९२४.००	४५	खजुरी गोसाईं ..	५२.००
१९	बेलवातुरन्त सिंह ..	१७३.००	४६	छपिया उमराव ..	४७.००
२०	नैतवारपट्टी मुस्तकिल	१४१.००	४७	तिवारीपुर ..	१८५.००
२१	नैतबार पट्टी एहतमाली	४.००	४८	म्हुवाकोल एहतमाली	५.००
२२	बरडीहा ..	६९.००	४९	पूर एहतमाली ..	१३६.००
२३	बेलवा गुलाब सिंह	२४.००	५०	तालमगना ..	४८.००
२४	अजैपूरा ..	४६३.००	५१	डोमरी ..	६९९.००
२५	गोरखपुरा ..	३७.००	५२	कोटिया निरंजन ..	२७०.००
२६	खैराटी ..	३१.००	५३	गोनघट ..	१०.००
२७	भुण्डाडीह ..	७८.००	५४	ज्ञानकोल ..	१४२.००

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१४ पर)

क्रम-संख्या	मिश्रित प्राइमरी पाठशाला	बालिका प्राइमरी पाठशाला
१	बनगांव तरहटी ..	.. १—भीखपुर
२	मिर्जानिका मुहद्दीनपुर ..	.. २—देवरिया
३	रामनगर	.. ३—सराय गोरा।
४	अजिया	.. ..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१४ पर)

परीक्षाफल रोके जाने के कारण

१—परीक्षा काल में परीक्षा भवन में अनुचित साधन प्रयोग करते हुये पकड़े गये विषय।

२—परीक्षकों द्वारा उत्तर पुस्तकें जांचते समय अथवा आक्षेप के आधार पर परीक्षा समिति द्वारा नियुक्त screening Committee की आख्या पर रोके गये।

३—उपस्थिति की कमी के कारण।

४—परीक्षा में सम्मिलित होने वाले प्रतिबन्धों की पूर्ति न करने के आधार पर।

५—आवश्यक तथ्यों के छिपाने के कारण।

६—मार पीट एवम् अनुशासनहीनता के कारण।

७—समादेश प्रार्थना-पत्र के विचाराधीन होने के कारण।

८—अन्य कारणों से। उत्तर प्रदेश में निवास-काल एवं श्रुतिलेखक पर आपत्ति अथवा असन्तोषजनक कार्य आदि।

———

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१६ पर)

टेक्निकल सेल के कार्यों तथा निरीक्षण के समय से संबंधित सूचना निम्नलिखित है ।

(१) महत्वपूर्ण कार्यों का निरीक्षण निर्माण-पूर्ण हो जाने पर तथा निर्माण-काल में यह देखने के हेतु कि--(क) कार्य व्योरे के अनुसार सम्पादित होता है, (ख) कार्य निर्धारित समय में पूर्ण होता है, तथा (ग) कार्य में निर्माण के अन्तर्गत कोई अनुचित परिवर्तन नहीं होते हैं ।

(२) विभाग द्वारा हुये कार्यों का निरीक्षण, यह देखने के लिये कि सामग्री एवं श्रम का आवश्यकता से अधिक उपयोग नहीं होता है ।

(३) संक्रामित ठेकों को दृष्टि में रखते हुये कुछ पूर्ण हो चुके ठेकों की जांच यह देखने के लिये कि दरें ठीक हैं, शर्तों में कोई अस्पष्टता नहीं है तथा व्योरे आदि भी ठीक हैं ।

(४) ठेकों और माप-पुस्तिकाओं को दृष्टिगत रखते हुये भुगतान के बाद कुछ बिलों की जांच तथा मापों एवं सम्पादित कार्य की श्रेष्ठता की जांच ।

(५) संपरीक्षा आपत्तियों, ड्राफ्ट अनुच्छेदों, बिलों तथा ठेकों इत्यादि से सम्बन्धित प्राविधिक बातों मे सरकार तथा महालेखपाल, उत्तर प्रदेश की सहायता करना ।

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१७ पर)

सूची

	Rs.
Purchase of Idols etc.	147.00
Purchase of Ancient Coins	799.00
Purchase of Show-cases	22.72
Purchase of Paintings	24.00
Sundry Expenses	7.28
Total	1,000.00

Rupees one thousand only.

नत्थी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२० पर)

तालिका

सहायक आबकारी कमिश्नर के चार्ज का नाम	विलायती शराब से प्राप्त लाइसेन्स शुल्क	
	१९६०-६१	१९६१-६२
	लाइसेन्स फीस का धन जो प्राप्त हुआ	लाइसेन्स फीस का धन जो प्राप्त हुआ
	रुपये न० पै०	रुपये न० पै०
१ इलाहाबाद	६७,१०३.९२	७३,५५५.५७
२ बरेली	१,०१,९८८.८४	१,१४,४१९.४५
३ मुरादाबाद	७७,१७८.८७	८३,५६३.९५
४ देहरादून	१,०९,५०१.६५	१,५६,२१८.२६
५ मेरठ	२,०१,८६७.२१	२,११,६४१.१७
६ आगरा	९०,२८१.९०	१,१४,४७९.६६
७ झांसी	१९,०६५.१७	२८,४४५.९५
८ वाराणसी	३९,६६८.५९	४३,३९८.०२
९ गोरखपुर	१५,०११.३१	१५,२३८.७५
१० लखनऊ	३,८२,१४२.९४	३,२४,४७५.५४

नत्थी 'ड'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२६ पर)

दिल्ली और सहारनपुर के बीच पुल बनाने के लिये निम्न स्थानों पर सर्वे किया गया था तथा वहां पर पुल बनाने की जो लागत आती उनके सामने दी हुई है :—

(१)	पंजाब की ओर सोनीपत तथा उत्तर प्रदेश में बागपत की सरहद पर।	६२ लाख रुपये अनुमानित।
(२)	पंजाब की ओर पानीपत तथा उत्तर प्रदेश की ओर कैराना के बीच।	५५ लाख रुपये अनुमानित।
(३)	पंजाब की ओर करनाल तथा उत्तर प्रदेश की ओर शामली और बिदालिया के बीच।	५५ लाख रुपये अनुमानित।

(इस अनुमानित लागत में अप्रोच रोड का खर्चा सम्मिलित नहीं है।)

———

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२८ पर)

शिक्षा विभागीय उन कर्मचारियों की तालिका, जिनके विरुद्ध १ जुलाई, १९६१ के पहले से अनुशासकीय कार्यवाही चल रही है

क्रम-संख्या	कर्मचारी का नाम	पद	वेतन-क्रम	संबंधित विद्यालय कार्यालय का नाम
१	२	३	४	५
१	श्री नसीरूल हसन ..	प्रधानाध्यापक	२५०–५००	राज० दीक्षा विद्या०, बहराइच ।
२	श्री श्यामाचरण दुबे ..	स० अध्यापक	२००–४५०	ए० एन० झा० रा० उ० मा० वि०, खुर्पुर, नैनीताल ।
३	श्री नाजिम अली ..	स० अध्यापक	१२०–३००	राज० दी० वि०, दिलीपपुर, प्रतापगढ़ ।
४	श्रीमती प्रभा श्रीवास्तव	स० अध्यापिका	१२०–३००	राज० क० उ० मा० वि०, प्रतापगढ़ ।
५	श्री मूल चन्द्र पटेल ..	स० अध्यापक	७५–२००	हायर सेके० स्कूल, अंजनीसैन ।
६	श्री पारस नाथ द्विवेदी	स० अध्यापक	..	[illegible]० आदर्श वि०, खीरी ।
७	श्री चेतराम ..	प्रसाराध्यापक	७५–२००	जू० हा० स्कूल, गरेली, हरदोई ।
८	श्री राधेश्याम सिंह	सहायक ..	६०–१००	शि० नि० कार्यालय, उत्तर प्रदेश ।
९	श्री भगवान दास यादव	प्रधान लिपिक ..	१००–१७०	मंडलीय उप शि० नि०, इलाहाबाद ।
१०	श्री भोलानाथ तिवारी	एकाउन्टेन्ट ..	८०–१३०	विलीन राज० संस्कृत का०, वाराणसी ।
११	श्री के० एल० पचौरी	लिपिक ..	८०–१३०	राज० उ० मा० वि०, एटा ।
१२	श्री कृष्ण सेवक लाल	लिपिक ..	८०–१३०	मंड० बालिका वि० नि०, आगरा ।
१३	श्री पारस राम गौड़ ..	लिपिक ..	८०–१३०	जिला विद्या० निरीक्षक, देहरादून ।

क्रम-संख्या	कर्मचारी का नाम	पद	वेतन-क्रम	संबंधित विद्यालय कार्यालय का नाम
१४	श्री बी० एन० वर्मा	एकाउन्टेन्ट	८०–१३०	राज० सेन्ट्रल पेडा० इस्टी०, इलाहाबाद ।
१५	श्री जीतम सिंह	प्रधान लिपिक	८०–१३०	राज० इन्टर कालेज, मैनपुरी ।
१६	श्री राम अभिलास शर्मा	लिपिक	६०–१००	कार्यालय, सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश ।
१७	श्री राज किशोर माथुर	लिपिक	६०–१००	राज० दीक्षा वि०, बहराइच ।
१८	श्री मुन्नू	फर्राश	२७–३२	राज० दीक्षा वि०, सुल्तानपुर ।
१९	श्री एस० के० अग्निहोत्री	स० अध्यापक	२००–४५०	राज० उ० मा० वि०, फैजाबाद ।

परिशिष्ट 'ण'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ५५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२९ पर)

तृतीय पंचवर्षीय योजना अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूलों के खोलने के लिये भवन निर्माण सम्बन्धी अनुदान

	रु०		रु०
१—असवा	१,०००	९—कमासिन ..	१,०००
२—भोलनापुर ..	१,०००	१०—अंगराह	१,०००
३—कबीरपुर ..	१,०००	११—बेहारी ..	१,०००
४—कोदाहू ..	१,०००	१२—बासूपुर ..	१,०००
५—आदेपुर मटोरी ..	१,०००	१३—जगापुर बनकट ..	१,०००
६—जीरखपुर ..	१,०००	१४—हरीपुर ..	१,०००
७—मिदीयोन ..	१,०००	१५—खेरारी ..	१,०००
८—जगदीशपुर ..	१,०००	१६—चांदपुर ..	१,०००

तृतीय पंचवर्षीय आयोजन के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में चालू अथवा नवीन पाठशालाओं में अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में दिया गया भवन अनुदान

	रु०		रु०
१—मुगरा बादशाहपुर ..	५००	१४—रामनगर बघमोना	५००
२—जटापालपुर ..	५००	१५—मटहर (क० प्रा० पा०)	५००
३—तरार ..	५००	१६—नदवोपुर ..	५००
४—पांडेपुर ..	५००	१७—मटोली ..	५००
५—तरहटी ..	५००	१८—पुरा गम्भीरशाह ..	५००
६—लोह ..	५००	१९—चरियाही ..	५००
७—मछलीशहर ..	५००	२०—ढेमा ..	५००
८—मटहर ..	५००	२१—कोल्हुआ ..	५००
९—मीरगंज ..	५००	२२—सुजानगंज ..	५००
१०—बरईपुर ..	५००	२३—मुस्तफाबाद ..	५००
११—बांदारी ..	५००	२४—बद्धींकला ..	५००
१२—तिलोरा ..	५००	२५—पसवा ..	५००
१३—मछलीशहर (क० प्रा० पा०)	५००	२६—रायपुर ..	५००
		२७ मानपुर ..	५००

नत्थी 'त'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३० पर।)

तृतीय योजनाकाल में जिला गोंडा में बनने वाली सड़कों की सूची

	मील	फ०	गज०
चालू योजनायें			
१—तुलसीपुर—इटावा	१७	४	०
२—परसपुर—नवाबगंज ..	२७	२	०
३—हरिहरगंज—ललिया	८	०	०
४—तुलसीपुर—नैपाल बार्डर रोड	१५	०	०
५—तुलसीपुर—देवी पाटन सी० सी० ट्रक	१	२ १/२	०
१—भारवती—खारी बावली	४	२	०
२—तुलसीपुर—उत्तरौला	६	६	०
३—नवाबगंज—पुलिस स्टेशन	३	०	०
४—कल्यानपुर—रीवां	२	०	०
५—परसपुर—रगड़गंज—नवाबगंज	५	५ २/३	०
६—श्रीनगर जूरा श्रीनगर—महन्त	७	०	०
७—नछवारा—गेवरां	२	५	०
८—सोसाइटी आफिस से—तुलसीपुर शुगर फैक्ट्री	१	१	०
९—भगवानपुर—बेल्हारी	४	०	०
१०—तुलसीपुर—हररैया-सिरिया नाला के पार	३	१/३	०
११—नकटी नाला से रेलवे क्रासिंग तक	१	२ १/३	०
नई योजनायें			
१—मनकापुर—सादुल्लानगर	१०	४	०
२—तुलसीपुर—नैपाल बार्डर सी० सी० ट्रैक	१	०	०
१—कंचनपुर के निकट झड़ा नाला से गोंडा—बलरामपुर सड़क को मिलाने के लिये	१	०	०

नत्थी 'ब'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ५७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३० पर)

पद	राजकीय, प्रशिक्षण विद्यालयों में	अराजकीय प्रशिक्षण विद्यालयों में
१—प्रोफेसर व विभागाध्यक्ष	२५०–२५–३७५–द० रो० २५–५०० ।	३००–२०–५००–द० रो० २५–६०० ।
२—प्रवक्ता ..	२००–१०–२५०–द० रो० १०–३१०–द० रो०– १४–४५० ।	२००–१५–३५०–द० रो० २०–४५० ।
३—स० अध्यापक (एल० टी०)	१२०–८–२००–द० रो० १०–३०० ।	१३०–६–१६८–द० रो० ६–२४०–१०–३०० ।
४—स० अध्यापक (सी० टी०)	७५–५–१२०–द० रो०–८ २०० ।	७५–५–११०–द० रो०– ६–१४०–७–१६८–८–२०० ।

परिशिष्ट 'द'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ६४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३१ पर)

गोरखपुर में राप्ती नदी पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में मार्च, १६६२ से अगस्त, १६६२ तक किये गये खर्चे का मद के अनुसार विवरण

कार्य अथवा मद	खर्च रुपये में
१—पुल के किनारे के स्तम्भों को सुरक्षित रखने के लिये कंकड़ की भराई	३८,८२१.००
२—पुल के ऊपरी भाग की जांच करने के लिये टोल टैक्स लगाने का कार्य	७२३.१५
३—टूटे हुए भाग का निरीक्षण तथा उसे पानी से निकालने के लिये सामान तथा मजदूरी	१४,६४५.४८
४—लोहे के गार्डर, पत्थर, कम्पेशर, जनरेटर तथा अन्य सामान आदि की ढुलाई	२३,२६५.६२
५—(स्टाफ के निम्न श्रेणी के लोगों का मासिक वेतन तथा फावड़े और फर्नीचर की मरम्मत तथा अन्य छोटी जरूरत का सामान) ..	१२,३८८.५८
६—सेनटेज चार्जेज किये गये कार्य के व्यय पर ७ १/२ प्रतिशत रकम जो केन्द्रीय सरकार के खर्च में वसूल पड़ी	१८,०४८.४८
७—पुल के टूटे भाग के निरीक्षण के लिये प्रस्तावित काफर डाम बचाने के लिये सामान (लोहा और सीमेंट इत्यादि)	१,५८,४२२.४८
८—पुल का लोड टेस्ट करने के लिये सामान की कीमत ..	३१,०२२.६४
कुल योग ..	२,६७,६१८.१३

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—२२० एल० ए०—१६६३—८३० ।